अष्टम माला, खंड 1, अंक 1

मंगलवार 22 जनवरी, 1985

2 माघ 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दो संस्करण

22 जनवरी, 1985/2 माघ, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूचो, पृष्ठ ([illegible]), पंक्ति 37 में "माल" के पश्चात "को" अंत: स्थापित करिये और पंक्ति 38 में "समुद सोमा" के स्थान पर "समुद्रो सोमा" पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 14 के नोचे लिखे "(अनुवाद)" को पंक्ति 13 के नोचे पढ़िये तथा पंक्ति 14 में "करना" के स्थान पर "करने के लिये" पढ़िये।

पृष्ठ 10, पंक्ति 34, "(क)" का लोप कोजिये।

पृष्ठ 33, पंक्ति 1 व 2, "(अनुवाद)" तथा "हिन्दो" का लोप कोजिये।

पृष्ठ 45, पंक्ति 28, "सिनेमें" के स्थान पर "सिनेमा" पढ़िये।

पृष्ठ 58, पंक्ति 27 विशेरू के स्थान पर "विशेष रूप" पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 27, "उपाध्यक्ष" के स्थान पर श्री एम० थम्बो० दुराई धर्मपुरा)" पढ़िये।

पृष्ठ 87, पंक्ति 38, "चौब" के स्थान पर "चौबे" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 1, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 22 जनवरी, 1985/2 माघ, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 37 से 41; 43 और 44	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 42, 45 से 56	17—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 101 से 164 और 164क	27—62
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	64—72
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की गई कार्यवाही संबंधी 59वां तथा 60वां प्रतिवेदन	72
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	73
उपाध्यक्ष को बधाइयां :	73—77
श्री राजीव गांधी	73
श्री अब्दुल रशीद काबुली	74
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	76
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	76
श्री नर बहादुर भंडारी	76
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसे	76
श्री फ्रैंक एन्थनी	76
अध्यक्ष महोदय	77
श्री एम० थाम्बी दुराई	78
नियम 377 के अधीन मामले	79—80
(एक) रुपसा—बांगीरिपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	79
(दो) उड़ीसा कॉटन मिल्स के आधुनिकीकरण हेतु धन की व्यवस्था।	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	79
(तीन) शहडोल (मध्य प्रदेश) में कोयले के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता	
श्री दलबीर सिंह	79
(चार) केरल में कुरियाकुट्टि—कराप्पा परियोजना के सिंचाई अंश को मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	80
(पांच) पाकिस्तानी दूतावास द्वारा वीसा जारी करने में विलम्ब	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	80

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

(छह) औद्योगिक अपशिष्टों तथा मल के नालों से दिल्ली में यमुना नदी के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कदम

श्री जयप्रकाश अग्रवाल . . . 80

81—117

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . . . 125—143

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी . . . 81

श्री अजीज सेट . . . 83

श्री पी० आर० कुमारमंगलम . . . 86

श्री नारायण चौबे . . . 87

श्री श्रीपति मिश्र . . . 91

श्री ए० सी० शनमुगम . . . 93

श्री के० एस० राव . . . 95

श्री प्रताप भानु शर्मा . . . 97

श्रीमती अकबर जहान बेगम . . . 98

प्रो० पी० जे० कुरियन . . . 100

श्री गिरधारी लाल व्यास . . . 101

श्री पीयूष तिरकी . . . 103

श्री तरुण कान्ति घोष . . . 103

प्रो० के० के० तिवारी . . . 104

श्री चन्दुपाटला जंगा रेड्डी . . . 107

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति . . . 110

श्री मूलचन्द डागा . . . 111

डा० दत्ता सामन्त . . . 112

श्रीमती कृष्णा साही . . . 114

श्री देवोनैमो नारायणस्वामी . . . 115

श्री आर० प्रभु . . . 125

डा० ए० कलानिधि . . . 127

श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा . . . 130

श्रीमती जयन्ती पटनायक . . . 132

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति . . . 133

श्री डी० बी० पाटिल . . . 134

प्रो० निर्मला कुमारी . . . 135

श्री अमर रायप्रधान . . . 136

श्री अजय नारायण मुशरान . . . 137

श्री राजीव गांधी . . . 138

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्रीलंका में फिर से हुई हिंसा की घटनाओं, जिनमें तामिल लोगों की जान और माल की हानि हुई, तथा श्रीलंका की एक गश्ती नौका के भारत की समुद्री सीमा में अनधिकृत प्रवेश और उसके द्वारा भारतीय मछुआरों पर आक्रमण किए जाने के समाचार . . . 117—125

श्री प्रियरंजनदास मुंशी . . . 117

श्री खुर्शीद आलम खां . . . 117

श्री ब्रजमोहन महन्ती . . . 121

श्रीमती गीता मुखर्जी . . . 123

लोक सभा

मंगलवार, 22 जनवरी, 1985/2 माघ, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात में दूरसंचार सुविधायें

*37. **श्री अमर सिंह राठवा**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पिछड़े, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर गुजरात में, दूरसंचार की क्या-क्या सुविधाएं सुलभ की गई हैं; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत देश भर में और गुजरात में अब तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) मुख्य रूप से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एवं संयुक्त डाक-तार घर जैसी दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15-11-1984 तक देश में तथा गुजरात के ग्रामीण, पिछड़े जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या क्रमशः 9,301 तथा 155 है।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा: अध्यक्ष महोदय, मैं जो जवाब चाहता था वह तो मिला नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में, खासकर गुजरात में बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है और उस इलाके में एक हजार की बस्ती वाले जो गांव भी बहुत हैं तो इस प्रकार से पिछड़े हुए इलाकों में एक हजार बस्ती वाले गांव हैं वहां पर टेलीफोन सुविधा देने के लिए क्या योजना बनाई गई है, उसका पूरा विवरण देने की कृपा करें।

श्री राम निवास मिर्धा: श्रीमन् यह सही है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में टेलीफोन की जितनी सुविधा होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हो पाई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1979 में हमारे मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बिठाई थी कि देहाती क्षेत्रों में किस प्रकार से टेलीफोन सुविधायें बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने कई सिफारिशें की हैं, जिनमें से एक मुख्य यह है कि कम से कम पांच किलोमीटर के क्षेत्र में टेलीफोन सुविधा अवश्य दी जाए। इस समिति ने जो सिफारिश की है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन किस हद तक हम इसे कार्यान्वित कर सकते हैं, यह इस बात पर मुनहसिर करता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे मंत्रालय को इस कार्य के लिए कितना धन दिया जाता है। गुजरात में जैसा मैंने बताया 155 पिछड़े हुए पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर ये सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि पर्याप्त नहीं हैं। हम यह कोशिश करेंगे कि सातवीं योजना में इस स्थिति में काफी सुधार कर सकें।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, इस लोकसभा में मैं तीसरी बार छोटा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूं, लेकिन वहां पर टेलीफोन की हालत जो पहले थी, वही आज भी चल रही है। यदि आप आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, योजनाओं के द्वारा उनका विकास करना चाहते हैं, तो टेलीफोन की सुविधा देना बहुत जरूरी है। अभी छोटा उदयपुर और बड़ौदा में टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन कटी सी रहती है। वैसे भी इन दोनों क्षेत्रों में डबल लाइन करने की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं इस क्षेत्र में डायरेक्ट लाइन और डबल लाइन कब हो रही है?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य छोटा उदयपुर और बड़ौदा के बीच सीधी लाइन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, दुगुना किया जा सकता है, यह जानना चाहते हैं। इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विस्तार और टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए राजधानी दिल्ली में कौन सी योजनायें बनाई जा रही है? वर्तमान प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान किया जाएगा और प्रतीक्षा अवधि में कमी करने के कौन से उपायों पर सरकार विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप राजधानी के लिए पूछ रहे हैं। इसके लिए आप अलहदा सवाल दे दीजिए। आपके सवाल की इनफार्मेशन अभी इन के पास नहीं होगी, क्योंकि संबंधित प्रश्न दिल्ली से संबंधित नहीं है। आप इसके बारे में दूसरा सवाल दीजिए।

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, वहां गांव में पी० सी० ओ० साल के 365 दिनों में 360 दिन बन्द रहता है। पूरी लाइन बड़ौदा–अहमदाबाद कहीं नहीं चलती है। दूसरी बात यह कि एक टेलीफोन के पीछे पांच सुन सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र की लाइन चालू रहे और पीछे से सब सुनते हैं, वह बन्द कब करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं पूछते है कि पांच दिन क्यो चालू रहता है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह सही है कि आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष समस्यायें हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो सीधी लाइन लगाई जाती है, वह टूट जाने की वजह से कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगली योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेडियो–टेलीफोन की व्यवस्था की जाए ताकि तार खींचने की आवश्यकता न पड़े। मैं समझता हूं कि जो कमियां माननीय सदस्य बता रहे हैं, वे आगे दूर हो जायेंगी।

श्री ललितेश्वर शाही : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं ट्राइबल और हिली एरियाज के डेवलेपमेंट की जो स्कीम है, उसमें बिहार का कितना अंश है, क्योंकि हिली एरियाज में अभी जो सुविधायें प्राप्त हैं, वे बहुत ही इनएडिक्वेट हैं?

[अनुवाद]

श्री राम निवास मिर्धा : यह सिर्फ गुजरात से संबंधित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न दीजिए, तो जवाब आ जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ललितेश्वर शाही : प्रश्न समस्त देश का है, विशेष रूप से गुजरात का।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री मूल चन्द डागा।

श्री मूल चंद डागा : प्रश्न संख्या 38।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय प्रश्न संख्या 52 प्रश्न संख्या 38 के समान ही है। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक ही में मिला दिया जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर सब मानें तो लिंक हो सकता है क्या हम में सबकी सहमति है? मिनिस्टर इन्चार्ज की सहमति भी होनी चाहिये।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मिला दें।

अध्यक्ष महोदय : पूर्ण विलय।

[हिन्दी]

नहीं माना।

[अनुवाद]

भोपाल में गैस रिसने से हुई दुर्घटना

*38. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 दिसम्बर, 1984 के दि इंडियन वर्कर नई दिल्ली में, भोपाल स्थित दि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसने के संबंध में यूनियन्स रिपीटेड वार्निंग वेंट अनहीडेड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 में जब तरल फासजीन फैली थी और 1982 में जब मैकेनिकल पम्प क्षतिग्रस्त हो गया था, सरकार ने क्या कार्यवाही की थी;

(ग) क्या वहां के कर्मचारी संघ ने पोस्टरों द्वारा सम्भावित खतरे को चेतावनी दी थी; और

(घ) क्या देश में, इस प्रकार के निर्माण संस्थानों की अब सुरक्षा संबंधी जांच कर ली गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 24-12-1981 और 10-2-1982 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई दुर्घटनाओं पर उन्होंने निम्नलिखित कार्यवाही की :

1. **24-12-1981 :** यह दुर्घटना फोसजीन के बिखरने के बाद एक श्रमिक द्वारा श्वसन मास्क को हटाने के बाद फोसजीन वाष्प को सांस में लेने के कारण हुई। श्रमिक का स्वर्गवास हो गया। कारखाना निरीक्षक ने कारखाने का दौरा किया और निरीक्षण किए। प्रबन्धकों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए :—

(i) रख-रखाव के समय पाइपों के कोरों को खोलते समय श्रमिकों को निर्देश दिए जाएं कि वह पहले अपने से दूर वाले किनारों की बोल्टें खोलें और तब अपनी ओर वाली बोल्टें खोलें, ताकि श्रमिकों पर किसी शेष तरल के बिखरने की कोई संभावना न रहे।

(ii) श्रमिकों को श्वसन उपकरणों के उपयोग के संबंध में उचित निर्देश दिए जाने चाहिएं।

कारखाना अधिनियम की धारा 90 के अधीन जांच करने का आदेश दिया गया था और जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। कम्पनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन एक आपराधिक मामला दायर किया गया था। यह मामला चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में लम्बित है।

2. **10-2-1982 :** फोसजीन पम्पिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक पम्प की मैकेनिकल सील क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ फोसजीन तरल का रिसाव हुआ जो तुरन्त बाष्पित हो गई। कारखाना निरीक्षक ने कारखाने का निरीक्षण किया। प्रबन्धकों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे :--

(i) किसी इंजीनियर को सील की फिटिंग्स का पर्यवेक्षण करना चाहिए, और

(ii) कुछ समय के लिए पम्प को चला कर सील का परीक्षण करना चाहिए और यदि कोई रिसाव हो तो उसकी जांच की जानी चाहिए।

कम्पनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक आपराधिक मामला दायर किया गया था। यह मामला चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लम्बित है।

(ग) यूनियन कार्बाइड वर्कर्स यूनियन द्वारा 1982 में किसी समय पैम्फलेट जारी किए गए थे जिसमें कारखाने में जहरीली गैस तथा दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चेतावनी दी गई थी।

(घ) अन्य ऐसे उत्पादक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा पहलुओं की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे :—

(1) श्रम मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि:—

(क) उच्च जहरीले पदार्थों सहित रसायन और अन्य उद्योगों में खतरनाक प्रचालनों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सुरक्षा उपबन्धों के कार्यान्वयन का सम्पूर्ण रूप से पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति या टास्क फोर्स गठित करें, और

(ख) श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए कारखाना अधिनियम या अन्य नियमों एवं अनुसूचियों के उपबन्धों के उल्लंघन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए बारम्बार निरीक्षण करें।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्योगों की शिनाख्त करेगी जिन्हें खतरनाक उद्योगों के रूप में माना जाता है और ऐसे उद्योगों की राज्य-वार एक सूची बनाएगी।

यह सूचना दी गई है कि मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियां/टास्क फोर्स नियुक्त कर दी है और निरीक्षण कार्य प्रगति पर है ।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जो जागता हुआ सोता हो, उसको जगाना मुश्किल है । नींद न आती हो, वह ठीक है, लेकिन जो जागता हुआ सोता हो उसके लिए क्या कहा जाय । जब कभी रिटन स्टेटमेन्ट देते हैं, उसका कारण यह है कि कुछ न कुछ गोल-माल है । आपने बतलाया है कि—

[अनुवाद]

कारखाना अधिनियम की धारा 90 के अधीन जांच करने का आदेश दिया गया था और जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

1981 में एक मजदूर मौत का शिकार हुआ, उस कारखाने में उसकी एन्क्वायरी के आर्डर आपने कब दिये और वह आज तक अण्डर-कन्सीडेशन है—गवर्नमेंन्ट के अण्डर-कन्सीडरेशन में इसको कितने साल हो गये? 1981 में जो घटना घटी जिसमें एक मजदूर मौत का शिकार हुआ, मजदूरों ने आन्दोलन किया, उसके बाद भी आज तक वह अण्डर-कन्सीडरेशन है और फिर आप यह भी कहते हैं कि एक केस का चालान कर दिया गया है । यह चालान कब किया गया और कौन से कोर्ट में कब से पेण्डिंग है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जो एन्क्वायरी आर्डर हुई वह 10-2-1982 को हुई। एक एन्क्वायरी, आफिसर—डा० एस० सिद्दीकी, एसिस्टेंट प्रोफेसर आफ केमिस्ट्री, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल, को एप्वाइन्ट किया गया जिन्होंने 5 मार्च, 1984 को अपनी एन्क्वायरी रिपोर्ट दी, जिस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट अभी गौर कर रही है और जिस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि केस कोर्ट में कब फाइल किया गया? उत्तर में निवेदन है—अण्डर सेक्शन 304(ए) आई० पी० सी० चीफ जुडीशियल मंजिस्ट्रेट, भोपाल की कोर्ट में 2-8-1983 को फाइल हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, क्या इसे उत्तर से आपको सन्तोष हुआ? 1981 में दुर्घटना हो, उसकी एन्क्वायरी अभी तक पैण्डिग हो, आज तक सरकार उसकी एन्क्वायरी नहीं कर पाई, आज भी उसकी जांच चालू है और आपने चालान कब पेश किया—2 साल के बाद। जो सेफ्टी मनुअल्ज बने हुए हैं क्या वे डाक्यूमेन्ट की तरह, किताब की तरह रखने के लिए हैं? इसके लिये कौन दोषी है? आपने फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की—इसका उत्तर दें।

दूसरा उत्तर आपने यह दिया है —

[अनुवाद]

"केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्योगों की शिनाख्त करेगी ...."

[हिन्दी]

यह कब हुआ? सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ने इण्डस्ट्रीज को आइडेन्टीफाई करने के लिये कब कमेटी मुकर्रर की और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्या ऐसा हो रहा है कि आग लग गई, उसके बाद बुझ गई, काफी नुकसान हुआ, अब उसके बाद कुआ खोदा जा रहा है? यह काम कब शुरु हुआ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि इस फैक्टरी में जो एक्सीडेंट 1981 में हुआ, उसकी जो एन्क्वायरी हुई और एन्क्वायरी के बाद जो रिपोर्ट वसूल हुई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, उसमें देरी हुई है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस फैक्टरी की जो भी लेबर प्राब्लम्स हैं या वर्कर्स की सेफ्टी और हैल्थ की जो प्राब्लम्स हैं, उन का पूरा जूरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। हमेशा हम लोग लेबर मिनिस्ट्री की ओर से स्टेट गवर्नमेंन्टस को ऐसी फैक्टरीज के बारे में, उनकी प्राब्लम्स के बारे में, वहां पर सेफ्टी मेजर्स के बारे में लिखते रहते हैं और हमारे जो आफ़िसर्स इस काम के लिए हैं, उनके द्वारा इंसपेक्शन कराने के लिये भी हम लिखते रहते हैं।

माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न पूछा है कि सेन्ट्रल पोलयूशन कन्ट्रोल बोर्ड की जो कमेटी बनी है उन उद्योगों की शिनाख्त करनी जिन्हें खतरनाक उद्योगों के रूप में माना जाता है।

[अनुवाद]

[हिन्दी]

यह कमेटी कब बनी है। मैं बताना चाहता हूं कि यह कमेटी हाल ही में बनी है और भोपाल में जो बड़ी ट्रेजडी, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद बनी है। इसी महीने यह कमेटी बनी है और यह कब तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है, यह कहना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार साहा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास एक 'व्हाइट पैलेस' है जहां संसार के विभिन्न भागों से वैज्ञानिक-अमरीकी वैज्ञानिक भी आकर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहाँ तक इस उपक्रम की अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संबंध है सरकार को यह ज्ञात है कि इस उपक्रम में एक अनुसंधान और विकास विभाग है और वह इस विभाग में उष्णकटिबन्धीय देशों में जन्तुओं और कीटों पर प्रयोग कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : प्रदूषण के अलावा, यह मुख्य रूप से एक रासायनिक संयंत्र में औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषरूप में इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गठित अनेक अध्ययन दलों द्वारा विचार किया जा चुका है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के उद्योग और श्रम मंत्री ने मध्य प्रदेश विधान सभा में कहा कि संयंत्र में कुछ भी खराबी नहीं थी। क्या मंत्री जी वक्तव्य से अवगत थे और उन्होंने क्या कदम उठाये?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री ने विधान सभा में क्या कहा था। कल मैंने कहा है और वक्तव्य देते हुए भी मैंने कहा था कि जो दुर्घटना इस कारखाने में हुई है वह अत्यन्त दुःखद भी है और ऐसी दुर्घटना कभी भी हमारे देश में बल्कि दुनिया में भी नहीं हुई है और यह अचानक ही हो गयी है और अब इसने सभी लोगों की आंखें खोल दी हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल से आज तक भोपाल की गैस ट्रैजडी के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जो फैक्टरी ऐक्ट है और इन्सेक्टिसाइड ऐक्ट है, इनके अन्तर्गत कार्यवाही की गई, यह जानकारी भी माननीय मंत्री जी ने दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 1983 से जब ऐयर पोल्यूशन कन्ट्रोल ऐक्ट लागू हो गया है और उसके बाद दो-तीन घटनाएं इस फैक्टरी में हो चुकी थीं, तो हमारे स्टेट के पोलयूशन कन्ट्रोल बोर्ड ने या सेन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ने क्या इसके बारे में कोई हिदायतें दी हैं और उस फैक्टरी का इन घटनाओं के बाद निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद जिस तरह से फैक्टरी इंस्पेक्टर ने भी कार्यवाही की और इन्सेक्टिसाइड ऐक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही हुई, तो क्या यह जो एयर पोलयूशन कन्ट्रोल ऐक्ट बना हुआ है, इसके अन्तर्गत भी कोई कार्यवाही की गई। माननीय मंत्री जी सदन को यह बताएं कि यदि दो साल में कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके पहले भी कुछ एक्सीडेंट हुए हैं और ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हुए लेकिन वे बहुत ही माइनर नेचर के थे। वैसे 1978 से अब तक 6 एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन 6 एक्सीडेंट्स में सिर्फ एक एक्सीडेंट ऐसा है, जिसमें एक मजदूर मरा है और वह इसलिए कि जो ब्रीदिंग ऐपेरेट्स थे, उनका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब भी पाइप को ओपन करके साफ करने को रखते हैं, तो ब्रिदिंग कैप डाल लेनी चाहिए लेकिन उस वक्त सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत से वर्कर्स जो वहां पर काम करते हैं, वे ट्रेंड नहीं होते हैं और जब अनट्रेंड वर्कर्स लगाए जाते हैं, तो उनको ठीक ढंग से मालूम नहीं होता है और उसी वजह से ऐसा हुआ है। जब भी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है तब स्टेट गवर्नमेंट ने कार्यवाही की है। कुछ केसिस कोर्ट में चल रहे हैं। उनका ब्यौरा मेरे पास है। अगर मैं उसको पढ़ू तो बहुत समय लग जायेगा। उस ब्यौरे को अगर आप चाहेंगे तो वह मैं आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र को दूरदर्शन के अंतर्गत शामिल करना

*39. श्री चूमर लाल बैठा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितना क्षेत्र और आबादी लायी गई है और जो क्षेत्र तथा आबादी अभी तक इसके अन्तर्गत नहीं आयी है, उनके बारे में योजना का ब्यौरा क्या है, और उन क्षेत्रों को दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत कब तक लाया जायेगा ;

(ख) क्या नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र में अभी तक यह सेवा उपलब्ध नहीं है और सम्बन्धित मंत्री ने यह वचन दिया था कि कुर्सियांग में बनाये जाने वाले शक्तिशाली पारेषण केन्द्र द्वारा शीघ्र ही इन क्षेत्रों को भी शामिल किया जायेगा, यदि हां, तो इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, बिहार के पूर्णिया जिले में नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र को, अररिया या फारबिसगंज में एक रिले केन्द्र का निर्माण करके अथवा पूर्णिया के रिले केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाकर, इसके अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) क्या माइक्रोवेव टेलीफोन टावर में अतिरिक्त व्यय करके कुछ और उपकरण लगाकर भी यह प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के पूरा हो जाने पर देश की लगभग 70 प्रतिशत जन संख्या को दूर दर्शन सेवा उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि टावरों के मुकम्मल न होने के कारण उच्च शक्ति वाले कुछ ट्रांसमीटर अभी पूरी शक्ति पर प्रचालित नहीं हुए हैं, और उच्च शक्ति वाले छः ट्रांसमीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है या अभी लगाए जाने हैं, इसलिए 70 प्रतिशत का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने की योजना अनुमोदित हो गई है और उसे पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे कई केन्द्रों पर कार्यक्रमों के स्थानीय रूप से तैयार किए जाने की सुविधाओं के साथ क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या को सेवा उपलब्ध होगी। सातवीं योजना के अन्तर्गत, कवर न हुए क्षेत्रों में सेवा का विस्तार करने के प्रस्ताव अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और देवरिया जिलों तथा बिहार में पश्चिम चम्पारन में, जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, गोरखपुर के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से सेवा उपलब्ध हो रही है। अल्प शक्ति वाला एक अन्य ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किया जा रहा है। कुर्सियांग में लगाया जा रहा उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में और दूर दर्शन सेवा उपलब्ध करेगा। इस केन्द्र के लिए ट्रांसमीटर तथा अन्य आवश्यक उपकरण प्राप्त हो गए हैं और उनके लगाने का काम चल रहा है। 135 मीटर ऊंचे टावर के मुकम्मल हो जाने तक अन्तरिम सेवा के इस मास के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

हाथ में ली गई स्कीम के मुकम्मल हो जाने पर, पूर्णिया जिले के बड़े भाग में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में और सेवा उपलब्ध करने के प्रश्न को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन के विस्तार की अनुवर्ती योजनाओं के हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए टावर उपलब्ध होने के कारण व्यय में केवल नाममात्र की बचत होती है।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है—

"दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के पुरा हो जाने पर, देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि टावरों के मुकम्मिल न होने के कारण उच्च शक्तिवाले कुछ ट्रांसमीटर अभी पूरी शक्ति पर प्रचलित नहीं हुए हैं, और उच्च शक्तिवाले 6 ट्रांसमीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है या अभी लगाये जाने हैं, इसलिए 70 प्रतिशत का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है।"

हमने प्रश्न पूछा था कि अभी तक आबादी का कितना प्रतिशत कवर हो गया है और कितने प्रतिशत जनसंख्या इससे लाभ उठा रही है। इसका जबाब नहीं मिला है।

साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो 6 शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की बात चल रही है, ये कहां कहां लगाये जा रहे हैं? इनसे नेपाल की सीमा से लगा पूर्णिया जिले का भाग भी सर्व होगा या नहीं? क्या 135 मीटर ऊंचे टावर के मुकम्मिल हो जाने पर जो अन्तरिम सेवा के इस मास के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है इस अन्तरिम सेवा का लाभ पूर्णिया जिले में मिलेगा या नहीं।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जनवरी 17 तक 49 प्रतिशत आबादी इसके अंतर्गत आ जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक केन्द्रों की संख्या बढ़कर 177 हो जायेगी। समय पर 'टावर' की संख्या बढ़ाने पर आशा है कि 70 प्रतिशत आबादी उससे लाभ उठाने लगेगी। कुछ स्थानों पर टावरों को बढ़ाने में कुछ दिक्कतें हैं। मैं नहीं कह सकता कि निश्चित रूप में किस दिन यह पूरा हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, इन बात की जानकारी नहीं मिली कि स्टेट में टावर जो लगाये जा रहे हैं वह कहां कहां लगाये जा रहे हैं और उनसे प्राप्त होने वाली अन्तरिम सेवा का लाभ पूर्णिया जिले को मिलेगा या नहीं?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : टावरों को बढ़ाने से ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ जायेगी। जब यह हो जायेगा तो ट्रांसमीटर की शक्ति बढाना मुमकिन हो जायेगा। स्थानों के संबन्ध में एक पूरी सूची है अगर सदन चाहता है तो मैं पूरी सूची पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगील : जहां तक उनके क्षेत्र का संबंध है गोरखपुर का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर 120 किलोवाट रेंज का है। बिहार में पश्चिम चम्पारन तथा उत्तर प्रदेश के बस्तर, बहराइच तथा देवरिया जिले इस ट्रांसमीटर के अंतर्गत आ रहे हैं। ये ट्रांसमीटर इसी वर्ष अप्रैल के अंत तक पूरे हो जायेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री बालकवि बैरागी।

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मैंने प्रश्न किया था वह तो अपने पहले प्रश्न का क्लेरिफिकेशन लेने के लिये पूछा था।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो यह अन्तरिम सेवा मिलने वाली है क्या उससे पूर्णिया जिले के सहर्षा, फोरबिस गंज और अररिया भी कवर होंगे या नहीं।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह एक किलोवाट का कम शक्ति का ट्रांसमीटर है और जब तक टावर को बढाया नहीं जाता, इसकी शक्ति पूरी तरह बढायी नहीं जा सकती। आशा तो यह है कि इस वर्ष ही इसे पूरा कर दिया जयेगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या 31 मार्च, 1985 तक ऐसी नीति बनायी जाएगी कि 50–50 हजार की जनसंख्या वाले शहर भी दूरदर्शन से कवर हो जाएं ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : यह छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। कतिपय परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। हम उससे आगे नहीं जा सकते। वर्तमान में मापदण्ड यह है कि आबादी एक लाख होनी चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा काम मत कीजियेगा कि लोग पापुलेशन बढ़ाना शुरु कर दें।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगील : नहीं, ऐसा विचार नहीं है। सातवी योजना में, मैं बता सकता हूं कि वर्तमान मापदण्ड एक लाख आबादी का है। सातवी योजना में हम सीमावर्ती क्षेत्रों तथा सामाजिक महत्व के स्थानों को भी शामिल करने की बात सोच रहे है। हम आदिवासि क्षेत्रों पर भी ज्यादा जोर देंगें तथा उस क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत लायेंगे जिन्हें अभी तक नहीं लाया गया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

*40. **श्री के० डी० कोसल राम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय में विलम्ब न हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) विवरण–1 जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा जानकारी दी गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) विवरण–2 जिसमें लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम बताए गए हैं, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण 1

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम		लंबित मामलों की संख्या (31–12–1984 को)
उच्चतम न्यायालय	नियमित सुनवाई वाले मामले	46,868
	ग्रहण किए जाने वाले और प्रकीर्ण मामले	1,02,023
	योग:	1,48,891

उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या (30–6–84 को)
1	2
इलाहाबाद	2,12,453
आंध्र प्रदेश	81,007
बंबई	95,366
दिल्ली	64,293
गुजरात	34,870
हिमाचल प्रदेश	9,321

उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या (30-6-84 को)
जम्मू-कश्मीर	24,545
केरल	86,763
मध्य प्रदेश	49,445
मद्रास	1,25,998
उड़ीसा	20,611
पंजाब और हरियाणा	55,054
सिक्किम	55 (31-12-83 को)
कलकत्ता	1,18,997
कर्नाटक	1,16,564
पटना*	54,582
राजस्थान	42,986 (30-6-83 को)
गौहाटी	12,541

*केवल मुख्य मामले।

मुख्य

विवरण 2

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च 1977 में 351 से बढ़ाकर 1 जनवरी, 1985 को 424 कर दी गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र ही जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ समय से न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना प्रारंभ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथपत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तमील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए व सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई है और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित है:—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिये;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

(क) न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(ii) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है ।

श्री के० टी० कोसलराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब सही नहीं मालूम पड़ता। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय मंत्री तथा सदस्यगण मुझसे सहमत होंगे कि अदालतों में लम्बित हजारों मामलों में न्याय देने में विलम्ब किया जा रहा है। उनका जवाब कुछ भी हो, माननीय मंत्री तथा माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि न्याय में देरी करने का अर्थ न्याय से इन्कार करना है। मेरे विचार के अनुसार इस स्थिति का कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय विभिन्न अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की स्थिति में नहीं है। विभिन्न अदालतों में न्यायमूर्तियों तथा न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े और यह मालूम हुआ है कि बुद्धिमान व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिष्ठित शिक्षित व्यक्तियों को इन रिक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार नहीं किया जाता। यहां पर यह बयान दिया गया है कि सम्पूर्ण देश में लाखों मामले लम्बित पड़े हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह बतायें कि इन बकाया मामलों को निपटाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अशोक सेन : यह स्वीकार किया जा चुका है कि न सिर्फ उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं अपितु अधीनस्थ अदालतों में भी हैं। और अगले पांच वर्षों में इन सबको निपटाने का हमारा लक्ष्य है। हमारे नेता प्रधान मंत्री जी ने हमें यह आदेश दिया है मुझे आशा है कि मैं सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से इस आदेश को पूरा कर सकूंगा।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह मंत्रालय का पूरा कार्य-भार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति तत्काल की जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं क्या वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेंगे जबकि न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति गृह मंत्रालय के हाथ में है। लम्बित मामलों को निपटाने के लिये विधि मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके?

श्री अशोक सेन : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। मैं उनको एक एक करके जवाब दूंगा। महोदय माननीय सदस्य को न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में तथ्य नहीं मालूम हैं। शायद वह नहीं जानते कि न्यायमूर्तियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति विधि मंत्रालय द्वारा की जाती है और वह भी कुछ समय से है।

श्री के० टी० कोसलराम : परन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सिफारिश गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।

श्री अशोक सेन : यह विधि मंत्रालय के अधीन है। यह एक पृथक मंत्रालय है जो बहुत पहले बनाया गया था। और हम यह देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि—मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा कि हमने किया है—कि न्यायमूर्तियों की नियुक्ति जरूरत से ज्यादा नहीं रोकी जाय।

दूसरे, जनसाधारण के लिये सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के बारे में हमारे पास दूरगामी प्रस्ताव हैं जिन्हें हम उचित समय पर सदन के समक्ष लायेंगे और मुझे आशा है कि अगले पांच वर्षों की अवधि में हम लोगों को यह बताने में समर्थ होंगे कि न्याय सुलभ हो गया है।

श्री ईरासु अय्यापू रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को संवैधानिक क्षेत्राधिकार से पृथक करने तथा मामलों को निपटाने में विलम्ब को कम करने के लिये अपीलों के लिये एक अलग अदालत बनाने का प्रस्ताव है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिये क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। यह आम बात है कि दीवानी मामलों की अन्तिम सुनवाई तक कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं और फौजदारी मामलों के अन्तिम निपटाने में कम से कम 7 वर्ष लग जाते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का क्या कोई प्रस्ताव है?

श्री अशोक सेन : पहला प्रश्न उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में है। संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि उच्चतम न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार अपीलीय होगा। यह सभी न्यायाधिकरणों,

उच्च न्यायालयों तथा यहां तक कि साधारण न्यायालयों के लिये सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण होगा। इसका मूल क्षेत्राधिकार राज्यों के विवादों तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाने वाली सलाह तक ही सीमित है। अत: मूल क्षेत्राधिकार अत्यन्त नगण्य हैं तथा बहुत ही मुश्किल से कभी कभार प्रयुक्त होते हैं। परन्तु जहाँ तक अपील करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार का संबंध है, यह सच है कि लम्बे समय से काम का जमाव हो रहा है और हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिये। उसके लिये, हमें ज्यादा न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। हमें यह भी देखना चाहिये कि जो न्यायाधीश नियुक्त किये जायें वे न्याय प्रदान करें और प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें देरी न लगे।

बहुत से प्रमुख प्रस्ताव हैं जिन्हें पूरी तरह मिलाना और संशोधित करना है और सदन के समक्ष लाना है। और हमें आशा है कि हमें विभिन्न समस्याओं को निपटाने सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त न्यायाधिक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, कि हम केवल आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि अगले पांच वर्षों में हम समस्या को सही ढंग से और जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, आप पूछ लीजिए क्योंकि आपका पहला सवाल है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि केसेज की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या इसको ध्यान में रखकर यह कोशिश की गई कि जजों की संख्या उसके मुताबिक बढ़ाई जाए?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले बता दिया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पीपल्स कोर्ट के बारे में भी सरकार ने कोई ध्यान दिया है ताकि करप्शन जो बहुत बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके।

श्री अशोक सेन : दोनों अलग-अलग सवाल हैं। एक तो यह कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सारे मामलों को हम खत्म कर दें। जो करप्शन की बात होती है, यह तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी नहीं सुना........(व्यवधान)।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : पीपल्स कोर्ट के बारे में बताइए जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं।

श्री अशोक सेन : पीपल्स कोर्ट हमने नहीं बनाया है। उसको बनाने के लिए अभी तक कोई प्रपोजल भी तैयार नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने तथा उनकी सेवा शर्तों को सुधारने का कोई प्रस्ताव है, ताकि इन पदों के लिये अभी भी अच्छे लोगों को आकर्षित किया जा सके और लम्बित मामलों के निपटाने की दक्षता भी बढ़ सके।

श्री अशोक सेन : विचाराधीन प्रस्तावों में यह भी एक मुख्य प्रस्ताव है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक भावी न्यायाधीश संसद् में आ जायेंगे......(व्यवधान)।

श्री अशोक सेन : परन्तु माननीय सदस्य ने उस स्थिति से गुजर चुके हैं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सिर्फ गोहाटी उच्च न्यायालय ही मामलों को निपटा रही है। अत: यह स्वाभाविक है कि बहुत से मामले लम्बित हैं। क्या माननीय मंत्री जी को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की एक अलग उच्च न्यायालय बनाने की मांगों की जानकारी है। यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री अशोक सेन : बकाया मामले पड़े रहने के संबंध में गोहाटी उच्च न्यायालय एक अपवाद है। विवरण से पता चलता है कि केवल 12,541 मामले बकाया हैं, जो कि अन्य आंकड़ों की तुलना में बहुत कम हैं।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य

*41. **श्री चित्त महाटा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जीवन रक्षक औषधियों के निरंतर बढ़ते मूल्यों के कारणों का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा ऐसी औषधियों को गरीब लोगों को भी उपलब्ध कराने की दृष्टी से इनके मूल्य कम करने हेतु लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : यह कहना सही नहीं है कि देश में जीवनरक्षक औषधों के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 75 प्रतिशत औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रित हैं। मूल्य नियंत्रित प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार संशोधन किया जाता है। मूल्य अनियंत्रित फार्मूलेशनों के संबंध में, उत्पादक अपने मूल्यों को समंजित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, समग्र रूप से औषधों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों में सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक से कम वृद्धि हुई है।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत नहीं हूं। मौजूदा औषध मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत बाजार में पिछले पांच वर्षों के दौरान जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य कम से कम 75 प्रतिशत बढ़ गए हैं। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन करने की स्थिति में हैं, ताकि जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में और वृद्धि को रोका जा सके?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, अपने उत्तर में मैंने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में औषधियों के मूल्यों में कम वृद्धि हुई है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं। वर्ष 1984-85 में दिसम्बर तक जिन्सों का थोक मूल्य सूचकांक 336.30 था, जबकि इसकी तुलना में औषधियों और 'फार्मेस्यूटिकल्स' का मूल्य सूचकांक 216.8 था। तत्पश्चात् 1983-84 में थोक मूल्य सूचकांक 315.3 था जब कि औषधियों तथा 'फार्मेस्यूटिकल्स' का सूचकांक 213.3 था। 1982-83 में थोक मूल्य सूचकांक 288.3 था तथा औषधियों व 'फार्मेस्यूटिकल्स' का सूचकांक 171.4 था। महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि औषधियों के मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में यह अधिक नहीं है, और कुछ उद्योगों में यह वृद्धि अधिक है, और कुछ औषधियों के मूल्यों में वृद्धि कम है और इन्हें कम भी किया गया है।

श्री चित्त महाटा : माननीय मंत्री ने केवल थोक मूल्यों के बारे में उत्तर दिया है। मैं बाजार में खुदरा मूल्यों की स्थिति जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य सभी औषधियों के खुदरा मूल्य जानना चाहते हैं। दस हजार से भी अधिक औषधियां हैं। मेरे लिए यह जानकारी दे पाना कैसे सम्भव है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह उचित नहीं है। वह सामान्य प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबेन शाहबजी ठक्कर : जहाँ तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, वह हर जगह हो रही है मगर दवाओं के मामले में वह कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, चाहे वह रेफरल हास्पिटल हो या सिविल अस्पताल हो, गरीबों को दवाइयाँ ठीक से नहीं मिलती। मैं चाहूंगी कि सभी अस्पतालों में गरीबों को ज्यादा दवाइयाँ मिलें, जिनसे उन्हें लाभ हो सके।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि कहीं कोई कमी है तो माननीय सदस्या यह बात मेरे ध्यान में ला सकती हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन औषधियों की सप्लाई कम है, वे उपलब्ध कराई जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी पचास प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है और इसलिए वे औषधियां नहीं खरीद सकते। और फिर सरकार 2000 इसवी तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार, हाथी समिति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि लगभग 97 आवश्यक औषधियों तथा जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य कम किए जाएं; (ख) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, एकाधिकारवादी घराने तथा औषध उद्योग जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने को बजाय शक्तिवर्धक औषधियों तथा सर्वत बना रहे हैं; यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार रखती है और क्या सरकार का राष्ट्रीय औषध नीति तैयार करने का विचार है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहाँ तक औषधियों के मूल्य निर्धारण का सम्बन्ध है, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा करता है और जहां भी आवश्यक होता है या तो वे मूल्य कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं और बी०आई०सी०पी० के अधीन एक औषध मूल्य समीक्षा समिति है और वह मूल्यों की तथा

2—165 LSS/ND/85

औषधियों व फार्मेस्यूटिकल्स की मूल्य प्रवृत्ति की समीक्षा करती है और सभी तरह की जानकारी एकत्र करती है। मेरे विचार में वह औषधियों तथा फार्मास्यूटिकल्स में मूल्य प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक सप्ताह अपनी बैठक करती है और हमारे मंत्रालय को सिफारिशें करती है, उनकी सिफारिशों पर हम कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या किसी नई नीति पर विचार किया जा रहा है। 1983 में मेरे पूर्वाधिकारी ने एक राष्ट्रीय औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स विकास परिषद का गठन किया था और उस परिषद ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

*43. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या विनिश्चय किया गया है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) : संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबंध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।" इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उत्तर न केवल संक्षिप्त है बल्कि अस्पष्ट भी है। उन्होंने संविधान के संगत भाग को उद्धृत किया है। मैं नहीं जानता कि यह यहां कैसे संगत है। क्या संविधान देश के किसी भाग में उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना पर रोक लगाता है ? वास्तव में, संविधान में इसकी परिकल्पना की गई है। आपने संविधान के अनुच्छेद 130 को उद्धृत किया है। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय अन्य स्थानों पर नई पीठों की स्थापना की परिकल्पना करता है, रोकता नहीं है। इसलिए, मुझे संविधान के इस भाग को उद्धृत करने का तर्क समझ में नहीं आता। तमिलनाडू या केरल या कर्नाटक या पूर्वी क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागरिकों को कहां तक यात्रा करनी पड़ती है ! उन्हें कितना धन खर्च करना पड़ता है ? इनमें से अधिकांश लोग, जो वास्तव में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करना चाहते हैं, इन कारणों से ऐसा नहीं कर पाते। हमारा ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निर्धन तथा जन-साधारण तक पहुंचना चाहिए। क्या इस तरह से यह कर पाना सम्भव है ? उन्होंने स्वयं उच्चतम न्यायालय में बकाया मामलों की संख्या 1.48 लाख बताई है। अन्य स्थानों में, विशेषकर दक्षिण में, उच्चतम न्यायालय की नई पीठें स्थापित करने के लिए आप कौन से कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अशोक सेन : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसमें से प्रश्न क्या है यह समझ पाना बहुत कठिन है। लेकिन उनके प्रस्ताव से जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह यह है : दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की पीठें स्थापित करने में सरकार के सामने क्या बाधा है ? उनका प्रश्न यह था कि क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, उनका प्रश्न सारे देश में पीठें स्थापित करने के बारे में नहीं था। जैसा कि मैंने कहा है, संविधान के अनुसार इस प्रकार का प्रस्ताव करने का एकमात्र तरीका यही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा प्रस्ताव रखें। केवल तभी सरकार इस पर विचार कर सकती है। यदि माननीय सदस्य अनुच्छेद 130 को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की विधि का भी विशिष्ट रूप से संकेत दिया गया है। प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही आना चाहिए। अब, जहां तक दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की पीठ न होने के कारण होने वाली कठिनाइयों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि दक्षिण भी इस बारे में सहमत नहीं हो सकता कि यह पीठ कहां स्थापित की जाए। तमिलनाडु इसे तमिलनाडु में चाहता है, केरल केरल में, हैदराबाद चाहता था कि हैदराबाद में हो, नागपुर चाहता है कि नागपुर में हो। अब, तमिलनाडु से हैदराबाद आने में उतना ही समय लगता है जितना हैदराबाद से दिल्ली आने में। मेरे विचार में किराया भी उतना ही लगेगा। अतएव, कुछ समय पहले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखा गया था वह यह था कि जनता की कठिनाइयों को दूर करने का एकमात्र तरीका निर्धन लोगों को कानूनी सहायता सुगमता से उपलब्ध कराना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप इस समस्या पर नए सिरे से गौर करने को तैयार हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे कि वह दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजें ?

श्री अशोक सेन : सर्वप्रथम दक्षिण को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि यह कहां स्थापित हो, और दूसरे, हम इस विषय में काफी चर्चा कर चुके हैं। यदि दक्षिण यह चाहेगा तो केरल भी चाहेगा, त्रिपुरा भी चाहेगा, असम भी चाहेगा, सभी चाहेंगे।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : महोदय, मुकदमा लड़ना अब खर्चीला होता जा रहा है, और हम तमिल नाडु सरकार की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा केन्द्र सरकार को पहले ही एक प्रस्ताव भेज चुके हैं कि तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण के केन्द्र में स्थित है और केन्द्रीय मंत्री के लिए वहां पीठ की स्थापना करना उपयुक्त है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

श्री अशोक सेन : इस बारे में काफी विवाद है कि तमिलनाडु केन्द्र में स्थित है या नहीं। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर ले गए तो वह देवगिरि ले गए थे तमिलनाडु नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी। अब आपका राज्य केन्द्र में स्थित है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने हमारे लिए जो जाल बिछाया है, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। वह हमें शरारतपूर्ण उलझनों में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। मेरा कहना यह है। वह इस पीठ को दक्षिण में कहीं भी स्थापित कर दें। हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या मंत्री महोदय कोई निर्णय लेंगे? उद्योगों की स्थापना कहाँ होनी चाहिए, इस विषय में भी सर्दव समस्याएं रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम बैलट करा लेते हैं।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : क्या आप इस कारण से कहीं भी उद्योग नहीं लगा रहे हैं? यह कोई तर्क नहीं है। मैं मंत्री महोदय से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि क्या वह इस मामले को उच्चतम न्यायालय के साथ उठाएंगे और इस बारे में कुछ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : डॉ० कलानिधि। **(व्यवधान)**

श्री अशोक सेन : मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने किसी और का नाम पुकार लिया था। उत्तर बहुत स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि यह एक सुझाव है।

श्री अशोक सेन : मैंने भी यही समझा कि यह सुझाव है। सुझाव पर निश्चय ही विचार किया जाएगा। लेकिन संविधान के अंतर्गत प्रस्ताव अवश्य ही मुख्य न्यायाधीश से आना चाहिए। हम सांविधानिक प्रक्रिया को छोटा नहीं कर सकते। कम से कम विधि मंत्री होने के नाते मैं ऐसा परामर्श नहीं दूंगा।

डा० ए० कलानिधि : माननीय मंत्री का कहना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु गए थे और वह इस बात से संतुष्ट थे कि तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए एक स्थान भी आबंटित कर दिया है और विधि महाविद्यालय को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव रखा है। क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु के मद्रास शहर में पीठ की स्थापना करने के लिए राजी हैं?

श्री अशोक सेन : माननीय सदस्य मुख्य न्यायाधीश और मेरी संतुष्टि के बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन उनकी संतुष्टि की अभिव्यक्ति को जानने का एकमात्र तरीका यही होगा कि वह कोई ऐसा प्रस्ताव रखें।

श्री ए० के० पंजा : क्या सरकार एक नीति के रूप में बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में ऐसी पीठों की स्थापना करेगी?

श्री अशोक सेन : इसके लिए प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश की ओर से आने चाहिए और तभी हम उन पर विचार कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

निर्वाचनों में हुए कदाचारों की जांच

*44. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिसम्बर, 1984 में लोक सभा के लिए हुए मतदान के दौरान धांधली और कदाचारों के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन अभिकथनों की जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत चुनाव कराने तथा उनका संचालन करने की प्रक्रिया का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है और केवल समाचार पत्रों मे छपी खबरों के आधार पर ही निर्वाचन आयोग कार्यवाही नहीं करता। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन अधिकारियों तथा प्रेक्षकों की रिपोर्टों और चुनाव लड़ रहे दलों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करनी होती है। तत्पश्चात् चुनाव आयोग यह निर्णय करता है कि अमुक मामले में क्या कार्यवाही की जाए। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग की सूचना के स्रोतों मे से एक हैं। ऐसी खबरें प्राप्त हुई थीं और इन खबरों के आधार पर चुनाव आयोग ने लगभग 53 मामलों मे कार्यवाही की। माननीय सदस्य यह भली भांति जानते हैं कि इन सभी मामलों में कुछ स्थानों पर चुनाव स्थगित कर दिए गए, अन्य स्थानों पर यहां चुनाव निष्फल कर दिए गए थे, वहां पुन: चुनाव कराए गए। चुनाव कराने, चुनाव को निष्फल करने या चुनाव को स्थगित करने में सरकार की बिलकुल कोई भूमिका नहीं है। सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार जब चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तो शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं। इसलिए, लोक सभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी आवश्यक था, वह किया गया। सरकार का इन सभी ब्यौरों में आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। जब माननीय सदस्य यह मांग करते हैं कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए तो उन्हें साथ-साथ यह भी समझना चाहिए कि जिस क्षण भी सरकार हस्तक्षेप करेगी तो फिर यह शोर मच जाएगा कि सरकार ने हस्तक्षेप किया है.....(व्यवधान) आठ मामलों में चुनाव स्थगित किए गए और लगभग 264 मतदान केन्द्रों में चुनाव निष्फल हो गए... (व्यवधान) जहां तक चुनाव में गड़बड़ी करने का सम्बन्ध है, आप यह मानेंगे कि हमारी अपेक्षा विपक्ष में यह अधिक हुई है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पीछे जो मंशा थी कि पिछले चुनाव में जो शिकायतें आई, चाहे रिगिंग की हों, आफिशियल मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने की हों या और भी जो शिकायतें थीं, उन पर गवर्नमेंन्ट क्या कार्यवाही करेगी तो इन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि इस तरह के मामले में सीधे एलेक्शन कमीशन आता है और गवर्नमेंन्ट कुछ नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है और इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें इस बात को इन्होंने कहा है कि खाली बिहार स्टेट में जो 54 पार्लमेन्टरी कांस्टीट्यूएन्सीज हैं उनमें से 53 कांस्टीटयूएन्सीज से शिकायत आई है, रिटनिंग आफिसर या दूसरों की तरफ से– तो यह स्वयं अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं और जो नतीजे निकले हैं, वह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि रिगिंग हुई है और अफसरों का गलत इस्तेमाल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इलेक्शन कमीशन के एक सर्कूलर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमे यह व्यवस्था है कि जहां 90 प्रतिशत या उससे, ज्यादा प्रतिशत पोलिंग होगा, उन स्थानों की काउंटिंग को रोका जाएगा और उस पर विचार कर के उस स्थान पर रि-पोलिंग या दूसरी व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पटना कांस्टूयून्सी, जो बिहार की राजधानी है, वहां अकेले करीब-करीब 100 बूथों पर 90 या 90 प्रतिशत से ज्यादा पोलिंग हुई है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि पटना के अन्दर... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय । यह प्रश्न नहीं है। ....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए।

श्री विजय कुमार यादव । मैं सवाल ही कर रहा हूं। पटना के अन्दर स्ट्रांग-रूम को जोड़ा जाता है... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय । आप सवाल के रूप में सवाल करिए।

श्री विजय कुमार यादव । सवाल यह है कि इन्होंने 53 कान्स्टीचूयेंसी का जिक्र किया है और रिटनिंग आफिसर जो कम्प्लेंट देते हैं, वह तो प्रेक्षक में होती है, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज और कान्टेस्टेंट्स की क्या रिपोर्ट है तथा उनकी क्या शिकायतें हैं? पटना में स्ट्रांग-रूम को तोड़ना, इलेक्शन कमीशन ने जो सर्कूलर

दिया था, उसको वापिस लेना और बूथ कैपचरिंग आदि । यदि सरकार यह समझती है कि केवल इलेक्शन कमीशन ही इस बात को कर सकता है, तो इलेक्शन में काफी गड़बड़ी होने का खतरा रहता है । मैं जानना चाहता हूं सरकार इस सिलसिले में क्या कोई उपाय करने जा रही है? केवल रिटरनिंग आफिसर की बात नहीं है, पोलिटिकल पार्टी के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या सरकार इलेक्शन के कायदे-कानून में कोई तरमीम करना चाहती है, जिससे निष्पक्षतापूर्वक चुनाव हो सकें और शासक पार्टी को कोई गड़बड़ी करने का मौका न मिले ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : अध्यक्ष महोदय, यादव जी ने जो भाषण दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । यदि वे सवाल पूछें, जो जवाब दिया जाएगा । यादव जी खुद जीतकर आए हैं । इलेक्शन के कायदे-कानून अगर नहीं चले होते तो वे खुद जीतकर नहीं आए होते । कानून के मुताबिक जो शिकायतें होती हैं, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन को देना है या इलेक्शन पीटीशन के जरिए अदालत को देना है । इन दोनों इलाज के अलावा सरकार के पास और कोई शक्ति नहीं है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही तो कहना है, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है । हम सुरक्षा चाहते हैं, फेयर इलेक्शन हो सकें, इसके अलावा और कोई दूसरा मकसद नहीं है । इनके पक्ष में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इलेक्शन के कानूनों में संशोधन किया जाए, ताकि चुनाव निष्पक्षतापूर्वक हो सकें ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खुद रिगिंग करना बन्द कर दें, यही इस सवाल का जवाब है । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : सब का अपना अपना ख्याल है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह जवाब सही है, खुद रिगिंग करके जीते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं । जनता ने हमें जिताया है और हम जीते हैं । . . .

(**व्यवधान**)

श्री विजय कुमार यादव : ये मिनिस्टर क्या कहते हैं ? मैंने रिगिंग किया है, क्या यही जवाब है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप कह रहे हैं कि रिगिंग से लोग जीते हैं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टेलीफोन विस्तार के लिए सातवीं योजनावधि के लिए धनराशि का आबंटन

[**अनुवाद**]

*42. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजनावधि के लिए अधिक सहायता प्राप्त करने तथा अधिक धनराशियों का नियतन करने पर विचार कर रही है ताकि छठी योजना के शेष लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा देश के टेलीफोन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की नई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में टेलीफोन सेवाओं के लिए कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना में सम्मिलित करने हेतु पहले ही मंजूर किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना में किन-किन मुख्य योजनाओं के आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरसंचार के लिए कुल 13,768 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है ।

(ग) और (घ) इन पर अभी भी योजना आयोग के साथ चर्चा की जा रही है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज

*45. श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तेल की खोज के कार्य को तेज करने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर तेल की खोज करने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । सातवीं योजनावधि में तेल के खोज संबंधी कार्यकलापों में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही ब्यौरे उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सुविधाएं

*46. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने छठी योजना अवधि के दौरान, देश के आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सुविधाओं और डाक सेवाओं के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं जिनकी सूचना सम्बन्धित मण्डलों को भेजी गई है ;

(ख) क्या सम्बन्धित मण्डलों ने उक्त नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया है ;

(ग) यदि हां, तो मण्डलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 169/85]

भोपाल में गैस रिसने से हुई दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता

*47. श्री चिन्तामणि जेना :
श्री उत्तम राठौर : } क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी रिकार्ड के अनुसार पिछले महीने भोपाल में हुई गैस दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) समस्या से निपटने और पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ितों के लिए यूनियन कारबाइड कंपनी से मुआवजा लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण अपाहिज हुए व्यक्तियों के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक पता लगाया है कि दुर्घटना में 1408 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । राज्य सरकार द्वारा और छान-बीन की जा रही है ।

(ख) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ने तकनीकी और चिकित्सा विशेषज्ञ भेजकर, दवाईयों और उपकरण की सप्लाई तथा अन्य अपेक्षित सामग्री की सप्लाई करके राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराने में तत्काल कार्यवाही की जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) डा० वरदाराजन, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों और रसायन इंजीनियरों का एक दल भेजा गया था जिसने बची हुई मिथाइल आइसोसाइनेट (एम० आई० सी०) के सुरक्षित निपटान करने में सहायता की और जो देख-रेख तथा सलाह देने के लिए हर समय उपस्थित रहा ।

(2) वातावरणात्मक परिस्थितियों पर निरन्तर निगरानी के लिए एक मेट्रोलोजिकल कंट्रोल सेन्टर की स्थापना करना ।

(3) पर्यावरणात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करने, विश्लेषण के लिए वायु, जल और सब्जियों और फलों सहित पौध-पत्तियों का परीक्षण करने हेतु विशेषज्ञ दलों को भेजना ।

(4) चिकित्सा विशेषज्ञ, दवाइयां, आक्सीजन सिलेण्डरों और गैस मास्क सहित चिकित्सा और अन्य उपकरण हवाई जहाज द्वारा भोपाल भेजना ।

(5) पुलिस के एक महानिरीक्षक की अध्यक्षता में सी०बी०आई० का एक दल दुर्घटना की जांच हेतु भेजना ।

(6) एम० आई० सी० को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया के दौरान विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करना ।

(7) कारखाना क्षेत्र में पानी छिड़कने के लिए विशेष वायुयान उपलब्ध कराना ।

(8) स्थानीय सिविल प्राधिकारियों की सहायतार्थ सैनिकों और सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस भेजना ।

प्रधान मंत्री राहत कोष से राज्य सरकार को 42 लाख रुपये की नकद सहायता और लगभग 55 लाख रुपये की सहायता खाद्य तेल और चीनी के रूप में उपलब्ध की गई है । भारत सरकार ने राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि साधन जुटाने के लिए प्रदान की है ।

(ग) विधि मंत्रालय में एक कानूनी कक्ष की स्थापना की गई है और भारत सरकार राज्य सरकार के परामर्श से, पीड़ितों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वसूली करने हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ।

(घ) राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का एक विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया है। प्रभावित परिवारों के असुरक्षित सदस्यों की आवश्यकता के आधार पर, जैसा कि सर्वेक्षण आंकड़ों से पता लगगा, उपयुक्त सुधारत उपाय किए जाएंगे ।

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

*48. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पत्रकार मजूरी बोर्ड की स्थापना के लिए जोर देते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पत्रकारों की मांग पर विचार करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

उड़ीसा में दूरदर्शन तन्त्र का विस्तार

*49. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान देश में दूरदर्शन तंत्र का विस्तार करने के लिए कदम उठाए थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना-अवधि के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में दूरदर्शन तंत्र का कितना विस्तार किया गया है; और

(ग) छठी योजना की शेष अवधि में, उड़ीसा मे दूरदर्शन तंत्र का कितना विस्तार करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : छठी योजना के दौरान उड़ीसा में भुवनेश्वर, बरहमपुर और राउरकेला में अल्प शक्ति वाले 3 दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गये हैं । छठी योजना के दौरान देश में कुल मिला कर 150 नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

छठी योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में कटक में उच्च शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर और कोरापुट में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू करने का कार्यक्रम है ।

विवरण

18-1-1985 के दिन की स्थिति के अनुसार—168 दूरदर्शन केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उच्च शक्ति वाले केन्द्र	अल्प शक्ति वाले केन्द्र
1	2	3
असम . .	गोहाटी	डिब्रूगढ़
		तेजपुर
		सिलचर
आन्ध्र प्रदेश . . .	हैदराबाद*	वारंगल
		काकीनाडा
		विशाखापटनम
	विजयवाड़ा	राजामुन्दरी
		नैल्लोर
		निजामाबाद
		कुर्नूल
		अनन्तपुर
		तिरुपति
		अडोनी
		कुडप्पा
		महबूबनगर
		करीमनगर
बिहार .	पटना	धनबाद
	मुजफ्फरपुर*	जमशेदपुर
	रांची	गया
		भागलपुर
		मुंगेर
		पूर्णिया
दिल्ली . .	दिल्ली*	—
गुजरात . .	अहमदाबाद	सूरत
	पिज*	द्वारका
	राजकोट	बड़ोदरा
		भावनगर
		नवसारी
		भरूच
		पाटन
हरियाणा . .	—	हिसार
		भिवानी
कर्नाटक . .	बंगलौर	धारवाड़
	गुलबर्गा*	मैसूर
		मंगलौर
		बेलगांव

1	2	3
		बेल्लारी
		देवनगेरे
		भद्रावती
		बीजापुर
		रायचूर
		गदग बेतागढ़ी
		हासपेट
केरल .	. त्रिवेन्द्रम	कालीकट
		कन्नानौर
		पालघाट
		कोचीन
मध्य प्रदेश .	. भोपाल	जबलपुर
	इन्दौर	ग्वालियर
	रायपुर*	रतलाम
		सागर
		बुरहानपुर
		रीवा
		मुरवाड़ा
		बिलासपुर
महाराष्ट्र	. बम्बई*	शोलापुर
	नागपुर	नासिक
	पुणे*	कोल्हापुर
		औरंगाबाद
		सांगली
		अमरावती
		मालेगांव
		अकोला
		धुले
		नानदेड़
		अहमदनगर
		जलगांव
		जालना
		भुसावल
		चन्द्रपुर
		लातुर
		परभनी
		गोंदिया
मणिपुर .	. —	इम्फाल
उड़ीसा .	सम्बलपुर*	राउरकेला
		भुवनेश्वर
		बरहमपुर

1	2	3
राजस्थान . . .	जयपुर*	जोधपुर
		अजमेर
		कोटा
		बीकानेर
		उदयपुर
		अलवर
		गंगानगर
		भीलवाड़ा
		खेतरी
		जैसलमेर
		बाड़मेर
		सूरतगढ़
पंजाब . . .	अमृतसर*	पठानकोट
	जलंधर*	भटिण्डा
तमिलनाडु . . .	कोडैकनाल	तिरुचिरापल्ली
	मद्रास*	सलेम
		वेल्लोर
		कुम्भकोनम्
		कोयम्बतूर
उत्तर प्रदेश . . .	इलाहाबाद	बरेली
	आगरा	देवरिया
	वाराणसी	मुरादाबाद
	गोरखपुर	अलीगढ़
	लखनऊ*	झांसी
	मसूरी*	सुलतानपुर
	कानपुर*	रायबरेली
		फैजाबाद
		इटावा
		बहराइच
		शाहजहांपुर
		रामपुर
		पौड़ी
		फर्रुखाबाद
		सम्भल
		नैनीताल
पश्चिम बंगाल . .	आसनसोल	खड़गपुर
	कलकत्ता*	मालदा
	मुर्शिदाबाद	बर्द्धमान
		बालुरघाट
		शान्तिनिकेतन
हिमाचल प्रदेश . .	कसौली	कुल्लू
		शिमला

1	2	3
जम्मू व काश्मीर . .	श्रीनगर*	लेह कारगील जम्मू
मेघालय . . .	—	तुरा शिलांग
पांडिचेरी . . .	—	पांडिचेरी
नागालैंड . . .	—	कोहिमा
मिजोरम .	—	ऐजवाल
सिक्किम . . .	—	गंगटोक
त्रिपुरा . . .	—	अगरतला
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह . .	—	पोर्ट ब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश . .	—	इटानगर
गोवा दमण व दिव . . .	पणजी	—
	38	130

*छठी योजना के प्रारम्भ में देश में विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या-18.

आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस का पाया जाना

*50. **श्री कमल नाथ :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक गैस के बड़े भण्डार पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का हाल ही में पाई गई प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कोई तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कैकालुर में एक कुंए से गैस प्राप्त हुई थी । परीक्षण के दौरान उस कुंए से 5 20 पी० एस० आई० दाब युक्त 4100 घन मीटर प्रति दिन की दर पर गैस प्राप्त हुई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

टेलीफोन तथा डाक तार विभागों की सेवाओं में सुधार करने की मांग

*51. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र वाणिज्य और उद्योग मंडल, भावनगर (गुजरात) ने टेलीफोन तथा डाक-तार विभागों की सेवाओं में सुधार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो मंडल की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : मुख्य सुझाव/मांग तथा की गई कार्रवाई एवं प्रस्तावित कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

सौराष्ट्र वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के सुझाव/मांग तथा उन पर की गई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव

सौराष्ट्र वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के सुझाव/मांग	दिक्कतों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई/किए जाने का प्रस्ताव
1. भावनगर जिले में टेलीफोन सेवा	**1. भावनगर जिले में टेलीफोन सेवा**
(एक) भावनगर संयंत्र के वातानुकूलन संयंत्र की तुरंत मरम्मत की जाए ताकि बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।	(एक) 6-6-84 से 26.5 टन का मौजूदा ए सी संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। मौजूदा 26.5 ए सी संयंत्र का विस्तार करने के लिए 8 मदद 1.6 टन विंडो टाइप वातानुकूलन का 5-12-84 को आर्डर दे दिया गया है।
(दो) टेलीफोनों के अनुरक्षण के लिए तकनीकी स्टाफ में वृद्धि करने की आवश्यकता है।	(दो) मानकों के अनुसार तकनीशियनों के पद भर दिए गए हैं।
2. भावनगर–बंबई और भावनगर–राजकोट के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस टी डी सेवा	**2. भावनगर–बंबई और भावनगर–राजकोट के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस टी डी सेवा**
भावनगर में बढ़ते हुए परियात और राजकोट और बंबई के साथ व्यापारिक संबंध को ध्यान में रखते हुए, भावनगर-बंबई तथा भावनगर-राजकोट के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस टी डी सेवा प्रदान करने की तुरंत आवश्यकता है।	भावनगर और राजकोट को अहमदाबाद टी० ए० एक्स से लेवल '0' पर पहले ही जोड़ा जा चुका है जिसके माध्यम से ये शहर बंबई के साथ-साथ एक दूसरे को टेलीफोन कर सकते हैं। तथापि, भावनगर और राजकोट के बीच सीधे सर्किट को मद्देनजर रखते हुए प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस टी डी प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
3. लेवल '0' पर एस टी डी सुविधा (टी०ए०एक्स० होकर)	**लेवल '0' पर एस टी डी सुविधा**
इस समय लगभग 250 शहरों के साथ एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए भावनगर और अहमदाबाद टी ए एक्स के बीच केवल 16 चैनल उपलब्ध हैं जो कि अपर्याप्त हैं। चैनलों में समुचित बढ़ोतरी की जाए।	भावनगर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से भावनगर के बीच चैनलों की संख्या में क्रमशः 23 और 31 तक की पहले ही वृद्धि की गई है तथा वहां एस टी डी सेवा मिलने में उपभोक्ताओं से कोई शिकायत नहीं मिला है।
4. अलंग में टेलीफोन एक्सचेंज	**अलंग में टेलीफोन एक्सचेंज**
क्षेत्र में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए अलंग में मौजूदा 25 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में 200 लाइनों की वृद्धि की गई है।	25 लाइनों के मौजूदा छोटे स्वचल एक्सचेंज को 100 लाइनों के स्वचल एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है। यह योजना पहले ही मंजूर कर ली गई है। परियोजना प्राक्कलन तथा विस्तृत प्राक्कलन पर कार्रवाई की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी। साज-सामग्री मिल जाने पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

देश में निर्मित जहरीली गैसें और रसायन

*52. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में जहरीली गैसों और रसायनों जैसे फोसजेन, मीथाईल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का निर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन करने वाले कारखानों के रसायनिक द्रव्य उत्पाद अथवा मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन अथवा निपटान में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए;

(ग) क्या इस देश में किसी ऐसे रसायन का निर्माण किया जाता है अथवा मध्यवर्ती उत्पाद है जिस पर विकसित औद्योगिक देशों में प्रतिबंध है;

(घ) क्या सरकार को भोपाल स्थित कारखाने में फोसजेन और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उत्पादन होने का जानकारी थी; और

(ङ) इस कारखाने को लाइसेंस कब दिया गया था और लाइसेंस देते समय रखी गई सुरक्षा शर्तों का ब्योरा क्या है, ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख). जब फासजीन, मैथिल आइसोसाइनेट, हाईड्रोजन सल्फाईड जैसे खतरनाक रसायनों का देश में उत्पादन किया जाता है, तब कारखाना अधिनियम, 1948 की धाराओं के अन्तर्गत ऐसे रसायनों के उत्पादन सहित कारखानों में सुरक्षा संबंधी पहलुओं का पालन करना अपेक्षित होता है। औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय लगाई जाने वाली शर्तों में से एक शर्त यह है कि जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध ही किए जायें।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ साथ उन उद्योगों का पता लगायेगी जिन्हें खतरनाक माना जाना चाहिए और उनकी राज्यवार सूची भी बनायेगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासनाधिकारियों को यह सलाह दी है कि वे एक समिति/कार्यकारी दल अथवा विशेषज्ञ दल का गठन करें जो स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक खतरों पर जानकारी को अद्यतन करे तथा रसायन उद्योगों एवं खतरनाक संचालन प्रयोग में लाने वाले अन्य उद्योगों में सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करें

सभी राज्य प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि वे खतरनाक रसायन उत्पादन प्रक्रियाओं संबंधी नियमों एवं विनियमों में निहित विभिन्न विनियमों, नियंत्रण एवं निरोधक उपायों का पूर्णरुपेण सिंहावलोकन करें।

केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष कक्ष गठित करने का भी निर्णय किया है जो विकसित देशों में खतरनाक तत्वों से निपटने के लिए प्रचलित प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करेगा तथा देश में विद्यमान वैधानिक एवं संस्थागत व्यवस्थाओं की त्रुटियों का पता लगाकर ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए उचित उपाय सुझायेगा।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ रसायन/कीटनाशी जैसे डीडीटी, बीएचसी, अलिड्रन जिनका प्रयोग कुछ विकसित देशों में अनुमेय नहीं है अथवा सीमित है, वे इस देश में प्रयुक्त ये किये जाते हैं। प्रत्येक देश कृषि मौसम तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर पेंस्टीसाईडस के प्रयोग संबंधी निर्णय लेता है। इस देश में, इन्सेक्टीसाईडस अधिनियम के अन्तर्गत पेस्टीसाईडस का प्रयोग नियमित किया गया है जो कृषि मौसम तथा अन्य संबंधित पहलुओं को भी ध्यान में रखता है।

(घ) एवं (ङ). यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० को अक्तूबर, 1975 में भोपाल के कारखाने में एम० आई० सी० पर आधारित पेस्टीसाईडस का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। संयंत्र में एम० आई० सी० के निर्माण की प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में फासजीन का निर्माण भी अन्तर्ग्रस्त है। अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था कि जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार की संतुष्टि की सीमा तक पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को नियमित किया जाना

*53. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को नियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी स्वीकार करने की बाबत फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय उर्वरक निगम के चेयरमैन और वित्त निदेशक के बीच मतभेदों के कारण उत्पादन की हानि

*54. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के चेयरमैन और वित्त निदेशक के मध्य मतभेदों के परिणामस्वरूप तालचेर और रामगुण्डम स्थित प्रस्तावित कोयला-आधारित संयंत्रों में, जिनको विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है और जो 30 करोड़ डालर की सहायता उपलब्ध कराने पर भी सहमत हो गया है, धन और उत्पादन की हानि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अप्राधिकृत कंपनियों द्वारा औषधों का उत्पादन

*55. श्री नवीन रावनी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में गैर-प्राधिकृत कंपनियां औषधों के उत्पादन का काम करती हैं,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 और 1984 के दौरान ऐसी कितनी कंपनियों के बारे में सरकार को पता चला था तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी, और

(ग) देश में ऐसे अनधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग). संभवतः प्रश्न में घटिया किस्म की औषधों के अनाधिकृत निर्माण का उल्लेख किया गया है। औषध और प्रसाधन अधिनियम और नियमों के अधीन देश में औषधों का निर्माण और बिक्री करने के लिए लाइसेंस होना अपेक्षित है, चाहे उनका निर्माण संगठित क्षेत्र में किया जाता है अथवा लघु क्षेत्र में। औषध और प्रसाधन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की देखरेख स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। अनधिकृत निर्माण के मामले जब भी उनके ध्यान में आते हैं, औषध और प्रसाधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

दसवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

*56. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के कुछ निदेशक समारोह प्राधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के विरोध में दिल्ली के 10वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से उठकर चले गए थे ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस फिल्म समारोह के प्रबन्ध में घोर अव्यवस्था हुई है और सरकार ने पहले ही इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस अव्यवस्था के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : सरकार समारोह के कथित कुप्रबंध के बारे में विभिन्न प्रतिकूल टिप्पणियों की जांच कर रही है । तथापि, सरकार द्वारा किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में गैस/पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग कार्य

101. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और अन्य स्थानों पर गैस/पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए कोई ड्रिलिंग कार्य प्रारम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी संरचना में दो तथा नूरपुर, डेंगरतलाई और बेरी में प्रत्येक स्थान पर एक-एक कुआं खोदने की योजना है ।

शिक्षित बेरोजगार

102. **श्री नारायण चौबे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1980, 1981, 1982, 1983, और 1984 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : सूचना विवरण I से V में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 170/85]

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार को नीति के एक प्रत्यक्ष केन्द्रीय बिन्दु के रूप में माना जाना है । योजना में एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम शामिल होगा, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों सहित, लक्ष्य ग्रुप सम्मिलित होंगे । सेक्टरल उत्पादन योजनाओं को रोजगार योजनाओं के साथ एकीकृत करने और चालू रोजगार कार्यक्रमों में विस्तार करने के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया जाएगा । इसके अलावा, प्राथमिक तौर पर व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व-रोजगार के लिए स्कीमें जारी रहेंगी, जिनका अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण, मार्केटिंग और संगठनात्मक सहायताओं द्वारा पुष्ट-पोषण किया जाएगा ।

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में यू० एच० एफ० केन्द्र का निर्माण

103. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा में यू० एच० एफ० केन्द्र का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ख) क्या इस केन्द्र को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए बरेली में अलग कुछ चैनलों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अल्मोड़ा में यू० एच०एफ० केन्द्र के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ख) अल्मोड़ा को दिल्ली के साथ सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निर्वाचक नामावलियों से मतदाताओं के नाम निकाल दिया जाना

104. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने विभिन्न समाचार-पत्रों में छपी इन शिकायतों की ओर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावलियों से निकाल दिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं; और

(ग) निर्वाचक नामावलियों को किस आधार पर पुनरीक्षित/तैयार किया गया था ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) । (क) समाचारपत्र में छपी रिपोर्ट के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग को देश के विभिन्न भागों में भी निर्वाचक नामावलियों में नाम न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) ऐसी शिकायतें साधारण निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् केरल, मणिपुर, पाण्डिचेरी और अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई थीं । मतदान की तारीख के पश्चात् ऐसी शिकायतें मुख्य रूप से दिल्ली, बम्बई, बंगलौर आदि जैसे महानगरों से प्राप्त हुई थीं । मुख्य निर्वाचन आफिसरों से विशिष्टियां महानगरों में निर्वाचक नामावलियों से नामों के अभिकथित लोप की विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच-पड़ताल करने और ऐसे लोप के विस्तृत अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है । इस अध्ययन के पूरा होने और मुख्य निर्वाचन आफिसरों द्वारा अपनी रिपोर्टें भेजे जाने के पश्चात् ही निर्वाचक नामावलियों से नामों के लोप के लिए कारणों का पता लगाना संभव होगा ।

(ग) नामावलियों के पुनरीक्षण/तैयार किए जाने का आधार और प्रक्रिया वही है जो आयोग द्वारा अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट 1983 के, जो कि अप्रैल, 1984 में प्रकाशित की गई थी, अध्याय 3 में विस्तृत रूप में प्रस्तुत की गई है । नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित/तैयार की गई थी । पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम का विशिष्ट तथा, घर-घर प्रगणना की अवस्थाएं प्रारूप के प्रकाशित किए जाने की तारीख और स्थान वह अवधि जिसके दौरान दावे और आपत्तियां फाईल की जाएं और उस स्थान की विशिष्टियां जहां दावे और आपत्तियां फाईल किए जाएं । बहुत व्यापक प्रचार किया गया । इस बात को सुनिश्चित करने के विशेष उपाय किए गए कि घर-घर प्रगणना का कार्य व्यवस्थित और प्रायिक ढंग से हो और यह कि प्रगणकों के कार्य की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक अपना कार्य नियमित रूप से और ठीक ढंग से करें । नामावलियों को मतदान केन्द्र-वार पुनरीक्षित किया गया । प्रारूप नामावलियां अपने-अपने मतदान क्षेत्रों के भीतर प्रकाशित की गई और दावे तथा आपत्तियां वहीं प्राप्त की गई और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर किया गया जिससे कि मतदाता यह जांच कर सकें कि क्या उनके नाम अंतिम नामावलियों में छपे हैं । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम II (ग) के अधीन मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को भी प्रारूप नामावलियों की प्रतियों का प्रदाय किया गया था जिससे कि वे प्रारूप नामावलियों की जांच कर सकें और उनमें किसी दोष को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ध्यान में ला सकें ।

डाक तथा तार विभाग का दो विभागों में विभाजन

105. **श्री अमल दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार मंत्रालय को पृथक-पृथक बोर्डों के अधीन डाक तथा दूरसंचार एककों में विभाजित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाजन की कसौटी क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभाग को विभाजित करने से पूर्व डाक तथा तार यूनियनों/एसोसियनों/फेडरेशनों से विचार विमर्श किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : संचार मंत्रालय का गठन दो विभागों अर्थात् डाक विभाग एवं दूरसंचार विभाग में कर दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिलाओं को प्रतिष्ठानों/कारखानों में रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाना

106. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि महिला कर्मचारियों को रात्रि की ड्यूटि पर केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों में लगाया जाए जहां अधिकांश कर्मचारी महिलाएं हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या कारखानों, और प्रतिष्ठानों में रोजगार संबंधी वर्तमान कानूनों में इस आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नियोक्ताओं से महिला कर्मचारियों के लिए विशेषकर अंधेरा होने के बाद घर लौटने हेतु उचित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया)ः(क) से (ग) : सरकार ने 1948 की आई० एल० ओ० अभिसमय संख्या 89 का अनुसमर्थन कर दिया है जिसमें रात्रि में महिलाओं के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। तदनुसार भारत में विभिन्न श्रम कानूनों में रात्रि में महिलाओं के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने वाले उपयुक्त उपबंध हैं, सिवाय जब किसी कच्चे माल के नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए, उदाहरणार्थ मछली संसाधन या मछली डिब्बाबंदी कारखानों में रात्रि में महिलाओं का नियोजन आवश्यक हो। सरकार द्वारा संबंधित नियोजन और श्रमिक संगठन के साथ परामर्श करने के पश्चात महिलाओं के लिए रात्रि कार्य के प्रतिषेध को उस समय आस्थगित किया जा सकता है जब उसकी आपाती मांग हो ।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न किया जाना

107. **श्री आनंद सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हाल के जहरीली गैस रिसने के मामले में की गई जांच से यह पता चला है कि एक सीमा विशेष से अधिक गैस का दबाव बढ़ने की स्थिति में इस्तेमाल हेतु बनाए गए खाली सुरक्षा टैंक का प्रयोग करके ही तबाही से बचा जा सकता था; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने में उपलब्ध और अन्तर्निहित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करने के लिए किसी की जिम्मेदारी निश्चित की गई है, यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)ः(क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटना के वृतान्त तथा परिस्थितियों को जांच करना, कारखाना प्राधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता तथा सुरक्षा उपायों तथा उनके कार्यान्वयन की जांच करना है।

इसके अतिरिक्त, संबंध प्राधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन पंजीकृत आपराधिक मामले की सीबीआई जांच कर रही है ।

इस संबंध में ब्यौरे जांच तथा अन्वेषण के पूर्ण हो जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

चुनाव लड़ने वाले दल-वार उम्मीदवार

[हिन्दी]

108. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के लोक सभा चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार मैदान में थे;

(ख) उनमें से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन उम्मीदवारों का दल-वार ब्यौरा क्या है, जिनकी जमानत जब्त हो गई; और

(घ) सरकार द्वारा चुनाव पर कुल कितना खर्च किया गया और जमानत जब्त होने से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) : 1984 के लोक सभा निर्वाचनों में 5302 अभ्यर्थी मैदान में थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए गए अभ्यर्थियों और निर्दलीय अभ्यर्थियों की संख्या दर्शित की गई है ।

(ग) और (घ) : आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इ.कै.का	इ.का.स.	ज.पा.	भा.ज.पा.	लोकदल	भा.क.पा.	क.पा.मा.	राज्य के दल	रजिस्ट्रीकृत दल	निर्दलीय	योग
1. आंध्र प्रदेश(42)	42	1	1	2	—	3	2	तेदेपा-34	—	219	304
2. बिहार(54)	54	2	31	32	28	16	3	—	झामुमो-12	498	676
3. गुजरात(26)	26	—	12	11	2	1	1	—	दुवपा-25	151	229
4. हरियाणा(10)	10	—	6	6	6	1	—	इकाज-4	—	167	200
5. हिमाचल प्रदेश(4)	4	—	2	3	1	1	—	—	—	20	31
6. जम्मू-कश्मीर(6)	4	—	—	1	1	—	—	जकने-5 जकपि-1	—	36	48
7. कर्नाटक(29)	28	—	23	6	7	2	1	—	—	267	334
8. केरल(20)	13	2	1	5	1	4	10	इयूमी-1 मुली-2 केका-1 केकाज-2	—	109	151
9. मध्य प्रदेश(40)	40	2	24	40	11	4	—	—	—	277	398
10. महाराष्ट्र(48)	47	15	15	20	12	2	2	पीवपा-3	भारिपा-2 रिपाखो-2	379	498
11. मणिपुर(2)	2	1	—	1	1	1	—	मरिपा-1	—	7	14
12. नागालैण्ड(1)	1	—	—	—	—	—	—	नामेडे-1	—	1	3
13. मेघालय(2)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	4	8

14. उड़ीसा (21) .	21	—	19	4	5	1	1	झापा–2	—	61	114
15. राजस्थान (25) . .	25	3	15	24	16	1	1	इकाज–1	—	227	313
16. सिक्किम (1) .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	5	8
17. तमिलनाडु (39) .	26	—	5	1	—	4	2	द्रमुक–27, अन्नाद्रमुक–12	मांकाकां–1 तनेकां–1	119	198
18. त्रिपुरा (2) . .	2	—	—	1	—	—	2	—	—	5	10
19. उत्तर प्रदेश (85)	85	1	46	51	74	13	1	—	दुक्पा–76	895	1242
20. पश्चिमी बंगाल (42) .	42	3	1	9	1	3	31	फाब्ला–4 रिसोपा–4	सोयूसें–10	140	248
21. अंडमान और निकोबार द्वीप (1)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	6
22. अरूणाचल प्रदेश (2) .	2	—	1	—	—	—	—	पीपाप–2	—	4	9
23. चण्डीगढ़ (1) . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	30	33
24. दादरा और नागर हवेली (1)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4
25. दिल्ली (7) . .	7	—	1	5	1	—	—	—	—	175	189
26. गोवा, दमण और दीव (2) .	2	—	2	2	2	1	1	मगो–2	—	9	21
27. लक्ष द्वीप (1) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
28. मिजोरम (1) . .	1				निर्विरोध घोषित						1
29. पाण्डिचेरी (1) . .	1	1	—	—	—	—	—	द्रमुक–1	—	7	10
जोड़ . . .	492	30	208	225	170	61	59	110	129	3,817	5,302

राजनैतिक दलों के नाम और संक्षेपाक्षर

क्र० सं०	राजनैतिक दल का नाम	संक्षेपाक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4
	राष्ट्रीय दल		
1.	भारतीय जनता पार्टी	भा०ज०पा०	
2.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	भा०क०पा०	
3.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	भा०क०पा०(मा०)	
4.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	इ०नें०कां०	
5.	इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	इ०कां० (सी०)	
6.	जनता पार्टी	ज०पा०	
7.	लोक दल	लो०द०	
	राज्य दल		राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त है
1.	आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनैत्र कड़गम	अन्नाद्रमुक	तामिल नाडु और पांडिचेरी
2.	आल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक	फ०ब्लॉ	पश्चिम बंगाल
3.	आल इंडिया मुस्लिम लीग	इमुली	केरल
4.	आल पार्टी हिल्स लीडर्स कांफ्रेंस	आहिली	मेघालय
5.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	द्रमुक	तामिल नाडु और पांडिचेरी
6.	इंडियन कांग्रेस (ज)	इ०कां०ज०	हरियाणा
7.	जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस	ज०क०ने०	जम्मू कश्मीर
8.	जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांग्रेस	ज०क०पी०	जम्मू-कश्मीर
9.	केरल कांग्रेस	के०का०	केरल
10.	केरल कांग्रेस (ज)	के०का०ज०	केरल
11.	कुकी नेशनल असेंब्ली	कु०ने०अ०	मणिपुर
12.	महाराष्ट्रवादी गोमांतक	म० गो०	गोवा, दमण और दीव
13.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	म०पी०पा	मणिपुर
14.	मुस्लिम लीग	मु०ली०	केरल
15.	नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया	न०ने०डे०	नागालैंड
16.	पीजेंट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया	पी०व०पा०	महाराष्ट्र
17.	पीपुल्स कांफ्रेंस	पी०कां०	मिजोरम
18.	पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल	पी०पा०अ०	अरुणाचल प्रदेश
19.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल आफ असम	ट्रा०का०अ०	असम
20.	पब्लिक डिमांड इम्प्लीमेंटेशन कन्वेंशन	पु०डि०क०	मेघालय
21.	रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	रि०सो०पा०	केरल और पश्चिम बंगाल
22.	शिरोमणि अकाली दल	शि०अ०द०	पंजाब
23.	सिक्किम कांग्रेस (आर)	सि०का०आ०	सिक्किम
24.	सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस	सि०प्र०कां०	सिक्किम
25.	त्रिपुरा जनजाति युवा समिति	त्रिउस	त्रिपुरा
26.	हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	हि०पी०डे०	मेघालय
27.	तेलुगु देशम	ते०दे० पा०	आंध्र प्रदेश

[अनुवाद]
[हिन्दी]

1	2	3	4
	रजिस्ट्रीकृत दल		
1.	बैकवर्ड और डिप्रेस्ड पीपल्स प्रोटेक्शन फ्रंट	बै०डि०पी०	तामिल नाडु
2.	दूरदर्शी पार्टी	दू०द०पा०	गुजरात और उत्तर प्रदेश
3.	गांधी कामराज नेशनल कांग्रेस	गां०का०कां०	तामिलनाडु
4.	झारखण्ड पार्टी	झा०ख०पा०	उड़ीसा
5.	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	झा०मु०मो०	बिहार
6.	नागा नेशनल पार्टी	न०ने०पा०	नागालैंड
7.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (केरल)	ने०डे०पा०	केरल
8.	रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया	रि०पा०ई०	मेघालय
9.	रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (खोबरागडे)	रि०पा०खो०	महाराष्ट्र
10.	सोशलिस्ट यूनिटि सेंटर आफ इंडिया	सो०यू०सें०	पश्चिमी बंगाल
11.	तामिल नाडु कांग्रेस (का)	त०ना०का०	तामिल नाडु
12.	त्रिपुरा स्टेट कांग्रेस फार डेमोक्रेसी	त्रि०कां०डे०	त्रिपुरा
13.	जम्मू-कश्मीर पेंथर पार्टी	ज०पें०पा०	जम्मू-कश्मीर

बिहार काटन मिल्स लि० फुलवारी शरीफ को दुबारा खोला जाना

109. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के निकट बिहार काटन मिल लिमिटेड, फुलवारी शरीफ के जुलाई, 1982 से बंद हो जाने के कारण मिल के सैकड़ों कामगार भूखों मर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मिल को दुबारा खुलवाने के लिए कोई कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स बिहार काटन मिल्स लिमिटेड, फुलवारी शरीफ 20 जुलाई, 1982 से बंद है जिससे 750 श्रमिक प्रभावित हुए हैं, बिहार सरकार को बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार, यह यूनिट अपने वर्तमान आकार में व्यवहार्य प्रतीत नहीं होती । चूंकि प्रबंधमंडल ने इस यूनिट को श्रमिकों की सहकारी समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया है, इसलिए राज्य सरकार से इसकी संभावना का पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

पटना टेलीफोन एक्सचेंज

110. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना का मुख्य टेलिफोन एक्सचेंज बहुत पुराना हो गया है, और उसके परिणामस्वरुप टेलिफोन सेवा की स्थिति बहुत खराब है ।

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज के स्थान पर एक नए एक्सचेंज के लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस एक्सचेंज को किस अवधि तक बदलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पटना मुख्य एक्सचेंज की 6000 लाइनों में से 3000 लाइनों वाला हिस्सा ही पुराना है जिसकी कार्य अवधि समाप्त हो गई है । लेकिन यह सही है कि बाढ़ के प्रभाव से इस पूरे एक्सचेंज की हालत खराब है ।

(ख) इस समूचे एक्सचेंज को 10,000 लाइनों के आयातित इलेक्ट्रानिक डिजिटल एक्सचेंज में बदलने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इस एक्सचेंज का आयात दूसरी इलेक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्ट्री की स्थापना के साथ संबद्ध है, अतः एक्सचेंज के बदले जाने में विलंब हो रहा है।

(ग) इस एक्सचेंज के सातवीं योजना अवधि के मध्य तक बदले जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राजस्थान में जयपुर और जिला मुख्यालयों के बीच एस०टी०डी० सुविधा आरम्भ करना

111. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने जयपुर और जिला मुख्यालयों के बीच एस० टी० डी० सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय कर लिया था;

(ख) कितने जिला मुख्यालयों को जयपुर के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ दिया गया है और कितने अभी तक नहीं जोड़े गए हैं;

(ग) शेष जिला मुख्यालयों को न जोड़े जाने के क्या कारण है; और

(घ) इन जिला मुख्यालयों को जयपुर के साथ एस० टी० डी० द्वारा कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जिला मुख्यालयों एवं संबंधित राज्यों की राजधानियों के बीच एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने की मंजूरी पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दी गई थी जिसमें राजस्थान में जयपुर के एस० टी० डी० द्वारा जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ा जाना भी शामिल है।

(ख) 27 जिला मुख्यालयों में से 5 को जयपुर के साथ एस० टी० डी० के जरिए जोड़ा जा चुका है। जयपुर भी जयपुर जिले का मुख्यालय है। शेष 21 जिला मुख्यालयों को अभी एस० टी० डी० द्वारा जोड़ा जाना है।

(ग) देश में संचारण तथा स्विचन उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह सेवा प्रदान नहीं की जा सकी।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जयपुर को एस० टी० डी० सेवा के जरिए शेष जिला मुख्यालयों के साथ उत्तरोत्तर जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि संचारण तथा स्विचन उपस्कर उपलब्ध हों।

राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति

112. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के उन विनिर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिनमें यह जोर दिया गया है कि मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यून-तम मजूरी से कम मजूरी देना बंधुआ मजदूरी माना जाएगा;

(ख) क्या अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कुछ मामले केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; यदि हां तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुकरण करने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, राज्य सरकारें उन नियोजनों में, जो उनके द्वारा अनुसूची में शामिल किए गए हैं, न्यूनतम मजदूरी-दरों के निर्धारण/संशोधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, पीपल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य की रिट याचिका संख्या 1981 की 8143 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की प्रतियां, अनुपालन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को लागू करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन की श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्री सम्मेलन, न्यूनतम मजदूरी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड और राज्य सरकारों के श्रम सचिवों की बैठकों में पुनरीक्षा की जा रही है। न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन की, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, अंतर-विभागीय बैठकों में समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है। समय-समय पर किए गए इन पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों को, प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने, न्यूनतम मजदूरी-दरों का समय-समय पर संशोधन करने, अधिनियम के कार्यान्वयन

पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियों के गठन करने, ताकि निर्धारित मजदूरी का आवश्यक प्रसार किया जा सके, न्यूनतम मजदूरी-दरों को निर्धारित करने और उनमें संशोधन करने के लिए अनुसूची में विभिन्न नियोजनों को शामिल करने, न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में कृषि श्रमिकों में अपने अधिकारों के संबंध में चेतना जाग्रत करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम को तेज करने, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को संगठित करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देने और नाजुक क्षेत्रों में, जहां अधिक संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कृषि श्रमिक हैं या जहां कम मजदूरी दी जाती है, कृषि श्रमिकों के बारे में निर्धारित दरों को लागू करने की बाबत विशेष ध्यान देने हेतु परामर्श दिया जाता है। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा भी करते रहते हैं ताकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की जा सके। अब तक 14 राज्यों का दौरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो भी कृषि क्षेत्र में अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में विशेष सर्वेक्षण कर रहा है। केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाए गए उल्लंघन के सभी मामलों को संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।

एल० पी० जी० सिलेंडर वाल्वों का उत्पादन और आयात

113. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में (एक) कितने एल० पी० जी० सिलेंडर वाल्वों का आयात किया गया (दो) यह आयात कौन से देशों से किया गया और (तीन) इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या ऐसे वाल्वों का निर्माण देश में भी होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से इन वाल्वों को देश में ही बनाने का कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1983-84 में एल० पी० जी० सिलिंडरों के वाल्वों का आयात नहीं किया गया। वर्ष 1984-85 में डेन्मार्क से 14 लाख वाल्वों का आयात किया जा रहा है। इसमें डी० कें० आर० 22,713,889.86 की विदेशी मुद्रा निहित है जो 2,45,82, 130.00 रुपया के बराबर है, खर्च होगी।

(ख) जी, नहीं। इसी प्रकार के विभिन्न आंतरिक डिजाइन के स्वयं बंद होने वाला किस्म के वाल्वों का देश में ही निर्माण किया जा रहा है।

(ग) स्वदेशी प्राप्यता में कमी को पूरा करने के लिए और डिजाइन के मानकीकरण तथा किस्म में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वदेशी निर्माताओं को वाल्वों पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए निर्यात का प्रबंध किया गया था।

पेट्रोलियम के उत्पादन और आयात

114. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या पेट्रोलियम मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों से पेट्रोलियम/तरल और गैस की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है और उसका स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा देश की कुल आवश्यकता कितनी है और किस-किस देश से कितनी कितनी मात्रा का आयात किया जाता है और इस पर कितना व्यय होता है;

(ख) क्या देश की समस्त आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से ही पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम/योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) : अप्रैल-दिसंबर, 1984 के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन तथा गैस की आपूर्ति नीचे दी गई है :

कच्चे तेल का उत्पादन	(मि० मी० टन)
तटीय क्षेत्र	6.6
अपतटीय क्षेत्र	14.5
गैस की आपूर्ति . . . . . . (बिलियन घन मीटर)	2.51

कच्चे तेल का वर्तमान उत्पादन देश की लगभग 70 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करता है।

चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान 4.73 मी० मी० टन (1124.6 करोड़ रुपये मूल्य पर) कच्चे तेल का आयात किया गया। स्थान-वार उत्पादन तथा देशवार आयात के बारे में बताना लोकहित में न होगा।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) कम-से-कम संभव समय में पूर्वानुमानिक हाइड्रोकार्बन भंडारों के ग्रेड को उन्नत कर प्रमाणित भू-वैज्ञानिक भंडारों में परिवर्तित करना;

(2) वृद्धिशील तेल प्राप्ति तकनीकों का प्रयोग;

(3) वर्क ओवर कार्यकलापों को तेज करना;

(4) अल्पज्ञात भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में तेल की खोज कार्य को तेज करना जिससे कि अंततः उत्पादन में वृद्धि हो; तथा

(5) विकसित प्रौद्योगिकी अपनाना।

तट-दूर तेल की खोज के लिये अमरीकन तेल फर्म को काम पर लगाने का प्रस्ताव

115. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-दूर तेल की खोज के लिए अमरीकन तेल फर्मों को काफी मात्रा में प्राप्त तेल को खरीद की सुविधा सहित काम पर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नावदा (बिहार) में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

116. **श्री कुंवर राम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंच वर्षीय योजना में नावदा (बिहार) के मानव-चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना को 1985-86 में कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा।

[अनुवाद]

वे स्थान जहां निर्वाचन नहीं हुए हैं

117. **श्री चित्त महाटा :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्थानों में आठवीं लोक सभा के लिए निर्वाचन देश के अन्य भागों के साथ नहीं कराए गए; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण थे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) जी हां।

(ख) (i) असम और पंजाब के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों से मतदान नहीं कराया जा सका, अर्थात् :—

निर्वाचन आयोग ने, उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए, असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी थी जो देश के शेष संसदीय निर्वाचनक्षेत्रों में साधारण निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले पूरी नहीं की जा सकी है।

पंजाब में तत्कालीन विद्यमान विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुख्य निर्वाचन आफिसर, पंजाब और राज्य सरकार की भी रिपोर्ट के आधार पर आयोग का समाधान हो गया था कि उस राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में देश के शेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ निर्वाचन नहीं कराए जा सकते हैं।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचनक्षेत्र मण्डी में किन्नौर, भरमोर और लाहौल-स्पीति के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में समाविष्ट क्षेत्रों में और जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान नहीं कराया जा सका क्योंकि ये क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे। इन सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान के लिए तारीख 25 मई, 1985 नियत की गई है।

(iii) मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस रिसने के कारण मतदान मुल्तवी करना पड़ा।

(iv) निम्नलिखित निर्वाचनक्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से एक की मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट करना पड़ा :—

1. आंध्र प्रदेश —श्रीकाकुलम और राजमपेट
2. तमिलनाडु —मद्रास उत्तर
3. उत्तर प्रदेश —बायल

भोपाल निर्वाचन क्षेत्र और उक्त प्रत्यादिष्ट निर्वाचनक्षेत्रों में मतदान 28 जनवरी, 1985 को कराया जाएगा।

कार्य घण्टों संबंधी मानकों में कमी करना

118. **श्री चित्त महाटा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिकों के मामले में प्रति सप्ताह कार्यघंटों संबंधी विद्यमान मानकों में कमी करने के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं से पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में पहले हुई दुर्घटना के बारे में जांच

119. **श्री चित्त महाटा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में दिसम्बर, 1981 में हुई दुर्घटना की फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत जांच कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच रिपोर्ट मार्च, 1984 में प्राप्त हुई थी। अन्य बातों के साथ साथ रिपोर्ट में मुख्य रूप से कुछ मामलों में पाई गई कमी का उल्लेख किया गया है जैसे अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाना, उपचार में विलम्ब, तथा विष विशेषज्ञों की अनुपलब्धता, मास्टर कार्ड जारी करने में असावधानी तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि कारखाना स्थल की परिसीमा के 200 फीट की सीमा के अन्दर कोई निवास-स्थान न हो।

यद्यपि रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है, इस बीच राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय पहले ही कर दिए गए हैं—

(1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अधीन कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ चीफ मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किया गया था।

(2) कंपनी में एक डाक्टर, जो कि एम० डी० है, नियुक्त किया गया है।

(3) कंपनी को यह निर्देश जारी किए गए थे कि खतरनाक मशीनों पर काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा अकुशल कर्मचारियों को इन मशीनों पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(4) कारखाने का लाइसेंस, जो 31 दिसम्बर, 84 को समाप्त हो गया, का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

भोपाल में गैस के रिसने से प्रभावित गांव

120. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवसराय इलेक्ट्रिक ग्रिड, जो इर्द-गिर्द के कुछ गांवों में फैला हुआ है, के समीप स्थित रसायन कारखाने से गैस के रिसने से लगभग 4 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जिसके कारण ग्रामीणों को आंखों और गले में अत्यधिक जलन हुई (देखें टाइम्स आफ इंडिया, 6 जनवरी, 1985) और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीणों ने इससे पहले कारखाने से गैस के रिसने की राज्य सरकार से शिकायत की थी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भोपाल गैस कांड के बाद विभिन्न स्थानों से गैस रिसने का समाचार

121. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी : } क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भोपाल में भयंकर दुर्घटना के बाद कई रसायन कारखानों से गैस के रिसने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में गैस रिसने के समाचार हैं और इस संबंध में किन निवारक उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : कई स्थानों पर गैस के रिसाव की रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है । राज्य सरकारों को इस संबंध में विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है । अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 जनवरी, 1985 को जबलपुर की एक परिवहन कंपनी के गैरेज में भण्डार की गई सोडियम हाइड्रो सल्फाईड के ड्रमों में से कुछ गैस का रिसाव हुआ । भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कंपनी के मैनेजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है । भोपाल में हुए हादसे के पश्चात अन्य राज्यों के रसायन कारखानों में गैस के रिसाव की घटनाओं के विवरण अभी प्रतीक्षित हैं ।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में संशोधन

122. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने हेतु औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ये संशोधन विभिन्न मंत्रालयों के साथ परामर्श करके तथा इस क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों और प्रगति को ध्यान में रख कर लागू किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो उक्त नियमों में शामिल करने के लिए किन मुख्य परिवर्तनों पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) : सरकार ने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम में संशोधन करने के लिए नियमों के प्रारूप को अधिसूचित किया है जिसमें नियम 2 में मद 10-ख की मद में से एक मद नियमित करना भी शामिल है । प्रस्तावित संशोधन के में निर्णय संबंधित पक्षकारों के साथ परामर्श करके यथाशीघ्र लिया जाएगा ।

रोजगार सृजन पर नीति-पत्र

123 **श्री बी० बी० देसाई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों तथा विभागों में रोजगार सृजन के संबंध में समर्पित भूमिका का कार्य सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंकड़ों को तैयार करने सहित शहरी रोजगार के संकल्पनावाद के संबंध में अनेक प्रस्तावों की उनके मंत्रालय में जांच की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या आदर्श कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक नीति बनाने के दृष्टिकोण से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार पहलुओं का कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) क्या उनका मंत्रालय वर्तमान रोजगार स्थिति, रोजगार उत्पन्न करने के लिए किए गए उपायों तथा इस दिशा में देश के संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के बारे में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को सहमत हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो रोजगार संबंधी नीति पत्र को मंत्रालय द्वारा कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ङ) : श्रम मंत्रालय को रोजगार मामलों की नोडल जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय लिया गया है । ग्रामीण रोजगार/बेरोजगारी के बारे में रोजगार नीतियों को तैयार करने की जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग की ही रहेगी और संबंधित मंत्रालय विभिन्न रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेवार होंगे । रोजगार और जनशक्ति के बारे में नीति बनाने की समग्र जिम्मेवारी योजना आयोग की होगी । रोजगार के बारे में नोडल मंत्रालय होने के कारण, श्रम मंत्रालय यथा शीघ्र रोजगार और जनशक्ति के बारे में प्रयोग पेपर तैयार करेगा और संबंधित आंकड़ों को एकत्र तथा मिलान करके और उनका विश्लेषण कर प्रकाशित भी करेगा । यह मंत्रालय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों की मानीटरिंग के साथ स्वयं को सम्बद्ध करेगा ।

टाक्सिक गैस पर आधारित कीटनाशक औषधियों का निर्माण रोकना

124. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस कांड को देखते हुए टाक्सिक गैस पर आधारित कीटनाशक औषधियों का निर्माण रोकने का निर्णय किया है; और

(ख) इस समय कीटनाशक औषधियों का निर्माण करने वाले कारखानों में दोष रहित सुरक्षा उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे खतरनाक रसायनों के निर्माण की प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों और विनियमों में निहित विभिन्न विनियमों, नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा और सुरक्षा के विशेष संदर्भ में वर्तमान व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करें ।

इसके अलावा खतरनाक तत्वों से निपटने के लिए विकसित देशों में प्रचलित पद्धतियों का विस्तृत अध्ययन करने और देश में प्रचलित वैज्ञानिक और संस्थागत व्यवस्थाओं के बीच अन्तर का पता लगाने तथा ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु केन्द्र सरकार ने एक विशेष कक्ष की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है ।

केरल में दूरदर्शन केन्द्रों का प्रसारण क्षेत्र

125. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पूरे राज्य में देखे जा सकते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें इन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों अभी भी नहीं देखे जा सकते ; और

(ग) इन क्षेत्रों को भी दूरदर्शन केंद्रों के प्रसारण क्षेत्र में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हाथ में ली गई स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद बलाजाद तथा पालघाट का भाग, कोजीकोड, कन्नानोर तथा मलापुरम जिलों के दूरदर्शन सेवा से वंचित रह जाने की उम्मीद है।

(ग) जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के प्रश्न को, आवश्यक संसाधनों के आवंटन के अधीन रहते हुए, दूरदर्शन के विस्तार की अनुवर्ती योजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

उर्वरकों की मांग तथा पूर्ति में अंतर

126. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक का उत्पादन घरेलू मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मांग, पूर्ति के बीच वास्तविक अन्तर कितना है; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों की मांग तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उनमें अन्तर निम्न प्रकार है :—

(मात्रा : लाख टनों में)

	नाइट्रोजन उर्वरक (एन०)	फास्फेटिक उर्वरक (पी)	पोटैसिक उर्वरक (के)
मांग (उपयोग लक्ष्य) . . .	56.60	18.60	8.80
प्रत्याशित उत्पादन . . .	39.00	12.50	पोटाश (के) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है और इसकी सम्पूर्ण आवश्यकता आयातों से पूरी की जाती है।
मांग और उत्पादन के बीच अन्तर .	17.60	6.10	

(ग) उर्वरकों की मांग से स्वदेशी उत्पादन की जो मात्रा कम पड़ जाती है, उस अन्तर को पूरा करने के लिए हर वर्ष आयात की व्यवस्था की जाती है। सरकार ने अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है जो काफी मात्रा में आयातों के स्तर को कम करने में सहायता देगा।

ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली के पीछे खाली पड़े डाक-तार विभाग के क्वार्टर

127. श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ के पीछे डाक-तार विभाग के अनेक क्वार्टर खाली पड़े हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थान को बहु-मंजिले कार्यालय समूह के निर्माण के लिए प्रयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। टाइप-I के चार क्वार्टर जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, मरम्मत के लिए खाली पड़े हैं। उन्हें मरम्मत के बाद अलाट किया जाएगा।

(ख) और (ग): फिलहाल, कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए इन क्वार्टरों के गिराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साधारण निर्वाचन पर हुआ खर्च

128. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं लोक सभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन हुए और कितने निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुए; और

(ख) उपरोक्त निर्वाचन में कितना खर्च हुआ और शेष निर्वाचन क्षेत्रों पर कितना खर्च होगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) । (क) आठवीं लोक सभा के गठन के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में साधारण निर्वाचन कराए गए थे, अर्थात् :—

(i) असम में 14 संसदीय निर्वाचनक्षेत्र और पंजाब में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र;

(ii) जम्मू-कश्मीर में लद्दाख संसदीय निर्वाचनक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय निर्वाचनक्षेत्र के कुछ सभा खंड और मध्य प्रदेश में भोपाल संसदीय निर्वाचनक्षेत्र;

(iii) आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और राजमपेट संसदीय निर्वाचनक्षेत्र, तमिलनाडु में मद्रास उत्तर संसदीय निर्वाचनक्षेत्र और उत्तर प्रदेश में बायल संसदीय निर्वाचनक्षेत्र ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

179. **श्री अमर राय प्रधान** । क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य अब पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) । (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि अर्हक तारीख के रूप में 1-1-1985 के निर्देश से असम में निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण इस समय प्रगति पर है । घर-घर जाकर प्रगणना द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया 19-11-1984 से प्रारंभ हुई और प्रगणना कार्य 31-12-1984 को पूरा हो गया । प्रगणना पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के पश्चात् ऐसी जांच पड़ताल जो सुसंगत है की जा रही है ।

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार से वंचित रखना

130. **श्री अमर राय प्रधान** । क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं लोक सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में अनिवासी भारतीयों को मताधिकार से वंचित रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने अनिवासी भारतीयों को मताधिकार से वंचित रखा गया ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) । (क) और (ख). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अन्तर्गत आने वाले अनिवासी भारतीयों के प्रवर्ग को छोड़कर, अन्य अनिवासी भारतीय लोक सभा या राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में मतदान करने के हकदार नहीं हैं । अतः उन अनिवासी भारतीयों की संख्या निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है जिन्होंने आठवीं लोक सभा के साधारण निर्वाचनों में मतदान नहीं किया है ।

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों तथा साक्षात्कारों का प्रसारण

131. **श्री अमर राय प्रधान** । क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषणों तथा साक्षात्कारों को उनकी मृत्यु के पश्चात् अर्थात् 31 अक्तूबर 1984 से 23 दिसम्बर, 1984 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूरदर्शन पर इनको कितनी बार प्रसारित किया गया तथा इसका क्या उद्देश्य था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) । (क) और (ख) : जी, हां । दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में कुल 10 कार्यक्रमों तथा वैयक्तिक दूरदर्शन केन्द्रों से 22 कार्यक्रमों, जिनमें फिल्म प्रभाग की डाक्यूमेंट्री फिल्में तथा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषणों और उनके साथ भेंट वार्ताओं के उद्धरण शामिल थे, जो देश के विकास तथा राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान की याद में 31 अक्तूबर तथा 23 दिसम्बर, 1984 के बीच टेलीकास्ट किया गया था ।

जनजाति क्षेत्रों में टेलीविजन सुविधायें

132. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान कम शक्ति और उच्च शक्ति के कितने दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर स्थापित करने का प्रस्ताव था और अब तक राज्य-वार कितने टावर स्थापित किए गए हैं तथा ये कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या देश के अधिकांश पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में उनके दुर्गम क्षेत्र होने के कारण टेलीविजन सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश के दुर्गम जनजाति क्षेत्रों में ये सुविधाएं सुलभ कराने हेतु सरकार की प्रस्तावित योजनायें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) छठी योजना से पहले विद्यमान 18 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के अलावा, छठी योजनावधि के दौरान देश में (संलग्न विवरण में दिए अनुसार) 150 दूरदर्शन ट्रांसमीटर जिनमें उच्च शक्ति वाले 20 तथा अल्प शक्ति वाले 130 ट्रांसमीटर हैं, स्थापित किए गए हैं। छठी योजना की शेष अवधि के दौरान कटक, कुर्सियांग, पुंछ, दरभंगा, बेतिया, कोरबा, सिंगरौली, कोरापुट, नेवेली, सिलीगुड़ी, पिथोरागढ़, कारनिकोबार तथा उखरुल में 13 और दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग): हाथ में ली गई स्कीमों के पूरा हो जाने पर, 91 आदिवासी जिलों सहित समूचे 339 जिलों में या उनके भागों में देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उच्च शक्ति वाले 8 और अल्प शक्ति वाले 6 दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की स्वीकृति हो गई है। आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने का कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सातवीं योजना के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

विवरण

18-1-1985 के दिन की स्थिति के अनुसार—168 दूरदर्शन केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उच्च शक्ति वाले केन्द्र	अल्प शक्ति वाले केन्द्र
असम . . .	गोहाटी	डिब्रूगढ़, तेजपुर, सिलचर
आन्ध्र प्रदेश . .	हैदराबाद*, विजयवाड़ा	वारंगल, काकीनाडा, विशाखापटनम, राजामुन्दरी, नैल्लोर, निजामाबाद, कुर्नूल, अनन्तपुर, तिरुपति, अंगोली, कुड्डप्पा, महबूबनगर, करीमनगर
बिहार . . .	पटना, मुजफ्फरपुर*, रांची	धनबाद, जमशेदपुर, गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया
दिल्ली . . .	दिल्ली*	—
गुजरात . . .	अहमदाबाद, पिज* राजकोट	सूरत, द्वारका, बड़ोदरा, भावनगर, नवसारी, भरुच, पाटन
हरियाणा . .	—	हिसार, भिवानी
कर्नाटक . . .	बंगलौर	धारवाड़
	गुलबर्गा*	मैसूर, मंगलौर, बेलगांव, बेल्लारी, देवनगर, भद्रावती, बीजापुर, रायचूर, मदन बेताणडी हासपेट
केरल . . .	त्रिवेन्द्रम	कालीकट, कन्नानौर, पालघाट, कोचीन
मध्य प्रदेश	भोपाल	जबलपुर
	इन्दौर	ग्वालियर
	रायपुर*	रतलाम, सागर, बुरहानपुर, रीवा, मुरवाड़ा बिलासपुर

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उच्च शक्ति वाले केन्द्र	अल्प शक्ति वाले केन्द्र
महाराष्ट्र . .	बम्बई*	शोलापुर
	नागपुर	नासिक
	पुणे*	कोल्हापुर, औरंगाबाद, सांगली, अमरावती, मालेगाव, अकोला, धुले, नानदेड़, अहमदनगर, जलगांव, जालना, भुसावल, चन्द्रपुर, लातुर, परभनी, गोंदिया
मणिपुर . .	—	इम्फाल
उड़ीसा . .	सम्बलपुर*	राउरकेला, भुवनेश्वर, बरहमपुर
राजस्थान .	जयपुर*	जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भीलवाड़ा, खेतरी, जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़
पंजाब	अमृतसर*	पठानकोट
	जलंधर*	भटिण्डा
तमिलनाडु .	कोडैकनाल	तिरुचिरापल्ली
	मद्रास*	सलेम, वैल्लोर, कुम्बकोनम, कोयम्बतूर
उत्तर प्रदेश . .	इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ* मसूरी, कानपुर*	बरेली, देवरिया, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, इटावा, बहराइच, शाहजहांपुर, रामपुर, पौड़ी, फरुखाबाद, सम्बल, नैनीताल
पश्चिम बंगाल . .	आसनसोल, कलकत्ता* मुर्शिदाबाद	खड़गपुर, मालदा, बर्धमान, बालूरघाट, शान्तिनिकेतन
हिमाचल प्रदेश . .	कसौली	कुल्लू, शिमला
जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर*	लेह, कारगील, जम्मू,
मेघालय . . .	—	तुरा, शिलांग
पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	—	पांडिचेरी
नागालैण्ड .	—	कोहिमा
मिजोरम .	—	ऐजवाल
सिक्किम . .	—	गंगटोक
त्रिपुरा . . .	—	अगरतला
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	पोर्ट ब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश . .	—	इटानगर
गोवा, दमण व दिव . .	पणजी	—
कुल	38	130

टिप्पणी:- *छठी योजना के प्रारंभ में देश में विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या -18.

लोक सभा चुनावों के दौरान द्रुत दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रबंध

135. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने देश में 1984 के लोक सभा चुनावों के दौरान दूरसंचार सेवाओं को द्रुत और निर्बाध बनाए रखने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किए थे और दूरसंचार सेवाओं को द्रुत और संतोषजनक बनाए रखने के लिए उप-मंडल, मण्डल क्षेत्र/जिला और सर्किल स्तरों तक के दूरसंचार अधिकारियों को कोई मार्ग निर्देश जारी किये थे ;

(ख) चुनाव अभियान के दौरान मतदान की तारीखों और चुनाव परिणामों की घोषणा करने के लिये, विशेषतया अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनों, चैनलों, हाटलाइनों की व्यवस्था करने तथा ट्रंक सेवाओं को बनाए रखने के संबंध में किए गए विशेष प्रबन्धों तथा दूरसंचार अधिकारियों को जारी किये गये विस्तृत मार्ग-निर्देशों की रूपरेखा क्या थी ;

(ग) क्या इन सेवाओं के स्तर में गिरावट और किसी दूर संचार कर्मचारी द्वारा ड्यूटी के प्रति लापरवाही किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सर्किल-वार (बहु-राजकीय सर्किलों के संबंध में) राज्य-वार अलग-अलग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी की संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

लोक सभा चुनाव—1984 के सिलसिले में की गई दूरसंचार व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा।

डाक-तार विभाग ने दिसम्बर 1984 में हुए लोक सभा चुनावों में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, प्रचार अवधि के दौरान चुनाव मशीनरी, चुनाव तिथियों तथा चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए आवश्यक दूरसंचार की व्यवस्था की थी। अति प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। विभिन्न उपभोक्ताओं की अधिकतम सीमा तक मांग पूरी करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए गए।

2. 6000 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन, 150 टेलेक्स/टेलीप्रिंटर लाइनें और 300 टेलीफोन हाट लाइनों की व्यवस्था की गई। चुनाव अधिकारियों के मुख्यालयों में स्थित तारघरों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया अधिक समय तक खोले रखने के आदेश दिए गए ताकि इस अवधि के दौरान तारों का संचालन किया जा सके। अतिरिक्त परियात को पूरा करने के लिए सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं में वृद्धि की गई। कर्मचारियों को समय की पाबंदी, सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करने, और कार्य शीघ्र निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

3. चुनाव संबंधी मामलों पर पूरा नियंत्रण रखने, दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने, कोएक्सियल, माइक्रोवेव, और उपग्रह संचार प्रणालियों के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए प्रत्येक दूरसंचार महाप्रबंधक के कार्यालय में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया। डाक-तार बोर्ड, दिल्ली के मुख्यालय में एक "मानीटरिंग सेल" की स्थापना की गई जहां टेलीफोनों, उन चैनलों, जिन पर लंबी दूरी के टेलीप्रिंटर और टेलीफोन हाट लाइनें प्रदान की गई थी, की प्रतिदिन समीक्षा की जाती थी। ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों, और तारघरों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की गई। चुनाव-सूचना-सेवा के माध्यम से 80 से अधिक बड़े स्थानों पर टेलीफोन के जरिए चुनाव सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जहां यह संभावना थी कि जनता इस सेवा के माध्यम से चुनाव परिणाम जांचना चाहेगी।

कच्चे तेल का उत्पादन

134. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इससे हमारी कितनी आवश्यकता पूरी होती है ;

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या गरीब उपभोक्ताओं के लाभार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख): वर्ष 1983-84 के दौरान देश में कुल 26.02 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जो देश की कुल आवश्यकता का लगभग 66 प्रतिशत था।

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(1) कम-से-कम सम्भव समय में पूर्वानुमानिक हाइड्रोकार्बन भंडारों के ग्रेड को उन्नत कर प्रमाणित भू-वैज्ञानिक भंडारों में परिवर्तित करना;

(2) वृद्धिशील तेल प्राप्ति तकनीकों का प्रयोग ;

(3) रुग्ण कूपों की मरम्मत करने के लिए वर्क ओवर कार्यकलापों को तेज करना ;

(4) अल्पज्ञात भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में तेल की खोज कार्य को तेज करना जिससे कि अन्ततः उत्पादन में वृद्धि हो; तथा

(5) विकसित प्रौद्योगिकी अपनाना।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

दसवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

135. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 जनवरी 1985 को नई दिल्ली में प्रारम्भ हुआ दसवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सफल सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दक्षिण भारत की फिल्मी हस्तियों के उपस्थित न रहने के क्या कारण हैं और इस संबंध में उनकी भावनाओं की पुष्टि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख): भारत का दसवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सफल सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसने विश्व की फिल्मों को अपनी फिल्मकला की उत्कृष्टता प्रतिबिंबित करने के लिए सांझा मंच उपलब्ध करने, विभिन्न देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचारों के संदर्भ में उनकी फिल्म संस्कृतियों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में योगदान देने; तथा विश्व के विभिन्न लोगों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूर्णरूप से प्राप्त किया है।

(ग) दक्षिण की फिल्मी हस्तियां समारोह में उपस्थित थीं।

सिनेमा का स्वस्थ विकास

136. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिनेमा दर्शकों में नैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों के समावेश के लिए देश में सिनेमा के स्वस्थ विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : कुल मिलाकर, देश में फीचर फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में है। इसलिए, फिल्म उद्योग द्वारा बनाई जा रही फिल्मों संबंधी विषय पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा जारी किए गए सेंसरशिप संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त यह सुनिश्चित करते हैं कि जो फिल्में नकारात्मक नैतिक मूल्यों आदि को प्रोत्साहित करती हों उनको प्रमाणीकृत न किया जाए। भारत सरकार भी राज्य सरकारों से यह अनुशंसा करती है कि संदेश युक्त अच्छी फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी जाए। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बाल चित्र समिति, भारत भी नैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों संबंधी संदेशों से युक्त फिल्में बनाते हैं। उन्हें वित्तपोषित करते हैं।

उड़ीसा में "इन्धन गैस" की कमी

137. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा अन्य स्थानों पर इंधन गैस की कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा अन्य स्थानों के लिए इंधन गैस की शीघ्र सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर में अशान्ति के कारण परिवहन प्रबन्धों के अव्यवस्थित हो जाने तथा नवम्बर-दिसम्बर में हल्दिया रिफाइनरी के बन्द रहने के कारण उड़ीसा में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1984 के दौरान एल०पी०जी० की आपूर्ति में गतिरोध उत्पन्न हो गया था।

(ग) तत्काल आपूर्ति की व्यवस्था की गई। हल्दिया रिफाइनरी 1 जनवरी, 1985 से पुन: आरम्भ हो गयी है जिस के परिणामस्वरूप प्राप्यता में सुधार हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तेल का उत्पादन

138. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तेल का उत्पादन 210 लाख टन से ज्यादा होगा ;

(ख) क्या यह छठी योजना में निर्धारित लक्ष्य से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तटवर्ती क्षेत्र में और तटदूर क्षेत्र में तेल कुओं से तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) : जी, हां।

पालघाट में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

139. श्री वी० एस० विजयराघवन् : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में बदलने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक सभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का ब्यौरा

140. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा निर्वाचन दिसम्बर, 1984 में हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो लोक सभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के राज्य-वार, निर्वाचन-क्षेत्र-वार नाम क्या हैं ; और

(ग) निर्वाचन जीतने वाले अभ्यर्थियों के नाम कुल डाले गए मतों, उन्हें प्राप्त हुए मतों, अस्वीकृत मतों तथा हारने वाले अन्य अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए मतों की निर्वाचन क्षेत्र-वार संख्या क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी निर्वाचन आयोग की तारीख 11 दिसम्बर, 1984 की अधिसूचना सं० ओ० एन 153 (इ) में, जो तारीख 12 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(iii) में प्रकाशित की जा चुकी है, अन्तर्विष्ट है।

(ग) निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० ओ० एन० 167(इ), जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम, निर्वाचनक्षेत्र-वार (लोक सभा का सम्यक् गठन), जो निर्वाचित हुए हैं, तारीख 31 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग 2, खण्ड 3(iii) में यथाप्रकाशित, सदन के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है। उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किए गए नामों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अभ्यर्थी भी निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

जम्मू-काश्मीर

उधमपुर . . . श्री गिरधारी लाल डोगरा

मणिपुर

आन्तरिक मणिपुर . . श्री एन० टोम्बी सिंह

बाह्य मणिपुर . . श्री मोजिमलुंग

नागालैंड

नागालैंड . . . श्री चिंगवांग

सफल अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए मतों की संख्या, कुल डाले गए मतों, अस्वीकार किए गए मतों आदि के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधन क्षमता

141. श्री नवीन रावणी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान तेल-शोधन क्षमता क्या है ;

(ख) देश में तेल शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और]

(ग) भारत, तेल उत्पादन में कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1984 को स्थापित क्षमता 37.80 मि० मी० टन थी।

(ख) बम्बई, विजाग, मद्रास तथा कोचीन स्थित तेल शोधक कारखानों का विस्तार करके प्रति वर्ष 7.75 मि० मी० टन अतिरिक्त शोधन क्षमता प्रारम्भ की जा रही है।

हरियाणा के करनाल में 6 मि० मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एक नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना को स्वीकृति दी गई है तथा इसके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है।

जब भी आवश्यक हो क्षमता में और वृद्धि करने के लिए शोधन क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता की विशेषज्ञ दलों द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ग) नये तेल क्षेत्रों की खोज तथा तेल के और अधिक उत्पादन के लिए अन्वेषण तथा विकास प्रयासों को तेज किया जा रहा है जिससे कि आत्म-निर्भरता में और अधिक सुधार हो। तेल की खोज का कार्य बहुत अधिक संभाव्य प्रकृति का है, अतः निश्चिततः यह बताना संभव नहीं है कि तेल-क्षेत्र में आत्म-निर्भरता कब तक प्राप्त हो जाएगी।

तालाबन्दियां]

142. श्री नवीन रावणी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्य-वार, कितनी तालाबन्दियां हुई ;

(ख) उक्त वर्षों में इन तालाबन्दियों से कुल कितने लोग प्रभावित हुए ;

(ग) इन तालाबन्दियों के मुख्य कारण क्या थे ; और

(घ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख): तालाबंदियों के बारे में सूचना कलैंडर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) के अनुसार रखी जाती है। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1982, 1983 और 1984 के दौरान हुई तालाबन्दियों की राज्यवार संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है।

(ग) औद्योगिक विवादों का कारण-वार विश्लेषण करने से पता चलता है कि तालाबंदियों का मुख्य कारण हिंसा और अनुशासनहीनता तथा "मजदूरी और भत्ते" एवं "कार्मिक और छंटनी" से संबंधित विवाद रहे।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारें, तालाबंदी जारी रखने को प्रतिषिद्ध करने और विवाद को, यथास्थिति, न्याय-निर्णयन या माध्यस्थम को भेजने के बाद तालाबंदी उठाने हेतु संबंधित प्रबंधतंत्रों को निदेश देने के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन कार्रवाई कर रहे हैं। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 जो लागू हो चुका है, के अधीन तालाबंदी का प्रस्ताव करना या जारी रखना, जिसे गैर-कानूनी समझा गया हो, अनुचित श्रम व्यवहार है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 25 (प) के अधीन दण्ड दिया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 1982—84 के दौरान हुई तालाबन्दियों और उनमें अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाबंदियों की संख्या			अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या		
	1982	1983(अ)	1984(अX)	1982	1983(अ)	1984(अX)
आन्ध्र प्रदेश . .	113	147	47	61,597	57,185	33,837
असम . .	..	1	1	..	699	1,489
बिहार . .	29	16	14	11,604	16,635	12,698
गुजरात . .	23	19	16	11,209	9,728	6,401
हरियाणा . .	4	14	6	761	7,962	6,668
कर्नाटक . .	6	7	1	1,266	1,930	150
केरल . .	30	9	6	10,329	5,725	916
मध्य प्रदेश . .	1	4	2	1,108	2,425	2,050
महाराष्ट्र . .	28	29	32	11,843	23,607	17,414
मेघालय . .	1	..	..	255	..	..
उड़ीसा . .	7	9	..	5,536	6,735	..
पंजाब . .	6	6	..	4,313	1,033	..
राजस्थान . .	23	21	27	4,404	3,781	3,475
तमिल नाडु . .	28	30	19	7,104	9,901	11,352
उत्तर प्रदेश . .	20	11	11	5,205	6,643	2,120
पश्चिम बंगाल . .	119	138	118	1,29,913	1,12,997	78,506
अण्डमान और निकोबार .	1	1	..	33	991	..
दिल्ली . .	14	4	2	11,888	4,292	4,242
गोवा, दमन और दीव .	1	4	1	107	255	31
कुल .	454	470	303	2,78,475	2,72,524	1,81,439

(अ) =अनन्तिम

(अX)=अनन्तिम और श्रम ब्यूरो में 26-12-84 तक प्राप्त हुए आंकड़ों पर आधारित है।

नोट=वर्ष 1982—84 के दौरान बाकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई तालाबन्दी नहीं हुई।

भोपाल में गैस रिसने के मामलों की जांच

143. श्री नवीन रावणी
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री आनंद सिंह } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मास हुई भोपाल गैस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ साथ दुर्घटना के वृत्तान्त तथा परिस्थितियों की जांच करना, कारखाना प्राधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता तथा सुरक्षा उपायों तथा उनके कार्यान्वयन की जांच करना है।

इसके अतिरिक्त, संबंद्ध प्राधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन पंजीकृत आपराधिक मामले का सी०बी०आई० जांच कर रही है।

इस संबंध में ब्यौरे जांच तथा अन्वेषणों के पूर्ण हो जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना]

[हिन्दी]

144. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक जिन शहरों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में इस समय 168 दूरदर्शन केन्द्र हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्र लगाए जा रहे हैं :

1. कटक	10. सिलीगुडी
2. कुर्सियांग	11. पिथौरागढ़
3. पून्छ	12. कार-निकोबार
4. दरभंगा	13. उखरूल
5. बेतिया	14. दीमापुर
6. कोरबा	15. पासीघाट
7. सिंगरौली	16. तेजु
8. कोरापुट	17. जोरहट
9. नेवेली	18. विफु

क्रम संख्या 1 से 13 तक के सम्मुख उल्लिखित केन्द्रों के चालू वर्ष के दौरान स्थापित हो जाने की उम्मीद है, जबकि क्रम संख्या 14 से 18 तक के सम्मुख उल्लिखित केन्द्रों के 1986 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन संजाल का और विस्तार करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
1.	दिल्ली	7.	मद्रास
2.	बम्बई	8.	लखनऊ
3.	श्रीनगर	9.	मैसूर
4.	अमृतसर	10.	कानपुर
5.	पूणे	11.	जलंधर
6.	कलकत्ता	12.	पिज

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
13.	जयपुर
14.	रायपुर
15.	गुलबर्गा
16.	हैदराबाद
17.	सम्बलपुर
18.	मुजफ्फरपुर
19.	बंगलौर
20.	नागपुर
21.	पणजी
22.	इलाहाबाद
23.	अहमदाबाद
24.	जम्मू
25.	शिमला
26.	देवरिया
27.	सूरतगढ़
28.	गोहाटी
29.	डलहौजी
30.	गंगतोक
31.	शिलांग
32.	कोहिमा
33.	इम्फाल
34.	ऐजवाल
35.	अगरतला
36.	मालदा
37.	पटना
38.	भुवनेश्वर
39.	पोर्ट-ब्लेअर
40.	काकीनाडा
41.	त्रिवेन्द्रम
42.	इन्दौर
43.	भोपाल
44.	ग्वालियर
45.	आसनसोल
46.	विजयवाड़ा
47.	भटिण्डा
48.	गंगानगर
49.	जोधपुर
50.	कालीकट
51.	कोचीन
52.	जबलपुर
53.	तिरूपति
54.	बड़ोदरा
55.	उदयपुर
56.	कोटा
57.	तिरूचिरापल्ली
58.	नेल्लौर
59.	कुड्डप्पा
60.	शाहजहांपुर
61.	गया
62.	करीमनगर
63.	अलवर
64.	विशाखापत्तनम
65.	खेतड़ी
66.	अकोला
67.	पठानकोट
68.	रायबरेली
69.	सुल्तानपुर
70.	मंगलौर
71.	हिसार
72.	देवनागेरे
73.	निजामाबाद
74.	भद्रावती
75.	बरेली
76.	वेल्लौर
77.	मुंगेर
78.	सूरत
79.	सलेम
80.	आगरा
81.	नासिक
82.	वारंगल
83.	कुलु
84.	खड़गपुर
85.	झांसी
86.	राजामुंद्री
87.	कुर्नूल
88.	बिलासपुर
89.	बर्दवान
90.	बीकानेर
91.	कोल्हापुर
92.	पांडीचेरी
93.	नैनीताल
94.	गोरखपुर
95.	भावनगर
96.	कोडे कनाल
97.	बेहरामपुर
98.	पाटन
99.	अनन्तपुर

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
100.	भीलवाड़ा	135.	नांदेड
101.	धनबाद	136.	कुम्भकोनम
102.	अहमदनगर	137.	जलगांव
103.	अजमेर	138.	तुरा
104.	अडोनी	139.	भिवानी
105.	बीजापुर	140.	रांची
106.	जालना	141.	नवासारी
107.	जमशेदपुर	142.	धारवाड़
108.	वाराणसी	143.	अलीगढ़
109.	औरंगाबाद	144.	रीवा
110.	भरूच	145.	मैसूर
111.	पूर्णिया	146.	रतलाम
112.	राजकोट	147.	कसौली
113.	रामपुर	148.	कन्नानौर
114.	धुले	149.	गोंदिया
115.	तेजपुर	150.	मुरवाड़ा
116.	बेल्लौरी	151.	मुरादाबाद
117.	सागर	152.	बेलगांव
118.	फरूखाबाद	153.	पौढ़ी
119.	कारगील	154.	बुरहानपुर
120.	लेह	155.	बाड़मेर
121.	लातूर	156.	होसपेट
122.	कोयम्बटूर	157.	बहराइच
123.	अमरावती	158.	सांगली
124.	डिब्रूगढ़	159.	शान्तिनिकेतन
125.	बेतागढ़ी	160.	मालेगांव
126.	फैजाबाद	161.	राऊरकेला
127.	शोलापुर	162.	सम्बल
128.	रायचूर	163.	भुसावल
129.	जैसलमेर	164.	भागलपुर
130.	परभनी	165.	मुर्शिदाबाद
131.	बालरघाट	166.	पालघाट
132.	इटावा	167.	सिल्चर
133.	महबूबनगर	168.	द्वारका
134.	चन्द्रपुर		

अल्मोड़ा आकाशवाणी केन्द्र

145. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा आकाशवाणी केन्द्र का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ख) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कार्यक्रमों का निर्माण इसी केन्द्र में हो और प्रसारण भी वहीं से हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मार्च, 1985 के अन्त तक ।

(ख) यह पूर्णरूपेण आकाशवाणी केन्द्र होगा जो अपने कार्यक्रम प्रसारित करेगा । इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र लखनऊ केन्द्र के क्षेत्रीय समाचारों, विधान सभा समीक्षा तथा सामयिक कार्यक्रमों तथा दिल्ली के केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रिले करेगा ।

यूनियन कारबाइड जैसी यूनिटों में सुरक्षा संबंधी उपाय

146. **श्री हरीश रावत :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य भागों में यूनियन कारबाइड, भोपाल जैसे यूनिटों की संख्या कितनी है और उनमें अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भोपाल में हुई दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय मै० यूनियन कारबाइड इंडिया लि० के भोपाल एकक के समान भारत में मेथिल आइसोसाइनेट के लिए किसी अन्य एकक में कोई उत्पादन पद्धति नहीं है ।

(ख) राज्य अधिकारियों ने संबंध अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया है । तत्पश्चात् यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्थानान्तरित कर दिया गया जिन्होंने सारे रिकार्ड एवं दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और वे सक्रिय रूप से जांच कार्य कर रहे हैं । जिलाधीश, भोपाल ने पहले से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आने के लिए उत्पादन संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं । राज्य के कारखाना निरीक्षालय ने भी 31 दिसम्बर, 1984 के पश्चात् कारखाने के लाईसेंस का नवीकरण नहीं किया है और इस समय कारखाना बंद पड़ा है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करना

147. **श्री हरीश रावत :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नियुक्त आयोग द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस आयोग के कार्यकाल को बार-बार बढ़ा दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए मांग की गई थी । इस मांग के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 4 दिसम्बर, 1981 को जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया था और आयोग को छह मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि के लिए समय-समय पर अनुरोध किया था । इसी बीच, गौहाटी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग की गई और 14 दिसम्बर, 1983 को जसवंत सिंह आयोग के विचारार्थ विषयों में वृद्धि की गई । अब आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह इन मांगों की समीक्षा करे और अपनी रिपोर्ट दे । साथ में उससे इस बात की भी अपेक्षा की गई कि वह उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें उनके मुख्य स्थान से भिन्न स्थानों पर स्थापित की जाने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं की और इस संबंध में पालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धान्तों और मानदंडों की, समीक्षा करे । आयोग को अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 1985 तक प्रस्तुत करनी है ।]

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

[अनुवाद]

148. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण पर कुछ निर्बन्धन लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) : सरकार ने विधि आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि परिपाटी यह होनी चाहिए कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के हों। यह विनिश्चय प्रारंभिक नियुक्तियां बाहर से करके और स्थानान्तरण करके लागू किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् तैयार किए गए कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, बाहर से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति लेने की नीति के कार्यान्वयन द्वारा शुरुआत की जा चुकी है, उनकी प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 171/85]। कुछ अवर न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्तियां बाहर से की भी जा चुकी हैं। अवर न्यायाधीशों के स्थानान्तरण नहीं किए गए हैं।

खाना पकाने की गैस के रिसाव का पता लगाने का उपकरण

149. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रसोईघर में खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों के विस्फोट से अनेक व्यक्तियों की, विशेष रूप से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस के प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिये क्या उपाय निकाले गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार तेलशोधन कारखानों को गैस रिसाव का पता लगाने तथा रसोईघरों में शीघ्र चेतावनी देने के लिए किसी उपकरण का निर्माण करने का निदेश देगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई मौतें रसोईघरों में खाना पकाने की गैस तथा कई बार सुरक्षा संबंधी सावधानियों के न बरतने के कारण हुई हैं।

(ख) खाना पकाने की गैस के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें रेगुलेटरों के अनुसार वाल्वों के डिजाइन में परिवर्तन करना, तेज गंध वाले रसायन मिलाया जाना, वितरकों के डिलीवरी मैनों तथा मैकेनिकों को व्यापक प्रशिक्षण देना, उपस्करों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना, समय-समय पर एल० पी० जी० का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में समाचारपत्रों, टेलीविजन तथा रेडियो के माध्यम से शिक्षित करना शामिल है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

संचार के लिये योजना परिव्यय में कटौती

150. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार हेतु आगामी वर्ष के वित्तीय योजना परिव्यय में कटौती की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा चालू योजना के प्रत्येक वर्ष के परिव्यय के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) छठी योजना के दौरान इन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन क्या रहा है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसमें गिरावट न आये, क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए संचार मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2,252.61 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की मांग रखी गई है। अंतिम परिव्यय की मंजूरी अभी योजना आयोग द्वारा दी जानी है।

(ख) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संचार मंत्रालय की डाक एवं दूरसंचार शाखाओं के लिए वित्तीय परिव्यय एवं प्रस्तावित योजना परिव्यय का निष्पादन, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय तथा छठी योजना के विभिन्न वर्षों के लिए वास्तविक परिव्यय संलग्न विवरण (क), (ख) एवं (ग) में दिए गए हैं।

(घ) पर्याप्त आबंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना आयोग के साथ विभिन्न स्तरों पर अनेक बार बातचीत की गई है तथा अनेक व्याख्यात्मक टिप्पणियां भेजी गई हैं।

विवरण—(क)

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) वित्तीय परिव्यय

(दूरसंचार)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		वार्षिक योजना में प्रस्तावित राशि	वार्षिक योजना में स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय
1980-81	.	452.03	403.31	268.23
1981-82	.	452.00	452.00	464.46
1982-83	.	620.94	477.00	554.25
1983-84	.	620.40	645.00	672.71
1984-85	.	1,126.42	733.50	769.50 (स्वीकृत)
योग	.	3,271.79	2,710.81	2,729.14

विवरण—(ख)

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) वित्तीय परिव्यय

(डाक विंग)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत	वास्तविक व्यय
1980-81	.	16.18	11.91	19.46
1981-82	.	35.55	22.00	21.59
1982-83	.	37.60	29.00	28.67
1983-84	.	60.96	36.00	37.93
1984-85	.	67.65	36.00	36.00 (प्रत्याशित)
योग	.	217.94	134.91	143.65

विवरण—(ग)

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए संचार मंत्रालय से संबंधित वर्षवार योजना परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि	कुल व्यय
1980-81	.	44.67	41.71	35.90
1981-82	.	48.68	44.00	35.09
1982-83	.	82.23	51.84	42.89
1983-84	.	105.51	79.00	48.72
1984-85	.	140.91	75.50	98.63 (प्रत्याशित)
योग	.	422.00	292.05	258.23

उड़ीसा के कोरापुट जिले में जयपोर कोरापुट और रायगढ़ा में टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचलीकरण

151. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में जयपोर कोरापुट और रायगढ़ा में टेलीफोन एक्सचेंजों के स्वचलीकरण के कार्य में देरी का कारण उनके लिये भवनों का निर्माण न होना है जबकि सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा भवनों के निर्माण के लिये धनराशि की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय और संबंधित प्राधिकरण द्वारा इन भवनों का निर्माण करने और मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जयपोर एक्सचेंज के स्वचलीकरण में विलंब का कारण भवन का अभाव है जबकि कोरापुट और रायगढ़ा एक्सचेंजों के मामले में विलंब का कारण उपस्कर के साथ-साथ भवन का अभाव होना है।

(ख) विभाग द्वारा की गई कारंवाई निम्न प्रकार है :—

जयपोर .	टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे 1985–86 में स्वचल बनाने का कार्यक्रम है।
कोरापुट .	भवन-प्राक्कलन की मंजूरी दी जा रही है। इस एक्सचेंज को 1985–86 में स्वचल बनाने का कार्यक्रम है।
रायगढ़ा .	भवन निर्माण कार्य 1985–86 में प्रारंभ होगा और 1986–87 में इसे स्वचल बनाए जाने का कार्यक्रम है।

डीजल और पेट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल के डिपो और एल० पी० जी० के सप्लाई केन्द्र खोलने के लिये आदिवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

152. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संबद्ध प्राधिकारियों को डीजल और पेट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल के डिपो और एल० पी० जी० सप्लाई केन्द्र खोलने हेतु स्थान चुनने के लिए उड़ीसा में कोरापुट जिले जैसे आदिवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन ऐसे स्थानों का चयन किया गया है तथा जिनके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं; और

(घ) जिन स्थानों का चयन किया गया है उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए लाइसेंस जारी करने के लिए इन स्थानों को कब तक अधिसूचित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) उड़ीसा के तेल उद्योग ने डीलरशिपें खोलने के लिए स्थानों को निर्दिष्ट करने हेतु सर्वेक्षण किए हैं जिसमें आदिवासी क्षेत्रों के स्थान भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). वर्ष 1984–85 की विपणन योजना के अन्तर्गत डीलरशिपें खोलने के लिए निर्दिष्ट किये गये स्थानों का ब्यौरा, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित स्थान शामिल हैं, संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(घ) संलग्न विवरण पत्र में दर्शाए गए कुछ स्थानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन दिए गए हैं। अगले कुछ महीनों में शेष स्थानों को विज्ञापित कर दिया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान का नाम	जिला	वर्ग
	(क) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स		
1.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	यूजी
2.	कुलाद	धनकनाल	पीएच
3.	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	सामान्य
4.	राजगंगपुर	सुन्दरगढ़	सामान्य
5.	तितलागढ़	बोलांगिर	एस सी
6.	कटक	कटक	यूजी
7.	राउरकेला	सुन्दरगढ़	पीएच
8.	बिरमित्रापुर	सुन्दरगढ़	एसटी
	(ख) रिटेल आउटलेट डीलरशिप्स		
1.	राजामुंडा एनएच–23 पर	सुन्दरगढ़	एसटी
2.	कटक रिंग रोड	कटक	यूजी/यूईजी
3.	मर्नेश्वर एनएच–42 पर	संबलपुर	सामान्य
4.	संबलपुर एनएच–6 पर	संबलपुर	पीएच
5.	डुंगरीपली एसएच–2	बोलांगिर	सामान्य
6.	कुआखिया	कटक	एससी
7.	कुलाद एनएच–42 पर	धेनकनाल	यूजी/यूईजी
8.	पटनागढ़	बोलांगिर	पीएच
9.	सिमलीगुडा/सुनाबाडा एनएच–43 पर	कोरापुत	एसटी
10.	क्योंझर एनएच/एसएच–6	क्योंझर	एसटी
11.	हिन्डोल रोड एनएच–42 पर	धनकनाल	एससी
12.	धर्मगढ़	कलाहंडी	एससी
13.	बारभपहराजपुर	बोलांगिर	एसटी
14.	चिरीकोला	गंजम	सामान्य
15.	नीलगिरी	बालासौर	एफएफ
	(ग) एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिप्स		
1.	बसपला	पुरी	सामान्य
2.	कोरापुत	कोरापुत	यूजी
3.	बिरीदी	कटक	एसटी
4.	महंगा	कटक	यूजी
5.	धर्मगढ़	कालाहांडी	एससी
6.	राजकनिका	कटक	एससी

एससी—अनुसूचित जाति एसटी—अनुसूचित जनजाति

यूजी/यूईजी—बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक

एफएफ—स्वतन्त्रता सैनानी पी एच—शारीरिक रूप से विकलांग

कोरापुट में दूरदर्शन "ट्रांसमीशन टावर" की स्थापना

153. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कोरापुट में अक्तूबर 1984 के अन्त के पूर्व एक अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन "ट्रांसमिशन टावर" की स्थापना करने का निर्णय लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) कोरापुट जैसे स्थान के चयन के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए थे ; और

(घ) कोरापुट में "ट्रांसमिशन टावर" की स्थापना कब तक की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) कोरापुट में ट्रांसमीटर तब उपलब्ध होगा जब उन स्थानों पर जहां इस समय अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर चालू हो जायेंगे।

(ग) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगे लोगों के लिये दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के लिए तरजीह दी गई है।

(घ) मार्च, 1985 तक।

नाईलोन—6 फिलामेंट यार्न परियोजना की स्थापना के लिये आशय पत्र मंजूर करना

154. श्री अमरसिंह राठवा : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम को एक नाईलोन—6 फिलामेंट यार्न परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र मंजूर किया गया ;

(ख) यदि हां, तो यह आशय पत्र कब जारी किया गया था ;

(ग) परियोजना को अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख). नाईलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु मैसर्स गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड को दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी तथा उपस्करों के आयात के लिए अनुमोदन दे दिये गये हैं।

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी द्वारा निर्मित कीटनाशकों की कमी

155. श्री मोहनलाल पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में निर्मित किए जा रहे कीटनाशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या फैक्ट्री के बन्द हो जाने के कारण देश में इस प्रकार के कीटनाशकों की कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कीटनाशकों की मांग पूरी करने के लिए अन्य यूनिटों में इनके निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कार्बाराईल, अल्डीकार्ब, तथा बी०पी०एम०सी०।

(ख) तथा (ग). इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक अन्य कंपनी भी कार्बाराइल का उत्पादन करती है तथा उन उत्पादों के अनुरूप पेस्टीसाइड भी उपलब्ध हैं, यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के बन्द होने के कारण कोई कमी होने की संभावना नहीं है।

सातवीं योजना में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

156. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैस पर आधारित कार्यरत उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में इस प्रकार के और अधिक संयंत्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गैस पर आधारित चालू उर्वरक संयंत्रों के अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

संयंत्र का नाम	उत्पादन (हजार टन नाइट्रोजन में) 1983–84 (वास्तविक)	1984–85 (प्रत्याशित)
नामरूप–I (असम) . . .	20.4	22
नामरूप –II (असम) . . .	61.3	67
ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	84.4	87
ट्राम्बे–I (महाराष्ट्र) . . .	140.1	128
कलोल (गुजरात)	157.0	182

बड़ोदा संयंत्र अंशतः गैस पर और अंशतः नैफ्था पर आधारित है । तथापि, गैस और नैफ्था पर आधारित उत्पादन के अलग-अलग सही आंकड़े दर्शाना कठिन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों अर्थात् थाल (महाराष्ट्र) और हजीरा (गुजरात) प्रत्येक में दो-दो संयंत्र, जो पूर्ण होने वाले हैं, के अतिरिक्त गैस पर आधारित 6 नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन संयंत्रों में से एक मध्य प्रदेश के गुना जिले में, एक राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में और चार उत्तर प्रदेश के बरेली, सुल्तानपुर, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में लगाए जाएंगे । इन 6 नए संयंत्रों और थाल तथा हजीरा में स्थित चार संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता 1,350 टन अमोनिया प्रतिदिन और इतनी ही क्षमता यूरिया की होगी ।

समानान्तर डाक सेवाएं

157. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर बड़े शहरों में कुछ समानान्तर डाक सेवाएं चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार का व्यापार गैर-कानूनी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में समानान्तर गैर-सरकारी डाक सेवाओं का चलन आगे रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) देश में इस प्रकार की 51 एजेंसियों के काम करने की जानकारी प्राप्त हुई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) कुछ मामलों में इस प्रकार की एजेंसियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है । निगरानी सख्त करने और कानून के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ।

डाक तथा तार विभाग का विभाजन

158. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरीन समिति की सिफारिश के अनुसार डाक तथा तार विभाग के विभाजन से संबंधित ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) राष्ट्रीय, मण्डलीय और डिविजनल स्तर पर विशेषकर सिविल विंग में निर्माण कार्यों और कर्मचारियों के लिए आवास के बंटवारे जैसे संयुक्त क्षेत्रों के संबंध में नई व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ;

(ग) यह व्यवस्था किस तारीख से लागू होगी और क्या किसी पक्ष से प्रस्तावित पुनर्गठन के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई समाचार प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और उसके संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) क्या विभाजन के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा तथा उसका सही-सही स्वरूप क्या होगा तथा उसके लिए क्या व्यवस्था होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) संचार मंत्रालय का दो विभागों में गठन किया गया है अर्थात् डाक-विभाग और दूरसंचार विभाग। फील्ड में स्थित डाक तार कार्यालयों का द्विभाजन पहले ही कर दिया गया है।

(ग) 31-12-1984, कहीं से भी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी हां। चूंकि मुख्यालय गठन का द्विभाजन किया गया है अतः समन्वय संबंधी अधिक समस्याओं की संभावना नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के लिये डाक एवं दूरसंचार के पृथक-पृथक मंडल

159. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान उत्तर पूर्व डाक एवं दूरसंचार मंडलों को विभाजित करने और हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक मंडल बनाने के लिए सरकार को बहुत पहले जनवरी 1976 में (लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1453 दिनांक 29 जनवरी, 1976) सिद्धांत रूप में सहमति को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पृथक मंडल किस तारीख से बनाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक डाक एवं दूरसंचार मंडल किस तारीख तक बना लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

उत्तर-पश्चिम सर्किल में छोटे स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

160. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिम दूरसंचार सर्किल के निम्नलिखित छोटे स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वीकृति दे दी गई है ;

(एक) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भारोली कलां, नामहोल और स्वरघाट ;

(दो) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में नेहरिमन;

(तीन) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भूमणाल;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एक्सचेंज को किस-किस तारीख से स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त एक्सचेंजों को कौन-कौन सी तारीखों से स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तीन स्थानों पर एक्सचेंज की मंजूरी दी जा चुकी है जिसका ब्यौरा (ख) में दिया गया है।

(ख) 1. स्वरघाट—इसकी मंजूरी 13-12-84 को दी गई।
2. नेहरियाम—इसकी मंजूरी 21-12-84 को दी गई।
3. भूमपाक—इसकी मंजूरी 7-1-1985 को दी गई।

(ग) 1. भारोलीकलां में एक्सचेंज की मंजूरी देने का मामला विचाराधीन है और इसके चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मंजूर किये जाने की आशा है।

2. नामहोल में एक्सचेंज की मंजूरी के मामले पर पावर तथा दूरसंचार समन्वय समिति के साथ चर्चा की जा रही है ताकि अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

विदेशों को भारतीय श्रमिक भेजने में भ्रष्टाचार

161. श्री चिंतामणि जेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भारतीय श्रमिक भेजने के संबंध में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1983 और 84 के वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगाया गया और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) (i) श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली में जुलाई, 1984 से उत्प्रवास महासंरक्षक द्वारा सप्ताह में तीन बार निर्धारित समय पर आम शिकायतों की सुनवाई की जाती है, जिसके लिए प्रवेश पत्र लेना या मिलने के लिए पहले समय लेना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1984 के दौरान 1,666 शिकायतों की सुनवाई की गई और 1,556 शिकायतें निपटाई गई।

(ii) आम सुनवाई का ऐसा ही तरीका अभी हाल ही में बम्बई स्थित उत्प्रवास संरक्षक के कार्यालय में आरम्भ किया गया है, जहां से काफी संख्या में उत्प्रवासी बाहर काम के लिए जाते हैं। वहां 14, 15 और 16 जनवरी, 1985 को 49 शिकायतों की सुनवाई की गई और 38 शिकायतों को उसी समय निपटा दिया गया।

(iii) अवैध उत्प्रवास के मामलों को पकड़ने के लिए उत्प्रवास संरक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समय-समय पर जांच की जाती है।

(iv) उत्प्रवास कार्य के पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए बम्बई और दिल्ली के उत्प्रवास संरक्षकों के पदों को अवर सचिव पद के स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

162. श्री चिंतामणि जेना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1982–83, 1983–84 और 1984–85 के दौरान उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के लिए उर्वरकों की अनुमानित मांग कितनी रही है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया ;

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ङ) देश में उर्वरकों की मांग पूरा करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्पादन के अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं।

(मात्रा लाख टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन	पी$_2$ओ$_5$
1982–83	34.24	9.80
1983–84 . . .	34.85	10.48
1984–85 . . . (प्रत्याशित)	39.00	12.50

(ख) उर्वरकों की मांग (खपत) निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	मांग (खपत) लाख टनों में		
	नाइट्रोजन	पी$_2$ओ$_5$	पोटाश (के)
1982–83 . . .	42.24	14.37	7.27
1983–84 . (अनुमानित)	52.16	17.31	7.73
1984–85 (लक्ष्य)	56.60	18.60	8.80

(ग) और (घ) आयातों की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयातों की मात्रा लाख टनों में			आयातों का कुल मूल्य करोड़ रुपयों में
	नाइट्रोजन	पी$_2$ओ$_5$	पोटाश (के)	
1982–83 . .	4.25	0.63	6.44	273.53
1983–84 . .	6.56	1.43	5.56	365.05
1984–85 . (दिसम्बर, 1984 तक)	13.08	4.63	6.56	818.00 (लगभग)

(ङ) पहले से ही स्थापित की जा रही पर्याप्त अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के साथ-साथ कई नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का एक वृहत् कार्यक्रम चल रहा है। इन उपायों से उर्वरकों के देशी उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी तथा इस प्रकार आयातों पर निर्भरता का स्तर काफी हद तक कम हो जायेगा।

जमशेदपुर में गैस के भंडार

163. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जमशेदपुर नागरिक परिषद से दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जमशेदपुर के औद्योगिक एककों में विभिन्न प्रकार की गैस के भण्डार विद्यमान होने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

5—165 LSS/ND/85

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० में कथित उर्वरक घोटाला

164. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़े उर्वरक घोटाले का पता लगाया है जिसमे नांगल (पंजाब) स्थित सरकारी क्षेत्र के नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के साथ धोखाधड़ी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि संलिप्त है ; और

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटड (एन० एफ० एल०) में कोई घोटाला नहीं हुआ है । संभवत: यह सदमं मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के माध्यम से प्रेषित माल के बारे में है । मेसर्स मूर्ति फर्टिलाइजर्स ट्रेडर्स, तेनाली ने धोखे से क्षतिपूर्ति अनुबन्ध प्रस्तुत करके रेलवे से उक्त माल की सुपुर्दगी ले ली और उसे बेच दिया । रेलवे, जिनके साथ यह धोखाधड़ी की गई थी, ने मामला जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो, वाल्टेयर रेंज को सौंप दिया है ।

(ख) लगभग 22 लाख रुपये ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी मामले की जांच कर रही है तथा हिरासत मे लेने के विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

केन्द्रीय भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए मकानों का निर्माण

164क. **श्री चित्त महाटा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वैच्छिक आधार पर केन्द्रीय भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए मकानों का निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान बनाए जाएंगे और उनके वर्ष-वार और राज्य वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों के लिए उनकी भविष्य निधि से मकानों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की जाए।

(ख) और (ग) प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।]

12-00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिये, ऐसे नहीं चलेगा। आपस में जिदबाजी करने से नहीं चलेगा ।

श्री विजय कुमार यादव : (नालंदा) इस तरह से इल्जाम लगाना क्या ठीक है !

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये । एक दूसरे पर इस तरह उछालने से बात नहीं बनती है ।

श्री नारायण चौबे : (मिदनापुर) उन्होंने उछाला है, हम ने नहीं उछाला है ।

[अनुवाद] [हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है यादव जी, मैं यह कह रहा हूं कि न इन के कहने से और न आप के कहने से बात बनेगी । सवाल का जवाब ठीक हिसाब से देना चाहिये । मैं यह समझता हूं अगर सारे ही रिगिंग के हिसाब से सरकार चला लेते तो 1977 मे आप नहीं आते और 1984 में ये नहीं आते । लोक इस को जानते हैं, ऐसा न कहिये ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : उन्होंने ऐसा उत्तर कैसे दे दिया ?

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं क़ानून को समझता हूं और जानता हूं...

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : इन को जवाब देना सिखाइये ।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार का कोई ऐसा अंग है जिसे विश्व भर से प्रशंसा प्राप्त हुई है तो वह है निर्वाचन आयोग। हमें चुनाव तंत्र का महत्व कम नहीं करना चाहिए ।

श्री नारायण चौबे : आप चुनाव तंत्र का महत्व कम न कीजिए। [व्यवधान]

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : स्पीकर साहब, मेरा एडजार्नमेंन्ट मोशन है...

پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا) : اسپیکر صاحب – میرا ایڈجارنمینٹ موشن ہے –

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिये मैं आप के सवाल का जवाब पहले दे देता हूं ... (व्यवधान)...... मैं आप को इजाज़त नहीं दे रहा हूं। मैंने आप को अर्ज़ किया है कि आप मुझे सुन लें तो आप को बोलने की तकलीफ़ नहीं होगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लेकिन आप हमारी बात भी सुन लें।

پروفیسر سیف الدین سوز : لیکن آپ ہماری بات بھی سن لیں –

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने का मौका नहीं है। हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल 3 बजे बुला रहे हैं। उस में सब को बुलाया है। आप और हम बैठ कर बात करेंगे कि इस विषय पर किस तरह से अनुमोदन करना है, किस तरह से बात करनी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्राइम मिनिस्टर ने यह बतलाया है कि इन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती है।

پروفیسر سیف الدین سوز : پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ انفارمیشن نہیں دی جاسکتی ہے –

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस तरह से बोलते रहें तो इस का क्या इलाज है ?

[अनुवाद]

हम इसकी जांच करेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। मैं ऐसे किसी विषय को नहीं लूंगा जो राज्य अथवा राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो। मैं चर्चा रोक नहीं रहा हूं। इसीलिए मैंने यह निर्णय किया है कि कार्य मंत्रणा समिति का आज ही गठन किया जाए। मैं कल ही एक बैठक बुला रहा हूं ताकि हम मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा कर सकें और उसमें गृह मंत्री को भी बुलाया जाएगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है वह वेदवाणी नहीं होती। आप ऐसा न मानें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय आप समस्या की गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसे बहुत गंभीरता से लूंगा।

श्रीमती ममता बनर्जी (जादवपुर) : चुनावों के बाद कांग्रेस (इं) के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को यहाँ इस तरह नहीं उठा सकती। यह राज्य सरकार का विषय है।

श्रीमती ममता बनर्जी : उन्होंने दो महिलाओं की भी हत्या कर दी है...

अध्यक्ष महोदय : यह विषय राज्य सरकार का है। मेरा नहीं।

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैंने श्री लंका के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में पहले ही एक ध्यानाकर्षण स्वीकार कर चुका हूं।

डा० ए० कलानिधि : मैंने दो नोटिस दिए हैं।....**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

12.05 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, परिषद के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1984 विधि आयोग के 103वां और 104वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चुनाव कराना (संशोधन) नियम, 1984, जो 4 अगस्त 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चुनाव कराना (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 5 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 39/85]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 566 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 40/85]

(3) संविदा में अनुचित शर्तों के सम्बन्ध में विधि आयोग के 103वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 41/85)

(4) न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के बारे में विधि आयोग के 104वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 42/85]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983–84, इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० के वर्ष 1983–84 मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास के वर्ष 1983–84, बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि०, बाली गांव के वर्ष 1983–84 आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखि पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983—84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 43/85]

(ख) (एक) इंडियन पैट्रोकेमिकल्ज कार्पोरेशन लिमिटेट के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन पैट्रोकमिकल्ज कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 44/85]

(ग) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 45/85]

(घ) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकमिकल्ज लिमिटेड, धालीगांव के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्ज लिमिटेड, धालीगांव के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० '46/85]

(ङ) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 47/85]

(च) (एक) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 48/85]

(छ) (एक) भारत पैट्रोलियम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत पैट्रोलियम, लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 49/85]

(ज) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बालामुगल के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बलामुगल का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० [50/85]

(2) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1983–84 तथा इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 51/85]

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1983–84 के तथा उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 51/85]

(3) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे परीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के उद्देश्यों और दायित्वों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 52/85]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और डाक तथा तार विभाग की दूर-संचार शाखा के वर्ष 1982-83 के लाभ और हानि के लेखे तथा तुलन-पत्र

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 614(अ), जो 18 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें 22 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 387(अ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(दो) सा० का० नि० 615(अ), जो 18 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें 22 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 386(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 53/85]

(तीन) भारतीय बेतार के तार (अव्यवसायी सेवा) संशोधन नियम, 1984, जो 8 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1225 में प्रकाशित हुए थे।

(2) वर्ष 1982–83 के संबंध में डाक तथा तार विभाग की दूर–संचार शाखा के लाभ और हानि के लेखे तथा तुलन-पत्र (उपार्जन के आधार पर) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 54/85]

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1984 के अधीन अधिसूचनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, आदि

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1984, जो 25 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 910 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1984 जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1040 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 55/85]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी परिवार पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 5 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 19 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1984 जो 5 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 20 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 जो 8 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 954 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 8 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1233 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 56/85]

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अंतर्गत, औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 932(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 4207 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तेल उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता का सेवा घोषित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 57/85]

(5) खान अधिनियम, 1952 की धारा 61क के अंतर्गत तेल खान, विनियम, 1984, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 58/85]

(6) (एक) सेन्ट्रल कोल माइन्स रेसक्यू स्टेशन समिति, धनबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल कोल माइन्स रेसक्यू स्टेशन समिति, धनबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 59/85]

(7) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 60/85]

(8) (एक) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, के वर्ष 1983-84 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 61/85]

(9) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 62/85]

(10) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 63/85]

(11) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 तथा कर्मचारी जमा-सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के कार्यकरण के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 64/85]

(12) जेनेवा में जून, 1983 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 69 वें सत्र में स्वीकृत समझौतों तथा सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या करने के लिये विचारित कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 65/85]

सिनेमा-कर्मकार और सिनेमा-थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1984, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984, चलचित्र (प्रमाणन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1984

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिनेमा-कर्मकार और सिनेमा-थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिनेमा-कर्मकार और सिनेमा-थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 677 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 66/85]

(2) सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1984 की धारा 11 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 722 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 67/85]

(3) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (प्रमाणन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 13 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 814(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 68/85]

सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की

गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 20 . छठा सत्र, 1981

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 69/85]

(2) विवरण संख्या 19 . . आठवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 70/85]

(3) विवरण संख्या 14 . . नवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 71/85]

(4) विवरण संख्या 14 . . दसवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 72/85]

(5) विवरण संख्या 12 . . ग्यारहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 73/85]

(6) विवरण संख्या 8 . . बारहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 74/85]

(7) विवरण संख्या 6 . . तेरहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 75/85]

(8) विवरण संख्या 5 . . चौदहवां सत्र, 1984

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 76/85]

(9) विवरण संख्या 1 . . पंद्रहवां सत्र, 1984

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 77/85]

धनकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1984, आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1984 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, आदि के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 951(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 78/85]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (पांचवां संशोधन) नियम 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ०952(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 79/85]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 702(अ), जो 29 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना संख्या 224/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि विनाइल क्लोराइड मोनोमेर को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क से और उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त [illegible] सीमाशुल्क से छूट दी जा सके।

(दो) सा० का० नि० 710(अ) और 711(अ), जो 8 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ईंधन-मितव्ययी मोटरकारों और दो पहियों वाली मोटर-गाड़ियों के विशिष्ट संघटकों के निर्माण के लिए आयातित सामान पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत मूल सीमाशुल्क को प्रभावी दर लागू करने और ऐसे सामान पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से उपसंगी सीमाशुल्क लगाने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 713(अ) और 714(अ), जो 9 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो गिबरेलिक एसिड पर उद्ग्रहणीय समूचे मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमाशुल्क की छूट देने के बारे में हैं।

(चार) सा० का० नि० 732(अ) और 733(अ), जो 22 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो भारी, मध्यम अथवा हल्की वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के निर्माण के लिए आवश्यक वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियों के संघटकों को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क और मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमाशुल्क की छूट देने के बारे में हैं।

(पांच) सा० का० नि० 736(अ) जो 23 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 20 जुलाई, 1984 को अधिसूचना संख्या 204/84–सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया हैं, ताकि उक्त अधिसूचना में प्रविष्ट संख्या 9 अर्थात् "घड़ियां, घड़ी, चलन (जिसमें आंशिक रूप से संयोजित चलन भी शामिल हैं) घड़ियां के लिये डायलों और खोलों" का प्रतिस्थापन किया जा सके।

(छः) सा० का० नि० 737(अ), जो 23 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 20 जुलाई, 1984 को अधिसूचना संख्या 205/84–सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि संख्या 1, अर्थात्, "घड़ियां, घड़ी, चलन (जिसमें आंशिक रूप से संयोजित चलन भी शामिल है) घड़ियों के डायलों और खोलों" का प्रतिस्थापन किया जा सके।

(सात) सा० का० नि० 756(अ), जो 7 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थें और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 को अधिसूचना संख्या 13/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि विश्वव्यापी निविदाओं के बदले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के उत्पादों के संभरण को अनुमति देने का उपबन्ध शामिल किया जा सके।

(आठ) सा० का० नि० 769(अ) से 774(अ), जो 17 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा इलैक्ट्रानिकी उद्योग के आदानों पर रियायती दर से सीमाशुल्क लगाये जाने की मंजूरी दी गई है।

(नौ) सा० का० नि० 809(अ), जो 5 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड (आई० एन० एच०) के निर्माण के लिये आयातित गामा पिकोलीन पर वर्तमान प्रभावी मूल सीमाशुल्क की दर को मूल्यानुसार 70 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।

(दस) सा० का० नि० 824(अ), जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 15 फरवरी, 1984 को अधिसूचना संख्या 21/84-सी० शु० को वैधता की अवधि को 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाया गया है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 826(अ), जो 28 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लाइनियर अल्काइल बेन्जीन को, उतने उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक हों।

(बारह) सा० का० नि० 818(अ), जो 22 दिसम्बर, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 2/83-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये है।

(तेरह) सा० का० नि० 827(अ), और 828(अ) जो 28 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विनिर्दिष्ट माल पर, जो तटरक्षक के जलयानों के निर्माण के लिये या उनमें फिटिंग करने के लिए अपेक्षित हों, उद्ग्रहणीय समस्त, उपसंगी मूल तथा उपसंगी अतिरिक्त सीमा-शुल्कों से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा० का० नि० 4(अ), जो 1 जनवरी, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विद्युत पावर तारों के नवनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयातित इम्प्रेग्नेटींग एण्ड फिलिंग कम्पाउंडों पर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क की छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 19(अ), जो 11 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 215/80-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि विस्कोस स्टेपल फाइबर पर मूल सीमा-शुल्क की दर को 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत यथामूल्य किया जा सके।

(सोलह) सा० का० नि० 794(अ), जो 29 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनमें 14 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 63 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 80/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 726(अ), जो 16 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1961 की अधिसूचना संख्या 103/61-के०उ०शु० तथा 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 144/65 के०उ०शु० को रद्द किया गया हैं।

(दो) सा० का० नि० 819(अ), जो 22 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 1/83 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 821 (अ), जो 26 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 24/75 के०उ०शु० की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है।

(चार) सा० का० नि० 822(अ), जो 26 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 26 दिसम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 202/81 के०उ०शु० की वैधता की अवधि, 30 जून, 1985 तक बढ़ाई गई है।

(पांच) सा० का० नि० 833 (अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 11 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 288/82 के० उ० शु० की वैधता की अवधि 30 जून, 1985 तक बढ़ाई गई है।

(छ) सा० का० नि० 838 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83 के०उ०शु० की वैधता की अवधि 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाई गई है।

(सात) सा० का० नि० 839 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना संख्या 99/84 के०उ०शु० की वैधता की अवधि को 30 जून, 1985 तक बढ़ाया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 10 (अ), जो 3 जनवरी, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका उद्देश्य रेशमी वस्त्रों पर से मूल, अतिरिक्त और विशेष उत्पाद-शुल्कों को समाप्त करना है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 81/85]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983 संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग तीन—विभिन्न रुचियों के विषय।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 82/85]

12-06 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की गई कार्यवाही सम्बन्धी 59 वां तथा 60 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

10 महासचिव : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति (1984-85) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो लोक सभा भंग होने से पहले समिति के सभापति द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 को सातवीं लोक सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किये गये थे :—

(1) रक्षा मंत्रालय—रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन से सम्बन्धित समिति के 54वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 59वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—भारत लैदर कारपोरेशन लि० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और उस कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रदान की गई सुविधाओं से सम्बन्धित समिति के 48वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का साठवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आप अगले विषय को लें मैं एक संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उन सभी विपक्षी दलों ने जिनका चुनावों में शासक दल के साथ गठजोड़ नहीं था, सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार उस विपक्षी दल से कोई उम्मीदवार चुने जिसका चुनावों में कांग्रेस (इं) के साथ गठबन्धन नहीं था। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल के उम्मीदवार को उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है। हमारा उम्मीदवार से कोई विद्वेष नहीं है और हम उसका पूर्ण सम्मान करते हैं—और चूंकि परम्परा सम्बन्धी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया गया है इसलिए इस समय हम सभा से बाहर जाना चाहेंगे जब सभा में इस मद पर विचार किया जा रहा है।

12-07 म० प०

[इस समय प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं रिकार्ड में यह बात लाना चाहता हूं कि कोई भी लोकतान्त्रिक परम्परा नहीं तोड़ी गई है। पिछली बार द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सदस्य को लिया गया था। कोई विरोध नहीं हुआ था। फिर कुछ ऐसे दल भी हैं, उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश का शासक दल, जिन्होंने विपक्ष से कभी भी उपाध्यक्ष नहीं चुना। जिस उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव किया गया है उनको चुने जाने का अधिकार है क्योंकि उनका दल सरकार का अंग नहीं है। वह तकनीकी दृष्टि से और स्पष्ट रूप से विपक्ष में हैं। हमने यह पद विपक्ष को दिया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई अनौचित्य नहीं है।

12-08 म० प०

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य श्री एम० थाम्बी दुराई को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

श्री पी० कोलनदाईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य श्री एम० थाम्बी दुराई को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।"

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा रखे गए और श्री पी० कोलनदाईवेलू द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है।

"कि इस सभा के सदस्य श्री एम० थाम्बी दुराई को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हों वे कृपया 'हां' कहें।

माननीय सदस्य गण : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हों वे कृपया 'नहीं' कहें। मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री एम० थाम्बी दुराई इस सभा के विधिवत उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

श्री एम० थाम्बी दुराई को संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद और श्री पी० कोलनदाईवेलू, श्री इब्राहीम सुलेमान सेट और श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल उपाध्यक्ष पीठ तक ले गए।

12-10 म० प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष को बधाइयां

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री थाम्बी दुराई को उनके उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। उनके चुनाव से देश की 'मनोदशा' और इस लोक सभा की आयु प्रतिबिम्बित होती है। मुझे विश्वास है कि वह पीठ की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, और इस सभा के सिद्धान्तों और परम्पराओं को बनाए रखेंगे। हम अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए कि विपक्ष के साथ कोई विवाद उत्पन्न न हो अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे आप के लिए अथवा हमारे उपाध्यक्ष के लिए कोई समस्या खड़ी हो आपको पूर्ण सहयोग देंगे।

मैं उन्हें एक बार पुन: बधाई देना चाहता हूं और अगले पांच वर्षों में हम उनके साथ सहयोग करने और संसद में बेहतर वातावरण बनाने के लिए उत्सुक हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल स्पीकर साहब, जहां तक श्री थाम्बी दुराई को यहां पर डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुने जाने का सवाल है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि यह बड़े दुःख की बात है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो मनसब है इस लिहाज से इसे उसे पूरे पूरे एवान की एक राय से मुन्तखब होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन का बहुत बड़ा हिस्सा वाक आऊट कर गया और इससे एक बदमजगी पैदा हो गई।

मैं समझता हूं कि हुक्मरान पार्टी कांग्रेस (आई) और अपोजिशन की सभी जमायतों की एक राय से डिप्टी स्पीकर के लिए नाम आना चाहिए था और उस मोशन को एक राय से यहां पास होना चाहिए था। यह जम्हूरियत की बात होती। ऐसे मौके पर जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सिर्फ एक ही नाम आया है और इस एवान में दूसरा कोई नाम नहीं आया है तो मैं समझता हूं कि उसके बाद बहस खत्म हो जाती है। अगर अपोजिशन की तरफ से मुस्तकी तौर पर कोई उम्मीदवार होता तो मेरी भी राय बन सकती थी। जब श्री थाम्बी दुराई का बाजे तौर पर डिप्टी स्पीकर के मनसब के लिए इस एवान में नाम लाया गया है तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहता है सिवाय इसके कि हम उनकी हिमायत करें और नेशनल कांफ्रेंस इसकी हिमायत करती है।

मैं उनसे तवक्को रखूंगा कि वे इस एवान के वकार को, जो इसका स्थान है उसको बनाए रखेंगे जिससे कि पूरे राष्ट्र और पूरे मुल्क के लिए वह काबिले कद्र हो। यहां पर जो असूल बनते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो यहां रवायत कायम करते हैं वे पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क के लेजिस्लेचर में काबिले कुबूल होते हैं। यहां जो कोड आफ कंडक्ट बनते हैं, वे मुल्क के लोगों के लिए, मुल्क के लेजिस्लेचर्स के लिए एक मिसाल, एक बुनियाद बनते हैं।

आनरेबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मनसब की हमें कद्र करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में कई वाकयात हो रहे हैं और ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कद्र नहीं की जाती बल्कि गैर मुनासिब ढंग से, गलत ढंग से उनके मनसब की बेकद्री की जाती है। मैं इस एवान में इस मौके पर अर्ज करना चाहूंगा*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समय इस विषय को उठाने का नहीं है। इस विषय को अब मत उठाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। यह गलत सलाह दी गई है। नहीं, मेरे विचार में इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। हम इस सम्मानित सभा का यहां इस प्रकार उल्लेख नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। श्री काबुली जी आप उस सम्मानित सभा के साथ अन्याय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हम चाहते हैं कि ऐसी रवायत एवान में कायम हो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पार्टी-पोलिटिक्स से बालातर होना चाहिए। उनके वकार, उनके हकूक की कद्र होनी चाहिए और उनकी इज्जत बढ़ानी चाहिए। इसलिए लीडर आफ द हाउस और लीडर आफ द अपोजिशन को ऐसे कदम उठाने चाहिएं कि हमारे यहां जो प्रीजाइडिंग आफिसर्स हैं उनके वकार में कमी न आये।

आनरेबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांस्टीट्यूशन के निगहबान हैं और इस मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट में, असेंबली में जो भी उसूल हमारे लिए बनते हैं वे सब आपकी रहनुमाई में बनते हैं। जिस वक्त से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं तो वे किसी पार्टी की तरफ से नहीं चुने जाते हैं। स्पीकर साहब कांग्रेस आई से संबद्ध रहे हैं, लेकिन स्पीकर चुने जाने के बाद उन पर हमारा उतना ही हक है, जितना रूलिंग पार्टी का। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक इस वक्त अन्ना डी एम के से था, लेकिन अब वे सारे ऐवान के डिप्टी स्पीकर हैं। हमें उम्मीद है कि वे सब को बराबर की निगाह से देखेंगे।

आखिर में एक बार फिर मैं नेशनल कान्फ्रेंस की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और इस हाउस के रोजमर्रा के कामों को अच्छी तरह से अंजाम देंगे।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[شری عبدالرشید کابلی (شری نگر) : آنریبل اسپیکر صاحب – جہاں تک شری تھامبی دورائی کو یہاں پر ڈپٹی اسپیکر کے طور پر چنا جانے کا سوال ہے اسکے لئے میں ان کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہونگا کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا جو منصب ہے اس لحاظ سے اس پر پورے ایوان کی ایک رائے سے منتخب ہونا چاہئے تھا – لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کا بہت بڑا حصہ واک آوٹ کر گیا اور اس سے ایک بدمزگی پیدا ہو گئی –

میں سمجھتا ہوں کہ حکمراں پارٹی کانگریس (آئی) اور اپوزیشن کی سبھی جماعتوں کی ایک رائے سے ڈپٹی اسپیکر کے لئے نام آنا چاہئے تھا اور اس موشن کو ایک رائے سے یہاں پاس ہونا چاہئے تھا – یہ جمہوریت کی بات ہوتی – ایسے موقع پر چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے لئے صرف ایک ہی نام آیا ہے اور اس ایوان میں دوسرا کوئی نام نہیں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے – اگر اپوزیشن کی طرف سے مشترکہ طور پر کوئی امیدوار ہوتا تو میری بھی رائے بن سکتی تھی – جب شری تھامبی دورائی کا واضح طور پر ڈپٹی اسپیکر کے منصب کے لئے اس ایوان میں نام لایا گیا ہے تو ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی حمایت کریں اور نیشنل کانفرنس اسکی حمایت کرتی ہے –

میں ان سے توقع رکھوں گا کہ وہ اس ایوان کے وقار کو اسکا جو استھان ہے اسکو بنائے رکھیں گے جس سے کہ پورے راشٹر اور پورے ملک کے لئے وہ قابل قدر ہو – یہاں پر جو اصول بنتے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو یہاں روایت قائم کرتے ہیں وہ پورے ملک میں اور پورے ملک کے لیجسلیچر میں قابل قبول ہوتے ہیں – یہاں جو کوڈ آف کنڈکٹ بنتے ہیں وہ ملک کے لوگوں کے لئے ملک کے لیجسلیچرس کے لئے ایک مثال ایک بنیاد بنتے ہیں –

آنریبل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے منصب کی ہمیں قدر کرنی چاہئے – لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کئی واقعات ہو رہے ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ غیر مناسب ڈھنگ سے غلط ڈھنگ سے انکے منصب کی بے قدری کی جاتی ہے –* میں اس ایوان میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا*]

Mr. Speaker : No, this s not the time to bring in that subject. Don't bring that here.

(Interruptions)*

Mr. Speaker : That is not the way. It is very ill-advised. No, I do not feel it should go on record. We cannot refer to that august House here in that manner. I do not think it is proper. Mr. Kabuli, you are doing injustice to that august House.

[شری عبدالرشید کابلی : ہم چاہتے ہیں کہ ایسی روایت ایوان میں قائم ہو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو پارٹی پولیٹکس سے بالاتر ہونا چاہئے – ان کے وقار انکے حقوق کی قدر ہونی چاہئے اور انکی عزت بڑھانی چاہئے – اسلئے لیڈر آف دی ہاوس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایسے قدم اٹھانے چاہئیں کہ ہمارے یہاں جو پریزائڈنگ آفیسرس ہیں انکے وقار میں کمی نہ آئے –

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(شری عبدالرشید کابلی - جاری)

آنریبل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کانسٹیٹیوشن کے نگہبان ہیں اور اس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں اسمبلی میں جو بھی اصول ہمارے لیے بنتے ہیں وہ سب آپکی رہنمائی میں بنتے ہیں - جس وقت سے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر چلے جاتے ہیں تو وہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں چلے جاتے ہیں - اسپیکر صاحب کانگریس آئی سے سمبدھ رہے ہیں لیکن اسپیکر چلے جانے کے بعد ان پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا رولنگ پارٹی کا - اس طرح سے ڈپٹی اسپیکر کا تعلق اسوقت انا ڈی ایم کے سے تھا لیکن اب وہ سارے ایوان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں - ہمیں امید ہے کہ وہ سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھینگے -

آخر میں ایک بار پھر میں نیشنل کانفرینس کی طرف سے انہیں بدھائی دیتا ہوں - اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ادھیکاروں کی رکشا کرینگے اور اس ہاوس کے روزمرہ کے کاموں کو اچھی طرح سے انجام دینگے -]

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से श्री थाम्बी दुराई को इस सम्मानित सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्षी सदस्यों में से उपाध्यक्ष चुनने की परम्परा को बनाए रखा गया है। मुझे आशा है कि हमारे नए उपाध्यक्ष महोदय सभा की स्वस्थ परम्पराओं को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस सम्मानित सभा के सभी वर्गों के साथ न्याय हो।

मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं और उनके सफल जीवन की कामना करता हूं।

श्री आर्क बोल्क थुंडाकल : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री थाम्बी दुराई को इस सम्मानित सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप दक्षिण से आए हैं और आपकी भाषा तमिल है। दक्षिण से बहुत कम विपक्षी सदस्य आए हैं। मुझे आशा है कि आप हम सब को यहां बोलने का पर्याप्त अवसर देंगे और मुझे विश्वास है कि आप के हाथों में इस सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा सुरक्षित है और आप सभा में विपक्षी दलों के हितों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे।

मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि आप सभा की परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

मैं आपको बधाई देता हूं और सफलता की भी कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरबहादुर भण्डारी (सिक्किम) : मैं हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से और सिक्किम संग्राम परिषद् रीजनल पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर साहब को हार्दिक बधाई देता हूं। अपोजीशन के दोस्त यहां से उठकर चले गए हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता ने जिस रूलिंग पार्टी को बनाया है, उसने डिप्टी स्पीकर को चुना है। इसलिए मैं सारे हिन्दुस्तान की जनता को उनके डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर बधाई देता हूं, सिर्फ डिप्टी स्पीकर को नहीं।

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे इस ऐवान के रवायात को बरकरार रखेंगे और अच्छे तरीके से यहां का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं दो शब्द कह सकता हूं। एक वरिष्ठतम सदस्य के नाते मुझे उनका स्वागत करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सदस्यों को अनुमति दे चुका हूं। अब मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं।

श्री डीन एंथनी : मैं बहुत थोड़े शब्द कहना चाहता हूँ।

महोदय मैं एक वरिष्ठ सदस्य के नाते उनका स्वागत कर रहा हूँ और उन्हें बधाई दे रहा हूँ। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभा के उस पक्ष के कुछ सदस्य सभा से बहिर्गमन कर गए हैं क्योंकि वह एक ऐसे दल के सदस्य हैं जिसे विधानसभा के चुनावों में शानदार सफलता मिली है और जिसे मेरे विचार में इस सभा के स्थानों के मामले में अभूतपूर्व सफलता मिली है? क्या मैं वह बात बता सकता हूँ जिसकी संभवतः कई सदस्यों को जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है? मुझे श्री स्वैल को, जब वह एक निर्दलीय सदस्य थे, उपाध्यक्ष पीठ तक ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप को पता होना चाहिए कि अब निर्दलीय सदस्यों को तथाकथित दलों के सदस्यों की तुलना में कम महत्व देने की प्रवृत्ति है। वह इस स्थान पर बैठें और एक बहुत अच्छे उपाध्यक्ष साबित हुए। मुझे विश्वास है कि आप अपने नए पद की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेंगे। मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि आप इस सभा के सदस्यों को इस सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान करें और सन्तुलन बनाए रखें।

मैं आप से एक अन्तिम अनुरोध करना चाहता हूँ यह अनुरोध मैं अध्यक्ष महोदय से भी कर चुका हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण गम्भीरता से यह कह रहा हूँ कि आप सभी सदस्यों को बोलने का 'समान अवसर प्रदान' करने की पुरानी प्रथा को कायम रखेंगे और यान्त्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। आप ऐसे सभी सदस्यों को, चाहे वे निर्दलीय हों अथवा किसी बड़े वर्ग के हों अथवा छोटे वर्ग के, जो आपके विचार में वाद-विवाद में कुछ योगदान कर सकते हैं। अपने विवेकानुसार बोलने का अवसर देंगे।

मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय को इस सम्मानित सभा के सभी पक्षों द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं, मैं भी श्री एम० थाम्बी दुराई को उन के उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूँ।

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इस युग में जब युवा पीढ़ी उचित सम्मान पा रही है, यहाँ भी एक युवा पूर्ण जोश, उत्साह और उमंग के साथ उपाध्यक्ष की पीठ को सुशोभित करने आया है। मैं जानता हूँ आप नए हैं। परन्तु एक बार तो हर चीज नई होती है। नया होने के कारण आपको अपना कर्तव्य निभाने में कोई रुकावट नहीं आती है।

मुझे आशा है कि अब तक आपने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा इस सम्मानित सभा की कार्यवाही उचित और गरिमापूर्ण ढंग से चलाने के लिए पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लिया होगा क्योंकि आपको यहां एक अत्यन्त सुन्दर घने छायादार पेड़ को, जिसके नीचे हम बैठकर नए क्षितिज की अभिलाषा करते हैं, समृद्ध और विकसित करना होगा। और यही उचित भी होगा।

आप इंजीनियर हैं और मुझे आशा है...

श्री एम० थम्बी दुरै

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थशास्त्री।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है, ठीक है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दाम बनाए काम क्योंकि रुपये-पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है तो सब कुछ सुदृढ़ होगा।

एक माननीय सदस्य : सभा में अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता भी है?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम उन्हें उपाध्यक्ष बना रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : यह समय उपयुक्त भी है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अर्थशास्त्री को उपाध्यक्ष बनाने का बहुत अच्छा समय है।

मेरे विचार में आप यहाँ बहुत उत्साह, निश्चय और तीक्ष्ण बुद्धि से, जिसे सामान्य बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, कार्य करेंगे। यहीं फौलादी सामान्य बुद्धि की आवश्यकता होगी। कभी-कभी आपको नियमों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। उस दशा में बुनियादी विनोदशीलता, अनुकूलता तथा आदान-प्रदान की भावना और अन्य लोगों को अपनी बात समझा सकने की शक्ति आपके काम आएगी। मेरा विश्वास है कि आप इन सभी गुणों से सम्पन्न है आप अपने सदाचरण से इस पीठ

को सुशोभित करेंगे। आप मेरे लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि इससे पूर्व आपके राज्य से ही एक सज्जन इस पद पर थे। वह मेरे लक्ष्मण थे और मैं उनका राम। मैं चाहता हूँ कि आपका स्थान भी वही रहे। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। सभा में उनके योगदान पर मुझे गर्व है और सभा में आप जो योगदान करेंगे उस पर भी मुझे गर्व होगा।

इस आशा और अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका उपाध्यक्ष के रूप में स्वागत करता हूँ।

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के उपाध्यक्ष जैसे उच्च पद के लिए सर्व सम्मति से चुने जाने के लिए मैं आपके तथा इस सम्मानित सभा के सदस्यों के प्रति अपना महान आभार व्यक्त करता हूँ।

सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर अपने युवा और प्रगतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस उच्च पद के लिए मुझे चुनकर मुझ में तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम में विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश अधिक से अधिक मजबूत होता जायेगा।

इस सम्मानजनक पद पर मुझे नामित करने के लिये मैं माननीय एम० जी० रामचन्द्रन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अपने को उनके चयन के योग्य सिद्ध कर सकूंगा।

हमारे महान नेता, स्वर्गीय पेरियार अन्ना जी ने किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिये कर्तव्य प्रतिष्ठा तथा अनुशासन का होना आवश्यक बताया है। मैं इस माननीय सदन में उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये इन अच्छे सिद्धांतों का पालन करूंगा।

कोई भी व्यक्ति हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो भारत माता की यशस्वी सुपुत्री थीं, को श्रद्धान्जलि दिये बिना नहीं रह सकता। भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया है। मुझे विश्वास है कि हम उनके जीवन तथा कार्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त मान कर आगे बढ़ते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता है कि लोक सभा के उपाध्यक्ष के पद पर सदैव ही प्रतिष्ठित व्यक्ति सुशोभित रहे हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य बड़ी खूबी से निभाया। मैं भी उनके पदचिन्हों पर चलूंगा। इस सभा में बैठकर मुझे सदा उनका स्मरण रहेगा और मैं निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा जैसाकि मुझसे आशा की जाती है।

इसके साथ ही, मैं इस सदन के सभी दलों का सहयोग चाहूंगा मुझे विश्वास है कि मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुये मैं सभी दलों, वर्गों तथा अलग-अलग सदस्यों के हितों का ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि अपने कार्यकाल के दौरान मुझे आपका पर्याप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग प्राप्त होगा।

इस उच्च पद पर मुझे चुने जाने के लिये, मैं अपनी ओर से, अपने प्रिय नेता पुरात्ची थैलेवर एम० जी० आर० तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से आपका तथा इस सदन के सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पद पर आसीन करने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि हम आज सायं 4 बजे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। सायं 6 बजे प्रधान मंत्री जी उस पर वादविवाद का उत्तर देंगे। अब मैं आपको पीठासीन होने के लिये आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है।

12-28 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अंतर्गत वक्तव्य। श्री चिन्तामणि जेना।

12-29 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) रूपसा-बंगरिरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिविजन के अंतर्गत रूपसा-बंगरिरीपोसी छोटी लाइन का निर्माण लगभग सौ साल पहले किया गया था और इस लाइन पर और तबसे लेकर इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। जबकि इस क्षेत्र में बहुत से उद्योग लगाये गये हैं और खनिज पदार्थों की खोज हुई है तथा जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। विभिन्न वर्गों द्वारा बार-बार मांग करने पर, दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने इसे बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक सर्वेक्षण किया है तथा इसे अलाभकारी घोषित कर दिया है जिससे इस लाइन के प्रयोक्ताओं को निराशा हुई है। कुछ विश्वसनीय स्त्रोतों से पता चला है कि सर्वेक्षण करते समय विशेषज्ञों ने नये स्थापित उद्योगों और कुछ अब लगाये जा रहे उद्योगों तथा इस क्षेत्र की खनिज सम्पदा और वनों को ध्यान में नहीं रखा। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाता तो यह परियोजना बहुत लाभकारी हुई होती विशेषकर जबकि नवीनतम प्रस्ताव इसे गोरू महीसानी के निकट बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का था जो टाटा नगर में हावड़ा-बम्बई लाइन को जोड़ती है।

रेल प्राधिकारियों द्वारा किये गये इस गलत सर्वेक्षण के आधार पर, मेरा माननीय रेल मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इस लाइन को गोरूमाहीसानी के निकट बड़ी लाइन से जोड़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये रूपसा-बंगरिरीपोसी छोटी लाइन का फिर से सर्वेक्षण कराने के लिये आवश्यक आदेश जारी करें। सातवीं योजना अवधि के पहले वर्ष में ही उसे बड़ी लाइन में बदलने के लिये रेल मंत्रालय के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे इस पिछड़े जनजातीय क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सके।

(दो) उड़ीसा कॉटन मिल्स के आधुनिकीकरण हेतु धन की व्यवस्था

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर, कटक बहुत ही गम्भीर वित्तीय संकट में है। स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण के अनुसार मिल को 25,000 तकले चलाने हैं जिनमें से 17,148 तकले लगाये जा चुके हैं और 8,000 तकले अभी लगाये जाने हैं। मिल को 128.32 लाख रु० की सामग्री प्राप्त हुई है शेष 50.63 लाख रुपये जो मशीनरी, बिजली के उपकरण, आर्द्रता तथा भवन आदि के लिये दिये जाने हैं, राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अभी तक नहीं दिये गये हैं।

इस समय मिल की चल पूंजी लगभग 15 लाख रुपये है जबकि इस यूनिट के लिये 178.95 लाख रुपये की चल पूंजी अपेक्षित है। अत: इस मिल से इतनी कम चलपूंजी से चलाना बहुत मुश्किल है। मिल में इस समय केवल 17,148 तकले होने से वह काफी बेकार रहती हैं।

अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मिल के लिये 39.42 लाख रु० की लागत से एक आवासीय परियोजना का निर्माण करने का प्रस्ताव था। हुडको को 27.50 लाख रु० का वहन करना है तथा शेष 4.92 लाख रु० राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा दिये जाने हैं। लेकिन उपर्युक्त राशि मिल को अभी तक नहीं दी गई है।

यदि मिल को पर्याप्त धनराशि दी जाये तो यह और अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकती है। इसलिये, यह आवश्यक है कि चल पूंजी की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रु० कर दिया जाये। इसके साथ ही केंद्र सरकार उड़ीसा काटन मिल के लिए स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पर्याप्त धन तत्काल प्रदान करे।

[हिन्दी]

(तीन) शहडोल (मध्य प्रदेश) में कोयले के अवैध-खनन को रोकने की आवश्यकता

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शहडोल में बंल के अन्तर्गत सोहागपुर क्षेत्र की कोयला खदानों में अवैध कोयला खनन तथा कोयले की चोरी की गंभीर घटनायें पुनः प्रारम्भ हो गयी हैं। मुझे सूचना मिली है कि दिनांक 4-1-85 को जब सोहागपुर क्षेत्र के जनरल मैनेजर आकस्मिक जांच पड़ताल के लिये गये तो उनके ऊपर कोयला चोरी में संलग्न गैंग के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है।

[श्री बलबीर सिंह]

मुझे यह भी बताया गया है कि बुढ़ार ग्रुप आफ माइन्स के पास एक्सप्लोसिव मैगजीन के समीप अवैध कब्जा कर कोल डिपो कायम किये गये हैं तथा बुढ़ार, अमलाई, धनपुरी, डंन्टा तथा बचाई कोलरियों के आसपास काफी संख्या में अवैध कोयले के डिपो कायम हो गये हैं।

जिले में कोयले का विशाल भंडार फैला है और जहां बैल द्वारा कोयले का दोहन नहीं होता, वहां से भी कोयले को अवैध निकासी जारी है, जिससे शासन को भारी क्षति हो रही है तथा अवैध धन्धे का निरन्तर विकास हो रहा है तथा उससे जिले की शांती व व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और लोगों में अशांति फैल रही है।

अनुरोध है कि इस गंभीर प्रश्न पर विचार करने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(चार) केरल में कुरीयर-कुट्टी–करापाड़ा परियोजना के सिंचाई अंश को मंजूरी देने की आवश्यकता

**श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)। मालाबार के सूखा पीड़ित क्षेत्र को बचाने के लिये वहां सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र में बिजली की कमी की समस्या को सुलझाने के लिये कुरीयर-कुट्टी-करापाड़ा बहु-उद्देशीय परियोजना तैयार की गई थी। परन्तु, बहुतसी अन्य परियोजनाओं की भांति, यह परियोजना भी परिस्थिति की तथा अन्य तकनीकी समस्याओं में ही उलझ गई। अतः इसे शुरू करने पर इतने वर्ष पहले विचार हो जाने के बाद भी इस परियोजना को मूर्तरूप दिया जाना अनिश्चित सा लगता है। यह परियोजना काफी लम्बे समय तक केंद्र तथा केरल सरकार के बीच चक्कर काटती रही है। यह अनिश्चितता दूर की जानी चाहिये। यदि परिस्थितिकी समस्याओं के कारण इस परियोजना के विद्युत उत्पादन भाग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती तो इस परियोजना के सिंचाई संबंधी हिस्से को अविलम्ब स्वीकृति दी जाये। यदि यह हिस्सा पूरा हो जाता है तो चित्तूर तालुक के बहुत बड़े भाग में सिंचाई हो सकती है। इस समय इस क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है। किसानों तथा खेतीहर मजदूरों दोनों के लिये खेती ही जीवनयापन का एकमात्र साधन है। पानी की कमी के कारण, इस क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं हुये हैं। किसान मुसीबत में हैं तथा गरीब खेतीहर मजदूर बेरोजगार हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कुरीयर-कुट्टी-करापाड़ा परियोजना के सिंचाई अंश की स्वीकृति के लिये शीघ्र निर्णय लिया जाये।

(पांच) पाकिस्तानी दूतावास द्वारा वीसा जारी करने में विलम्ब

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : पाकिस्तान के लिये वीसा प्राप्त करने में और जम्मू और काश्मीर के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। करनाह, केरान, गुरेज, तुलैल, उरी तथा अन्य दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। और वीसा प्राप्त करने के लिए यहां कई सप्ताह ठहरना पड़ता है। प्रायः उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। श्रीनगर का वीसा कार्यालय जिसे कुछ वर्ष पहले स्थापित किया गया था, निष्क्रिय सा हो गया है। यहां तक कि इस कार्यालय में वीसा फार्म तक नहीं मिलते। सही पासपोर्ट धारक जो तत्काल पाकिस्तान जाना चाहते हैं, भटकते रहते हैं। हमारे देश में संबद्ध एजेंसियों के माध्यम से इन मामलों को निकलवाने में कोई कठिनाई नही है, परन्तु वीसा प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होता है। मै चाहता हूं कि विदेश मंत्री श्रीनगर के पासपोर्ट कार्यालय को पुनः सक्रिय करें।

मेरा यह भी सुझाव है कि पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया जाये कि वह भारत में अपने दूतावास द्वारा वीसा जारी करने की पद्धति में सुधार करें ताकि इसमें होने वाले विलम्ब को रोका जा सके।

[हिन्दी]

(छः) औद्योगिक अपशिष्टों तथा मल के नालों से दिल्ली में यमुना नदी के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कदम

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :

जल हमारे जीवन का आधार है। सभी जीव-जन्तु, पेड़-पौधे जल पर निर्भर है। प्रकृति ने हमारे लिए जल का अतुल भण्डार प्रदान कर हमे जीवन दान दिया है।

**मूलतः अंग्रेजी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

यमुना नदी राजधानी दिल्ली का गौरव है। किसी समय यह नदी शुद्ध, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद जल के लिए विख्यात थी। किन्तु कारखानों से अनेक प्रकार का गन्दा और सड़ा पानी अब इस मे मिलता रहता है। नदी के पानी में भयानक दुर्गन्ध पैदा हो जाती है। पानी मे अनेक प्रकारके कीटाणु जन्म लेते है और अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देते है। इस प्रकार यमुना नदी का पानी दूषित हो रहा है।

दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण औद्योगिक विकास और जन-संख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ है। उद्योग धन्धों में वृद्धि से नदी में मल-उत्सर्जन बढ़ जाता है। रंग-रोगन, कीटाणुनाशक पदार्थ रेडियों सक्रिय सामग्री और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के उत्पादन से जल प्रदूषण का खतरा अधिक बढ गया है। विभिन्न रसायन पीने के पानी में घुस जाते है अथवा खाद्य सामग्री मे इनका मिश्रण हो जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यमुना के जल को अधिक स्वच्छ रखने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें ताकि नदी प्रदूषण गंभीर रूप न धारण करे। उद्योगों के निरर्थक पदार्थ और मल प्रवाह नदी में आने से रोक दिए जायें।

कारखानों पर आचार संहिता लागू करना, नदी में गंदगी का बहाव रोकना, मल का उपचार आदि विविध उपाय तुरन्त करने चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री को पर्यावरण में गहरी रुचि है। उन्होंने गंगा जल की पावनता संबंधी कार्यक्रम मे व्यक्तिगत रूप मे ध्यान दिया है। उन से मेरी प्रार्थना है कि गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण की समन्वित योजना बनाई जाये।

12.39 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 18 जनवरी, 1985 को प्रो० एन० जी० रंगा द्वारा पेश किए गए और श्री बी० आर० भगत द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 17 जनवरी, 1985 को एक-साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

श्री नारायण चौबे— अनुपस्थित।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसे

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसे (हैदराबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, जो सदर साहब का खुतबा ऐवान में दिया गया, उसमें बहुत सी चीजों का बयान किया गया, करप्शन का जिक्र किया गया और दीगर मसायल को उठाया गया। मगर इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां सब से बड़ी अकलियत मुसलमान अकलियत हैं। उन के अपने चन्द मसायल हैं। उन मसायल को भी यहां ऐवान में लाना चाहिए। आप जानते हैं सब से पहला मसला मुसलमानों का हिन्दुस्तान में ला एंड आर्डर का मसला है क्योंकि आजादी के बाद हिन्दुस्तान में 17 हजार फसादात हुए जिन में मुसलमानों की जान व माल और उन की इज्जत व आबरू, हरचीज तबाह हुई। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके लिए ऐसी एक पुलिस फोर्स बनायी जाय जिस के अंदर 25 फीसदी मुसलमान, ईसाई, हरिजन और दीगर तबकात के लोग हों क्योंकि देखा यह जाता है कि जब कभी फसाद होता है तो जितने भी मुसलमान हैं तबाह भी वही होते हैं और गिरफ्तार भी वही होते हैं। इसलिए इस सिलसिले को खत्म करने के लिए बेहतर तरीका यह होगा कि एक ऐसी पुलिस बनाई जाए जिसके जरिए इन फसादात को हमेशा के लिए तदारक कर दिया जाए।

इसके साथ ही साथ सरकारी मुलाजिमतों के अन्दर इनका तनासुब घटते हुए दो फीसद से भी कम रह गया है जिसका नतीजा यह है कि आज सरकारी मुलाजिमतों से वे बिल्कुल महरूम होते चले जा रहे हैं और आइंदा के लिए भी कोई तवक्कों नहीं है।

[सुलतान सलाहुद्दीन ओवैसी]

इसके अलावा मेरी गुजारिश है कि हमारे पर्सनल ला में मदाखलत का सिलसिला भी खत्म किया जाए क्योंकि हालिया पार्लमेंट से जो तरमीम हुई, उसके मुताबिक कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देता है तो जबतक दूसरी शादी वह न करे, उसे नुफका देना पड़ता है। यह हमारी शरीयत के खिलाफ है और इस चीज को खत्म करने के लिए इस कानून में तरमीम की जाए ताकि हमारे पर्सनल ला में जो मदाखलत हो रही है, उसका सिलसिला खत्म हो।

इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जानते होंगे हालिया दिल्ली में मसजिद के सिलसिले में वहां के मुसलमानों ने बड़ी मुहिम चलाई थी कि आसारे कदीमा के तहत जो मसाजिद हैं उनको खोल दिया जाए और वहां तमाम लोगों को नमाज पढ़ने की सहूलियत फराहम की जाए, क्योंकि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है न कि हुकूमते हिन्द के आसारे कदीमा मोहकमे के हिफाजत करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, हिफाजत आप करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वहां पर हर शख्स को हर वक्त की नमाज पढ़ने की आजादी होनी चाहिए। यह चीजें ऐसी हैं जिनके लिए यहां के लोग परेशान रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे हैदराबाद में बहुत सारी ऐसी सहूलियतें हैं जोकि मोहैया की जानी चाहिए थी। आप जानते हैं हैदराबाद कदीमी शहर है, वहां शहरी सहूलियतें कोई फराहम नहीं की गई हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सेन्ट्रल गवर्मेंट कोई इमदाद फराहम करे ताकि वहां जो लोग बसते हैं उनको शहरी सहूलियतें मोहैया हो सकें।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकारी मुलाजिमतों के लिए जो उम्र की हद मुकर्रर की गई है उसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाए और तमाम सूबों में एक ही वजीफे की उम्र रखी जाए जैसा की आप जानते हैं पहले आंध्र प्रदेश में वजीफे की उम्र 58 साल थी लेकिन एन०टी०आर० साहब की गवर्नमेंट आने के बाद वह 55 साल कर दी गई जिसकी वजह से हजारों मुलाजिम अचानक बेरोजगार हो गए। दोबारा फिर उसको बढ़ाकर 58 साल कर दिया गया लेकिन नतीजा यह है कि जो लोग पहले हटा दिए गए, हजारों की तादाद में, वे आजतक परेशान हाल हैं। उनके लिए आज भी किसी किस्म की कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई है।

अभी यहां पर एलेक्शन के मुताल्लिक मसायल आए थे, मैं भी हुकूमते हिन्द से मतालबा करूंगा कि अभी हालिया जो एलेक्शन हुआ था उस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, खुद मेरे हलके में 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और एलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से सिकन्दराबाद में, जहां से हमारे सेन्ट्रल मिनिस्टर, अंजैया साहब जीतकर आए हैं, वहां पर चार-पांच सौ आदमियों को, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से मैं नहीं समझता कोई गैर-जानिबदाराना तौर पर एलेक्शन हो सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इस बात को भी देखें कि एलेक्शन बिल्कुल गैर-जानिबदार तरीके से होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एलेक्शन से एक रात पहले तमाम पार्टी-वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद आप कहें कि एलेक्शन गैर-जानिबदार तरीके से हुए हैं। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी एलेक्शन गैर-जानिबदार कहलाया जा सकता है। आज आंध्र प्रदेश में एक केयर-टेकर गवर्नमेंट है और वहां पर एलेक्शन होने जा रहे हैं लेकिन अभी से वहां पर पुलिस ओहदेदारों का तबादला किया जा रहा है। आई०जी०पी० को तब्दील कर दिया गया है—यह बहुत गलत बात है। इसी तरीके से वहां जो डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन आफिसर, म्युनिसिपल कारपोरेशन के अफसर हैं उनका तबादला किया जा रहा है। और आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि हजारों की तादाद में नाम, सिर्फ मुसलमानों के, वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक बरस पहले सात हजार नामों का इजाफा रहता है और एक बरस के बाद सात हजार नाम वोटर लिस्ट से निकल जाते हैं। सवाल यह पैदा होता है आखिर एक बरस के अन्दर ये नाम किस तरीके से निकल गए। इसी तरीके से पिछले पांच बरस पहले जितने नाम थे, आज वे नाम कम हो जाते हैं। आबादी बढ़ रही है, लेकिन वोटरों की तादाद आन्ध्र प्रदेश के अन्दर घटती चली जा रही यह हुकूमत-हिन्द का काम है, उन तमाम चीजों को देखे कि आखिर किस तरीके से वहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसी के साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि वहां यह भी देखा जाए कि अकलियत के ऊपर क्या कुछ गुजर रही है। यह आपका काम है कि आप पूरी निगरानी करें, क्योंकि अपने आपको अकलियत वहां महफूज नहीं समझती। जो कुछ भी वाक्या उनके साथ वहां दोहराया गया, यह सिलसिला मुसलसल जारी है और अफसोसनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। हालात अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि लाखों की तादाद में लोग परेशान हाल में हैं, कोई शहर छोड़कर जा रहा है, कोई घरबार और कोई कारोबार को मुन्तकिल कर रहा है। इन हालात में यह हुकुमत की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड आर्डर के लिए वहां अकलियत को पूरी-पूरी सहायता दे।

हुकूमत सैक्युलर है। मैं चाहूंगा सैक्युलरिज्म आन्ध्र प्रदेश में भी रहे। यह नहीं की किसी शहर को मुकद्दस बनाने की बात की जाती है। कहा जाता है कि तिरुपति को वैटीकन शहर बना दिया जाएगा। सैक्युलर हिन्दुस्तान में से इस किस्म की मुतालबा और इस किस्म की बातें मैं समझता हूं कोई ठीक बातें नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि कोई अजमेर को कहे कि मुकद्दस शहर बना दिया जाएगा या कोई गुरुद्वारे के लिए कहे कि वहां मुकद्दस बनाया जाए, इन तमाम चीजों पर सरकार को नजर रखनी चाहिए।

सवाल यह पैदा होता है कि सैक्युलर की गवाही कौन देगा। सैक्युलर की गवाही यह अकलियत देगी और जब यहां की अकलियत यह कहे कि यहां सैक्युलरिज्म है, तो दुनिया उसको मानने के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर यहां की अकलियत अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करती है, तो यकीन है कि यहां सेक्युलेरिज्म नहीं है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यहां 17 हजार फसादात हुए हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितना खून बहाया गया, शायद और कहीं नहीं बहाया गया होगा। आज अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस मुल्क के अन्दर पानी की कीमत है, लेकिन मुसलमान के लहू की कोई कीमत नहीं है। अब यह सिलसिला बन्द होना चाहिए। मुझे तवक्को है कि नए नौजवान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जहां उन्होंने दिल्ली के हालिया फसादात के सिलसिले में उन्होंने इन्तजामात किए, उनका यह काम है कि वे इन तमाम चीजों को खत्म करें। जो नाइन्साफियों मुसलसल होती रही हैं, उनको खत्म करना चाहिए, ताकि फसादात का यह सिलसिला खत्म हो।

अकलियत के जहां-जहां मसायल उलझते जाते हैं, उनके ऊपर निगरानी कर देखा जाए कि उनके साथ कहां-कहां नाइन्साफियां हो रही हैं और इस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है। उनके मसायल के हल के लिए जहां आपने केन्द्र में और रियासतों में भी माइनोरिटी कमीशन मुकर्रर किए हैं, वहीं उन कमीशनों की रिपोर्ट पेश किए जाने पर उनको रद्दीदान में फेंक दिया जाता है। इसके लिए बेहतर होगा कि उसको कानूनी मौकिफ़ अदा किया जाए, ताकि कमीशन की रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। वरना होता तो यह है कि कमीशन तो कायम हुआ, वह अपनी रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन वह रिपोर्ट रद्दीदान में डाल दी जाती है। उसका कोई हल बरामद नहीं होता है। इसलिए अकलियत कमीशन को कानूनी मौकिफ़ अता किया जाए, ताकि उस पर अमल-दरामद हो और हकीकतें आपके सामने आय।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अशोक सेठ (धारवाड़ दक्षिण) : डिप्टी स्पीकर सर, सदरे जमहूरिया को शुक्रिए की तहरीक में मैं अपने आपको शरीक करता हूं। सदरे जमहूरिया ने मुल्क की तशवीशनाक हालात का बयान करते हुए हमारी बहन वजिरे-आजम श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल का भी जिक्र किया है। इनका कत्ल बहुत बेदर्दाना तरीके से हुआ और मुल्क के लिए जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी शाहदत मुल्क की यकताई और हिफाजत के लिए दी है। सदरे जमहूरिया ने अपनी तकरीर मे बीस-नुकाती प्रोग्राम के मुताल्लिक भी बात कही है। जहां तक हुकूमते हिन्द के बीस नुकाती प्रोग्राम का ताल्लुक है हमें देखना चाहियें कि यह पूरी तरह से कामयाब हो और मुल्क के तमाम अवाम में ठीक तरह से तकसीम हो। जहां तक मुझे इल्म है अकलियतों तबकों के साथ, चाहे वे मुल्क के किसी भी रियासत में हों, इस सिलसिले में बराबर का सुलूक नहीं हुआ है, चाहे बैंक के कर्जेजात हों या दूसरे प्रोग्राम हों, अकलियतों के साथ उन में बराबर नाइन्साफी होती रही है।

सद्रे-जम्हूरिया के पूरे एड्रेस में अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली कोई बात नहीं कही गई है और अभी जैसा कि मेरे फ़ाजिल दोस्त जनाब सुल्तान सलाउद्दीन आवेसे साहब ने फरमाया कि एक बड़ी खतरनाक बात और सोचने के काबिल बात है कि इस मुल्क में अकलियतों की बाहद अकसरियत की जमायत है, जो अकलियत तो जरूर है लेकिन बाहद अकलियत है, जिस का एक खास कल्चर है, जिस के हालात ऐसे हैं कि उन का तहफ्फुज करना जरूरी है। सुलतान सलाउद्दीन साहब ने खास तौर से पर्सनल ला के बारे मे जिक्र किया है। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में यह साफ तौर से जाहिर किया गया है कि पर्सनल के बारे में हुकूमत मदाखलत नहीं करेगी। मैं चाहूंगा कि यह सिर्फ मेनिफेस्टो की हद तक न रहे, बल्कि हमारे नौजवान वजीरेआजम से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बहस के जवाब में पर्सनल ला के बारे में एवान में ऐलान करदें कि जो मेनिफेस्टो में दिया गया है, हुकूमत मुसलमानों के पर्सनल ला में मदाखलत नहीं करेगी।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसे : इस के बारे में कहा गया है।

श्री अजीज सैट : पहले भी इस का ऐलान हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे वजीरे आजम एवान में ऐलान कर दें कि मदाखलत नहीं करेंगे।

एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में इस खुतबे में जो कहा गया है और उन को मुबारक बाद दी गई है कि उन्होंने अनाज की पैदावार में बहुत ज्यादा काम किया है, इस के लिए मैं राष्ट्रपतिजी का बहुत मशकूर हूं। लेकिन जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, बहैसियत वजीरे-मेहनत के, मैंने देखा है—यह बड़ा अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इन के लिए कुछ इस किस्म के कानून लाये जाने चाहिये जैसे, उनके लिये मिनिमम वेजेज तय किए जाय, उन के वेलफेयर के लिए फण्ड बनाया जाय, जैसे माइन वर्कर्स वेलफेयर फण्ड है, बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फण्ड है, इसी तरह से एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिये कोई वेलफेयर लेबर कानून के जरिये पास किया जाय।

टेक्सटाइल इण्डस्ट्री के बारे में सदरे-जम्हूरिया ने अपने खुतबे में जाहिर किया है कि आज हिन्दुस्तान में टेक्सटाइल मिल्स की बहुत बुरी हालत है। इस के लिए हमें कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम टेक्सटाइल मिल्स को कैसे बचा सकेंगे। वहां माडर्नाइजेशन की जरूरत है और माडर्नाइजेशन के साथ साथ मजदूरों को भी उनके अन्दर खपाने का ख्याल करना पड़ेगा।

तालीमी ताल्लुक से कहा गया है कि एक नेशनल पालिसी इख्तियार की जायगी। मेरा अपना ख्याल यह है कि यह एक कानकरेंट सब्जेक्ट है, इस को रियासती सतह से हटा कर एक नेशनल पालिसी के तेहत हुकूमते-हिन्द की सतह पर लाया जाय ताकि तमाम रियासतों में एक ही किस्म की शिक्षा का फार्मूला अपनाया जाय।

जहां से मैं आ रहा हूं—कर्नाटक—वहां तालीम के बारे में बड़ी दुश्वारियां आ रही हैं। वहां पर एक तालीमी बिल जिस को हाल में पास किया गया था, सद्रे-जम्हूरिया के असेन्ट के लिए आया हुआ है। मैंने सदरे-जम्हूरिया को लिखा था कि यह बिल आइने-हिन्दुस्तान के खिलाफ है, इस को मन्जूर न किया जाय, लिहाजा अब तक वह बिल खटाई में पड़ा हुआ है।

इरिगेशन के बारे में बात की गई है। मैं जिस हल्के से कामयाब हो कर यहां आया हूं वह बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, हर तरफ गुरबत छाई हुई है। मैं चाहूंगा कि वहां अपर तुंगा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लिया जाय जिससे 3 लाख 96 हजार हैक्टेयर जमीन इरिगेशन के तेहत आ सकेगी और बिलकसूर फिर एक बार यह पुरजोर अल्फाज में कहूंगा कि सदरे जम्हूरियत के एड्रेस में अकलियतों का जिक्र नहीं है। अकलियतों के बहुत से मसायल हैं और मैं आयन्दा बजट सेशन में इनको डील करने की कोशिश करूंगा।

इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

[شری عزیز سیٹھ (دھارواڑ دکشین)] : ڈپٹی اسپیکر سر - صدر جمہوریہ کی شکریے کی تحریک میں میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہوں - صدر جمہوریہ نے ملک کی تشویشناک حالت کا بیان کرتے ہوئے ہماری بہن وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کے قتل کا بھی ذکر کیا ہے - ان کا قتل بہت بے دردانہ طریقے سے ہوا اور ملک کے لیے جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا - مگر شریمتی اندرا گاندھی نے اپنی شہادت ملک کی یکجہتی اور حفاظت کے لیے دی ہے - صدر جمہوریہ نے اپنی تقریر میں بیس نکاتی پروگرام کے متعلق بھی بات کہی ہے - جہاں تک حکومت ہند کے بیس نکاتی پروگرام کا تعلق ہے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ یہ پوری طرح سے کامیاب ہو اور ملک کے تمام عوام میں ٹھیک طرح سے تقسیم ہو - جہاں تک مجھے علم ہے اقلیتی طبقوں کے ساتھ چاہے وہ ملک کے کسی بھی ریاست میں ہوں اس سلسلے میں برابر کا سلوک نہیں ہوا ہے - چاہے بینک کے قرضہ جات ہوں یا دوسرے پروگرام ہوں اقلیتوں کے ساتھ ان میں برابر ناانصافی ہوتی رہی ہے -

صدر جمہوریہ کے پورے ایڈریس میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے اور ابھی جیسا کہ میرے فاضل دوست جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے فرمایا کہ ایک بڑی خطرناک بات اور سوچنے کے قابل بات ہے کہ اس ملک میں اقلیتوں کی واحد اکثریت کی جماعت ہے جو اقلیت تو ضرور ہے لیکن واحد اکثریت ہے - جس کا ایک خاص کلچر ہے جس کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا تحفظ کرنا

(شری عزیز سیٹھ - جاری)

ضروری ہے - سلطان صلاح الدین صاحب نے خاص طور سے پرسنل لا کے بارے میں ذکر کیا ہے - ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ صاف طور سے ظاہر کیا گیا ہے کہ پرسنل لا کے بارے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی - میں چاہونگا کہ یہ صرف مینیفیسٹو کی حد تک نہ رہے - بلکہ ہمارے نوجوان وزیر اعظم سے درخواست کرونگا کہ وہ اس بحث کے جواب میں پرسنل لا کے بارے میں ایوان میں اعلان کر دیں کہ جو مینیفیسٹو میں دیا گیا ہے حکومت مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت نہیں کریگی -

[شری سلطان صلاح الدین اویسی : اس کے بارے میں کہا گیا ہے -]

[شری عزیز سیٹھ : پہلے بھی اس کا اعلان ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ایوان میں اعلان کر دیں کہ مداخلت نہیں کرینگے -

ایگریکلچر ورکرس کے بارے میں اس خطبے میں جو کہا گیا ہے اور ان کو مبارکباد دی گئی ہے کہ انہوں نے اناج کی پیداوار میں بہت زیادہ کام کیا ہے - اس کے لیے میں راشٹرپتی جی کا بہت مشکور ہوں - لیکن جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے بحیثیت وزیر محنت کے میں نے دیکھا ہے یہ بڑا ان آرگنائزڈ سیکٹر ہے - ان کے لیے کچھ اس قسم کے قانون لائے جانے چاہئیے جیسے ان کے لیے مینیمم ویجز طے کیے جائیں ان کے ویلفیئر کے لیے فنڈ بنایا جائے جیسے لائم ورکرس ویلفیئر فنڈ ہے بیڑی ورکرس ویلفیئر فنڈ ہے اسی طرح سے ایگریکلچر ورکرس کے لیے کوئی ویلفیئر میجر قانون کے ذریعہ پاس کیا جائے -

ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں صدر جمہوریہ نے اپنے خطبے میں ظاہر کیا ہے کہ آج ہندوستان میں ٹیکسٹائل ملس کی بہت بری حالت ہے - اس کے لیے ہمیں کچھ نئے طریقے سے سوچنا پڑیگا کہ ہم ٹیکسٹائل ملس کو کیسے بچا سکینگے - وہاں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے اور ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو بھی ان کے اندر کھپانے کا خیال کرنا پڑے گا -

تعلیمی تعلق سے کہا گیا ہے کہ ایک نیشنل پالیسی اختیار کی جائے گی - میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کانکریٹ سبجیکٹ ہے اس کو ریاستی سطح سے ہٹا کر ایک نیشنل پالیسی کے تحت حکومت ہند کی سطح پر لیا جائے تاکہ تمام ریاستوں میں ایک ہی قسم کی شکشا کا فارمولا اپنایا جائے -

جہاں سے میں آ رہا ہوں - کرناٹک وہاں تعلیم کے بارے میں بڑی دشواریاں آ رہی ہیں - وہاں پر ایک تعلیمی بل جس کو حال میں پاس کیا گیا تھا صدر جمہوریہ کے اسینٹ کے لیے آیا ہوا ہے - میں نے صدر جمہوریہ کو لکھا تھا کہ یہ بل آئین ہندوستان کے خلاف ہے اس کو منظور نہ کیا جائے لہذا اب تک وہ بل کھٹائی میں پڑا ہوا ہے -

اریگیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے - میں جس حلقے سے کامیاب ہو کر یہاں آیا ہوں وہ بہت ہی پچھڑا ایریا ہے ہر طرف غربت چھائی ہوئی ہے - میں چاہونگا کہ وہاں " اپر تنگا پراجیکٹ " کو جلد سے جلد لیا جائے جس سے ۳ لاکھ ۹۶ ہزار ہیکٹیئر زمین اریگیشن کے تحت آسکے گی - اور بالخصوص پھر ایک بار یہ پرزور الفاظ میں کہونگا کہ صدر جمہوریہ کے ایڈریس میں اقلیتوں کا ذکر نہیں ہے - اقلیتوں کے بہت سے مسائل ہیں اور میں آئندہ بجٹ سیشن میں ان کو تفصیل کرنے کی کوشش کرونگا - ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں -]

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा द्वारा पेश किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में यह सही रूप से कहा गया है कि लोगों का यह स्पष्ट जनादेश उन मूल नीतियों को जारी रखने के लिये है जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को सही नेतृत्व देने के लिये हमारे देश को शक्ति दी है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य में बदलती हुई परिस्थितियों में सक्रियता लाने पर इस कारण भी बल दिया जाये कि लोग अकर्मण्यता सहन नहीं करेंगे, वे तेजी से परिवर्तन चाहते हैं; वे चाहते हैं कि बहुत तेजी से प्रगति हो । अब हमारे लिये अकर्मण्यता के लिये बहाने बनाना या अन्य जवाब देना और अधिक सम्भव नहीं है । लोग किसी प्रकार का विलम्ब सहन नहीं करेंगे और नहीं अकर्मण्यता बर्दाश्त करेंगे ।

मैं समझता हूं कि आप यह जानते हैं और मुझे विश्वास है कि इस सभा के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि प्रगति के लिये अनुशासन, मानदण्ड तथा सक्रियता आवश्यक है । यदि आप का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है अथवा आपके पास अलग-अलग मानदण्ड हैं तो तेजी से प्रगति करना असम्भव है । निस्संदेह, यह सत्य है कि चाहे हम विकासशील देशों में एक सही ढंग से विकसित विकासशील देश माने जाते हैं, पर हमारे पास एक-सी परिस्थितियों में भी हमारे अलग-अलग मानदण्ड तथा विचार और आदर्श हैं । उदाहरण के लिये, यदि आप एक ही योजना के लिये बैंकों के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि दो अलग बैंक हमारे देश के लोगों को भिन्न प्रपत्र देते हैं, अलग-अलग बातें पूछते हैं तथा अलग अलग नियम बताते हैं ।

1.00 म॰ प॰

इसका कारण सीधा है । यह मानकीकरण का बिल्कुल अभाव तथा हमारी प्रशासनिक प्रणाली में अव्यवस्था का होना है । हमारे यहां लालफीताशाही सब जगह है, चाहे आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं अथवा कर्जे के लिये आवेदन करना चाहते हैं, या आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तात्पर्य यह है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं लालफीताशाही वहीं स्पष्ट नजर आती है । हमारे देश में लालफीताशाही प्रगति में बाधक बन रही है । जब तक हम अपना स्तर नहीं सुधारते तथा अपने को अनुशासित नहीं करते तब तक हमारे लिये तेजी से प्रगति करना असम्भव है, और मैं यह भी कहूंगा कि तेजी से प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमे अपने देश में सुलभ हर प्रकार के साधनों, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने हमें सुलभ कराये हैं उपयोग करना अनिवार्य है । इस इक्कीसवीं शताब्दि में हमारे देश के लिये संसार में हुई प्रगति से अलग रहना और यह कहना सम्भव नहीं है कि हम पुराने तरीके अथवा नीतियां ही अपनाएंगे और प्रगति के लिये इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे । समय तथा प्रगति किसी का इन्तजार नहीं करती । यदि हमें विश्व के साथ चलना है तो हमे उस प्रत्येक साधन का इस्तेमाल करना है जो प्रगति के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, दोनों ने हमें दिया है । लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में सावधानी बरतनी होगी । केवल प्रौद्योगिकीय विकास के उपकरणों की अंधा-धुंध खरीद अथवा उनके इस्तेमाल से समस्या हल नहीं होगी । हमें सबसे पहले एक जैसी कार्यकरण वाली संस्थाओं का मानकीकरण करना होगा, अपने को अनुशासनबद्ध करना होगा और प्रौद्योगिकी द्वारा सुलभ कराये गये इन नये उपकरणों का हम केवल तभी उपयोग कर पायेंगे । मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा । उदाहरणार्थ, यदि आप बैंकों में कम्प्युटर लगाना चाहते हैं, आज आपके लिये ऐसा करना असम्भव है जब तक आपकी सभी बैंककारी संस्थाओं में एक ही प्रकार के फार्म हों, एक जैसे नियम न हों और आपकी समस्याओं का समान रूप से समाधान न निकाला जाये । इस बारे में इसी प्रकार की अव्यवस्था है जैसा की कभी कभी शून्य काल मे यहां होता है । यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि यदि आप किसी संस्था अथवा संगठन में जाते हैं तो आप एक जैसी स्थिति पाते हैं । इसका कारण मानकीकरण का न होना है । और उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति को ध्यान में रखते हुये, आप इन संस्थाओं के प्रभावी ढंग से मानकीकरण को वरीयता देकर तत्काल लागू करने और अनुचित तथा अनावश्यक प्रतिबंध हटाने, उन्हें सरल बनाने तथा तेजी से विकास के लिये अपेक्षित सबसे आसान रास्ते का अनुसरण करने के लिये कहें ।

श्रीमन्, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई अनुमान नहीं है कि हम अपनी जनशक्ति के बारे में सही विश्लेषण के बगैर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायेंगे । अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को यह कहें कि यह जानने के लिये सबसे पहले जनशक्ति के बारे में सही आयोजना जरूरी है कि भविष्य

में उनके लिए किस प्रकार की नौकरियां होंगी, उनके लिये क्या योग्यताएं चाहियें । इसके साथ ही शिक्षा नीति बनायें । अब तक, हमने विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुये अपनी शिक्षा नीति बनाई है परन्तु मैं समझता हूं कि भविष्य में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाये कि हमारी विकासात्मक योजनाओं के आधार पर, कितने पद होंगे और ये नौकरियां किस प्रकार की होंगी और इस पद के लिये क्या योग्यताएं होंगी । इन सब बातों के आधार पर हमें अपनी शिक्षा नीति बनानी चाहिये । अन्यथा हमें दोबारा उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात हमारे यहां पढ़े लिखे, उनमें से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार होंगे । हमारे पास संवेदनशील विषयों, जैसे भौतिकी विषयों में डाक्टरेट प्राप्त लोग जो बेरोजगार हैं और इस माननीय सभा के बहुत से युवा सदस्यों के लिये बहुत दुष्कर स्थिति होती है जब हमें उन शिक्षित बेरोजगार युवकों का सामना करना पड़ता है । श्रीमन, अतः इस में हस्तक्षेप करें और सरकार को बतायें कि मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले भावि योजनाओं और उसी के आधार पर इसका यानि हमारी शिक्षा नीति के आधार पर सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिये भी उनके अनुरूप जनशक्ति की योजना बनाना जरूरी है ।

आपकी अनुमति से मैं उस विषय को लूंगा जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने काफी बल दिया है लेकिन मेरे विचार से उस पर इतना बल नहीं दिया गया । वह है श्रीलंका का मामला और श्रीलंका में जातीय हिंसा । मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी हम अनदेखी कर सकें । हममें से कोई भी अब श्रीलंका की जातीय हिंसा के मामले को उस देश का आंतरिक मामला नहीं कह सकता । इस सदन में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं और जिनके भाई तथा बहनें और निकट संबंधी वहां हैं । मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि श्रीलंका में रह रहे तमिल वास्तव में भारतीय नहीं हैं । वस्तुतः कुछ तमिल जो श्रीलंका में बस गये थे, वहां सिंहलियों से भी बहुत पहले बसे थे । इतिहास ने यह बात पहले ही बता दी है । वस्तुतः श्रीलंका सरकार भी सिंहली तमिल और भारतीय तमिलों का उल्लेख करती रही है । इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है । लगभग 2500 वर्ष पहले, यहां तक कि सिंहलियों के आने और राजा विजय के अपनी राजधानी स्थापित करने से भी पहले तमिल लोग श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में आकर बस गये थे । इसीलिये उनको सिंहली तमिल कहा जाता है । तमिल लोगों चाहे वे सिंहली तमिल हो या भारतीय तमिल के खिलाफ स्पष्ट रूप से भेदभाव बरता जाता है । आज वे सरकार द्वारा और मोसाद जैसी आतंकवादी शक्तियों और तत्वों की हिंसा के शिकार हो रहे हैं ।

मुझे इस बात की जानकारी है कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह मामला गम्भीरता से लेना चाहिये और इसका तत्काल हल ढूंढना चाहिये, यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध राजनयिक लोगों की सहायता ली जाये, चाहे हमारे प्रधान मंत्री जी को गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष होने के नाते अपने पद का इस्तेमाल करना पड़े अथवा किसी अन्य हैसियत का इस्तेमाल करना पड़े । हमारे देश के तमिल लोग हमें माफ नहीं करेंगे यदि हम मामलों को ऐसे लटकाये रखेंगे । चूंकि हजारों तमिलों को मौत के घाट उतारा जा रहा ।

मैं अपने वक्तव्य को आपके माध्यम से दूसरी ओर के माननीय सदस्य से इस छोटे से अनुरोध के साथ समाप्त करूंगा कि इस बार जनता ने अपना जनादेश इस आशा से दिया है कि देश का तेजी से विकास होगा और यदि देश का तेजी से विकास न हुआ तो लोगों का सत्तारूढ़ दल पर से न केवल विश्वास उठ जायेगा बल्कि उनका इस व्यवस्था और इस संस्था से भी विश्वास उठ जायेगा । अतः मैं आपके माध्यम से उन से अनुरोध करता हूं कि वे हमसे सहयोग करें और हमारी सहायता करें । हम हर समस्या और हर मामले पर उनसे सहयोग लेंगे । और समस्याओं के समाधान के लिये हमें उनकी आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि वे हमें सहयोग देंगे और वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि यदि प्रगति तेजी से न हुई तो हम भविष्य में कोई बहाना नहीं बना पायेंगे और लोग हमें या उन्हें कभी माफ भी नहीं करेंगे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : देश वास्तव में नाजुक और खतरनाक दौर से गुजर रहा है । अमरीकी साम्राज्य वाद की विश्व सामरिक नीति के हिस्से के रूप में विश्वयुद्ध के लिये तैयार करने जोकि निश्चित रूप से परमाणु विध्वंस में बदल जायेगा, हमारे देश को चारों ओर से अमरीकी अस्त्रों से घेरा जा रहा है । पाकिस्तान को बहुत अधिक हथियार दिये जा रहे हैं । बांगला देश में एक नाम या दूसरे नाम से अमरीकी सैनिक अड्डे बनाये जा रहे हैं । हिंद महासागर में डियागो गार्सिया में अमरीकी हथियार हैं जिनमें परमाणु हथियार भी हैं ।

[श्री नारायण चौबे]

हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी फैलाने के गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। पंजाब, असम तथा देश के अन्य भागों में अलगाववादी ताकतें लोगों की लम्बे समय से चली आ रहीं जायज शिकायतों का लाभ उठाकर देश को खण्डित करने के लिये दिन-रात काम कर रही हैं। यहां तक कि हमारी स्वर्गीय प्रिय प्रधानमंत्री की उनके निवास स्थान पर उनके ही अंगरक्षकों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। यह साम्राज्यवाद तथा सी०आई०ए० की सु-नियोजित योजना थी जिसे कुछ सिख पृथकतावादी तत्वों ने क्रियान्वयन कर दिया।

अब सबसे बड़ी खबर मिली है। प्रधान मंत्री का निवास स्थान ही इस षडयंत्र का केंद्र था। अब यह सूचना मिली है कि प्रधान मंत्री के निवास स्थान से ही विदेशी पश्चिमी शक्तियां देश को कमजोर करने के लिये दिन-रात लगी हुई थीं। यहां तक कि प्रधान मंत्री का निजि स्टाफ ही सी० आई०ए०को सामरिक जानकारी देने के कार्य कर रहा था।

हमारी पार्टी हमेशा सरकार को चेतावनी देती रही है कि साम्राज्यवाद अमरीका तथा सी०आई०ए० ये सभी देश में अस्थिरता पैदा करने में लगे हुये हैं। सरकार ने इन चेतावनियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया सरकार ने इस बात से इन्कार कर दिया और अब भी अमरीकी साम्राज्यवाद का नाम लेने से इनकार करती है। चुनावों में सरकार ने प्रतिपक्ष पर देश में अस्थिरता फैलाने का दोष लगाया। तथापि, हम लोग जो सी०आई० आई० से हैं देश की एकता तथा देश की अखण्डता के लिये सरकार को भरपूर सहयोग देते रहेंगे। नये प्रधान मंत्री जी तथा सरकार इस मामले में ठोस कदम उठायें। उन सही कदमों को हमारा समर्थन मिलता रहेगा।

31 अक्तूबर, 1984 को जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई, उसके बाद दिल्ली में तीन-चार दिन तक सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही थी। तीन से पांच हजार तक सिख मारे गये। मतदाता सूचियों को हाथ में लेकर सुनियोजित ढंग से हमले होते रहे। कई प्रसिद्ध कांग्रेसी जिनमें कुछ संसद सदस्य भी थे। हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इस मामले में न्यायिक जांच करवाई जाये। हम चाहते हैं कि पंजाब समस्या का शीघ्र समाधान किया जाये और हम सरकार को सभी प्रकार का समर्थन देंगे यदि वह पंजाब समस्या को हल करना चाहती है।

हम आम चुनावों को मिले जनादेश को स्वीकार करते हैं। यह जनादेश देश की एकता तथा अखण्डता के लिये था। लेकिन इससे पहले प्रचार माध्यमों का कभी इतना दुरुपयोग नहीं हुआ इससे पहले दूरदर्शन तथा रेडियो का भी इतना दुरुपयोग नहीं हुआ। विज्ञापन पर इतना अधिक खर्च और जिस तरह की हेरा-फेरी इस बार बिहार में हुई, ऐसी कभी नहीं हुई। 'टेलिग्राफ' में इसके फोटो आये हैं......(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में हेराफेरी की गई थी।

श्री नारायण चौबे : महोदय, इन्होंने टेलिग्राफ समाचार पत्र में प्रकाशित हुये फोटो नहीं देखे हैं...(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं उन्हे देखूगा।

श्री नारायण चौबे : चुनावों से काफी पहले, सरकार ने यह निर्णय कर लिया था कि बिहार में कौन-कौन सी सीटें अवश्य जीतनी चाहिये। इसका एक जीता-जागता सबूत पटना का चुनाव है जहां ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ था। मतपत्रों की गणना करने के लिये अंतिम क्षणों में चुनाव आयोग के निदेशों को बदल दिया गया। यह केवल हमारे दल के उम्मीदवार श्री रामावतार शास्त्री को हराने के लिये किया गया था।

इस सरकार ने अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने के बड़े बड़े दावे किये हैं। मैं यह कहता हूं और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के कम किये गये लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किये जा सकेंगे। धन की कमी के कारण अन्तिम वर्ष के दौरान योजना व्यय में 10,000 करोड़ रु० की कमी की गई है।

बजट में 1,762 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि उसकी तुलना में घाटे की वित्त व्यवस्था की राशि बढ़कर 3700 करोड़ रुपये हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट....(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य को, जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, अपेक्षित आदर प्रदान करते हुए, निवेदन है कि तैयार किये गये वक्तव्य से पढ़ना परम्परा और नियम के विपरीत है। पूरा भाषण नहीं पढ़ा जा सकता है।

श्री नारायण चौबे : ! ये केवल टिप्पणियाँ हैं ।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : महोदय, हमलोग पढ़ने के विरुद्ध नहीं है । वस्तुत: भाषण को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहने से बहुत समय लगता है । पीठासीन अधिकारी द्वारा जब कोई विनिर्णय दिया जाता है; तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिये ।

श्री नारायण चौबे : आप इसे देख सकते हैं, ये केवल प्वाइंट हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्वाइंटों का इस्तेमाल कीजिये, सारी बातें न पढ़ें ।

श्री नारायण चौबे : महोदय, आप इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि ये केवल प्वाइंट ही हैं. . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पीठासीन अधिकारी को ही सम्बोधित कीजिये ।

श्री नारायण चौबे : महोदय, वह उन आंकड़ों को उद्धृत करने का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ हैं । राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों की राशि लगभग 2,000 करोड़ रुपये है । योजना व्यय में लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की भारी कमी हुई है । इसलिये, स्वाभाविक है कि इस वर्ष 6,000 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा हुआ है । (व्यवधान) पश्चिम बंगाल के ओवरड्राफ्ट की राशि लगभग 219 करोड़ रुपये है और उत्तर प्रदेश के ओवरड्राफ्ट की कुल राशि लगभग 2,000 करोड़ रुपये है ।

राष्ट्रपति जी ने आरक्षित विदेशी मुद्रा 6,500 करोड़ रुपये बताई है जो गलत है क्योंकि उस राशि में 4,470 करोड़ रुपया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण राशि में भी शामिल है । अगले वित्तीय वर्ष से सरकार का पुन: अदायगी का उत्तरदायित्व बन जायेगा । इस समय 1,000 करोड़ रुपये वार्षिक की पुन: अदायगी कर रहे हैं । अगले वर्ष यह राशि बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये वार्षिक हो जायगी । इसलिये हमलोग यह जानना चाहते हैं कि सातवीं योजना का क्या होगा । पहले यह कहा गया था कि हमें कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये का घाटा है । अब आप क्या करेंगे ? क्या आप योजना की छुट्टी कर रहे हैं अथवा आप योजना पर 1,18,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने जा रहे हैं!

सरकार ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है । यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमने अंतिम किस्त नहीं उठाई है । किन्तु योरोपीय देशों से जो ऋण लिया गया है उसका क्या होगा? उसकी ब्याज की दर क्या है ? सरकार इस बात को स्पष्ट करें और यह बताये कि योरोपीय डालर के रूप में कितनी राशि का ऋण लिया गया है और किस प्रयोजन के लिये उसका इस्तेमाल किया गया है. . . . . . . (व्यवधान) चूंकि तिवारी यहाँ गलत ढंग अपना कर आये हैं, इसलिये वह गलत हो ही नहीं सकते ।

अब आप 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प से विमुख हो गये हैं । उस संकल्प में, हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर तरक्की होगी । किन्तु अब यह पाते हैं कि उसमें बड़ी मात्रा में गैर-सरकारी क्षेत्र को लाया गया है और यहाँ तक कि अर्थ व्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग में भी गैर-सरकारी उद्यमों को लाया जा रहा है । यह बात हम सभी के समक्ष स्पष्ट है । हमारे समक्ष अर्जुन सेन गुप्ता प्रतिवेदन और आबिद हुसेन प्रतिवेदन मौजूद है । उनका कहना है कि गैर-सरकारी उद्यमों की तुलना में सरकारी उद्यमों में बहुत कम आत्म निर्भरता प्राप्त हुई है । नई सरकार, युवा-लोगों की सरकार बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों और गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार घरानों को प्रोत्साहन दे रही है । टाटा परिवार इस बात की माँग कर रहा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को समाप्त और उसे मध्यम तथा लघु आकार के उद्योगों में प्रवेश की अनुमति दी जाये ।

आधुनिक जानकारी के नाम पर, कार्यनिष्पादन के नाम पर, शीघ्र परिणाम के नाम पर, यह सरकार इस देश में अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा लगाने की अनुमति दे रही है । हमें आशंका है कि इस देश में अधिक मात्रा में विदेशी धन आयेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक परिणाम पड़ेगा । बंगला में यह कहावत है :

"वानिकेर मानदण्ड देखादिलो राजदण्डरूपे पोहाले शर्वरी ।"

ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ व्यापारी बन कर आई थी । इसके पश्चात् अपने व्यापार का लाभ उठाते हुए, उसने अर्थ व्यवस्था पर नियन्त्रण किया और इसके पश्चात इस देश के राज्य पर अधिकार कर लिया इस समय भी उसने देश में यथासंभव है विदेशी मुद्रा को आने देने से हम शायद वही कर रहे हैं, जो हमारी अर्थ व्यवस्था को तहस-नहस कर देगा ।

[श्री नारायण चौबे]

जनवरी 1980 में भी, नीति संबंधी वक्तव्य में यह कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका अर्थव्यवस्था तथा संरचना को सुदृढ़ बनाने की होगी। अब वह संरचना इस प्रकार रखी जा रही है जिससे गैर सरकारी क्षेत्र से उद्यम को उसका लाभ मिल रहा है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्य निष्पादन गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यनिष्पादन से किसी भी रूप में खराब नहीं है। इतने पर भी सत्तारूढ़ दल यह शोर कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर रोक लगाई जानी चाहिये और उन्हें बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंचने दिया जाना चाहिये। बी०पी०ई० के प्रतिवेदन के अनुसार, 1979 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता का उपयोग गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता उपयोगिता से कहीं अधिक है। अब यदि हम बहु राष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी एकाधिकार गृहों के लिये द्वार खोल देते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जायेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में लघु उद्योगों का कोई उल्लेख नहीं है।

अब मैं देश में चारों ओर व्याप्त गरीबी की चर्चा करूंगा। यह दावा किया जाता है कि 50 प्रतिशत आबादी गरीब है जब कि सरकार का दावा है कि केवल 42 प्रतिशत आबादी गरीब है। आंकड़े चाहे कुछ भी कहते हों, किन्तु यह एक सत्य है कि विश्व भर में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी संख्या इस देश में सबसे अधिक है जिसे भारत कहते हैं। खाद्यान्न और कपड़े की उपलब्धि प्रति व्यक्ति नियमित रूप से कम होती जा रही है।

श्री के० के० तिवारी : ये सब आपके अनुभव हैं।

श्री नारायण चौबे : आपको बोलने के लिये धन्यवाद। इन्दिरा-लहर एक वर्ष से अधिक नहीं रहेगी। उसके लिये चिंता न करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में रोजगार के अवसर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। 1980-81 में 41 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार था और 1981-83 में यह घटकर 35 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों के लिये रह गया और 1983-84 में केवल 30 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों के लिये रह गया है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की निधि पर ध्यान दें। वह कम होता जा रहा है। 1983-84 में उसकी राशि 537.9 करोड़ रुपये थी और उसमें से केवल 393.45 करोड़ रुपये उपयोग में आये थे। 1984-85 में यह राशि घटकर 487.53 करोड़ रुपये हो गई थी अगस्त तक 39.33 करोड़ रुपया ही उपयोग में लाया गया था। किन्तु इसके बाद ही चुनाव आ गये और उस राशि का उपयोग चुनाव के लिए कर लिया गया।

छठी योजना प्रलेख के अनुसार ग्रामीण श्रमिकों की औसत आय घटी है।

अब मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि गरीबी हटाओ सरकार ने कैसे काम किया था। ग्रामीण क्षेत्रों की परिसम्पत्ति पर ध्यान दें। 1961 में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम ग्रुप के 30 प्रतिशत व्यक्तियों के पास केवल 2.5 प्रतिशत परिसम्पत्ति थी और 1971 में वह घटकर 2 प्रतिशत रह गई है। अब 30 प्रतिशत सबसे ऊपर के व्यक्तियों पर ध्यान दें। 1961 में 79 प्रतिशत परिसम्पत्ति उन के नियन्त्रण में थी और 1971 में उनके नियन्त्रण में 81.9 प्रतिशत परिसम्पत्ति हो गई। आप की गरीबी हटाओ सरकार ने यह काम किया है और परिसम्पत्तियों का यह उचित वितरण हुआ है।

सरकार ने भूमि सुधार खतम कर दिये। मेरे मित्र तिवारी निश्चित रूप से इस मामले में मेरा समर्थन करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों में भूमि सुधार को तिलान्जली दे दी गई है। केवल उन राज्यों में जहां वाम पक्षी सत्ता में थे और उन राज्यों में जहां अब वाम पक्षी दल की सरकारें नहीं है किन्तु जब वे सत्तारूढ़ थी यथा केरल, वहां उन्होंने भूमि सुधार को कार्यान्वित किया। योजना बनाने वाले मूर्ख नहीं थे जिन्होंने भूमि सुधार की आवश्यकता बताई थी। उनका कथन था कि देश की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिये भूमि सुधार का बहुत अधिक महत्व है। किन्तु कांग्रेस (इ) जमींदारी लाबी के दबाव के कारण भूमि सुधार को बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया गया है।

मूल्य वृद्धि के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप स्वयं जाकर बाजार में भाव पता कर सकते हैं और फिर देखें की राष्ट्रपति जी के भाषण में क्या कहा गया हैं अब मैं बेरोजगारी की समस्या पर आता हूं इस संसार में सबसे अधिक बेरोजगार व्यक्ति भारत में रहते हैं। 1980 में जब कांग्रेस (इं) गरीबी हटाओ और बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर सत्तारूढ़ हुई थी तब 1.8 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। अब 1984 में 2.5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में कहते हुए मैं कहूंगा कि वह बेहताशा बढ़ रहा है। आपके मंत्री श्री० बसंत साठे ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 1979 तक 49.25 प्रतिशत समग्र राष्ट्रीय उत्पाद काले धन के के नियन्त्रण में था। यह राशि 1979 की है और मुझे नहीं पता कि अब वह बढ़ कर कितनी हो गई है और हमारी अर्थ व्यवस्था को किस हद तक प्रभावित कर रही है।

अब मैं अन्तिम मद पर बोलूंगा। सरकार चाहती है कि लोग शांतिपूर्ण काम करें, शांत और अनुशासित रहें किन्तु सरकार स्वयं अनुशासन भंग कर रही है। आल-इंडिया रेलवेमेंन्स फेडरेशन के न्यायालय में जाने के बाद ही सरकार ने महंगाई भत्ते का भुगतान किया। संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक गत तीन वर्ष से से नहीं हुई है। तब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी अपने विचार किस प्रकार व्यक्त कर सकेंगे? इरादा ही यह है कि कर्मचारी वर्ग और उनमें आन्दोलन को दबा दिया जाय। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। यह निश्चित कर दिया गया था कि वेतन आयोग अपनी प्रथम रिपोर्ट अक्तूबर 1984 में दे देगा। 16.10.84 को मंत्रिमंडल सचिव, राव साहेब ने आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें बदल दी जायेंगी। किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इसी लिये हमारी मांग है कि वेतन आयोग अन्तरिम रिपोर्ट तथा सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता तत्काल घोषित कर दे। संयुक्त सलाहकार के अधीन बनाये गये मध्यस्थता बोर्ड के पंचाट को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। वस्तुतः पंचाट सभी को मान्य होते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति।

श्री नारायण चौबे : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति। संयुक्त सलाहाकार तंत्र के अधीन बनाये गया मध्यस्थता बोर्ड के पंचाट लागू नहीं किये जाते हैं; किन्तु वे मान्य होते हैं। डाक-तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता और वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि सरकार यह दावा करती है कि सब काम शांतिपूर्वक चल रहे हैं, हर चीज का विकास अबाधगति से हो रहा है; और हर काम ठीक-ठाक चल रहा है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तथापि हम लोग यह आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिये हमलोग सरकार को पूरा-पूरा समर्थन देंगे। किन्तु सरकार ने जिस प्रकार कार्य करना आरम्भ किया है और जिस प्रकार एकाधिकार गृहों को और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को स्वतंत्रता पूर्व कार्य करने की छूट दे रखी है, उसका हम कदापि समर्थन नहीं करते यदि सरकार सही मार्ग पर चलेगी, तो हम सरकार का समर्थन करेंगे किन्तु जब कभी भी सरकारी कर्मचारी वर्ग में विरुद्ध, कृषकों के विरुद्ध कार्य करेगी और भूमि सुधार कार्यान्वित नहीं करेगी तब हम सरकार का विरोध करते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता हूं। जैसा कि इस अभिभाषण के पैराग्राफ 9, 10 और 11 में, चुनाव में जनता का विश्वास और देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रति उस के अभिमत प्रकट करने की बात रखी गई है, मैं अन्य दूसरे मुद्दों पर अपनी बात न कह कर केवल इन्हीं के सम्बन्ध में अपनी बात कहूंगा। जिन के लिए आज इस देश की जनता ने इतना विशाल बहुमत सत्तादल को दिया है जो आजादी के बाद सब से बड़ा बहुमत है और इस बहुमत देने की प्रक्रिया ने जनता की तरफ से दिशा निर्देश दिया है कि चाहे नेताओं की दृष्टि मुख्य मुद्दों की तरफ से ओझल भी हो जाय लेकिन जनता की दृष्टि ओझल नहीं होती बल्कि उस की पैनी दृष्टि उस मुद्दे की तरफ होती है।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि यह विशाल बहुमत जिस मुद्दे पर मिला है उस को पूरा करने की कोशिश की जायेगी मैं केवल इसी बात को कहना चाहता हूं। सारा विकास इसी पर आधारित है कि हमारे देश में एकता है, हमारे देश की सुरक्षा है और हमारा देश अखण्ड रहेगा। ये तीनों प्रश्न अगर ठीक हैं तो उस के पश्चात् विकास की बात आगे उठेगी कि इन परिस्थितियों में देश का विकास होता रहे और देश आगे बढ़े। इस को देखते हुए पहले तो एक यह प्रश्न उठता है कि हमारी आजादी के 35–40 वर्षों के बाद भी ऐसे प्रश्न उठे ही क्यों ऐसे प्रश्नों को अब तक उठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर ऐसे प्रश्न उठे तो उनका शमन होना आवश्यक है। हम एकता चाहते हैं, हम अखण्डता चाहते हैं और देश की सुरक्षा चाहते हैं, और यह चाहते हैं तो हमें आत्म-चिंतन करना पड़ेगा कि इन 35 वर्षों में हम ने जो कुछ किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस से देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा में कुछ कमजोरी पैदा हुई है।

[श्री श्रीपति मिश्र]

अभी अभी मैंने एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। मैं सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हामी हूं। मैं सबसे आखिरी आदमी होऊंगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन चाहेगा। लेकिन अभी यहां पर पर्सनल ला की बात कही जा रही थी। मैं समझता हूं देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए देश में केवल एक ही जाति के लोग रहते हैं जिन का नाम हिन्दुस्तानी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए और इस हिन्दुस्तानी के लिए, इस भारतीय के लिए, देश की एकता के लिए इस कसौटी पर हर बात कसी जानी चाहिए कि किसी का कोई भी कृत्य, कोई भी कानून कोई भी कायदा, कोई भी ला जो प्रोग्रेस के लिए बनाया जाए, विकास के लिए बनाया जाए, चाहे किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए बनाया जाए, उसके सम्बन्ध में देखना चाहिए कि वह इस कसौटी पर सही उतरता है या नहीं, उससे हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को हानि तो नहीं पहुंचेगी या देश की सुरक्षा को तो हानि नहीं पहुंचेगी। हमारे संविधान के प्रारम्भ में अनेकों प्रावधान किए गए थे जिनके अनुसार यदि हम रिजर्वेशन का प्रस्ताव लें या अनेक ऐसे जो प्रस्ताव थे, उनके लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई थी, एक सीमा निर्धारित की गई थी और उस अवधि के अन्दर उसको पूरा होना चाहिए था लेकिन जनतंत्र में जहां तमाम बड़ी बड़ी खूबियां हैं वहां यह बात भी है कि जनमत का ध्यान देने के कारण कभी कभी हम बहुत वास्तविक तथ्यों से अपना ध्यान हटा लेते हैं ताकि जनमत प्रभावित हो। उसी का आज प्रतिफल है कि बहुत से ऐसे तथ्यों जिनका निराकरण आज नहीं हो पाया है। संविधान में जो दस-दस साल की अवधि की प्रावधान, निराकरण के लिए किया गया था, उस अवधि में यदि वह हल हो जाते तो आज बहुत सारे दूसरे प्रश्न हमारे सामने खड़े नहीं रहते।

आज इन्दिरा जी की शहादत और जनता तथा देश के प्रति उनकी सद्भावना को देखते हुए जनता ने एक ऐसे दल को नेतृत्व दिया जिसका सौ वर्षों का इतिहास रहा है—60 वर्ष आजादी लाने का और 35—40 वर्ष देश में शासन करने का—जिसमें उसकी सफलतायें और विफलतायें भी हैं, जनता ने उस दल के हाथ में शासन दिया है और अब यह अपेक्षा की करती है कि हम क्रांतिकारी कदमों को उठायें जिनकी बिना पर उसने बहुमत प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और इस सदन तथा सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम आजाद हुए थे तो उस वक्त हम हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी के रूप में विभक्त हो गए थे लेकिन आज आजादी के बाद हिन्दुस्तानी—पाकिस्तानी हो नहीं, हिन्दुस्तानी में भी हम कई रूप में विभाजित हो गए हैं जिसके पीछे हमारे कायदे कानून भी एक कारण हैं। सवर्ण हैं, बैकवर्ड हैं और सवर्ण और बैकवर्ड में भी कई किस्म के लोग हैं। अनेक प्रकार से हम विभक्त हो गए हैं। भाषाओं के नाम पर हमने अपने देश का विभाजन करते-करते उसको हर तरह से बांट दिया। प्रान्त को प्रशासनिक और भाषा के क्षेत्रीय यूनिट बनाते-बनाते हमने उसको ऐसे ढंग में ढाल दिया कि आज हर जगह स्पर्धा, हर जगह समस्या खड़ी होती चली गई। हम जहां बहुत कुछ विकास करते चले आए, वहां कुछ उन कारणों जिनको कि हमने देश के हित में समझा, लेकिन आज अनुभव यह कहता है कि हमारे देश के हित में नहीं हुआ, हमको एक क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। इस बात को सोचकर कि जनता ने जो हमको मैनडेट दिया है, वह उस गति से चलने के लिए नहीं दिया है, सीधी गति से या साधारण गति से चलने के लिए नहीं दिया है, बल्कि उसने यह मैनडेट इसलिए दिया है कि फिर देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रश्न आगे न उठें और यह प्रश्न आठवीं लोकसभा के दरमियान हल किए जायें।

क्षेत्रीयता, भाषायी प्रश्न इन्हीं से उत्तेजना पाकर आज ये समस्यायें खड़ी हो रही हैं। पश्चिम में पंजाब के नाम से और पूर्व में असम के नाम में जिसने देश के कण-कण को हिला दिया है, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व को एक महान नेता को अपना बलिदान देना पड़ा, अपनी आहुति देनी पड़ी। आज हर जगह एक प्रश्न जनता के सामने खड़ा हो रहा है और जनता ने इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझा है। जब शासक दल ने इन प्रश्नों को उठाया था, तो विरोधी दल ने बीच में उन प्रश्नों को भी उठाया था, जिन पर कांग्रेस द्वारा सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया गया। कहीं-कहीं वे बातें ठीक भी थीं, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उस को नगण्य माना, उस बड़े प्रश्न के सामने जो देश से संबंधित था। इसी तरीके से आप हमको देखना चाहिए कि क्या हम पुनः इस पर विचार कर सकते हैं कि जो हमारी रिजर्वेशन की नीति है, देश के अन्दर प्रान्तों को छोटा-बड़ा करने की जो नीति है, इस पर पुनर्विचार करके पुनः देश के अन्दर कोई विभाजन नहीं होने देंगे?

एक बात और पैदा हो गई है, जो कि सदन के एक सीनियर सदस्य द्वारा कही गई है। जब प्रश्नकाल के समय आज सुप्रीम कोर्ट की बैंच के बारे में चर्चा हो रही थी, तो प्रश्न उठा कि यह बैंच बाजाब में कहीं हो और हो सकती है या नहीं

हो सकती है। इस पर श्री जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि साउथ इंडिया इज साउथ इंडिया, कहीं भी हो जाये। किसी के दिमाग में यह बात पैदा होना कि एक साउथ इंडिया है और दूसरा नार्थ इंडिया है, यह अवसर इस प्रकार की बात कहने का इस देश में किसी को नहीं मिलना चाहिए। देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि इंडिया इज इंडिया कहा जाए। साउथ इंडिया, नार्थ इंडिया या ईस्ट इंडिया कहने का अवसर किसी को नहीं मिलना चाहिए।

अंतिम बात कहने की नहीं बल्कि रेखांकित करने की है, गरीबी और हिन्दुस्तानी होना, दो ही कसौटी होनी चाहिए इस देश में बनने वाले किसी कानून की ओर इस देश में मदद करने या रिजर्वेशन करने या किसी और चीज को करने की। अन्य कोई बात यदि चलती रहेगी, तो देश को मुख्य धारा के बीच में आने के बजाय लोग देश की मुख्य धारा से अलग होते जायेंगे और उन्हीं शक्तियों को ले कर अपनी ताकत बनायेंगे और देश को खंडित विखण्डित करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

इन शब्दों के साथ में आप के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं, आप ने मुझे यहां कुछ कहने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री ए० सी० षणमुगम (वेल्लोर)। महोदय, अत्यधिक निष्ठा और समर्पण की भावना व्यक्त करते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करने के लिए इस सम्मानीय सभा के वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं।

सर्व प्रथम मैं अपने नेता और तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री, श्री एम० जी० रामचन्द्रन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया है।

श्री एम० जी० रामचन्द्रन के नेतृत्व में चलने वाली हमारी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार तथा संसद में हमारे दल के सदस्य गण अपने प्रिय और प्रगतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को, उनके गरीबी और बेरोजगारी कम करने के प्रयासों में तथा बाहरी संकट के समय में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। राष्ट्र की भलाई के लिये वह जो भी काम करेंगे, उन सभी अच्छे कामों में उन्हें सहयोग देने के लिये हम वचनबद्ध हैं।

मैं महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान को प्राथमिकता दिये जाने के बारे सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

मैं दल-बदल विरोधी विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को इस प्रकार पारित किया जाय जिससे सदस्यों के उन अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े जिन का उपयोग वे इस देश के नागरिक के नाते करते हैं और जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत उन्हें प्रदान किये गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गंगा को कावेरी से मिलाने सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित किया जाये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रस्ताव किया गया था। इस योजना के क्रियान्वित हो जाने से हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रह जायेगी यहाँ तक कि वर्षा न होने के कारण सबसे अधिक खराब मौसम में भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रहेगी।

समाचार पत्रों में रोज ही यह समाचार निकलता रहता है कि राष्ट्रीय राजपथ पर हुई यातायात दुर्घटना में अनेक व्यक्ति मारे गये है। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजपथ पर केवल एक-तरफा यातायात होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि योरोपीय देशों तथा अन्य विकसित देशों के समान दूसरी तरफ के यातायात के लिये दो तरफा राष्ट्रीय राजपथ निर्मित होना चाहिये।

इस संबंध में, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि अपनी महान प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की मध्यस्थता में तेलगू-गंगा चैनल योजना चालू करके तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश की दोनों सरकारों ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाये।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे जिसने प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपये की लागत की एक पौष्टिक आहार योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत 3 से 15 वर्ष की आयु के 10 वीं कक्षा तक के करीब 83 लाख बच्चों को दोपहर का पौष्टिक आहार मिलता है।

7—165 LSS/ND/85

[श्री ए० सी० षणमुगम]

भारत सरकार ने अपनी उद्योगरहित जिलों की सूची में तमिलनाडु के किसी जिले को इस आधार पर शामिल नहीं किया है कि तमिलनाडु के जिले आकार में बहुत बड़े हैं और उनका आकार भारत के अन्य भागों के अन्य जिलों की तुलना में बड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करे और उद्योग रहित जिलों की सूची में तमिलनाडु के कम से कम पांच जिलों को शामिल करें।

केन्द्र सरकार ने मेरे राज्य में किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की है। मेरा सुझाव है कि आगामी बजट में तमिलनाडु में नए उद्योगों की स्थापना की जाए।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि उत्तर अरकॉट जिले में केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के चमड़ा अनुसंधान कक्ष की स्थापना की जाए क्योंकि मेरे जिले में चमड़ा कमाना उद्योग काफी फैला हुआ है। पेरनामबूर वनियमबाड़ी और अम्बूर क्षेत्र इस देश के चमड़ा निर्यात में विदेशी मुद्रा का काफी बड़ा अंश अर्जित करते हैं।

इस जिले में बेरोजगार युवकों की संख्या बहुत है। इस वर्ष संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसी स्वरोजगार प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं को और आगे बढ़ाये।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र अग्रिम धन देने के काम के लिए, जो कि इस समय बैंकों द्वारा किया जा रहा है, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के धन से एक पृथक स्वायत्तशासी सरकारी निकाय की स्थापना करे। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि कुछ संरचनात्मक सीमाएं बैंकरों को इस क्षेत्र में उदारतापूर्ण और तीव्रगामी भूमिका अदा करने में बाधा डाल रही हैं।

मेरा एक विशेष निवेदन है कि सरकार को तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में खुशी होगी जो यातायात को सुगम करने के लिए मद्रास में भूमिगत रेल लाइन बिछाई जाने के सम्बन्ध में भेजा गया है।

मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शक्तियों के प्रयोग के मामले में केन्द्र और राज्य के बीच संबंध बनाने के लिए सरकारिया आयोग बनाया....

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़े महत्वपूर्ण मामले, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद कर रहे हैं लेकिन यहां कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। सदन में मंत्रिमंडल का कम से कम एक सदस्य तो उपस्थित होना चाहिए। कृपया आप यह निर्देश दें कि मंत्री महोदय यहां उपस्थित रहें।

श्रीमती कृष्णा साही : (बेगूसराय) संदेश भेजा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं संदेश भेज रहा हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्रीमंडल के कुछ सदस्य बारी बारी से रहने चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, कृपया बताइये कि यहां किसे उपस्थित रहना चाहिए था।

श्री ए० सी० षणमुगम : राज्यों को अधिक स्वायत्तशासी होना चाहिए। उनके पास लोगों के कल्याण के लिए पर्याप्त अधिकार हों। मैं यह अनुरोध भी करूंगा कि केन्द्र सरकार आयोग को शीघ्र प्रतिवेदन देने के लिए राजी कर सकती है।

राज्य के पास सीमित अधिकार होने पर भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने बड़े जनसमूह के नेता के नाते कई कल्याण योजनाएं आरंभ की जिनसे निर्धन और ग्रामीणों को सहायता मिली। वे योजनाएं हैं—हाईस्कूल तक के बच्चों के लिए दोपहर का पौष्टिक भोजन, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए निःशुल्क बिजली, लघु कृषकों को सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली, भूमिहीन श्रमिकों के लिए मुफ्त धोती और साड़ी, सहकारी विभागों के अंतर्गत गांवों में आवश्यक वस्तुओं की 18,000 दुकानों का खोला जाना। तमिलनाडु के गांवों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आरंभ की गई है। बहुत ही थोड़े समय में वहां 6 विश्वविद्यालय और अधिक व्यावसायिक कालेज खोले गए हैं गांवों में 250 करोड़ रुपये वाली स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। तमिलनाडु सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यन्वित कर रही है।

मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं कि उसने राष्ट्रपति अभिभाषण में श्रीलंका के मामले का उल्लेख किया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में तमिल लोगों की अमानुषीय हत्याएं हो रही हैं। वहां तमिल लोगों को बड़ी निर्ममता और निर्दयतापूर्वक सामूहिक हत्या की जा रही है, उन्हें सताया जा रहा है और उनका कत्ल किया जा रहा है। श्रीलंका में बर्बरतापूर्ण हत्याएं और तमिल स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाओं से न केवल तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है बल्कि इससे देश के अन्य भागों के लोगों को भी दुःख हुआ है। सदन को संबोधित करते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है। महोदय, वास्तव में यह श्रीलंका का आंतरिक मामला नहीं है, श्रीलंका की सशस्त्र सेना के अत्याचारों से, प्रभावित लोग तमिल भाषी हैं। उनमें से कुछ ने भारत में रह रहे तमिल लोगों से विवाह संबंध बनाए हुए हैं, वे मूलतः भारतीय भी हैं। तमिलनाडु में प्रतिदिन श्रीलंका में रह रहे तमिलों के संबंधीगण खून के आंसू रो रहे हैं।

सभी तमिलवासी ऐसा महसूस कर रहे हैं की उनके अपने भाई बंधुओं का कत्ल किया जा रहा है और सिंहली सैनिकों द्वारा उनकी बहनों का बलात्कार किया जा रहा है।

श्रीलंका सेना द्वारा 15 से 35 साल के युवकों को प्रतिदिन सताया जा रहा है और उन्हें जीवित जलाया जा रहा है। श्रीलंका सरकार को इस जनसंहार को तुरंत रोकना चाहिए।

सिंहली सेना का कहना है कि केवल तमिल एलम टाइगर्स को मारा जा रहा है। यह एकदम गलत है। भोलेभाले तमिल स्त्रियों और बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। आपकी अनुमति से मैं श्रीलंका में रह रहे उन तमिलों की फोटो कापीस दे रहा हूं जिनकी श्रीलंका की सशस्त्र सेना द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये फोटो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा सकती है।

उन्होंने अभी तक निर्दोष तमिलों की बड़े पैमाने पर हत्या करना बंद नहीं किया है, बल्कि अब उन्होंने भारतीय समुद्र से मछुआरों को पकड़ कर मारना भी शुरू कर दिया है। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने श्रीलंका नौसेना द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने और हमारे मछुआरों को तंग किए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है। भारतीय सेना ने पिछले सप्ताह समय पर निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय समुद्र में श्रीलंका की नौसेना के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। भारत सरकार की इस कार्यवाही से भारत को हमारे राज्य के मछुआरों को और तमिलवासियों के मन में बहुत उम्मीदें जागी हैं।

मैं इस सम्मानित सदन को एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं कि यदि श्रीलंका अपनी बर्बरतापूर्ण गतिविधियां जारी रखता है तो भारत सरकार को अपनी सशस्त्र सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

मेरा अनुरोध यह भी है कि प्रत्येक बुद्धिमान भारतीय का कर्तव्य है कि वह श्रीलंका के तमिलों के हितों की रक्षा करे और उस द्वीप में स्थायी रूप से सौहार्दता लाने का प्रयत्न करें।

मैं अपनी दिवंगत माँ इंदिरा गांधी जी को स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अपने दल तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं अपने युवा प्रधानमंत्री की महान सफलता की कामना करता हूं कि वह हमारे देश में निष्कपट राजनीति आर्थिक, समृद्धि और एकता लाने में सफल हों।

धन्यवाद।

श्री के० एस० राव (मछली पटनम)। राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं निम्न बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

अपनी जान को खतरे और खुली धमकियों के बावजूद हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने लम्बी अनुभूति और धैर्य के साथ मंदिर में, जो लोगों का पूजास्थल माना जाता है, भारी मात्रा में हथियार लाने वाले आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों को पर्याप्त समय दिया और जब वे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से तय करने के लिए सही रास्ते पर नहीं आए तो उन्हें सशस्त्र कार्यवाही करनी पड़ी। मेरा विचार है कि ऐसी महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सही तरीका यही है कि न केवल उन नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए, जो उन्हें पसन्द थी अपितु अपने सहयोगियों से अनुरोध है कि समूचे सदन तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों को यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि भविष्य में राजनीतिक हत्यायें न हों।

[श्री के० एस० राव]

इस महान नेता की नीतियां अपनाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मैं युवा नेता, श्री राजीव गांधी की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने श्रीमती गांधी के कार्यक्रमों और नीतियों के तीव्र कार्यान्वियन पर अपने विचार व्यक्त किए।

मैं वसूली के संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, परिवहन, और वितरण पर होने वाले व्यय और बिचौलियों का कमीशन बशर्तें ये सभी कार्य स्थानीय प्राधीकृत एजेंटों को उस हद तक करने दिए जायें जिस हद तक उत्पादन उस क्षेत्र की खपत के लिए जरूरी हो। इस तरह से हम उत्पादक को पर्याप्त प्रोत्साहन देने और उपभोक्ता से कम कीमत वसूल कर अधिक से अधिक उत्पादन करने और साथ ही उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पैसा दे सकेंगे।

इसी तरह से उचित दर की अधिक से अधिक दुकानें खोलने के लिए योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों का चयन करके, उनके कार्य-निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखकर और गलत प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए शीघ्र उपाय करके मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता मिल सकती है।

जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ठीक ही कहा गया है कि हमें आत्मसंतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए। ग्रामीणों को विभिन्न उत्पादों अथवा मदों की निर्यात क्षमता तथा उत्पादन को निर्यात के लिए उपयुक्त उत्पाद के रूप में बदलने संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए। सरकार को निर्यात के लिए सभी राज्यों को आवश्यक सुविधाएं देने हेतु पर्याप्त उपाय करने चाहिए। इस संदर्भ में, उदाहरण के लिए, मैं हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कहना चाहता हूं। इससे काफी हद तक विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी और इससे हमें अंडे, मांस, सब्जियों आदि वस्तुओं के निर्यात में सहायता मिलेगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वियन की प्रशंसा करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि आवंटन राशि और भी बढ़ाई जा सकती है। इस देश की निर्धन जनता को मुख्यतः अपने श्रम के लिए ब्याज की कम दरों पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता है जिससे कम कीमत पर अधिक उत्पादन हो और बेरोजगारी की समस्या कम हो।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि आवश्यक राजसहायता देकर वह नई योजनाएं लाये जिसके अंतर्गत शुरू में कम से कम प्रत्येक गांव और पंचायत कार्यालय में तथा बाद में उन सभी छोटे छोटे गांवों में भी, जहां कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, टेलिविजन सेट लगाए जाएं। इस तरह से हम लोगों को शिक्षित कर सकेंगे और उनका जीवनस्तर उठा सकेंगे। जरूरतमन्द लोगों को पेय जल, मकान आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कदमों की सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को आवश्यक सहायता करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि कम लागत पर जिन्सों का उत्पादन करके वे सरकार के प्रयासों में सहायक हो सकें। मैं महसूस करता हूं कि सभी सिंचाई और अन्य परियोजना को पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने की ओर अधिक ध्यान देकर हम जनता की अधिक भलाई कर सकेंगे और इनके पश्चात् नई परियोजनाएं आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस देश की समृद्धि की गति तेज कर सकते हैं। न्यायपालिका व शिक्षा प्रशासनों में किये जाने वाले सुधारों का स्वागत करते हुए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सुधार ऐसे होने चाहिए कि विश्वविद्यालय से जो छात्र निकलें उनमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वे अपने ज्ञान के आधार पर अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें और इसके लिए सरकार आवश्यक पूंजी प्रदान करें ताकि वे सरकारी नौकरियों के पीछे न भागते फिरें।

सरकार ने महिलाओं के कल्याण तथा सांस्कृतिक विकास व अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने का जो निर्णय लिया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। देश की महिलाओं की लगभग 40% अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार इलेक्ट्रोनिक्स, आंतरिक साज-सज्जा, विदेशी भाषाओं, आशुलिपि, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों आदि के द्वारा निर्बाध रूप से जानकारी उपलब्ध करा सकती है।

श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन पर दिए गए बल की सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की विशाल युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए युवक संगठनों को कुटीर उद्योग आदि शुरू करने में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या हल होगी बल्कि उनकी अपनी आय में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। इससे देश में बड़ी समृद्धि आयेगी।

अन्त में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गतिशील तथा व्यावहारिक नेता श्री राजीव गांधी, जो कि परिणाम में विश्वास रखते हैं, के नेतृत्व में सरकार आशातीत तेज गति से लक्ष्यों को प्राप्त करेगी तथा उनके नेतृत्व में जनता को आशाएं हैं, उन्हें पूरा करेगी ।

इस संबंध में, यद्यपि मुझे इस संसद का बहुत कम अनुभव है, मैं विपक्ष के अपने मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वे रचनात्मक कार्य करें तथा रचनात्मक आलोचना करें । रचनात्मक आलोचना की सदैव प्रशंसा होती है और सभी उस ओर ध्यान देते हैं । लेकिन एक समस्या को या एक राय को बारी-बारी से प्रस्तुत करने के बजाय मैंने देखा है कि विपक्षी सदस्य गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, शायद यह सोचकर उनके विचार अध्यक्ष तथा सदन द्वारा सुने जाएं तथा उन पर विचार हो, और इस तरह वे न तो अपने हितों की ही रक्षा कर पाते हैं और न ही लोगों के हितों की यदि सदस्य सदन में या सरकार को लिखे पत्रों के द्वारा रचनात्मक आलोचना करें, तो मैं नहीं समझता कि श्री राजीव के नेतृत्व में यह सरकार इस पर विचार करने में और जनहित के कार्यक्रमों को, जिससे इस देश की जनता को लाभ हो, कार्यान्वित करने मे हिचकिचाएगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट के लिए मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ।

2-00 म० प०

(हिन्दी)

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ष 1984 हमारे देश के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण और त्रासदियों से भरा हुआ रहा है । इसी दौरान हमारे राष्ट्र की महान नेता श्रीमती इंदिरा जी की बड़े विश्वासघाती तरीके से हत्या कर दी गई । कुछ उग्रवादी और आतंकवादी लोगों ने देश के टुकड़े करने की जो साजिश की थी, उसका भी सामना 1984 में ही करना पड़ा । हमारी महान नेता ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक न्यौछावर कर दी पर उग्रवादी तत्वों की धमकियों के आगे या विदेशी रेडियो से जो प्रसारण होते थे, उनके सामने न झुकी और न देशवासियों को कभी झुकने की कोई बात कही । आज हमारी महान नेता भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्होंने जो देश को मजबूत और आत्म-निर्भर बनाने के लिए जो कार्य किए, वे हमारे सामने हैं ।

2-02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उनके नेतृत्व में ही हम हिन्दुस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं । हरेक गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार को मदद मिली है । उनके सफल नेतृत्व से ही भारत चुनौतियों से उभर सका है और इसको हम एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर पाए हैं । जहां तक पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया गया है चाहे वह कृषि उत्पादन, कच्चे पैट्रोलियम के उत्पादन में 121 प्रतिशत वृद्धि की बात हो या औद्योगिक उत्पादन को पिछले पांच वर्षों में 24 प्रतिशत तक करने की बात हो । यह निश्चय ही कठिन और जटिल परिस्थितियों में किया गया । जनता पार्टी के ढाई साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी । लोग, कुर्सी की लड़ाई में और अपने स्वार्थों मे लगे हुए थे तो ऐसे समय मे देश का शासन श्रीमती गांधी ने संभाला था । शायद ही कोई ऐसा नेता होता जो इन विकट परिस्थितियों में जूझकर इतनी मजबूती से देश को छोड़कर जाता । जहां हमे इतनी कठिनाईयों से गुजरना पड़ा, वहीं वर्ष 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाए जाने का निश्चय हुआ । देश की जनता ने राष्ट्र के नौजवान नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व, उनके कार्य करने की क्षमता और दृढ़ निश्चय की भावना पर विश्वास व्यक्त करके देश की एकता और अखण्डता की रक्षा की जिम्मेदारी, श्रीमती इंदिरा जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर आगे बढ़ने का विश्वास उनके हाथों मे सौंपा । कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किए कि जनता ने जो बहुमत दिया है, उसका सम्मान वह नहीं कर पा रहे हैं । हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है । जो वस्तुस्थिति है, वह जनता और राष्ट्र के समक्ष स्पष्ट है । इतना भारी बहुमत आजादी के बाद आज तक कभी भी किसी राजनैतिक दल को हमारे देश में नहीं मिला और इस बहुमत को भी यदि हमारे विरोधी दल के लोग स्वीकार नहीं करते तो फिर क्या कहा जाए, उनके अकल के दिवालियेपन को बखान करने, बयान करने के लिए मेरे पास दूसरे शब्द नहीं हैं ।

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की जो उपलब्धियां रहीं, जिनका विवरण राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में दिया गया है, विशेष तौर पर आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०आर०एल०ई०जी०पी० आदि जितने गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम बने, गरीबी की सीमा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊंचा उठाने के लिए हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से पिछले 5 सालों में बनाए और लागू किए गए, यह सब उपलब्धियां उन कार्यक्रमों के कारण ही सम्भव हो सकीं। यदि आज डेढ़ करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी की सीमा से ऊपर उठ सके, लाखों लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० के अंतर्गत रोजगार के साधन सुलभ हुए तो हम चाहेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन समस्त कार्यक्रमों को प्रमुखता से लिया जाना चाहिए जिससे कि हमारी आदरणीय इंदिरा जी ने जो नारा दिया था—सब को भोजन, काम और उत्पादन— हम उस नारे को देश के ग्रामीण अंचल तक और गरीब के झोंपड़े तक पहुंचा कर वास्तव में अगले 5 वर्षों में लागू करके बता सकें।

सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसकी आज आवश्यकता है, वह यह है कि इन समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर हमें ध्यान देना है क्योंकि चाहे एन०आर०ई०पी० हो या आर०एल०ई०जी०पी० अथवा आई०आर०डी०, उनका क्रियान्वयन ब्लाक स्तर पर जो छोटी मशीनरी होती है, उसके माध्यम से होता है, बैंकों और प्रशासन के अधिकारियों के कोआर्डिनेशन से होता है। जहां हमें सफलता नहीं मिल पाई है, जहां इन कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन नहीं हो पाया है, उसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं—या तो अधिकारी अच्छी तरह से कार्यक्रम को समझ कर नहीं चला सके हैं अथवा उनमें भ्रष्टाचार रहा है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी ने प्रशासनिक सुधार की बात कही है, स्वच्छ प्रशासन देने का वचन दिया है, उसके प्रासस्ट में, छोटे स्तर पर, ब्लाक स्तर पर काम करने वाले जितने अधिकारी हैं, उनमें सुधार की ज्यादा आवश्यकता है, उनको इन कार्यक्रमों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और ईमानदारी से काम करने की हिदायत देनी चाहिए जिससे कि जिन गरीबों के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं, उन तक लाभ पहुंच सके।

अंत में, कुछ बातें मैं शिक्षा नीति के सम्बन्ध मे कहना चाहूंगा। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इस सम्बन्ध मे कई वर्षों से चर्चा भी हो रही है, इसलिए आज हमको चाहिए कि हमारी नई युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्ञान कराया जाए, फ्रीडम फाइटर्स, स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने देश को कैसे स्वतंत्रता दिलवाई, इसके बारे में पूरी जानकारी कराई जाए, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी किन परिस्थितियों में हुई, उन्होंने क्या जिद्दो-जहद की इन सारी बातों को हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाना चाहिए।

यह बात भी सही है कि हमारी शिक्षा नीति रोजगार-उन्मुख हो और इसके रोजगार-उन्मुख होने के लिए यह आवश्यक है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जिले में खोले जाएं और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है कि हर जिले मे केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, हम चाहेंगे कि उस ओर जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाएं।

इन शब्दों के साथ, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण मे जिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा की गई है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ये उपलब्धियां हमारे लिए एक नई रूपरेखा होंगी जो कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में काम करने के लिए देश की जनता के समक्ष रखी हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती अकबर जहान बेगम (अनन्तनाग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रपति की चिन्ता का स्वागत करती हूं। वास्तव में, सभी भारतीयों को यह चिन्ता होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से सम्बन्ध रखते हों।

भारत की जनता ने श्री राजीव गांधी को जो भारी जनादेश दिया है, हम उसे स्वीकार करते हैं। हमें आशा है कि वह भारत को प्रगति और समृद्धि के उच्च शिखर की ओर ले जाने में सफल होंगे।

हम यह भी आशा करते हैं कि श्री गांधी व उनका दल जनता द्वारा जम्मू और काश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस को दिए गए भारी जनादेश को स्वीकार करेंगे।

जम्मू और काश्मीर राज्य में कांग्रेस (इ०) द्वारा बैठाई गई कुछ दलबदलुओं की कठपुतली सरकार ऐसी जनता पर शासन नहीं कर सकती जिसने उसमें अपना विश्वास प्रकट नहीं किया है।

दलबदलुओं की सरकार ने सबसे बुरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, प्रशासन पंगु हो गया है तथा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बहुत गिरावट आई है और इसका शासन में बने रहना निश्चय ही देश के हितों के लिए अहितकर है। राष्ट्रीय हित में लोकतंत्र की गौरवपूर्ण परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए दल-बदलुओं की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और मार्च में अन्य राज्यों के साथ-साथ जम्मू एवं काश्मीर में भी चुनाव कराए जाने चाहिए। जम्मू और काश्मीर की जनता केन्द्र सरकार से कम से कम इतनी अपेक्षा तो करती ही है।

संसद् में जो दल-बदल पर रोक संबंधी विधेयक लाया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। विधान सभा में दल-बदल विरोधी विधेयक लाकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अग्रणी कार्य किया था और उन्होंने इसे विधान सभा द्वारा पारित करवाया था। वास्तव में उनकी दृष्टि में समूचे राष्ट्र का व्यापक हित था। ऐसा अधिनियम पारित करना उनका स्वप्न था। सरकार ने ऐसा विधेयक लाने का फैसला किया है और यद्यपि यह काफी देरी से लाया जा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। यह सबसे बड़ा अनैतिक कार्य है कि संसद् या विधान सभा का एक सदस्य दल बदले तथा अपने दल के साथ विश्वासघात करे।

इस प्रकार के दल-बदल तथा जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात से देश के राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार सहित बहुत सी बुराइयों को जन्म मिला है।

मेरे राज्य में 2 जुलाई, 1984 को मुश्किल से 12 सदस्यों ने दल बदला था। राज्य विधान सभा द्वारा पारित किए जा चुके दल-बदल विरोधी विधेयक के अनुसार उन्हें अपनी सदस्यता से वंचित हो जाना चाहिए था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय कांग्रेस (इ०) ने जी०एम० शाह के नेतृत्व में इन दल-बदलुओं को 27 विधान सभा सदस्यों का समर्थन देकर तथाकथित सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया।

जम्मू और काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस ने सत्ताधारी गुट के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से हराया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दल-बदलुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के परिणामों से पता चलता है कि दल-बदलू अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में हार गए हैं। लोगों का जनादेश लोकतंत्र के अपहारक दल-बदलुओं के विरुद्ध गया है। जनता ने जम्मू और काश्मीर राज्य के इन दल-बदलुओं को अस्वीकार कर दिया है। केन्द्र को चाहिए कि वह राज्य की जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए कठपुतली सरकार को अपना समर्थन देना बन्द कर दे।

गत दो वर्षों के दौरान जम्मू एवं काश्मीर में पर्यटन व्यापार में अभूतपूर्व गिरावट आई है। 2 जुलाई, 1984 को शाह सरकार को सत्तारूढ़ करने के पश्चात् जनता ने न केवल अपने मौलिक अधिकार खो दिए हैं, बल्कि कर्फ्यू लगा दिये जाने तथा राजनीतिक दमन के कारण पर्यटक काश्मीर भ्रमण के लिए नहीं आए। इन घटनाओं के कारण कारीगर, मजदूर, टैक्सी तथा शिकारा मालिक, होटल मालिक, आदि बेकार हो गए हैं। पिछले वर्ष ओला वृष्टि के कारण भी खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ था। केन्द्र से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल थे, विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए, काश्मीर घाटी गए थे। दूह वालों व ख और ग श्रेणी के शिकारा मालिकों को बहुत थोड़ी सहायता दी जा रही है, जबकि अन्य लोगों को इस प्रकार की राहत या क्षतिपूर्ति के लिए शामिल नहीं किया गया है। केन्द्र का उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है। इसने ऐसे कदम उठाने की सिफारिश नहीं की है जिनसे अधिक प्रभावित हस्तशिल्प, शिकारा तथा होटल उद्योगों को कुछ मुआवजा मिल सके या उनका उत्थान हो सके। ऐसी घाटियाँ, जिनका आर्थिक अस्तित्व पर्यटन व्यापार पर आश्रित है, अपनी पर्यटन क्षमता के प्रति केन्द्र की देखभाल तथा ध्यान चाहती हैं, जिसके लिए प्रोत्साहन तथा धन व कौशल निवेश की आवश्यकता है। बेरोजगारों की सूची में प्रति वर्ष हजारों शिक्षित व अशिक्षित युवा लोग आ जाते हैं। केन्द्र को चाहिए कि वह एच०एम०टी० घड़ी कारखाने जैसी औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करे, जो कि पहले ही शानदार परिणाम दिखा रही है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े तथा घाटी में युवा पीढ़ी के दिलों से हताशा को दूर किया जा सके।

प्रो० के० के० तिवारी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की आयु तथा पृष्ठभूमि का आदर करते हुए, मैंने दल-बदल आदि के बारे में उनके अपने दल के नाम का उल्लेख करने पर कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन, मेरे विचार में यदि तटस्थ रूप से देखें तो कार्यवाही वृत्तांत से उनकी पार्टी का नाम निकाल दिया जाना चाहिए। यह एक आंतरिक मामला था।

(व्यवधान)।

सभापति महोदय : हम कार्यवाही-वृत्तांत देखेंगे और तब निर्णय करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला जाना चाहिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सच्चाई यह है कि 26 विधान सभा सदस्यों ने उस दल-बदल को समर्थन दिया था। (व्यवधान) श्री जी० एम० शाह को 26 विधान सभा सदस्यों ने समर्थन दिया था। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : प्रो० रंगा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमन, मेरी जम्मू और काश्मीर से निर्वाचित सदस्य द्वारा उठाये गये विवाद में दिलचस्पी नहीं है कि राज्य पर पुत्र शासन करे या दामाद ! मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्व वक्ता जो, जम्मू व काश्मीर राज्य से माननीय सदस्य हैं, पुत्र व दामाद के बीच के इस झगड़े को निबटाने की कोशिश करेंगे। उससे यह समस्या हल हो जायगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाप व पुत्री के झगड़े का प्रश्न नहीं है। यह राजनीतिक मुद्दा है और इसका इसी रूप में समाधान होना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस टिप्पणी को वापिस लिया जाये, हमने उम्मीदवार को वोट दिये हैं न कि पुत्र को.......।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : 1984 का वर्ष, देश के लिए एक बहुत ही दुःखद वर्ष रहा। इसी वर्ष हमारी ऐसी प्रिय प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कायरतापूर्ण हत्या हुई जो जीवनभर देश एकता व अखंडता के लिए लड़ती रही, जो न सिर्फ देश को बल्कि सारे विश्व के दलितों के लिए लड़ती रही, जो शान्ति के लिए और युद्ध से बचने के लिए लड़ती रही; जिनको इस देश की 70 करोड़ जनता का प्यार व आदर प्राप्त था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि इस विषय में एक जाँच चल रही है। देशवासियों को यह जानने का अधिकार है कि इस हत्या के पीछे कौनसी परिस्थितियां थी व साजिश थी। इस जांच को लम्बा न खींचा जाय तथा तथ्य सामने लाये जाए। इंदिराजी इतिहास में व आने वाली पीढ़ी के लिए अमर हो गयी है। जब तक यह संसार रहेगा तब तक विश्व के सभी लोग इंदिराजी को आदर व सम्मान देते रहेंगे।

महोदय, 31 अक्तूबर, 1984 को भय और आघात के क्षणों में जब हर देशवासी भयभीत था तब श्री राजीव गांधी द्वारा देश की बागडोर सम्भाल लेने की घोषणा से ही उन्होंने राहत की सांस ली थी। उन्होंने अल्प समय में ही अपनी कार्य-क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। ऐसे समय पर उनकी माँ मरी पड़ी थी, जब उन की माँ की लाश सामने थी वह दिल्ली के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और लोगों को शांति का संदेश दे रहे थे। चन्द घंटों में ही उन्होंने दंगों पर काबू पा लिया। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू कर वैयक्तिक आवेग से ऊपर उठकर देशहित को सर्वोपरि माना।

महोदय, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि देश ने अपना अभूतपूर्व जनादेश दिया है। इतने थोड़े समय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो प्रमाण दिया है व उन का प्रगतिशील व युवा नेतृत्व है जनता ने उसे स्वीकारा है यह भी एक सत्य है कि जनता ने विपक्ष को अस्वीकार किया है। जनता ने उनकी फूट व अव्यवस्थित तथा उनके सिद्धांतहीन तरीकों से तंग होकर उसे ठुकरा दिया है। हम व देश आशा करते हैं कि राजीव गांधी जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हम प्रगति पर प्रगति करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कहीं मृग मरीचिका वाली बात न बन जाये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सन 1984 में एक और त्रासदी हुई है इस दुर्घटना को इतिहास में भिसाले नहीं है। इस विषय पर काफी चर्चा यहां की गई है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। ऐसी दुर्घटनाएं फिर से न हों इसके लिए सरकार कोई कसर न छोड़े। ऐसी दुर्घटनाएं पुनः नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की पूर्व वर्ष की उन्नति का विवरण दिया है। हर मोर्चे पर हम उन्नति देखते हैं। एक विपक्ष सदस्य आंकड़े देकर इस उन्नति को नकारने की कोशिश कर रहे थे। "मैं सिर्फ उनसे इस उन्नति की 1977 से 1980 तक की उनकी अपनी कार्य निष्पत्ति से तुलना करने की प्रार्थना करूंगा। 1977 से 1980 के दौरान उन्नति का चक्का हर दिशा में उल्टा चल रहा था व हम हर दिशा में पीछे हो गये थे। लेकिन 1980 से हर दिशा में उन्नति हुई है। कृषि मोर्चे पर हमने 15 करोड़ टन अनाज के लक्ष्य को पार कर लिया है। यह अब तक की सबसे अधिक पैदावार है और सरकार इसके लिए प्रशंसा की पात्र है। उद्योगों में प्रगति हुई है, उद्योगों के बुनियादी ढांचे में प्रगति हुई है, विज्ञान व तकनीक में भी प्रगति हुई है; हमने एनटार्कटिका में अभियान दल भेजे हैं, हमने अन्तरिक्ष में उपग्रह भेजे हैं, अतः इन सब क्षेत्रों में देश ने असाधारण प्रगति की है।

तेल उत्पादन में पिछले वर्ष में 121 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुझे दुःख है कि विपक्ष के पास इस प्रगति को देखने की दृष्टि नहीं है। यद्यपि हमने इन क्षेत्र में प्रगति की है लेकिन हमें अभी इस रास्ते पर और आगे जाना है। बेरोजगारी खास तौर पर नौजवानों की बेरोजगारी जो कि एक समस्या है को हल करना है। हमें और अधिक उद्योग लगाने चाहिए। जो भी उद्योग हम लगायें वह पूंजी प्रधान की बजाय रोजगार प्रधान होने चाहियें।

मैं यह सुझाव देता हूं कि इलेक्ट्रोनिक उद्योगों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रोनिक उद्योग द्वारा हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सकेंगे और साथ ही इसमें पूंजी भी कम लगती है तथा प्रदूषण भी कम होता है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमने कुछ उपाय किये हैं। लेकिन हमें इस ओर और अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि अगर जनसंख्या में इसी प्रकार से बढ़ती होती रही तो जो कुछ भी हम बनायेंगे सब निष्प्रभावीत हो जायेगा। जब हम आजाद हुए तब हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी और अब यह 70 करोड़ है। जो भी प्रगति हमने की वह सब इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने बराबर कर दी है।

सरकार को क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने पर अधिक जोर देना चाहिए। जब हम उद्योग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हम इसलिए उद्योग नहीं लगा सकते क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा, रेल लाईन, सड़क इत्यादी नहीं है। बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि खास तौर पर पिछड़े क्षेत्रों में जहां रेल लाईन, सड़क इत्यादि की सुविधा नहीं है। वहां पहले ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। उसके बाद उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, दुमका में न उद्योग है न कोई रेल लाईन। मेरा यह सुझाव है कि पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो भाषण दिया है और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय रंगा जी ने रखा है, मैं उस का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो विरोधी दल के लोग आये हैं, जनता ने जो मन्डेन्ट कांग्रेस पार्टी और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व को दिया है, उस के सम्बन्ध में उन्होंने जिस प्रकार की बातें कहीं हैं, खास तौर से हमारे मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के भाइयों ने, आपने देखा होगा, पिछली दफा जब मैं पार्लियामेन्ट में था, मैं बराबर कहता आया था इस मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के पांव उखड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे इस का बिलकुल सफाया हो जायगा। इस दफा हमारे 16 आदमी आये हैं और इन के शायद 18-20 आये हैं, लेकिन अब आगे जो असेम्बली का चुनाव होगा, तो निश्चित तौरसे मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी वेस्ट-बंगाल से गायब हो जायेंगे,' जनता का विश्वास उस पर बिलकुल नहीं रहेगा। ये इस तरीके के लोग हैं जो बड़ बड़ बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं ...।

... (व्यवधान) ...

मैं जानता हूं—पांच मिनट का समय है। सभापति महोदय, यदि आप कुछ ज्यादा टाइम दें तब तो मैं तमाम प्वाइन्टस को डिस्कस करूंगा, अन्यथा समय बरबाद करने का क्या लाभ है]............

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति जी, जब शेर दहाड़ता है, तो फिर घन्टी की परवाह नहीं करता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं ऐसा इन-डिसिप्लिण्ड आदमी नहीं हूं। सभापति महोदय, जब भी आदेश देंगे मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि यहां जो दूसरी पार्टी आई वह उस समय बहुत गरजती थी। उन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम हिन्दुस्तान में इस प्रकार की सरकार बनायेंगे। हम को जनता और किसान समर्थन देते आये हैं और इस दफा भी देंगे। हालांकि हम उन की तरह गरजते नहीं थे, लेकिन आप ने देखा कि जनता और किसान ने किस को समर्थन दिया। हमारे यहां फैमिली प्लानिंग में कहा जाता है—हम दो, हमारे दो, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी "हमारे दो" ही रह गये। एक दूसरी पार्टी है—दमकिपा, कोई किसी नाम से बोलता है और कोई किसी नाम से बोलता है—उन के भी हम दो के हमारे तीन ही आ सके। उन्होंने फैमिली प्लानिंग पर पूरा ध्यान दिया। इस का मतलब यह हुआ कि वह अपनी आबादी को नहीं बढ़ने देना चाहते थे, चाहे आबादी के बारे में उन के विचार कुछ भी हों, लेकिन पार्लियामेन्ट में उन्होंने उस का पालन किया ...।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : लेकिन आप ने कांग्रेस की जो नेशनल पालिसी कैमिटी प्लानिंग के बारे में है, उस को तोड़ दिया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस तरीके से ऐसी व्यवस्था इन विरोधी दलों के लोगों ने बनाई है और मार्क्सिस्ट पार्टी, जिस ने इस बहस को शुरुआत की, इन को चाहिए था कि किसी समझदार आदमी को ये खड़ा करते जो इन सारी पालिसीज के बारे में बात करता लेकिन उन्होंने केवल चुनावों के बारे में बातचीत की और चुनावों के बारे में कहा कि किन कारणों से यह मैसिव मेन्डेन्ट मिला । इतना बड़ा मैसिव मेन्डेट जो मिला है वह श्रीमती इन्दिरा गांधी की पालिसीज, जोकि उन्होंने इम्पलीमेंट की, कि वजह से मिला ग श्री राजीव गांधी के नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए मिला ग मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी का सफाया करने के लिए यह विरोधी दलों का सफाया करने के लिए मिला । उन्होंने कहा कि हमें निगेटिव वोट मिला । मगर मैं आप से कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों का बिल्कुल दिवाला निकल गया है । निगेटिव वोट तो इन को सन् 1977 में मिला था । हमें तो बिल्कुल पोजीटिव वोट मिला है और श्री राजीव गांधी देश की एकता को कायम रखें और देश की अखण्डता को कायम रखें, इसलिए इतना बड़ा मेन्डेट दिया है । अब यह बात इन की समझ में आती नहीं है और न इन में इतनी समझ है कि वे इस को समझ सकें । इन्होंने वेस्ट बंगाल का दिवाला निकाल दिया है और अब ये हिन्दुस्तान का दिवाला निकालना चाहते हैं । भारत सरकार ने जितना पैसा इन को दिया, वेस्ट बंगाल में उतना पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया । ये ज्यादा पैसा देने के लिए लड़ते रहे और इसलिए इन को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया लेकिन वह पैसा इन्होंने नान-प्रोडक्टिव वर्क में खर्च कर दिया और इस वजह से ओवर ड्राफ्ट की प्राब्लम भी सामने आई । . . . (व्यवधान) . . . इस प्रकार के हालात इन्होंने पैदा किये । वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को वहां पर भंग कर दे । उस सरकार को वहां पर भंग नहीं किया गया और इस वजह से वेस्ट बंगाल में जो गरीब लोग रहते हैं, जिनको हम लोग मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग मदद करना चाहते हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ रही है और वह मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है । ये अपनी पार्टी केडर को फायदा पहुंचाने के लिए सारे पैसे को बरबाद कर रहे हैं । इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करना नितान्त आवश्यक है ।

अब इतने सारे डैटाज राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में दिये हैं कि हम ने इतनी तरक्की की है लेकिन वह प्रगति इन को दिखाई नहीं देती क्योंकि इन्होंने काला चश्मा लगा रखा है । हिन्दुस्तान ने कितनी प्रगति की है, कई क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है और हमारी सरकार देश को कितना आगे बढ़ाना चाहती है, इस को कोई जानकारी इन को नहीं है । इतना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, वह इन को दिखाई नहीं दे रहा है । इन को स्टेट में फूड प्राडक्शन घटा है और बाकी हिन्दुस्तान में बढ़ा है । इनके यहां जो घटा है, वह इन की गलत नीतियों के कारण घटा है । फूड प्रोडक्शन बढ़े, तो गरीब लोगों को खाने को मिले लेकिन इन में कोई सूझ बूझ नहीं है, कोई अकल नहीं है कि ये ठीक प्रकार की व्यवस्था कर सकें । आप यह देखें कि इन्होंने सारी इन्डस्ट्रीज को ठप्प कर दिया । जूट का इतना बड़ा व्यापार वहां पर था लेकिन जब से इन की सरकार वहां आई, उस का दिवाला निकल गया है और सारे के सारे कारखाने ठप्प पड़े हुए हैं । हम चाहते हैं कि वहां पर कारखाने चलें लेकिन इनका सहयोग हम को नहीं मिलता है । हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं । ये पहले लेबर मिनिस्टर थे । इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वहां पर जूट की इंडस्ट्री को नेशनेलाइज कर के वहां के लोगों को एम्पलाय किया जाए मगर बंगाल की सरकार कुछ सहयोग नहीं देती है । श्री ज्योति बसु केवल पैसे की मांग करते हैं और लोगों को भड़काने की बात करते हैं और कोई कन्सट्रक्टिव प्रोग्राम इन के पास नहीं है, जिससे ऐसे कदम उठाए जा सकें जिन से लाखों लोगों को, जोकि बेकार बैठे हैं, मजदूरी मिल सके और उन को किसी तरह काम पर लगाया जा सके । इन की नीति एक डेस्ट्रक्टिव नीति है, जिस का मंशा यह है कि तोड़-फोड़ की जाए और देश को बरबाद किया जाए । श्रीमती इन्दिरा गांधी की जो आर्थिक नीति थी, उस से देश को मजबूत और ताकतवर बनाया जा सकता है लेकिन वे इस मजबूत नीति को खराब करना चाहते हैं और देश को मजबूत नहीं होने देना चाहते ।

इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि अब हमारा नेता श्री राजीव गांधी जवान है और राजीव गांधी एक मजबूत आदमी है, युवक है, और उन में काम करने का जोश है । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर देश को बनाना चाहते हो और खास तौर से बंगाल को बनाना चाहते हो, तो राजीव गांधी के हाथों को मजबूत करो और जो इनकी नीतियां हैं, उन को कार्यान्वित करके देश को मजबूत और ताकतवर बनाने में अपना योगदान दो ।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। देश ने जो तरक्की की है उस पर बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन अभिभाषण में जो वास्तविक तस्वीर आनी चाहिए थी वह नहीं आयी है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति ने उस काले धन के असर का जिक्र नहीं किया है जो देश को किसी भी राजनीतिक विचारधारा या अर्थव्यवस्था से अधिक शक्तिशाली हो गया है। हमने इस चुनाव में भी देखा है कि देश में काले धन का किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कितना अधिक प्रभाव है। फिर भी उन्होंने इस काले धन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है हम यह तथ्य जानते हैं कि एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था इस देश में चल रही है और वह जीवन के हर क्षेत्र में अपना कुप्रभाव डाल रही है।

मैं इस देश में वास्तविक रूप में जो स्थिति व्याप्त है उस का उल्लेख करूंगा। ऊंचे स्तरों पर काफी भ्रष्टाचार है, अभी हाल में यह सिद्ध हो चुका है यहां तक कि प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इससे अछूता नहीं है। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद से सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है उन्हें जो भी जनादेश उन्हें मिला हो उन्हें उस काले धन के प्रति सावधान रहना चाहिए जो ग्रामीण जीवन सहित हमारे जीवन के हर पहलू में छा चुका है। मैं देश के बच्चों की दयनीय स्थिति का जिक्र करना चाहूंगा। आंकड़ों के अनुसार 14 वर्ष से छोटे आयु के 50 करोड़ बच्चों में से जो कि अफ्रिका के 46 देशों के बच्चों की कुल संख्या से अधिक हैं 90 प्रतिशत कुपोषण के शिकार है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 20 है और इस हिसाब से 130 देशों की सूची में ऊपर से हमारा 27 वां स्थान है।

बच्चों संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार, अगस्त, 1974 में एक समन्वित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में 600 परियोजनों को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था। इसमें 60 लाख बच्चों के लिए पूरक पौष्टिक आहार की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। (व्यवधान) इसलिए हमेशा भारी जनादेश की बात को दोहराने का कोई अर्थ नहीं हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की आधी आबादी अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे है। और हमारी जनसंख्या की 30 करोड़ आबादी पूर्णतय: दूसरों पर निर्भर है। 74 प्रतिशत महिलाएं अनपढ़ है। देश में बहुत सी बिमारियां व्याप्त हैं और यदि सरकार कुछ जोरदार कदम उठाए तो उन्हें दूर किया जा सकता है। परन्तु वे इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। इस लिए जो कुछ भी राजनैतिक मंच पर कहा जाता है उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि चारों तरफ कालाधन का बोलबाला है। इसलिए, नई सरकार को पहली जरूरत है काले-धन से छुटकारा पाने कि जिससे कि भारत में स्वच्छ राजनैतिक जीवन का प्रादुर्भाव हो सकें।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारासट) : माननीय सभापती महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। संसद में यह मेरा पहला भाषण है और आपके माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इस सदन सभी सदस्यों के प्रति अपनी शुभ कामनाएं और सम्मान व्यक्त करता हूं।

मैं पश्चिम बंगाल का निवासी हूं जो कि किसी समय बहुत ही समृद्ध और विकसित राज्य था। बिना किसी पर आरोप लगाये मैं कह सकता हूं कि आज यह बहुत ही पिछड़ा राज्य हो गया है। पिछले दस वर्षों में मेरे राज्य में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बेरोजगारी में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि यहां बैठे मेरे मित्र चाहे वह मार्क्सवादी पार्टी अथवा सी०पी०आई० अथवा किसी भी अन्य दल से संबंधित हो, इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। न सिर्फ, पश्चिम बंगाल के लिए अपितु, मैं कहूंगा कि, भारत के सभी पूर्वी राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ न कुछ विशेष किया जाना चाहिए क्योंकि ये राज्य देश के अन्य राज्यों कि तुलना में पिछड़े हुए हैं। कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम लागू करने की सख्त आवश्यकता है ताकि वे अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकें।

राष्ट्रपति जी ने बहुत सी बातें कहीं जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे हमारे प्रधान मंत्री जी करने की कोशिश कर रहे है और वह है राष्ट्रीय अखण्डता बनाए रखना। राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है कि नई सरकार पंजाब तथा असम की समस्या सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। दो सिखों अथवा देश के बाहर या अन्दर कुछ भारत विरोधी सिखों ने जो घिनौना कार्य किया है उसके लिए समूचे सिख समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सच तो यह है कि सम्पूर्ण सिख समुदाय भारत का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समुदाय है। देश की स्वतंत्रता में इस समुदाय ने जो त्याग और बलिदान किये उसे हम नहीं भूल सकते।

असम पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है असम से हमें स्नेह और लगाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि असम और पंजाब की समस्याओं के समाधान के लिये पूरा राष्ट्र प्रधान मंत्री जी के साथ है।

[श्री तरुण कांति घोष]

अब मैं बेरोजगारी की समस्या पर आता हूं । मेरे विचार से जिस चीज की आवश्यकता है वह है रोजगार पर बल देकर ग्रामीण विकास में तेजी लाना, तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करना । मुश्किल सिर्फ यह है कि हम अभी तक लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योगों की भूमिका को नहीं समझ पायें है कि कौनसी चीजें किस स्तर के उद्योगों में आयेंगी । यह स्वाभाविक है कि लघु स्तर के उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । हमें यह देखना चाहिए कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों कि भांति किस तरह कार्य कर सकते हैं। अतः अगर हम सचमुच ही बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें एक तर्कसंगत औद्योगिक नीति अपनानी होगी । इतनाही नहीं, आज की दुनियां में तकनीकी विकास तथा प्रगति इतनी अधिक हो गई है कि जब तक हमारे उद्योग नई तकनीकीयों को नहीं अपनाते तो देश में उचित औद्योगिक विकास होना मुश्किल होगा । औद्योगिक विकास पर बोलते हुए हम विद्युत की महत्ता को अनदेखा नहीं कर सकते । यह बहुत ही आवश्यक है । मैं अन्य राज्यों की विद्युत की स्थिति नहीं जानता परन्तु दिल्ली में ,यहां तक कि आज सुबह ही बिजली गुम थी । पश्चिम बंगाल में भी विद्युत की स्थिति बहुत ही खराब है ।

सभापति महोदय । कृपया समाप्त करिये ।

श्री तरुणकांति घोष : मुझे पांच मिनट का समय और दीजिये क्योंकि सदन में यह मेरा पहला भाषण है । अतः मैं चाहता हूं कि विद्युत की समस्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । अन्यथा बेरोजगारी की समस्या को हल करना नामुमकिन होगा ।

मैं सरकार की विदेश निति का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं । सोवियत संघ हमारा मित्र रहा है । सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हैं। परन्तु इसके साथ ही हमें अमरिका के साथ अपना आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए । जहां तक हमारे पड़ौसी देशों का संबंध है, हमारे प्रधान मंत्री जी के अच्छे संबंध बनाने के प्रयास को सम्पूर्ण महाद्विप का समर्थन मिला है ।

एक बात और है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वहहै परमाणु बम जो इस समय पाकिस्तान में बनाया जा रहा है । हमें उसे अभी रोकना चाहिये । हमें इस घटना पर ध्यान देना चाहिए, जोकि सम्पूर्ण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक खतरा है । यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार परमाणु बम बनाये । हम परमाणु शक्ति का उपयोग मानव सेवा के लिए करना चाहते हैं न कि विनाश के लिये । फिर भी मुझे विश्वास है कि श्री राजीव गांधी तथा कांग्रेस को जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह देश तथा देशवासियों की सेवा करने के लिये है और आपके माध्यम से मैं सम्पूर्ण विरोधी दलों का सहयोग चाहता हूं ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे भारत का और भावी पीढ़ी के लिये अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें । धन्यवाद महोदय ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के भाग्य का फैसला करने वाले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने तथा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, इस अभिभाषण में रोमांचक अनुभूतियां तथा कठिन परिक्षाका उल्लेख है। वह परिक्षा समाप्त हो चुकी है और हमारी संसद के चुनावों के साथ और सौम्य पुरुष राजीव गांधी के भारत के प्रधान मंत्री बनने के साथ 1985 में एक नव भारत का जन्म हुआ है ।

महोदय, चर्चा के दौरान मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि दोनों ओर से लगातार अनुरोध और चेष्टाएँ की जा रही थी कि एक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाया जाये और सरकारी पक्ष और विरोधी दल के बीच एकता बनाई रखी जाये ताकि संसद उस उत्तरदायित्व को भली भांति वहन कर सके जो उस पर आ पड़ा है । किन्तु कुछ ऐसी प्रवृतियां भी दिखी संसद उस उत्तरदायित्व को भला भांति वहन कर सके जो उस पर आ पड़ा है । किन्तु कुछ ऐसा प्रवृतियां भा दिखाई दी हैं जिनसे मैं काफी विक्षुब्ध हुआ है । महोदय, 1983 के अंत में ऐसे प्रयास हुए जो इस दस्तावेज में उग्रवाद तथा अलगतावाद के बढ़ते हुये आन्दोलन का जिक्र किया गया है । मैं समझता हूं कि अलगवादी तथा इसके समर्थक खामोश नहीं बैठे हैं और हमें इस चुनौती को मामूली चुनौती नही समझना चाहिये । मुझे यह टिप्पणी करते हुये दुःख है कि मुक्य विरोधी दलों की जो अब संसद में इस असहाय स्थिति में आ पहुंचा है, गतिविधियों से ऐसा प्रतित होता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति घृणा फैलाने और सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य का विरोध करने के अपने एकसूत्री कार्यक्रम को भुला नही पाये है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक करके आपके और इस सम्मानित सदन के समक्ष वे सभी मुद्दे रखूंगा जो विरोधी दल के नेताओं से बातचीत से मैं इकट्ठा कर सका हूं। दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी (एम.) के प्रवक्ता जाने माने वकील, संसद में उपस्थित नहीं हैं और उनके व उनके दल के हित के लिये मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यह दूषित प्रचार चुनावों के तुरन्त बाद और श्री राजीव गांधी को मिले भारी बहुमत के पश्चात शुरू हुआ है। वह अवश्य ही असफल होगा।

महोदय, लोग चाहे मानें या न मानें राजीव गांधी, आज भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं। वे भारत देश की एकता और विघटनकारी ताकतों, अव्यवस्था और अस्थिरता के विरुद्ध लड़ाई के प्रतीक हैं। महोदय, अपने चुनावों के पश्चात् राजीव गांधी ने अनेकों अवसरों पर राजनैतिक प्रणाली की पवित्रता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई है और मैं सोचता हूं कि प्रबुद्ध विरोधी दलों द्वारा भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। किन्तु इसका तिरस्कार किया गया और अत्यधिक अपमानकारी, विनाशकारी नारे दिये गये कि यह चुनाव भारत की एकता के लिये भारत की जनता का यह जनादेश, यह बेमिसाल, निःश्चित और पूर्ण समर्थन है। हिन्दू प्रतिक्रिया का परिणाम है। महोदय मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह जनादेश भारत-राष्ट्र को दी गई उन चुनौतियों का मुकाबला करने के समर्थन में है, जिन्हें राष्ट्र ने अभी अभी भोगा है जिसकी भारी कीमत हमने राष्ट्रमाता श्रीमती इन्दिरा गांधी की अत्यधिक क्रूर, नृशंस, हत्या के रूप में चुकाई है।

महोदय विरोधी दलों के नेता कहते हैं और यह प्रेस में भी आ चुका है कि यह एक सहानुभूति लहर थी। मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह एक बहुत ही सामान्य पत्रकारिता है। वह सहानुभूति लहर नहीं थी। यह एक चुनौती थी जिसने भारत की जनता को जगा दिया और जनता ने यह अनुभव किया कि देश की आवश्यकता सहानुभूति की नहीं अपितु पूर्ण समर्थन की थी। यह भारत की जनता का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि इस देश की एकता और अखण्डता को मजबूती से बनाए रखा जाए और कांग्रेस को समर्थन दें जो इस वर्ष 1985 में अपने इतिहास की शताब्दी पूरी कर रही है। और यह सौ वर्ष पुरानी पार्टी 21 वीं शताब्दी में अपनी सामर्थ्य, अपनी दृढ़ता और शक्ति का प्रदर्शन करेगी। एक नए भारत, एक जागरूक भारत का स्वरूप सामने आएगा जो समृद्ध होगा और जिसमें श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में आगे प्रगति करेगा। यह देश आगे बढ़ेगा और इसके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाएं, चाहे वे यहीं के लोगों ने पैदा की हों या बाहरी लोगों ने या उनके जनक बाहरी देशों में हों, उनका सामना दृढ़ता और सख्ती से किया जायेगा। हम मात्र सदन में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पार्टी जिसने देश का नेतृत्व किया है, जिसने शताब्दियों तक आजादी के लिये लड़ाई लड़ी है और आजादी के बाद देश को दिन-प्रति-दिन उन्नति की ओर ले गई है। यह पार्टी महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू और इन्दिरा गांधी के बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। महोदय पार्टी की ओर से मैं विरोधी दल को आश्वासन दे सकता हूं कि हम आस्तीन के सांप नहीं पलने देंगे। इसके अतिरिक्त हमें विश्वास है कि भारत की जनता के ठोस समर्थन से, जिसका देशभक्ति पूर्ण और राष्ट्रवादी पक्ष आपने इस भारी जनादेश में देखा-यह हिन्दू प्रतिक्रिया नहीं थी—और इस भारत के उन देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग के समर्थन से, जिन्होंने जाति धर्म और प्रदेश के सभी बंधनों को तोड़ कर हमारा साथ दिया है, हम इस देश के सम्मान की रक्षा कर सकेंगे और देश को प्रगति के पथ पर ले जायेंगे। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मतदान में हेराफेरी का जिक्र किया गया है। मैं इस प्रकार के झूठे और दोषपूर्ण आरोपों में विस्तार से नहीं जाऊंगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि ये सब उस जनादेश को झुठलाने के लिये लगाए जा रहे हैं जो भारतीय जनता ने कांग्रेस को दिया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार का जनादेश मिलेगा, इसी लिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं।

मैं विपक्ष से सहयोग की बात से पूरी तरह सहमत हूं; लेकिन टकराव के वातावरण को समाप्त करना होगा। मूल बात यह है कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं का रवैया हमारे लिए जोखिम भरा है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

प्रो० के०के० तिवारी: यह मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने कभी भी इस सभा में 40 मिनट से कम भाषण नहीं दिया है।

सभापति महोदय: यह अन्य सदस्यों, जो बोलने को प्रतीक्षा कर रहे हैं, के साथ भी अन्याय होगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं विपक्ष के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा।

मैं प्रो० मधु दण्डवते की काफी इज्जत करता हूं। कल उनके दल के सदस्य लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे थे। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता था, लेकिन सी०पी०एम० और जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा भड़काये जाने के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने पंजाब का जिक्र किया। हमारे नेता, श्री राजीव गांधी ने शुरू में ही घोषणा कर दी थी कि उनका पहला कार्य पंजाब और असम समस्याओं को सुलझाना होगा। और इसके लिए वह हर सम्भव प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे विरुद्ध झूठा प्रचार किया जा रहा है। मैं इस सभा से और विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि और जनता को बताना चाहता हूं कि क्या विपक्षी दल वास्तव में पंजाब समस्या हल करने में इच्छुक है, क्या पंजाब के बारे में उनका बोलना अच्छा लगता है? शुरू से ही वे चोर से चोरी करने और शाह से जागते रहने की बात करते रहे हैं। पंजाब के बारे में उनके इस अनिश्चित और दोगले रवैये से ही यह स्थिति पैदा हुई है।

कॉन्क्लेव राजनीति का जिक्र किया गया। पहला कान्क्लेव सनकी तेलगू देशम पार्टी द्वारा विजयवाड़ा में किया गया। इस दल ने सभा में उपस्थित कई एक मित्रों को शरण दी . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह किसी राजनीतिक दल को सनकी नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

श्री के० के० तिवारी : विजयवाड़ा में एक कॉन्क्लेव हुआ जब वह कॉन्क्लेव हुआ, तो उनके सामने आनन्दपुर साहिब संकल्प थे। यह बात सबको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आनन्दपुर साहिब संकल्प और अकाली नेताओं के भाषण और इस संकल्प के प्रति उनका दृष्टिकोण भारत को, विभाजित करने की मांग है। जब यह कॉन्क्लेव हुआ, तो इसके सामने आनंदपुर साहिब संकल्प था। क्या विपक्ष के हमारे उन विपक्षी नेताओं ने जो वहां काफी संख्या में मौजूद थे, का विरोध करने के साथ यह कहा था कि यदि मिलकर इन्दिरा गांधी का विरोध करना है, यदि अकाली दल उनके साथ मिलना चाहता है तो उसे संविधान की शपथ लेनी होगी, भारत की एकता बनाए रखने की शपथ लेनी होगी और आनन्दपुर साहिब संकल्प को छोड़ना होगा? क्या ऐसा किया गया? (व्यवधान) कृपया अपनी छवि को धूमिल न करें। क्या उन्होंने कभी भी अकाली नेताओं से कहा है कि जब तक वे आनन्दपुर साहिब संकल्प को नहीं छोड़ते, वे उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे?

यह केवल आन्ध्र में ही नहीं हुआ बल्कि बाद में यह राजनीतिक कान्क्लेव सब स्थानों को छोड़कर श्रीनगर में हुआ. (व्यवधान) . . . उन्होंने यह कान्क्लेव कहां-कहां किये, यह काफी महत्वपूर्ण है। पहले यह आन्ध्र प्रदेश में किया गया, उसके बाद यह श्रीनगर और पश्चिम बंगाल में किया गया . . . । . . . (व्यवधान) . . .

3-00 म० प०

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(व्यवधान)

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रो० मधु दण्डवते जैसे, विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य इन दो कठोर मांगों को कैसे इकट्ठा किया? यह केवल इतिहास की बात नहीं है। केन्द्र-राज्यों संबंधी को नया रूप देने की मांग विपक्ष द्वारा उठाई गई। अकाली दल की पहली और अन्तिम मांग है आनन्दपुर साहिब संकल्प है। स्पष्ट रूप से आनन्दपुर साहिब संकल्प एक पृथकतावादी और विघटनकारी दस्तावेज है। यह संकल्प सभी जगह, प्रचारित किया गया, न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में और उन देशों में भी जोकि हमारे प्रति शत्रुता रखते हैं। आप उनके नाम जानते हैं। जब इस संकल्प का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया तो विपक्ष ने केन्द्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और उस समय, शायद प्रो० मधु दण्डवते जानते होंगे कि . . . (व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिये। आप जान जायेंगे। यह मात्र संयोग ही नहीं था कि विश्व बैंक ने भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों, अर्थव्यवस्था की रचना, राजस्व का बंटवारा और इसी प्रकार के मामलों संबंधी तीन प्रकाशन जारी किये।

आपही के अनुसार, अकाली दल एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। मेरा आरोप यह है कि अकाली दल के प्रधान मन्त्रियों ने हमारी प्रधान मंत्री की निर्मम हत्या की निन्दा करने से इन्कार कर दिया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : बड़ी शर्मनाक बात है।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आप में से किसी ने भी कहा कि, "आज के बाद हम अकाली दल से कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि वह एक ऐसा दल है जिसने प्रधान मंत्री की हत्या की निन्दा नहीं की ?" क्या ऐसा हुआ ?

(व्यवधान)

चुनाव के दौरान अकाली दल की घोषणा एक निश्चित और कर्कश निर्णय के रूप में सामने आयी। अकालियों ने कहा कि वे विपक्ष का समर्थन देंगे।

(व्यवधान)

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह न केवल अपने समय से अधिक समय ही ले रहे हैं, बल्कि हम पर आरोप भी लगा रहे है जोकि ज्यादातर बेबुनियाद और बिना वजह हैं। अपने निर्धारित समय से अधिक बोलने और वह भी हम पर आरोप लगाने आदि को सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठे हुए हैं। आपको उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहना होगा। आपको उन्हें इन सब बातों को न कहने के लिए भी कहना होगा।

सभापति महोदय : वह कांग्रेस दल को निर्धारित समय का ही प्रयोग कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कोई निरर्थक बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल मुद्दे सामने रख रहा हूं। ऐसा हुआ है। आनन्दपुर साहिब संकल्प के बारे में विपक्ष की भूमिका बिलकुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

मैं विपक्ष को सूचना देना चाहता हूं कि अभी भी काफी गम्भीर बातें हो रही हैं। हालांकि उग्रवादियों की गतिविधियां कुछ कम हुई है, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हमें क्या करना चाहिए ?

उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में, सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, उनके अपने राष्ट्रीय नियमों अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों को ताक पर रखते हुए, ब्रिटिश सरकार वहां पर उग्रवादियों को शरण दे रही है और वहां पर शिविर लगाये जा रहे है। अगर आप चाहें तो मैं ब्रिटिश संविधान से संबंधित नियमों को पढ़ सकता हूं।

सभापति महोदय : कृपया भाषण जल्द समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इसमें विस्तार से बोलने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मुझे बताइये कि कैसे देशद्रोही जगजीत सिंह चौहान ने बी०बी०सी० पर मार डालने की धमकी दी? शायद समग्र विश्व में यह अपने आपकी पहली घटना थी। कभी बी०बी०सी० नेटवर्क पर न्याय के विरुद्ध, न्याय से परे प्रधान मंत्री को सन्निकट हत्या की खबर दी गई। यही नहीं, उनकी हत्या के बाद भी, उस व्यक्ति को पुनः प्रसारण की अनुमति दी गई। वह फूला नहीं समाया और उसने पुनः भाषण दिया। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सभा से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विपक्षी नेता ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। जब हमारे हवाई जहाजों का अपहरण किया जा रहा था, जब अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान में सभी सुविधाएं दी जा रही थी, जनता पार्टी के दो नेता पाकिस्तान में श्री जिया-उल-हक के मेहमानी स्वीकार कर रहे थे। आप श्री बीजू पटनायक का भाषण पढ़ कर देख लीजिए। उन्होंने भारत आकर पाकिस्तान की प्रशंसा की। यह सिल-सिला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं विपक्ष से खुले मन से बातचीत करना चाहता हूं। देश की एकता, अखण्डता की कीमत पर कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए....

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कई और विषयों पर भी बोलना चाहता हूं...

सभापति महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। कृपया दूसरों को भी बोलने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हालांकि मेरा भाषण अभी कुछ देर और चलना था। मुझे कई और मुद्दों पर बोलना था। ठीक है, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से यह निवेदन करूंगा कि मैं हिन्दी में बोलने का साहस कर रहा हूं। जैसा कि हमारे बारे में बताया गया कि हम दो, हमारे दो तो उनमें से एक

[श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी]
में भी हूं और आप लोगों का पूरा सामना, समाधान मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है। आप चार सौ हैं और हम दो हैं, इसलिए चार सौ का जवाब दो को ही देना पड़ेगा। (व्यवधान) अगर मैं तलुगू में बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आयेगा इसलिए मैं हिन्दी में बोल रहा हूं ताकि आप समझ सकें। मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपको समझ में आ जाए, इसी लिए हिन्दी में बोल रहा हूं। (व्यवधान) अगर इस तरह से आप करेंगे तो मैं फिर तलुगू में बोलूंगा और फिर आपको खाली बैठना पड़ेगा (व्यवधान)

सभापति महोदय, चुनाव तो होते रहते हैं जिसमें कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। मैं सन् 1952 से चुनाव देखता आ रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार चुनाव में इन्दिरा कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ है। लेकिन यह नेशनल कांग्रेस नहीं है, इन्दिरा कांग्रेस है। यह सौ साल वाली कांग्रेस नहीं है, सिर्फ 11 साल की इन्दिरा कांग्रेस है। (व्यवधान) मैं कांग्रेस का मेम्बर नहीं रहा हूं, यह सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं कि सौ साल की कांग्रेस है, तो यह सौ साल की कांग्रेस नहीं है, सिर्फ इन्दिरा जी की कांग्रेस है। इन्दिरा जी के देहान्त पर हम विरोधी दल के लोग तो शोक प्रकट कर रहे थे लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका लाभ उठाया। इन्दिराजी तो मर गई... (व्यवधान) मैं तो अभी बोला भी नहीं हूं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, इसीलिए हिन्दी में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप किसी भी भाषा में बोलें, तो वे समझेंगे नहीं।

श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी : ये लोग इन्दिरा जी के देहान्त के प्रति शोक प्रकट कर रहे थे। इन के कांग्रेस के एक नेता ने बतलाया—इन्दिरा जी मर गई हैं, अब उन के नाम पर वोट मांगेंगे और फिर एक बार यहां कांग्रेस की सरकार आयेगी। हम ने देखा है—इन के नेता हैं—वसंत साठे, जो इस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिवाजी मैदान में इन्दिरा जी का कलश लेकर क्या कहा—,

इन्दिराजी की याद में, राजीव के साथ में, मोहर लगेगी हाथ में।

इसका क्या मतलब है ?....

श्री भानुप्रताप शर्मा (विदिशा) : मोहर लगेगी हाथ पर और वास्तव में मोहर हाथ पर लगाई गई।

श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी : मैं भी यही कह रहा हूं। आप इन्दिराजी के देहान्त के कारण जीत कर आये, सिद्धान्तों के बल पर जीत कर नहीं आये हैं। 1971 में बैंकों का नेशनलाइजेशन कर के, प्रीवी पर्सों को रद्द कर के, राष्ट्रपतिपद के लिये श्री संजीव रेड्डी का नामिनेशन पेपर भर कर, लेकिन श्री गिरी को जिता कर, उस समय कांग्रेस को अलग कर के यहां लाये लेकिन उस के बाद एमर्जेन्सी में आप ने जो किया उस का परिणाम निकला कि आप 1977 में हार गये......

श्री मुरलीधर माने (नासिक) : लेकिन 1980 में फिर आ गये।

श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी : मैं भी यही बतलाना चाहता हूं। आप ... ज्यादा की संख्या में इन्दिरा जी की सहानुभूति पर यहां आये हैं। अब आन्ध्र प्रदेश में ... स्टार मुख्य मंत्री बने तो आप ने यहां क्या किया—अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और वैजयन्तीमाला के पीछे पड़ गये। उन को यहां लाये, आप को शर्म आनी चाहिये। हमारे ... एक पोस्टर आया जिसमें इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और हमारे यहां के एक फिल्म ... "कृष्णा" तीनों को बराबर का दर्जा दे कर उस पर छापा गया था। उस वाल-पोस्टर पर इन तीनों के नीचे ... का फोटो और हाथ का फोटो छपा था। इन तीनों का फोटो साथ-साथ दे कर कांग्रेस के लिये वोट मांगा गया था (व्यवधान)....

श्री भानुप्रताप शर्मा (विदिशा) : तेलुगु देशम् भी तो इसी तरह ... कर आया है।

श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी : आप सिनेमा स्टार को नेशनल स्तर पर लाये हैं, इन्दिरा जी के साथ लाये हैं—इस के बारे में आप को शर्म करना चाहिये। इन्दिरा जी जैसे नेता के साथ कृष्णा जैसे फिल्म स्टार को बराबर बना दिया।

श्री भानु प्रताप शर्मा : रामाराव भी फिल्म स्टार हैं।

श्री चंद्रुपाटला जंगा रेड्डी : वह मुख्य मंत्री हैं और फिल्म स्टार भी हैं। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि आप का चुनाव प्रचार बिलकुल गिर गया है, इस के लिये आप को अफसोस करना चाहिये।.....

[अनुवाद]

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : सिनेमा सितारे भी भारतीय नागरिक होते हैं। इसमें बुराई क्या है? श्री एन० टी० रामाराव के बारे में आपके क्या विचार हैं?

[हिन्दी]

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी : मैं मानता हूं कि सिनेमा स्टार भी इण्डियन सिटिजन हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इन्दिरा जी के साथ कृष्णा की फोटो रखना हमारे देश के लिये, कांग्रेस के लिये दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य है। एक सिनेमा स्टार इस बारे में कुछ नहीं जानता और इन्दिरा जी को इस के साथ रखना कहां तक मुनासिब है। मैं यह बोल रहा हूं। क्या इन्दिरा जी के साथ कृष्णा का कम्पेरीजन किया जा सकता है, मैं यही बोल रहा हूं। इस प्रकार से कितना दुष्प्रचार हुआ है, यह मैं बता रहा हूं। आप के राजीव गांधी ने विशाखापत्तनम में क्या बोला, यह आप को मालूम है। उन्होंने कहा था,

3-20 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

एन० टी० आर० * * हैं। प्रधान मन्त्री होने के नाते क्या वह इस प्रकार का प्रचार कर सकते हैं? यह क्या उन को शोभा देता है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् (सलेम) : सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इसी मुद्दे पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजनदास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में निदेश दें कि क्या यह नये सदस्य सभा के अन्य किसी सदस्य के बारे में उसकी शिक्षा, स्तर, धर्म या जाति के बारे में आलोचना करें। विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार से सिनेमा सितारे की आलोचना करना, न केवल उनका अपमान हुआ है बल्कि उन मतदाताओं का भी अपमान हुआ है, जिन्होंने उनको निर्वाचित करके भेजा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह उन फिल्मी सितारों का भी अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अभी इस सभा में आना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार के हवाले न दीजिए, और मुख्य मुद्दे पर ही बोलिये।

[हिन्दी]

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी : मैं इन के भाषण तीन दिन से सुन रहा था। (व्यवधान) बगैर मिर्च और मसाले के सब्जी में रुचि नहीं होती है।...(व्यवधान)...

मैडम, मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस का किस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ। खालिस्तान का जो नारा था, उस के खिलाफ बी०जे०पी० ने कहा और पूरे विरोधी दलों ने उस के खिलाफ कहा मगर आप के टी०वी० में और रेडियो में क्या प्रचार हुआ। आनन्दपुर साहिब का जो प्रस्ताव है, उस के खिलाफ बी०जे०पी० ने कहा और उस का विरोध किया मगर आप लोगों ने उस का दुष्प्रचार किया। अब मैं राजीव गांधी जी से, प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम अब तो अच्छी बात बोलिये। पूरे विरोधी पक्ष ने उस के खिलाफ बोला था मगर वोट मांगने के लिए चुनाव में दुष्प्रचार किया गया और इस तरह से वोट मांग कर आप इतने सारे लोग आए हैं, इस में हमें आपत्ति नहीं है। जो जनता का मेन्डेट है, उस को हम स्वीकार कर रहे हैं, मगर कम से कम यह हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने इलेक्शन के पहले जो कहा था, उस में सुधार करें और करेक्शन कर के जनता के सामने असली बात लाएं और विरोधी दलों से मिल कर वे देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

]सभापति महोदय : अपने मुद्दे पर न आयें। मैं अगले वक्ता को बोलने के लिये पुकारूंगा। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री चंगुवाटला बंगा रेड्डी : मैडम, राष्ट्रपति जी के भाषण में किसानों के बारे में कहा गया है। मैं आपके द्वारा इस विषय में कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों से निवेदन करूंगा....]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने काफी समय बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री चंगुवाटला बंगा रेड्डी : किसानों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। किसानों को सरकार की ओर से कोई मदद मिली या नहीं मिली लेकिन किसानों ने अपनी भूमि को स्वयं बोया।...(व्यवधान)

]अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल अब आप मुद्दे पर बोल रहे हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी].

श्री चंगुवाटला बंगा रेड्डी : मैं एक ही बात आप को बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से किसानों को बढ़ी हुई प्राइस न देने पर भी, उसको सुविधाएं न मिलने पर भी उन्होंने अपना भूमि में अन्न पैदा किया और किसान देश की पूरी जनता को अन्न दे रहा है। आपको किसान को पूरा कम्पैनसेशन देना चाहिए, उसको रेम्युनरेटिव प्राइस देनी चाहिए। किसानों की उपज के बारे में जो प्राइसिज कमीशन है उसमें किसानों की तरफ से भी कोई मेम्बर होना चाहिए और कमीशन को किसानों के इनपुट्स को देखकर कीमत तय करनी चाहिए, किसान को मूल्य देना चाहिए।

यह कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू पुसापति (बोबिली) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस चर्चा में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण आर्थिक रूप से सुगठित नहीं है। चाहे उन्होंने परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया हैं लेकिन उन्होंने खाद्यान्न, कार्य और उत्पादकता उपलब्ध कराने के लिये किसी नीति का उल्लेख नहीं किया है। खाद्यान्न, कार्य और उत्पादकता वस्तुपरक हो सकते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है। इसे उपलब्ध किस प्रकार कराया जाये? इस बारे में एक नीति तथा परिचालनात्मक योजना हो और इसके अतिरिक्त वे इस योजना में जिसके बारे में वे बोल रहे हैं, वह आंकड़ों को हिसाब से भी उसके उपयुक्त होनी चाहिये। आंकड़ों मे अधिक अंतर से प्राय: धोखा हो सकता है क्योंकि इन्हें उचित रूप से एक साथ जोड़ना होता है। केवल इन्हें एक साथ जोड़ने पर और समझने पर ही रोजगार देने का हल निकाला जा सकता है।

अब मैं उल्लेख करना चाहता हू कि रोजगार देने की बजाए इसके बारे में कहते रहना आसान कार्य है। क्योंकि इस समय आपको पता है कि पूंजी निर्गम अनुपात में वृद्धि हो रही है। इससे पूर्व पहली पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात लगभग 3:1 अथवा 2.5:1 था। इस समय यह अनुपात बढ़कर 5:1 अथवा 6:1 हो गया है।

विकसित देशों की तुलना में भी पूंजी निर्गम का अनुपात अधिक है। अत: निर्गम अनुपात को बढ़ाने के लिये उपलब्ध कराई गई अत्यधिक पूंजी के बिना रोजगार की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उत्पादकता मे उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। यह भी प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये।

तीसरा मुद्दा यह है कि पूंजीगत तथा सामाजिक आधारभूत ढांचा भी अत्यन्त खराब स्थिति में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने उल्लेख किया है कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, कोयले और बिजली के उत्पादन में 32 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और अशोधित तेल के उत्पादन में 120 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आधार वर्ष के उत्पादन पर विचार नहीं किया है। यदि आधार वर्ष में उत्पादन अत्यंत

कम है तो स्पष्टतया वृद्धि का प्रतिशत वृद्धि का सही प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । साथ ही थोक मूल्य-सूचकांक के आंकड़े बहुत गुमराह करने वाले हैं । यह बताया गया है कि 1984 में थोक मूल्य में केवल 4.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी । लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि खुदरा मूल्य सूचकांक अधिक था । खुदरा मूल्य सूचकांक के आंकड़े वास्तविक चित्र दर्शाते हैं । इस समय ऐसी कौनसी मदें हैं जिन्हें थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े तैयार करने के लिये शामिल किया गया है । थोक मूल्य सूचकांक निकालने के लिये मात्र अत्यन्त सीमित संख्या में मदों को शामिल किया गया है । अतः यह थोक मूल्य में वृद्धि का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता है ।

योजना आयोग ने योजना परिव्यय को तैयार करते हुए मुद्रा-स्फीति पर ध्यान नहीं दिया है । वे केवल योजनायें तैयार करते हैं और सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित किये जाने की आशा करते हैं । लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती जाती है और देश की योजना तैयार करते हुए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर विचार नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त यदि वे योजनाओं में निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं कर सकते तो वे इन्हें अगले वर्ष की योजना मे ले जाते हैं और इन्हें पीछे से चली आ रही परियोजनायें कहते हैं ।

इस समय भारत सरकार की औद्योगिक नीति भी दोषयुक्त है । इससे पूर्व 18वीं और 19 शताब्दी में लोगों के दस्तकारी आदि जैसे अन्य कारोबार थे । लेकिन इस समय वे अधिक रोजगार प्रधान कार्यक्रम हैं जिसका कारण सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति है । लेकिन सरकार की औद्योगिक नीति से रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप नौकरियां खोनी पड़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आई है । इस स्थिति में सुधार करना पड़ेगा । केवल भाषणों अथवा कुछ लच्छेदार शब्दों द्वारा इसमें सुधार नहीं हो सकता है । इससे पूर्व 1971 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा 'गरीबी हटाओ' था । 1980 में उन्होंने कहा 'ऐसी सरकार जो कार्य करे' । चुनाव अभियान के लिये ये नारे अच्छे हैं । लेकिन व्यवहार में यह कार्य नहीं करते हैं । किसी व्यक्ति को केवल आलोचना के लिये आलोचना नहीं करनी चाहिये । अब मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इच्छा व्यक्त की है कि वह देश की प्रगति के लिये विपक्ष का सहयोग लेंगे । इस बारे में हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा देश आत्म-निर्भर बने । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जन साधारण को सामाजिक न्याय किस प्रकार मिलेगा । केवल इसका उल्लेख किया गया है । योजना प्रक्रिया में सामाजिक न्याय केवल शब्दों द्वारा नहीं हो सकता है । औद्योगिक तथा कृषि संबंधी नीतियों में यह आधार-स्तंभ है और आर्थिक नीति में जब तक देश के समाजवादी सिद्धांत धर्म-निरपेक्ष सिद्धांत और लोकतंत्री ढांचे को बनाये नहीं रखा जाता तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं । तेलुगु देशम पार्टी के उप-नेता के रूप में इस प्रयास के लिये हम अपना भरपूर सहयोग देंगे ताकि हमारा देश समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रेसर हो सके ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, देश की सारी पार्टियां एक होना चाहती थीं और हम भी चाहते थे कि वे एक हो जाएं । लेकिन दिलों से एक नहीं हो पाती थी । वे केवल सत्ता हड़पने के लिए एक होना चाहती थी। इस सत्ता हड़पने की नीति ने एक नहीं होने दिया । जब आपका दिल, दिमाग और विचारधारा एक नहीं हुई तो उसका परिणाम आपके सामने है । हमारे नेता ने कहा है कि इस बार विरोधी दल का ज्यादा आदर करना होगा की हमें केवल विरोधी दल के बड़े-बड़े नेताओं के भाषणों को ही ध्यान पूर्वक नहीं सुनना है बल्कि उनसे यह आशा भी रखनी है कि उन की ओर से रचनात्मक सुझाव आने चाहिए । अगर रचनात्मक सुझाव मिलते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन सुझावों को अमली रूप देने के लिए तैयार है । केवल हिन्दुस्तान ही नहीं परन्तु सारा संसार इस बार बात को देख रहा है कि एक जवान व्यक्ति हमारे देश का प्रधान मंत्री बना है । उसने इरादा कर लिया है कि ईमानदारी और नेकनीयती से काम किया जायेगा । उसने राजनीति को सेवा का विषय माना है । अब राजनीति स्वार्थ का विषय नहीं रही है । एक चुनौती दी है कि राजनीति में जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको उसी तरह से निकाल दिया जायेगा, जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाला जाता है ।

श्री नारायण चौबे : बहुत मक्खियां हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अपना मुंह बंद रखिए और अपनी धर्म को बोलकर मत मिटाईए । एक बहुत बड़ा निर्णय देश के सामने है । राजीव जी ने एक कदम उठाया है कि राजनीति धर्म की नीति के आधार पर होगी और गांधीजी के उसूलों तथा आदर्शों पर चलेगी । टी०वी० और रेडियो पर भी राजीव जी का ज्यादा नाम नहीं लिया जाता । क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को कामों से आंका जायेगा । उसका मूल्यांकन बातों से नहीं होगा । सबसे पहले आते ही उन्होंने एलान किया कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । बातें कम, काम ज्यादा ......(व्यवधान) राजीव गांधीजी के आने के बाद देश में एक नया मोड़ आया है।.....(व्यवधान) एक स्वस्थ राजनीति कायम रखने के उद्देश्य से सरकार दल-बदल को रोक रही है । सन् 1969 में एक कानून बना और हमने भी कई बार कोशिश की । लेकिन, राजीव जी ने निर्णय ले ही लिया कि आया राम और गया राम की जो नीति है, उसको खत्म किया जायेगा । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसकी सराहना की है । यह कानून जल्दी बन जायेगा और बनने के बाद लागू हो जायेगा । राजीव जी के कदम देश को आगे बढ़ाने के कदम हैं, पीछे धकेलने के नहीं है । राजनीति के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि हम सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, कांग्रेस की नीतियों और देश को ऊंचा उठाने की नीतियों को लेकर आए हैं । उसी के आधार पर हम चलेंगे और उसी प्रकार से उन्होंने अपने कार्यक्रम बनाए हैं । पर्यावरण के बारे में भी आप लोगों को मालूम होगा । उन्होंने कहा है कि गंगा नदी को प्रदूषण से मिटाने की कोशिश करेंगे ....(व्यवधान) जहां तक पानी का सवाल है, पानी तो आपका नहीं रहा है, आपका पानी कम हो गया है और वह तो बिल्कुल ही कम हो गया है ।

(व्यवधान)

मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी का पानी कम हो जाए, या आपका पानी कम होना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदया, ये लोग बीच-बीच में रुकावट डालकर जिस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं, वह उनकी कमजोरी को दर्शाता है, कमजोरी का प्रतीक है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मायूस, खिन्न और उदास मत होईये, कांग्रेस पार्टी आपके सही सुझावों का समर्थन करेगी, उन सुझावों को मानेगी और हमारी नीति यह होगी की सही सुझावों पर समर्थन व्यक्त किया जाए। इस बार तो आपको रचनात्मक काम करना चाहिए, सरकार को सहयोग देना चाहिये और अच्छे सुझाव देने चाहिए । कांग्रेस बहुमत में होते हुए भी आपके सुझावों पर पूरा ध्यान देगी, हम आपके रचनात्मक सुझावों का सहर्ष आदर करेंगे और स्वागत करेंगे । हमारी कांग्रेस पार्टी की यही नीति होगी । इस नीति के कारण ही यह देश आगे बढ़ेगा और जल्दी ही आप एक नया भारत देखेंगे ।

धन्यवाद ।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदया, रूलिंग पार्टी के सदस्य ठीक कहते हैं कि जनता ने हमें जो काल दिया है, हम सब को उसे मानना ही पड़ेगा और उसके विषय में यहां बात करने में, एक दूसरे के टाइम को बर्बाद करने में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन इन चुनावों में आपने जनता को जो आश्वासन दिये थे कि राष्ट्र की एकात्मता, अखण्डता, भ्रष्टाचार उन्मूलन की सरकार बनायेंगे, मैंने उसके सम्बन्ध में आपके भाषण को सुना और मैं भी चाहता हूं कि ये सारी बातें एक मजबूत देश के लिए जरूरी हैं और होनी चाहिए । यहां इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य इस मत के हैं और शायद ही किसी का इस विषय में झगड़ा हो । मैं यह भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिए और इस सभा-गृह में बैठे हुए हममें से शायद ही किसी सदस्य का यह विश्वास हो कि भ्रष्टाचार को सपोर्ट किया जाए । यह बात ठीक है कि इन आश्वासनों पर आपको बहुमत मिला और आपकी सरकार बन गई, मगर सभापति महोदया, इस सरकार को अपने उन आश्वासनों पर अमल करते हुए वैसी सरकार बनानी चाहिए और अपने आर्थिक और दूसरे कार्यक्रम बनाने चाहिए, यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं ।

बम्बई के जिस हिस्से से मैं चुनकर आता हूं वहां 50 टेक्सटाइल मिलें हैं और उनमें किसी न किसी कारण से स्ट्राइक आदि होती रहती है । दोनों तरफ से यहां भी हमारे ऊपर इस विषय में बहुत सी टीका और चर्चा हुई है लेकिन यह बात भी सही है कि कलकत्ता की तरह बम्बई की जूट मिलें भी सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज हैं और वहां मजदूरों की चौथी पीढ़ी काम करती है, मगर 30–35 साल तक लगातार काम करने के बावजूद भी उनमें से किसी को आज तक 700 या 800 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता । एक-एक लाख मजदूर वहां दस-दस साल में बदलते हैं, लेकिन उन मिलों के मालिक लोग झूठा हिसाब दिखा कर अपनी मिलों को बंद कर देते हैं, फिर भी 37 सालों के राज्य में किसी सरकार ने उसके बारे में जांच-पड़ताल करने की कोशिश नहीं की । वैसे तो यह सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार कहती है, परन्तु वैसा अभी तक कुछ देखने में नहीं आया ।

अभी राजीव गांधी जी ने बम्बई में एक मीटिंग में भाषण दिया था, जिसमें हमारे मजदूर और कामगार दोनों गए थे, मैं उसमें से ही दो-चार प्वाइंटस आपके सामने रखना चाहता हूं । शिवाजी पार्क की उस मीटिंग में मैंने जो कुछ सुना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बम्बई में कुल 90 लाख आबादी में से 70 लाख लोग मजदूर या उनकी फैमिलीज है, उसके बारे में आपने जिस पोलिसी का जिक्र किया, मैं एक इंडीपेन्डेन्ट आदमी की हैसियत से कहना चाहूंगा कि जैसा अहमदाबाद की एक टैक्सटाइल मिल में श्री राजीव गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि तमाम टेक्सटाइल मिलों को अप-टू-डेट और माडर्नाइज किया जाएगा, वह आपकी पार्टी का आश्वासन भी है और आपका आह्वान भी है, क्या आप बतायेंगे कि ऐसी कितनी मिलों को माडर्नाइज या अप-टू-डेट किया जाएगा ? मेरे विचार में अहमदाबाद भर में 60 और पूरे देश में लगभग 150 मिलें हैं, उनको मौडर्नाइज करने के लिए आप कहां से पैसा लाने वाले हैं । उसके बाद क्या उन मिलों को उनके मालिकों को वापस कर दिया जाएगा । बम्बई के सब मिल-मालिकों का हिसाब-किताब हमारे पास है । कोहिनूर मिल के 20 हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं । इसी तरह कापड़िया मिल 1976 तक अच्छी चलती थी लेकिन उसके बाद 25 करोड़ रुपया मारुति कार वालों को दे दिया गया, मैं नहीं जानता कि वह लोन के तौर पर दिया गया या किस आधार पर, मैं कोई फ्रांड नहीं बोलता हूं आपने 25 करोड़ रुपया दिया और उन्हें आई०आर०डी०पी० का 11 करोड़ का लोन मिला और सैंट्रल बैंक का 20 करोड़ का लोन मिला । फिर भी वहां 20 हजार मजदूर भूखे मर रहे हैं । इसमें हमारे स्ट्राइक का कोई सम्बन्ध नहीं आता, इसे आपने नेशनलाइज कर दिया है ।]

मुकेश मिल ताजमहल होटल के आगे है, 5 एकड़ का एरिया है और वहां एक फाइव स्टार होटल बनाने की परमीशन आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है । दिसम्बर 83 में मिल मालिकों ने मिल जलाया, हमारे पास प्रूफ है । दो मीटर पर फायर स्टेशन है लेकिन कोई नहीं जाता है । हमारे मजदूर टाकी में चले गये, मालिकों ने रोक दिया । महाराष्ट्र विधानसभा में मैंने यह सवाल उठाया और चीफ मिनिस्टर बाबा साहेब भोसले ने एक महीने में इन्क्वायरी करने का आश्वासन दिया लेकिन अभी 2 साल हो गये, उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई है ।

फिनेक्स मिल मालिक जलाता है, गवर्नमेंट पैसा देती है, अब आप बिल्डिंग बांट रहे हैं । यह इन मिलों का इतिहास है, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो चर्चा हो जायेगी, मगर मैं आपको इसकी खबर दूंगा ।

इतने इकानामिक फ्राड बम्बई के मिल मालिकों ने किये जिनका 70 करोड़ का शेयर कैपिटल है, अभी अगर वह जमीन बेचेंगे तो 700 करोड़ उससे आ सकता है । आपकी महाराष्ट्र सरकार इतना इन्फ्लुएंस लाकर भी टाटा मिल, यूनाइटेड मिल और फिनेक्स मिल की प्लान मंजूर कर रही है । वहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर मालिक करोड़ों रुपया कमायेंगे और कोई पोलिटिकल लोग उसमें हाथ लगायेंगे । मेरा कहना है कि आप ढाई लाख मजदूरों को आज बम्बई से बाहर भेजने की कोशिश मत कीजिये । आपके टेक्सटाइल के सब स्टेटिक्स निकले हैं, सब मिलों का हिसाब हमारे पास है, आपको दे सकते हैं ।

ठीक है, बम्बई में तो मैंने स्ट्राइक किया लेकिन अहमदाबाद में क्या हुआ? वहां 16 मिलें बन्द हैं, 70 हजार वर्कर हैं । वहां हमारी कोई यूनियन नहीं है, हमारे पास मजदूर आते हैं । श्री राजीव गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि मिलों को अच्छा कर रहे हैं । सब भूखे मजदूरों ने आपको वोट दिया है, अगर आप आज सब मिलों को माडर्नाइज करेंगे तो यह पैसा आप मालिकों को देने वाले हैं क्या ? मालिकों को देने के बाद वे लोग आपको आगे क्या देने वाले हैं ? 113 करोड़ का मालिकों के पास आपका लोन है, वह आपको नहीं देते ।

सिक-यूनिट के बारे में मैं बोलना चाहता हूं । नागपुर में मिल बन्द है, बिरला की मिल बन्द है । इससे आज देश में 3, 4 लाख मजदूर बेकार हैं, इसमें मजदूरों का कोई दोष नहीं है इसके पीछे देश के पूंजीपति हैं । मैं पीछे की बात नहीं कहना चाहता, इसके आगे आपसे आह्वान करता हूं कि जिन मिल मालिकों ने करोड़ों रुपये खाये हैं, आप हमारी बात मत मानिये लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट आफ इन्क्वायरी कीजिये । भ्रष्टाचार निर्मूलन में आपकी लगन है, जनता ने आपको वोट दिया है, इसलिये इस सभा में मैं मांग कर रहा हूं कि बम्बई के मिल मालिकों के खिलाफ आप कोर्ट आफ इन्क्वायरी करें । जो आरोप मैंने यहां लगाया है, उसे 3 साल तक विधान-सभा में कहा है । प्राविडेंड फंड के पैसे कंडवरी मिल के मालिकों ने खाये, सीताराम मिल के मालिकों ने ट्रस्ट बनाकर पैट्रोल पम्प बनाया, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाये और उसमें करोड़ों रुपये खाये । महाराष्ट्र विधान-सभा में सरकार ने उसको मान्यता दी है । अगर ऐसे करोड़ों रुपये खाने के लिये आप मिलों को दे सकते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप 2 हजार करोड़ रुपया हर साल इन्हें देते हैं, उसमें से कितना पैसा रिकवर होता

[डॉ० दत्ता सामंत]

है और ऐसे कितने पूंजीपति इसे खा रहे हैं ! इस आर्थिक परिवर्तन के बारे में आपका शासन क्या करेगा ? अगर आप इन इंडस्ट्रियल टैक्सटाइल मिलों को नेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं तो मैं मांग करता हूं कि आप कोर्ट आफ इन्क्वायरी कर के जिस ने इकनामिक आफेन्स किया है–पुट देम बिहाइन्ड दी बारस, दिस इज माई डिमांड । हमारे पास इसके बारे में सबूत हैं । देश की ऐसी मिलों को मालिकों के साथ मत छोड़िये, उनको ज्यादा पैसा मत दीजिये, उन्हें आप नेशनलाइज कर दीजिये । हम साथ देंगे, हम भी काम करना चाहते हैं उनके प्राफिट में हमारा भी शेयर करें।

हमारे देश में 35, 40 मिलें सिक यूनिट हो रही हैं, जहां हमारा आन्दोलन नहीं है । वह 45 करोड़ रुपये सरकार के खाते हैं । 10 बार मैं विधान-सभा में इसके बारे में कालिंग अटेंशन लाया हूं, सेंटर के मिनिस्टर को 3 बार लेटर भेजा है कि कैसे पैसा डाइवर्सीफाई होता है । यूनिट सिक होता है मगर मालिक बड़ा बन जाता है । ऐसी अवस्था को रोकने के लिये आपकी सरकार को कुछ करना चाहिये । यही मांग मैं इस सभा में करना चाहता हूं ।

1980 से 1984 तक 60 परसेंट महंगाई बढ़ गई है । आज 1 करोड़ 20 लाख लोग बेकार हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है । अब आपकी सरकार यहां बन गई है, इसके बारे में कोई इकनामिक कार्यक्रम आप बनाइये और देश को आगे ले जाइये । इसको ज्यादा चर्चा कर के मैं एक-दूसरे को दोष नहीं देना चाहता, सरकार ऐसे ही कार्यक्रम बनाये, यह मैंने अपने विचार रखे हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ी हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण और प्रधान मंत्री के राष्ट्र के नाम जो प्रसारण हुए हैं उन में अनेक विशेषताएं हैं । लेकिन एक जो उल्लेखनीय विशेषता है जिस की मैं चर्चा करना चाहती हूं वह है इक्कीसवीं शती में विकसित भारत की कल्पना । 21वीं शताब्दी में हमारे विकसित भारत की संरचना कैसे होगी और उसका नक्शा किस प्रकार का होगा ताकि विश्व में एक विशिष्ट स्थान हमारा देश प्राप्त कर सकेगा, इस दिशा में बहुत ही कारगर काम हुआ है । विश्व की सर्वमान्य नेता, जनमानस को उद्वेलित करने वाली नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जन जन के हृदय में बसी हुई थीं, ऐसी नेता ने भारत के उज्जल और सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी नींव रखी है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है कि जिस मार्ग पर चल कर हमारा देश एक शक्तिशाली देश बना है । तृतीय विश्व में भारत एक माडेल देश बना है । उसी के साथ साथ हमारे यहां भारत देश का स्वतंत्र लोकतन्त्र जो एक आदर्श विदेशिक नीति और समर्थ सैनिक शक्ति के उभार के कारण दुनिया के बहुत से देश हमारे देश के प्रति आकृष्ट हुए हैं ।

आजादी के इतिहास में यह पहली बार ऐसा मौका आया है जब हमारे प्रधान मंत्री ने चुनाव में किए गए वायदों को इतनी जल्दी और दृढ़ता के साथ, एक संकल्प और आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया है, सेवा की एक नयी भावना जगाने की उन्होंने चेष्टा की है जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना हम कर रहे हैं उस स्तर तक पहुंचने के लिए । लेकिन उस के लिए हमें क्या करना होगा? उस के लिए हमें एक वर्क-कल्चर को डेवलप करना होगा । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि वर्क-कल्चर को डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे प्रशासनिक सुधार में गतिशीलता नहीं आएगी । जो हमारे यहां प्रशासनिक सुधार की बात चली आ रही है, कुछ वर्षों में एक ऐसा कल्चर उस के अन्दर डेवलप कर गया था कि प्रशासन की ओर से जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, जनता की ओर से वह उदासीन होते जा रहे थे और हमारी जो गति थी आगे काम करने की उस में बहुत रुकावट आ गई थी । छोटे छोटे दायरे में भी जो नार्म्स थे उस को वह लोग वे वायलेट कर रहे थे और जो नौकरशाही है वह इतना कैलस हो गया था कि वह इन्सेन्सिटिव टू प्राबलम्स होता चला जा रहा था । इस ओर हमारे प्रधान मंत्री ने लोगों का ध्यान ही आकृष्ट नहीं किया है बल्कि उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि वह प्रशासनिक सुधार में ऐसा ठोस कदम उठाएंगे जिस से कि हम विकास की गति में तीव्रता ला सकें ।

मैं बहुत स्वागत करती हूं अपने नये प्रधान मंत्री का जो उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता देनें की बात कही है और यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से साफ परिलक्षित होता है । जो महिलाओं की आबादी है वह आधी आबादी है । यदि स्टेटस आफ वीमेन को नहीं उठाया जायेगा और उन

को उस तरह से शिक्षित नहीं किया जायेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्यों कि किसी भी देश की आधी आबादी को इस तरह से विकास के कार्यों से वंचित रखना सब से बड़ी भूल होगी। इसलिए सब से पहले देहाती क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं है जो निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं हैं। उनको हमें शिक्षित करना है। उसका क्या माध्यम होगा उस के लिए मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जो इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री है और जो शिक्षा विभाग है दोनों को कोआर्डिनेट कर देहातों में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए काम करना होगा। उन्हें जिस तरह से भी हो, या तो वीडियों के माध्यम से हो या सिनेमा के माध्यम से हो, शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। पिछले चुनाव में मैं ने देखा कि गांवों में जहां लोग बहुत कठिनाई से पहुंचते हैं वहां अगर वीडीयों पर हम ने श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण को उन लोगों को सुनाया उन्होंने इतनी दिलचस्पी ली, कड़ाके की सर्दी के बावजूद दो-दो बजे रात तक भाषणों को बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने सुना और यह इस बात को साबित करता है, चुनाओं में हमारी पार्टी की भारी जीत हुई मगर 1984 में जो यह चुनाव हुए उसके बाद हमारी यह धारणा थी कि विशाल देश की जनता ने जो विशाल बहुमत दिया है, जो अटूट विश्वास हमारी पार्टी और हमारे नेता में व्यक्त किया है, उसके बाद विपक्ष में जो बैठे हैं वे इसका एक सबक लेंगे लेकिन इस आठवीं लोकसभा में आने के बाद अभी भी इनकी जो बातें हैं सुनने के बाद उससे लगता है ये शाक से अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य कल कह रहे थे, फ्रांस के राजतन्त्र की तुलना हमारे लोकतन्त्र से कर रहे थे, लेकिन हमारे देश की जनता ने एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया है दुनिया के इतिहास में और इसके बाद भी अगर इनके पास कुछ कहने-सुनने को बाकी है तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि वे एक सबक लेकर कम से कम नकारात्मक राजनीति को भूल जायें वरना विधान सभा के चुनाव भी होने वाले हैं और जनता उनको फिर से सबक सिखाने ही वाली है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है – "संविधान की गरिमा बनाए रखने तथा जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने में हमारी न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है।" उन्होंने संकेत दिया है कि हमारी न्याय प्रणाली में सुधार किया जायेगा। ऐसा देखने में आता है कि सालों तक इंसाफ देने में जो विलंब होता है, उसके कारण जेलों में सैकड़ों औरतें पड़ी रहती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। एक रोटी या पांच रुपए की चोरी के लिए वे जेल भेज दी जाती हैं। उनको कोई लीगल एड नहीं मिल पाती है जिसका नतीजा यह होता है कि बरसों तक वे जेल में सजा भुगतती रहती हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वे कोई छोटी सी गल्ती कर देते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं। यदि दस साल की उम्र में वे जेल जाते हैं तो बीस साल की उम्र तक जेल में यातना भोगते हैं और उसके बाद क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा गया है कि कानून को बदला जायेगा और लोगों को इन्साफ दिया जायेगा यह एक बहुत बड़ी बात है। खर्च भी मुकदमें पर बहुत हो जाते हैं जो गरीबों के लिए भारी बोझ हैं।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि स्टैट्स आफ वीमेन को लेकर बहुत सी कमेटीज बनाई गई और बहुत सी रिपोर्टें तैयार की गई लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी मनाया गया लेकिन कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। लेकिन अभी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम घोषित किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अब काफी सुधार हो सकेगा। इतनी बड़ी संख्या में दोनों सदनों में महिलायें आई है और मुझे पूरी आशा है कि देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान से बड़ी प्रगति हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

[अनुवाद]

श्री देवीडंडी नारायणस्वामी (अनन्तपुर) : सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के दिमाग में इस प्रकार की गलत धारणा है कि सभी विपक्षी पार्टियां राष्ट्र-विरोधी हैं। आज प्रातः मुझे आम श्रमिक से एक अभिवादन पत्र प्राप्त हुआ है। मैं तेलुगु की एक एक कविता का अंश पढ़ता हूं—

ऐ देश मे ऐग इन्दुखाले दिना

ए पीठ मे किना यवरहूना

पोगडरा निलस्ली भूमि भारत न,

निलुपरानिजाति निन्डु, गोरवम्।]

इसका सार है 'आप किसी भी देश में जायें और जहां कहीं रहने के लिए पहुंचे तथा आप किसी भी पद पर विराजमान हों चाहे कोई भी आपका विरोध करे फिर भी आप अपनी मातृभूमि भारत का यशोगान करें। दृढ़ निश्चयी बनें और अपने देशवासियों का आदर और आत्म सम्मान बनाये रखें'।

[श्री वैकोमनी नारायणस्वामी]

हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री कृपया यह याद रखेंगे कि विपक्ष के सदस्य देश की रक्षा के लिये कम देशभक्त, कम राष्ट्रवादी तथा कम बलिदान करने वाले नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि उनकी बड़ी गलत धारणा को दूर किया जायेगा।

मैं थोड़ा सा विषयांतर करते हुए यह उल्लेख करूंगा जो सर विंस्टन चर्चिल ने अपने 'द्वितीय विश्व युद्ध' में बताया है कि इस पुस्तक का नीति सिद्धांत है : युद्ध में संकल्प, पराजय में अवज्ञा, जीत में उदारता और शांति में सद्भावना है। कल कांग्रेस(आई) के माननीय सदस्य अत्यन्त उत्तेजित हुए वे जब एक माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी जनादेश के बारे में बोले थे जो उन्हें इस भारी जीत से प्राप्त हुआ है। इसमें शक नहीं है लेकिन मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उन्हें व्यापक जनादेश नहीं मिला था। इसे व्यापक जनादेश तभी कहा जा सकता था यदि कम से कम 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक लोगों ने उन्हें मतदान दिया होता। लेकिन सीधे चुनाव का तंत्र इस प्रकार का है कि 50 प्रतिशत से कम डाले गये मत मिलने के बावजूद भी उन्हें भारी विजय प्राप्त हुई है। अतः मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे चुनाव जीत पर इतने अधिक खुश न हों।...

जहाँ तक जनादेश का संबंध है हम जानते हैं कि जनादेश शायद ठीक न हो। ग्रीक के इतिहास में सुकरात को पूरे शहर के लोगों के जनादेश के आधार पर सत्य बोलने पर विष दिया था। इससे पता चलता है कि कभी कभी लोगों का निर्णय बुद्धिमतापूर्ण नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण को रिपोर्टर ठीक प्रकार से नहीं सुन पा रहे हैं। अतः वह 'माइक' के नजदीक आ जायें और बोलें।

श्री वैकोमनी नारायणस्वामी : अतः यह एक ठीक निर्णय है अथवा नहीं, समय ही इसका फैसला करेगा। यदि आप (प्रधान मंत्री) ठीक प्रकार से कार्य करेंगे तो लोग कह सकेंगे कि यह एक ठीक निर्णय था। हम लोगों के निर्णय का सम्मान करेंगे और हम वही करेंगे जिसका निर्णय यह सदन करता है। यह सब कुछ विषयांतर है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए, मैं कहूंगा कि इसमें इस देश के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले संभावित कदमों का कोई उल्लेख नहीं है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि प्रत्येक वर्ष अथवा कम से कम दो वर्षों में एक बार इस देश के कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है और इसके परिणामस्वरूप लोगों को भारी दिक्कत और तकलीफ होती है। हम समझते हैं कि छठी योजना के अन्त तक 4 करोड़ 50 लाख हैक्टर असिंचित भूमि अभी भी रह जायेगी। इस अभिभाषण में हम ऐसी किसी नीति का कोई उल्लेख नहीं पाते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्रकार के क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

यह बात प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में है कि जब तक गरीब से गरीब व्यक्ति का उद्धार और कल्याण नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र सभी वर्गों को न्याय दिलाने का दावा नहीं कर सकता है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि छठी पंचवर्षीय योजना और अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद कोई भी वास्तविक उपलब्धि नहीं हुई है। दूसरी ओर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता में हर वर्ष वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, अतः यह कहा जा सकता है कि गत 35 वर्षों में कांग्रेस(आई) का कार्य निष्पादन अत्यन्त असंतोषजनक रहा है। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में औपचारिक वायदों को देखते हैं।

4-00 म० प०

हमने आशा की थी कि हमारे युवा प्रधान मंत्री कुछ अच्छे उपायों और अच्छी नीतियों को अपनाने के लिये बुद्धिमता से कार्य करेंगे लेकिन हमारी आशा पूरी न हुई जब हमने देखा कि उनकी सहायक पार्टी ए०आई०ए०डी०एम० को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और वास्तविक विपक्ष को नहीं। इससे पता चलता है कि वे पुराने तरीकों का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है।

कुछ अच्छा वायदा किया गया है कि स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराया जायेगा। एक कथन है कि चुनाव जीतना आसान है लेकिन प्रशासन चलाना मुश्किल है। गत 35 वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि नौकरशाही की छवि

उपेक्षा, भारी भ्रष्टाचार तथा लापरवाही बरतने की है। अब इस प्रकार की स्थिति में किसी स्वच्छ प्रशासन की धारणा करना अत्यन्त कठिन कार्य है जब तक इसके लिये कठोर कार्यवाही न की जाये। हमें नहीं पता है कि किस तरीके से इन उपायों को किया जा रहा है। एक बात का मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रशासन कार्य का लेखा जोखा सामान्य रूप से होते रहना चाहिये। केवल तभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि वास्तव में सरकार स्वच्छ प्रशासन के लिये चिंतित है तो इसे लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिये जैसा हमने अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश में किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

4-02 म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्रीलंका में फिर से हुई हिंसा की घटनाओं, जिनमें तमिल लोगों की जान और माल की हानि हुई तथा श्रीलंका की एक गश्ती नौका के भारत की समुद्री सीमा में अनधिकृत प्रवेश और उसके द्वारा भारतीय मछुआरों पर आक्रमण किये जाने के समाचार

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं विदेश मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

"श्रीलंका में फिर से हुई हिंसा की घटनाओं, जिनमें तमिल लोगों की जान और माल की हानि हुई तथा श्रीलंका की एक गश्ती नौका के भारत की समुद्री सीमा में अनधिकृत प्रवेश और उसके द्वारा भारतीय मछुआरों पर आक्रमण किये जाने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्रीलंका की स्थिति पर जब इस सदन में पिछली बार विचार किया गया था तभी वहां की स्थिति खराब थी और अब तो यह और भी खराब हो गई है।

पिछले साल के आखिर तक हालांकि सर्वदलीय सम्मेलन में कोई प्रगति नजर नहीं आती थी फिर भी उसके बने रहने से यह उम्मीद थी कि बातचीत के जरिये श्रीलंका के तमिलों के सामने बहुतसी समस्याओं का कोई ऐसा समाधान निकल आएगा जो सभी को स्वीकार्य होगा। पिछले साल के प्रायः अंत में राष्ट्रपति जयवर्धने ने जिस विधान का मसौदा पेश किया था वह तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपर्याप्त था, फिर भी तमिल यूनायटेड लिबरेशन फ्रंट इस बात पर इस नजरिये से विचार कर रहा था कि उसमें इस तरह का सुधार कर लिया जाये कि उनकी मांग पूरी हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश सिंघल पार्टियों ने और बौद्धों ने इसे एकदम अस्वीकार कर दिया और फिर राष्ट्रपति जयवर्धने ने इसे वापस ले लिया। 21 दिसम्बर को सर्वदलीय सम्मेलन समाप्त कर दिया गया और इस बात का कोई, संकेत नहीं है कि किसी प्रकार के राजनीतिक समाधान की कोशिश की जा रही है। हमें डर है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो श्रीलंका के बहुत से तमिल जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है, सुरक्षा और सम्मान के साथ वापस नहीं जा सकेंगे।

श्रीलंका में हिंसा-प्रतिहिंसा का यह चक्र वहां की जातीय समस्या को नहीं सुलझा सकता। हम हिंसा के प्रत्येक रूप के विरोधी हैं चाहे वह कहीं भी हो और जान और माल की हानि की निन्दा करते हैं। हमारा इरादा समस्या के उन पहलुओं पर विचार करने का नहीं है जो श्रीलंका के आन्तरिक मामले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि श्रीलंका के प्राधिकारी सारा ध्यान सुरक्षा कार्यवाहियों पर दे रहे हैं। रोजाना सुरक्षा सेनाओं द्वारा तमिल नागरिकों की हत्या किए जाने की खबरे आ रही हैं। भारतीय मूल के बहुत से तमिल जो उत्तर और पूर्व में बस गए थे इसके शिकार हुए हैं।

इन सबसे बढ़कर श्रीलंका की फौजों ने भारत के मच्छेरों को अपना विशेष निशाना बनाया है। श्रीलंका की सरकार ने बहुत से भारतीय मच्छेरों को यह आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया कि वे आतंकवादी हैं हालांकि इस आरोप का कोई आधार नहीं है। श्रीलंका सरकार ने बाद में यह स्वीकार किया कि जो भारतीय मच्छेरे मारे गए थे, घायल हुए थे या पकड़े गए थे वो सब मच्छलियां पकड़ रहे थे।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

इससे भी बड़ी विक्षोभ की बात यह है कि पिछले महीने से श्रीलंका के नौसैनिक जहाज हमारे प्रादेशिक समुद्र में घुसपैठ करते रहे हैं और हमारे मच्छेरों को परेशान करते रहे हैं और उनकी पकड़ी हुई मछलियां छीनते रहे हैं। हमने तीन मौकों पर श्रीलंका सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया और उनके जान और माल को हुई हानि का मुआवजा मांगा तथा उनसे अनुरोध किया कि ऐसी कार्रवाईयां तत्काल बन्द होनी चाहिए । हमने उन भारतीय मच्छेरों और उनकी नौकाओं को लौटाने की मांग की है जो पिछले कई महीनों से श्रीलंका के कब्जे में हैं।

अपने मच्छेरों की हिफायत के लिए हमने तटवर्ती गश्त बढ़ा दी है । नौसेना को भी चौकसी बरतने के लिए कहा गया हैं । 11 जनवरी को जब श्रीलंका का एक गश्ती यान कच्छतिव के पश्चिम हमारे समुद्र में साढ़े चार मील अन्दर घुस आया और हमारे मच्छेरों को परेशान करता पाया गया तो हमारे तटरक्षक दल ने हमारी समुद्री सीमा के काफी भीतर उसे पकड़ लिया । यह नौका और उसका कर्मी दल हमारे तट पर लाए गए हैं और उन्हें हिरासत में रखा गया है । हमने श्रीलंका की सरकार को बता दिया है कि हम यह उम्मीद करते है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं की जाएगी । श्रीलंका की सरकार ने अनुरोध किया है कि उनकी नौका और उसके कर्मीदल को रिहा कर दिया जाए ।

किसी राजनयिक समाधान की दिशा में कोई प्रगति न होने से और श्रीलंका में इस स्थिति के और अधिक बिगड़ने से हो सकता है कि और बड़ी संख्या में तमिल लोग मजबूर होकर भारत में शरण लेने के लिए आएं । हमारे यहाँ करीब 40 हजार तमिल शरणार्थी पहले ही श्रीलंका से आ चुके है । मानवीय आधार पर हम उनकी देख-भाल कर रहे हैं । हम उम्मीद करते है कि श्रीलंका में स्थिति में तेजी से सुधार होगा जिससे ये शरणार्थी सम्मान के साथ और बिना किसी डर के अपने देश लौट सकें ।

श्रीलंका में भोले भाले तमिलों पर किए जा रहे अत्याचारों की जो लगभग रोजाना खबरें आ रही है, उनसे समूचे देश में विशेषकर तमिलनाडु में जो भावनाएं उत्पन्न हुई है मैं जानता हूं । हिंसा में इसका जवाब नहीं ढूंढा जा सकता । इससे तो केवल और हिंसा होगी । हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल समाप्त किया जाए । जैसा कि प्रधान मंत्री ने फिर कहा है, एक ऐसे राजनैतिक समाधान का कोई विकल्प नहीं है जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो और जो श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखंडता के भीतर हों इस स्थिति के निरन्तर बने रहने से लोगों को जबरदस्त तकलीफ उठानी पड़ी है और हमें यह उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार बातचीत के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र पहल करेंगी ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी । सभापति महोदया, वक्तव्य निःसन्देह काफी विस्तृत है और इसमें न केवल तथ्यों के बारे में बताया गया है अपितु श्रीलंका में हुई कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं को भी स्वीकार किया गया है ।

सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछने से पहले हम इस सभा के सदस्य यह जानते हैं कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने पदभार सम्भालने के पहले ही दिन समूचे विश्व के समक्ष यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि विश्व शान्ति के प्रति अपने योगदान के अतिरिक्त हम अपने पड़ोसी देशों चाहे वह श्रीलंका हो अथवा बंगला देश अथवा नेपाल के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम इस पक्ष में हैं ।

हमारे सिद्धान्त ऐसे हैं कि हम किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखते किन्तु श्रीलंका की स्थिति को भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में एक भिन्न ढंग से देखना होगा । श्रीलंका के साथ हमारा सम्बन्ध पुरातन काल के रामायण युग से लेकर विजय सिंह, अतिश दीपांकर की यात्रा तक का न केवल सांस्कृतिक एवं भावनात्मक है, अपितु हम सोचते हैं कि इस विश्व में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं । अपने भावनात्मक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के कारण हमने एक दूसरे की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया । किन्तु अब सभापति महोदया, आपको इस तथ्य का पता ही होगा कि पिछले डेढ़ दशक से इस उप-महाद्वीप में साम्राज्यवादी शक्तियां सभी लोकतान्त्रिक राष्ट्रों, विशेष रूप से हिन्द महासागर के समीप तटवर्ती देशों में अस्थिरता पैदा करने की एक धूर्त चाल चल रही हैं, एक प्रयास कर रही हैं । बांगला देश के उदय के बाद, हम पाकिस्तान के अन्दर तथा शेख मुजीब की हत्या के बाद बांगला देश में किये गये प्रयासों तथा श्रीलंका में भंडारनायक सरकार के पतन तथा इसकी प्रतिक्रिया तथा भारत की जनसंख्या

विशेषरूप से तमिल नाडु एवं दक्षिण की जनता पर उसके सीधे प्रभाव को हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। यह कोई एकाकी घटना नहीं है। यह मामला केवल श्रीलंका का मामला नहीं है। किन्तु यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। और श्रीलंका अपनी चतुराई और बुद्धि कौशल से विश्व के समक्ष यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यह केवल आतंकवादियों का मामला है और विधि और व्यवस्था का मामला है और तमिल जनसंख्या का मामला नहीं जो यह चाहती है कि सरकार उनके उचित अधिकारों को स्वीकार कर ले।

हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और कुछ दिन पहले यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि श्री रामफल भारत और श्री लंका में समझौता कराने के लिए पहल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्री रामफल को बुराई नहीं देता और न ही मैं उनकी नीयत को बुरा कहता हूँ और न ही राष्ट्रमंडल को बुरा कहता हूँ। किन्तु मैं विदेश मन्त्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अब गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष होने के नाते हमारे प्रधान मन्त्री गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों में तथा विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये समान रूप से उत्तरदायी हैं। इस मामले में हमारी स्थिति हमें यह बिल्कुल अनुमति नहीं देती कि श्री रामफल आगे आ कर भारत और श्रीलंका के बीच मध्यस्थ बन कर निर्णय करें विशेष रूप से जबकि उस देश के साथ हमारे सम्बन्धों का विकास इस तथ्य को सामने रख कर हो रहा है कि वहां पर तमिल लोग भी रहते हैं। अतः मन्त्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में श्री रामफल की पहल के अन्तर्गत राष्ट्रमंडलीय भूमिका बिल्कुल सामने नहीं आनी चाहिए। इसके विपरीत मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूँ कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष का उच्चतम पद, जिसपर आज हमारे युवा प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी आसीन हैं, इतना गरिमामय है कि हमें इस स्थिति में ऐसे कतिपय उपाय करने चाहिये जिससे टी० यू० एल० एफ०, तमिल जनसंख्या तथा जयवर्धन सरकार के बीच परस्पर बातचीत द्वारा इस समस्या का अच्छी तरह समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसा इसलिये करना भी जरूरी है क्योंकि यह देश पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और अब हमारे युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का है। यदि आप इतिहास के पन्ने उलटें तो आप देखेंगे कि अनेक अवसरों पर श्री जवाहर लाल नेहरू . . . .

कुछ माननीय सदस्य : महात्मा गांधी का क्या हुआ, आपने उनका नाम नहीं लिया ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की विदेश नीति की बात कह रहा हूँ। विपक्ष से मेरे मित्रो, बात को समझने का प्रयास करो। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल मुझे महात्मा गांधी की याद दिला रहा है। मैं उनका आभारी हूँ।

सभापति महोदया, आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा इन्दिराजी ने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हमेशा रचनात्मक समाधान के लिये व्यापक स्तर पर बातचीत तथा अनुनय के लिये प्रयास किया था। किन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका सरकार अब निराश हो गई है और जयवर्धन एक नृशंसक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में हमारे माननीय राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य में यह बात स्वीकार की गई है और उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के नौसैनिक जहाज हमारे मछुआरों को पकड़ने के नाम पर एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे--इसके पीछे उनकी गुप्त षडयन्त्र अथवा उद्देश्य भी हो सकता है। आप जानते ही हैं, सभा भी इस बात से परिचित है कि विदेशी शक्तियों, विशेष रूप से हिन्द महासागर तथा भारत के क्षेत्रीय समुद्र में साम्राज्यवादी शक्तियों के इरादे हमसे छिपे नहीं हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय श्रीलंका सरकार द्वारा भारत में हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा और अखण्डता में हस्तक्षेप मानते हैं।

मात्र विरोध ही काफी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मामले में विश्व की उच्चतम निकाय में किस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय विरोध दर्ज करना चाहती है। मैं यह बात समझ सकता हूँ कि कोई एक मछुआरा क्षेत्रीय समुद्र की सीमा पार कर उस क्षेत्रीय सीमा में प्रवेश कर सकता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। एक नौसैनिक पोत क्षेत्रीय समुद्र सीमा पार कर भारत के क्षेत्रीय समुद्र में आ गया। भारत सरकार ने इसे भारतीय सीमा में पकड़ा है और वह हमारे कब्जे में है। इसके साथ ही मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नौसैनिक पोत एक बार नहीं बल्कि तीन बार भारत के क्षेत्रीय समुद्र में घुस आये थे।

क्या आप यह नहीं समझ सकते कि एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है जो भारत को कार्यवाही के लिए उकसा रहा है और भारतीय उप महाद्वीप में शान्ति भंग कर रहा है ! इसमें श्रीलंका सरकार तथा राष्ट्रपति जयवर्धन कारण नहीं है किन्तु इसके पीछे एक षडयन्त्र है जो भारतीय उप महाद्वीप में शान्ति भंग करने का सतत प्रयास कर रहा है।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

दूसरा, यह तमिलों की ही समस्या नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, यह बात इसलिये मैं नहीं कह रहा हूँ। बांगला देश की मुक्ति के दौरान मैं पश्चिम बंगाल में था, जब बंगालियों को मृत्यु के घाट उतारा जा रहा था और नर संहार चल रहा था तो मुझे अत्यन्त दुःख होता था। अब जब मैं सुनता हूँ कि तमिल लोगों को भी वैसे ही मौत के घाट उतारा जा रहा है तो मुझे वैसा ही दुःख होता है। दक्षिण में तमिल नाडु की जनता में भी वैसी ही भावना है क्योंकि उनके दादा-परदादाओं, उनके भाईयों का श्रीलंका में वध किया जा रहा है।

वक्तव्य में यह बात स्वीकार की गई है कि श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में किसी न किसी बहाने सेना एक बार नहीं बल्कि निरन्तर रूप से तमिल लोगों का वध कर रही है लूटपाट कर रही है, उनकी सम्पत्ति नष्ट कर रही है। जब उनके भाई और बहिनें तमिलनाडु अथवा भारत सरकार को इस सम्बन्ध में संदेश भेजते हैं तो हमें दुःख होता है। इसलिए नहीं कि वे तमिल भाषी हैं। तमिल भारत की सर्वाधिक समृद्ध संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के साथ तमिलभाषी मूल मूल सूत्र है। तमिलभाषियों को जब इस प्रकार से सताया जा रहा है तो प्रत्येक भारतीय को इससे आघात पहुंचता है।

मात्र चिन्ता व्यक्त कर देना ही काफी नहीं है। हमें समूचे विश्व में इस समस्या के समाधान के लिये वातावरण तैयार करना होगा तथा श्री लंका सरकार, जयवर्द्धन सरकार को तथा श्रीलंका की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि जो भी वहां हो रहा है, वे श्रीलंका के हित में बिल्कुल नहीं है। हम उनके आन्तरिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि वे हमें शरणार्थियों को लेने के लिये बाध्य करेंगे--वक्तव्य मे यह कहा गया है कि श्रीलंका से 40,000 से ऊपर तमिल शरणार्थी आ चुके हैं--इनकी संख्या 80,000 अथवा एक लाख है—तो हमारे दक्षिण राज्यों की स्थिति क्या होगी? यह मात्र विधि और व्यवस्था की समस्या नहीं रही है। यह समस्या एक भिन्न आयाम ग्रहण कर लेगी।

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि खालिस्तान आंदोलन—विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि खालिस्तान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसका सम्बन्ध विदेशी शक्तियों से है, जो उत्तर में अशान्ति पैदा करना चाहती हैं और श्री लंका में हो रही घटनाओं से दक्षिण में अधिक तनाव पैदा करके स्थिति को बिगाड़ कर वहां पर तमिलभाषी जनता के मानस में क्षोभ की भावना करना चाहती हैं।

उनका वास्तविक ध्येय भारत सरकार को ऐसी स्थिति में रखने का है कि वह अपने आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित न कर सके ताकि उसका ध्यान उत्तर में खालिस्तान आंदोलन पर और दक्षिण में श्रीलंका आंदोलन के कारण आने वाले तमिलभाषी शरणार्थियों की देखभाल में ही लगा रहे।

बड़ी शक्तियां, मुख्य रूप से अमरीका, साम्राज्यवादी चालों से योजनाबद्ध तरीके से एक खेल खेल रही है। वे जानते हैं कि भारत को तथा हिन्द महासागर के तटीय देशों को सबक सिखाने का एक यही तरीका है।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें यह बताएं कि बातचीत द्वारा हुए समझौते की असफलता के पश्चात्, राष्ट्रपति जयवर्द्धन द्वारा सभा से विधान वापस लेने के पश्चात क्या राजनीतिक रूप से कोई ताजा प्रयास सम्भव है और क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो भारत सरकार श्रीलंका सरकार को इस सम्बन्ध मे मनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि इस गम्भीर समस्या को विधि एवं व्यवस्था की समस्या के रूप में न समझा जाए क्योंकि यह समस्या हमारी भारतीय जनता, विशेष रूप से हमारे तमिलभाषी भाईयों को सीधा प्रभावित करती है।

श्री खुर्शीद आलम खां। सभापति महोदया, माननीय सदस्य द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। मैं उन्हें तथा सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस समस्या के राजनीतिक हल के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की समस्याओं को सैनिक दृष्टि से नहीं सुलझाया जा सकता।

जहां तक पड़ोसी देशों के साथ हमारे संम्बंधों की बात है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ओर से सभी पड़ोसी देशों, चाहे वह पाकिस्तान हो, अथवा श्रीलंका अथवा बर्मा अथवा अन्य कोई देश, के साथ मैत्रीपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामफल के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से कहा है भारत सरकार तथा इस देश से उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

जहां तक नौसैनिक पोतों द्वारा जलसीमा उल्लंघन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जैसे ही नौसैनिक पोत हमारी समुद्री सीमा—हमारे क्षेत्रीय समुद्र की सीमा के 4½ मील अन्दर आया, उसे पकड़ लिया गया और जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया है, तट हमारे रक्षकों तथा नौसैनिक अधिकारियों को सजग रहने के लिये कहा गया है और मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस देश की रक्षा और अखण्डता की रक्षा करने में समर्थ हैं और हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि ....

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या आप इसे हमारी क्षेत्रीय अखण्डता में सीधा हस्तक्षेप मानते हैं ? यदि आप ऐसा मानते हैं तो क्या आपने श्रीलंका सरकार को इसकी सूचना दी है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जब हमने इस पोत को पकड़ा, तो हमने श्रीलंका सरकार से इस सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया था और यह स्वाभाविक है कि वे इस बात को जानते हैं कि इस पोत को इसी आधार पर पकड़ा गया था। इसे अभी तक छोड़ा नहीं गया है ।

सभापति महोदया : अब श्री बृजमोहन महन्ती बोलेंगे ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदया, मैं प्रारंभ में ही यह निवेदन करता हूँ कि इस मामले पर पहले भी इस सभा में चर्चा हुई है और इस एक वर्ष के अंतराल में मुझे श्री लंका के साथ हमारे संबंध में सुधार के बारे में आशा की कोई किरण नजर नहीं आई है।

इससे पहले भारत सरकार और इस सभा ने भी यह निर्णय लिया था कि हम श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि भारत किसी अन्य देश के विरुद्ध नहीं है। श्रीलंका और भारत आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका की सरकार यह रवैया नहीं अपना सकती है कि जो कुछ श्रीलंका के अंदर घट रहा है भारत उससे विचलित नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं और हम गुट-निरपेक्ष और शांति आंदोलन में भी एक दूसरे के सहयोगी हैं और हम दोनों ही एक स्वर में यह मांग कर रहे हैं कि हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखा जाए।

अब समस्या यह है कि आज उन्होंने कहा है "हमने यह स्वीकार किया है कि हम तमिलों और सिंहलियों के बीच श्रीलंका का बंटवारा नहीं चाहते हैं ।" सिंहली भी तो भारत से ही गये हैं ! वे बंगाल और उड़ीसा से प्रव्रजित हुए थे। हम यह नहीं चाहते हैं। भारत सरकार ने यही रवैया अपनाया है ।

श्रीलंका अब इस बात से संतुष्ट है कि भारत श्रीलंका का विभाजन नहीं चाहता है। उनके सुरक्षा मंत्री ने अप्रैल 1984 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने श्रीलंका की संसद में यह वक्तव्य दिया था कि वह प्रसन्न है कि भारत में कोई भी श्रीलंका का विभाजन नहीं चाहता है।

हम भी हिंसा की निंदा करते हैं तथा श्रीलंका की सरकार द्वारा और आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की निंदा करते हैं। हम किसी भी रूप में और कहीं भी हिंसा का अनुमोदन नहीं करते हैं।

स्थिति की त्रासदी यह है कि श्रीलंका सरकार और विशेषरूप से जयवर्द्धने सरकार ने सेना का सहारा लिया है और वे श्रीलंका के 13% तमिलों को समाप्त करना चाहते हैं।

मैं विदेश मंत्री महोदय का ध्यान एक विदेशी पत्रिका "न्यूजवीक" को दिए गए जयवर्धन के अंतिम वक्तव्य की ओर दिलाता हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है । मैं केवल दो या तीन पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि :

"भारतीय स्थिति यह है कि वे हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और न ही भारतीय भूमि पर प्रशिक्षण केंद्र हैं । (परंतु) आतंकवादी वहां पर हैं। भारतीय सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं कह सकती है। ये वे लोग हैं जो श्रीलंका सरकार को नष्ट करना चाहते हैं।"

[श्री सुधरेश्वर-जारी]

यह तो एक पहलू है। मैं चाहता हूं कि भारत को आतंकवादियों को दबाने में श्रीलंका की सहायता करनी चाहिये।

श्रीलंका सरकार का नवीनतम फतवा यह है कि हमें उन शरणार्थियों को श्रीलंका में नहीं घुसने देना चाहिये जो भारत में है और यह कि हमें उनके दबाने और जान से मारने के लिए श्रीलंका सरकार को सभी प्रकार का असला प्रदान करना चाहिये।

इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या शान्तिपूर्ण हल की बातचीत द्वारा समझौते की कोई सम्भावना है? उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है और वे बातचीत द्वारा कोई समझौता नहीं चाहते है। वे तमिलों को कुचलना चाहते हैं तथा वे चुनाव कराना चाहते हैं, चाहे कोई भी मतदान केंद्र पर न जाए वे चुनाव अवश्य करायेंगे। स्थिति की यही वह त्रासदी है। जिसकी ओर मैं विदेश मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अब देखना यह है कि आखिर हुआ क्या है? शत्रुता या लड़ाकू प्रवृत्ति श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पनपी जब भारत में अनिश्चितता का दौर था और जब भारत चुनावों में व्यस्त था, और उस समय सैन्य कदम उठाए गये और तेज किए गये। यही तो समस्या है। मेरा निवेदन यह है कि क्या राजनीतिक समाधान की कोई संभावना है? इससे पहले यहां यह बताया गया था कि हम श्रीलंका सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं और विशेषरूप से जयवर्धने पर। परंतु वह कि विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में अमरीकी दूतावास में एक इज़राइली हिस्सा खोला गया है। उसका क्या उद्देश्य है? वे राजद्रोह अभियान विरोधी सलाह और प्रशिक्षण दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो न केवल हमें परेशान करना चाहती हैं, अपितु विश्व में गुट-निरपेक्ष आंदोलन और शांति आंदोलन को भी भंग करना चाहती हैं। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र है और श्री जयवर्धन महोदय उसके मोहरे हैं। प्रश्न यह है कि इसे हल कैसे किया जाए। एक सर्व-दलीय संमेलन हुआ था और उसमें राजनीतिक समझौते के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, परंतु वह आकस्मिकरूप से समाप्त हो गई। अब वे सैनिक कार्यवाही पर अड़िग हैं। भारत और श्रीलंका के बीच के समुद्री-किनारे के भाग को खाली करा लिया गया है और श्रीलंका में प्रवेश करते हुए किसी भी शरणार्थी को देखते ही गोली मार दी जायेगी। यही स्थिति की गंभीरता है। मैं उस नाजुक स्थिति को समझता हूं, जिसका भारत सरकार को सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका से हमारी पारंपरिक मित्रता है, गुट-निरपेक्ष आंदोलन, शांति और मित्रता के प्रति हम वचनबद्ध हैं और पृष्ठभूमि में स्थिति से कैसे निपटा जाए, यह भारत सरकार के लिए निश्चय ही बड़ी नाजुक स्थिति है। परंतु कुछ भी हो हम श्रीलंका के 13 प्रतिशत तमिलों के हितों को बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। उनके वैध अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि क्या गृहमंत्री महोदय ऐसे कुछ दृढ़ कदमों का हवाला दे सकते हैं जिससे कि भारत के लोग संतुष्ट हो सकें कि भारत सरकार इस बारे में सजग है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि क्या राजनयिक माध्यम द्वारा बातचीत द्वारा समझौते के कोई आसार हैं? मैं यह नहीं कहता कि हमें युद्ध करना चाहिये। पिछली बार जब चर्चा चल रही थी तो मेरे मित्रों में, विशेषकर विपक्ष वालों ने युद्ध के लिए जोर डाला था। हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी करते हैं। हमें शांतिपूर्ण हल चाहिये और बातचीत द्वारा हल चाहिये।

मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने श्री रामफल का जिक्र किया था। श्रीलंका सरकार ने उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया। वे तो बिल्कुल कर्तव्यमूढ बने बैठे हैं। वे जैसे-जैसे तमिलों का खातमा करना चाहते हैं। उनका नवीनतम रवैया यह है कि हमारे हथियारों और गोला बारूद से वे तमिलों को समाप्त करना चाहते हैं। वे इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि हमें शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस नहीं जाने देना चाहिये। यह तो स्थिति है। क्या इस बात के कोई आसार दृष्टिगोचर होते हैं कि उन्हें राजनीतिक हल के लिए, बातचीत द्वारा समझौते के लिए प्रेरित किया जा सके? यदि ऐसा कोई अवसर है और यदि ऐसा कोई संकेत है तो यह अच्छा होगा कि भारत सरकार उसको स्पष्ट करे।

एक अन्य पहलू मछुआरों से संबंध है। उनका नौसेना गश्ती नौका भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रही थी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा उन्होंने जान-बूझकर किया है। हो सकता है यह जान-बूझकर की गई कार्यवाही न हो। श्रीलंका की सेना सबसे अधिक अनुशासनहीन है। यह मेरी सूचना नहीं है, सभी विदेशी पत्रकार यह जानते हैं और कहते हैं कि यह सर्वाधिक अनुशासनहीन सेना है। श्री जयवर्धन भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि वे

अनुशासनहीन है। हो सकता है यह जान-बूझकर की गई कार्यवाही न हो। परंतु फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। श्री जयवर्धन को अपनी थल और नौसेना को अनुशासन में रखना चाहिये। यह हमारा काम नहीं है। उनको ठीक करना जयवर्धन का काम है। यदि वे असफल रहते हैं तो यह कहते हुए मुझे खेद है कि उन्हें परिणाम भी भुगतने चाहिये। उन्हें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। कल ही केवल 17 मछुआरों पर मुकदमा चलाया गया है और उनपर अभियोग लगाया गया है क्योंकि उन्होंने श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुसपैठ की है।

अतः, स्थिति तो यह है। महोदय, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वे ठोस रवैया अपनाएं जिससे कि श्रीलंका सरकार यह समझ जाए कि राजनीतिक हल ही एकमात्र हल है और इसका कोई सैनिक हल नहीं हो सकता। उन्हें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि मानव-जाति यह सहन कर सकती है कि 13% तमिलों को उनकी आवास भूमि से निकाल फेंका जाए और उन्हें अपने बाप-दादाओं की जमीन से वंचित कर बाहर फेंका जाए या मार दिया जाए। यह सहन नहीं किया जा सकता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमें अभी भी आशा है कि इस समस्या का कोई न कोई राजनीतिक हल निकल आयेगा क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका सैन्य हल न ही था चाहिए और न ही व्यवहार्य है। अतः हमें आशा नही छोड़नी चाहिये। दो सरकारी प्रतिनिधि पहले ही संबंध बनाएं हुए हैं और सही ही है कि प्रगति बहुत धीमी रही है। हमें अभी आशा है कि किसी समय यह संभव हो सकेगा कि हम कोई ऐसा हल निकाल लें जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो।

जहां तक उन 17 नाविकों का संबंध है जो श्री लंका सरकार की पकड़ में हैं, हम यह मामला पहले ही उठा चुके हैं और आशा करते हैं कि उन्हें शीघ्र ही छुड़ाना संभव हो सकेगा। मैं इसके लिए कोई तिथि तो निश्चित नहीं कर सकता हूं, परंतु हम विलंब के बारे में श्री लंका सरकार से विरोध तो कर चुके हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि वे कोई रास्ता निकाल लेंगे और विधि प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी तथा हमारे नाविकों को उनकी नावों सहित छोड़ दिया जायेगा और वे हमारे देश में जल्द वापिस आ जायगे।

डा० वी० राजेश्वरम (रामनाथपुरम) : मैं सबसे पहले कुछ तमिल मछुआरों को संरक्षण प्रदान करने हेतु उठाए गये अच्छे कदमों के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। रामनाथपुरम से सदस्य होने के नाते जो कि श्रीलंका के निकट है, मैं अपने विदेश मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे मछुआरों की कहानियां बड़ी दर्दनाक है। चूंकि मैंने उनकी दयनीय स्थिति को व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैं अपने विदेश मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हम रामेश्वरम के निकट एक स्थाई नौसैनिक अड्डा तो स्थापित करदें और 24 घंटे निगरानी करने वाले नौसेना जहाजों को वहां स्थायी रूप से लगाकार श्रीलंका की नौसेना के आक्रमण से अपने लोगों को बचाने के लिए हमें आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं भारत सरकार से यह निवेदन भी करता हूं कि वह हमारी सुरक्षा के विचार से सेतु नहर परियोजना की व्यवहार्यता को देखें और हमें हर प्रकार से अपने मछुआरों की मदद करनी चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : अपने मछुआरों के सहायतार्थ और जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा निश्चित करने के लिए हमने सभी संभव कदम उठाए हैं और जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, हमारे तट रक्षकों को अपनी गश्त और तेज करने के लिए कह दिया गया है। नौसेना को भी सावधान कर दिया गया है। ये जो उपाय किये गये हैं उनसे मछुआरों के जीवन और संपत्ति की रक्षा होगी और इस बातको लेकर किसी प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदया, वक्तव्य से सहमत होते हुए, मैं सर्वप्रथम अपने तामिल भाईयों के श्रीलंका में जयवर्धन सरकार के आतंकवाद के शिकार होने पर, उनके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती हूं। मैं आन्तरिक मामलों में जानना नहीं चाहती हूं परन्तु फिर भी विश्व की राजनैतिक पर्यवेक्षक होने के नाते मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि जयवर्धन सरकार द्वारा यह कहकर सर्व दलीय सम्मेलन को रद्द कर देने का वर्तमान बाना कि "तुल्फ" ने इसे अस्वीकार कर दिया है, दर्शाता है कि श्रीलंका में स्थिति और बिगड़ने के पक्के इरादे हैं और वे भारत और भारत सरकार पर दबाव डालना चाहता है। विश्व प्रेस में जहां तक पता चलता है श्री अमृत लिंगम ने कहा है कि उन्होंने इसे रद्द नहीं किया है परन्तु उनकी कुछ आपत्तियां है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मुझे यह जानकर बड़ी शंका हुई है कि श्री लंका के अन्दर एक योजना बनाई गई है कि श्री लंका के प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में सिंहलियों के परिवारों को तमिल क्षेत्रों में बसाया जाय। इससे स्थिति बहुत बिगड़ेगी क्योंकि यदि प्रति परिवार की संख्या पांच सदस्यों की भी होती 30,000 परिवारों का अर्थ है एक लाख पचास हजार लोक आएंगे और उतने ही तमिलों को वहां से हटाया जायेगा। अतः इस प्रकार हमें लोगों को बहुत बड़ी संख्या में निकासी की चिन्ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार को इसका पता है और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

दूसरे मैं यह कहना चाहती हूं कि, हाल में हुआ समुद्री सीमा उल्लंघन का मामला कतिपय मछुआरों को पकड़ने जैसा सीधा मामला नहीं है। 1974 में हमारे बीच एवं सिलोन सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, उन्हें उसका अनुपालन करना चाहिए जिसके अन्तर्गत उस क्षेत्र में हमें मछलियां पकड़ने का अधिकार है। यह है केवल हमारे क्षेत्र के अन्दर है अपितु यह तो सामुद्रिक क्षेत्र के 10 किलोमीटर अन्दर है। हमारे मछुआरों को बुरी तरह तंग किया जा रहा है। वास्तव में उनकी मन्शा अमरिका, ब्रिटेन एवं अन्य देशों से प्राप्त किए गए हथियारों से स्ट्रेट पाक को सैन्यी करण करना है। इस संबंध में अमरिका की असली मन्शा प्रशान्त महासागर में दियागो गार्सिया के लिये अपना सातवां बेड़ा लाने के लिए श्रीलंका द्वीप का उपयोग करने की है। यह वास्तव में भारत को झुकाने के लिये उसके ईर्द-गिर्द दबाव बनाने की उस खेल का एक हिस्सा है। जिसे वे अन्य अनेक विकासशील देशों में खेलते रहते हैं।

अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह मात्र संयोग की बात है कि सी० आई० ए० के भूतपूर्व अधिकारी जनरल वाल्टेयर जयवर्द्धन सरकार से बातचीत करने के लिये प्रायः श्रीलंका की यात्रा करते रहते हैं। हम यह नहीं जानते कि वह किन प्रश्नों को लेकर बातचीत करते रहते है किंतु हर बार जब भी वे आते हैं, हस्तक्षेप बढ़ जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार को इन यात्राओं के दौरान होने वाले विचार-विमर्श के बारे में ज्ञात है और अगर ऐसा है तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? अमरीका की भूमिका से संबंध में सरकार का क्या रवैया है? यह कहा जा रहा है कि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है जिसमें भारत हमेशा हस्तक्षेप करता रहता है, इस प्रकार वे हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं और वस्तुस्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं। अतः मैं इस बारे में जानना चाहती हूं। हमारे पक्ष के बारे में भारत सरकार विश्व जनमत बनाने के लिये क्या कर रही है। हमारे रवैये के बारे में आप मित्र देशों को स्थिति से अवगत कराने के बारे में क्या कर रहे हैं? आपने क्या पहल की है और इस संबंध में आप आगे क्या कदम उठाने चाहते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह समस्या शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करना चाहती हूं कि समस्या का एक राजनीतिक हल ढूंढ लिया जायेगा किंतु ऐसा करना सुगम नहीं होगा क्योंकि इस समस्या का उद्देश्य तमिल भाषियों को श्रीलंका से बाहर धकेलना ही नहीं है बल्कि इसका संबंध मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा से है और भारत के विरुद्ध दबाव बनाना है, अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि भारत सरकार पहल के लिये और इन उपायों पर विचार कर रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां। माननीय सदस्या ने अनेक प्रश्न उठाये हैं। सर्व प्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वपक्षीय संमेलन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि कट्टर पंथियों तथा बोद्ध धर्मोपदेशकों ने अपना सहयोग नहीं दिया था। अतः यह संमेलन किस प्रकार की प्रगति नहीं कर सका। जहां तक हमारे देश की सुरक्षा का संबंध है, सरकार अपने दायित्वों के प्रति जागरूक है। हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या करना होगा। जहां तक उपनिवेशन का संबंध है, यह सत्य है कि यह एक समाचार था कि जाफना में श्रीलंका सरकार ने एक अथवा दो सिंहली बस्तियां बसाई हैं। माननीय सदस्य ने यह फरमाया है कि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि वहां रह रही तमिलभाषी जनसंख्या की प्रतिशतता में कमी की जाए। किंतु यह बात निश्चित है कि जब राजनीतिक हल ढूंढ जाएगा तो इन सब बातों पर विचार किया जाएगा मुझे अब भी आशा है कि हमारे लिये तथा श्रीलंका सरकार के लिए राजनीतिक हल ढूंढना संभव होगा क्योंकि सैनिक दृष्टि से अथवा वहां उन क्षेत्रों में अन्य लोगों को बसाने से इस समस्या का स्थायी हल नहीं ढूंढा जा सकता है। अतः उन्हें इसके लिये बातचीत करनी होगी। जैसीकि माननीय सदस्या जानती हैं कि भारत ने इस बारे में अपनी सेवाओं की पेशकश की है और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया था। हमें विश्वास है कि वे बराबर इसी प्रकार की विचार धारा बनाये रखेंगे और हम भी श्रीलंका सरकार को यह समझाने का प्रयास जारी रखेंगे कि इस समस्या का यथाशीघ्र राजनीतिक हल खोजा जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप अपने पक्ष के बारे में जनमत तैयार करने के लिये क्या कर रहे हैं तथा अमरीका सरकार के प्रति आपका रवैया क्या है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे खेद है कि माननीय सदस्या इस बात से अवगत नहीं हैं कि इस मामले को ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभा तथा अन्य निकायों में ध्यान दिया जा चुका है। जहां तक अमरीका सरकार का संबंध सही है, वे भली भांति जानते हैं कि हम चाहते कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान होना चाहिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनकी भूमिका के बारे में आपका मूल्यांकन क्या है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे लिये यह बताना बहुत कठिन है कि परदे के पीछे वे क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या आप वहां अमरीकी एजेंटों की उपस्थिति के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका में उनके गुप्तचर एजेंट चोरी छिपे अनेक प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय हैं ? यदि हां, तो क्या आपने इसके बारे में विरोध किया है ?

†**श्री खुर्शीद आलम खां :** यह बड़ा नाजुक प्रश्न है। मैं इसके बारे में अपनी राय प्रकट नहीं करना चाहता हूं।

4-44 म० प०

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी रखेंगे। श्री आर० प्रभु।

श्री आर० प्रभु (नीलगिरी) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रो० एन० जी० रंगा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यापक किंतु सारगर्भित था। हम इतिहास में सबसे अधिक दुःखद घटना हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यहां मिल रहे हैं। सभापति महोदय, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसने अपनी पुत्री के रूप में अथवा मां अथवा बहिन के रूप में अपना सगा संबंधी खो दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जीवन काल में एक सशक्त प्रशासन प्रणाली स्थापित की थी और लोकतंत्र को संस्था का रूप दे दिया था। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही प्रशासन, विदेशी संबंध आयोजना, हरिजन, कमजोर वर्गों का उत्थान, महिला कल्याण आदि कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास हुआ। इन विषयों की अंतहीन सूची है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस वर्ष अपना जन्म शताब्दी समारोह मना रही है, जैसी महानतम संस्था की गौरवमयी परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखा है। यह संस्था और उसके आदर्श उनके कार्य-कौशल एवं उपलब्धियों के ओजपूर्ण स्मारक हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हम युवा एवं गतिशील प्रधान मंत्री के इन आदर्शों एवं इस संस्था को बनाये रखने तथा इसे भावी पीढ़ियों को सौंपने में सहायक होंगे। इस समय भारत ने आर्थिक विकास एवं राजनीतिक लोकतंत्र के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। हमें विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद का सदस्य होने का वास्तविक रूप से गौरव प्राप्त हुआ है। राजनीतिक लोकतंत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि हमारे चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करवाये गये हैं। हमारा देश एक विशाल देश है जो काश्मीर से कन्याकुमारी और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अतः समूचे देश में जिस कुशलता से चुनाव करवाये गये उससे समूचा विश्व वास्तव में भौचक्का रह गया है। जितने अधिक बहुमत से इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में वापस आई है उससे यह पता चलता है कि भारतीय अति विवेकशील हैं और जब भारत की अखंडता को चुनौती दी गई और उसे दांव पर लगाया गया तो ऐसे संकट के समय में भारत का सोया शेर जाग गया। सारे संसार में अनेक लोग यह कहते हैं कि इस देश की जनता अनपढ़ है और यहां साक्षरता बहुत ही कम है किंतु भारतीय अति विवेकशील हैं और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारतीय जनता ने इस अवसर पर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए प्रधान मंत्री के युवा नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज इस समय न केवल राजनीतिक स्थिति बल्कि आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। अगले दो महीने की समयावधि में हम छठी पंच-वर्षीय योजना को पूरा कर लेंगे जिसमें

9—165 LSS/ND/85

[श्री० आर० प्रभु]

लगभग 105,000 करोड़ रुपये की विपुल राशि का निवेश किया गया है। हमने योजना का लक्ष्य अर्थात 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर भी प्राप्त कर ली है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यदि हम अब अमरीका तथा एवं हांगकांग सिंगापुर जैसे छोटे देशों को छोड़ कर विश्व की स्थिति देखें तो हमे पता चलेगा कि अन्य देशों में नगण्य अथवा सीमान्त विकास की दर चल रही है। छठी योजना के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में हमारी निरन्तर उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को दिखाने के लिये कतिपय आंकड़े देना चाहूंगा।

	प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
खाद्य उत्पादन में	40
औद्योगिक उत्पादन में	24
बिजली उत्पादन मे	32
उर्वरक एवं सीमेंट उत्पादन में	50
पट्रोलियम उत्पादन में	100

अत: महोदया, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों मे नीतियों को योजनाबद्ध ढंग से लागू करने के परिणामस्वरूप जिसों के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। केवल यहीं नहीं हमने गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है इसके लिए ग्रामीण जनता को विभिन्न कृषि निवेश दिये गये तथा गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित जलपूर्ति, आवास आदि सुविधाएं दी गई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्व-रोजगार कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आदि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमारा विपुल योजना व्यय 20-सूत्रीय कार्यक्रम का ही परिणाम है। इससे धीरे-धीरे गांवों की स्थिति में परिवर्तन आया है मानव संसाधन विकास के अनुसंधानपरक कार्यक्रमों से भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा।

माननीय प्रधान मंत्रीसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे गरीबी हटाने के इन कार्यक्रमों को सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान में भी जारी रखें।

महोदया, सातवीं योजना खाद्यान्न, कार्य एवं उत्पादकता के तीन उद्देश्यों को समर्पित की गई है। मैं यहां उत्पादकता के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं उत्पादकता वृद्धि के लिए गरीबी हटाओ कार्यक्रम विशेष रूप से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम जैसे रोजगार कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन चाहता हूं। इस समय इन कार्यक्रमों का रोजगार के मानवदिवसों के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। मानवदिवस अथवा जिन लोगों को भुगतान किया गया है। उनकी संख्या नहीं माननी चाहिए किंतु यह देखना चाहिए कि ठोस परिसंपत्तियां कितनी बनी और उनके लिये क्या उपाय किये गये। आधारभूत रूप से मैं चाहता हूं कि किसी समुदाय की आवश्यकताओं और निर्मित परिसंपत्तियों तथा दिये गये रोजगार के बीच संबंध होना चाहिए।

जैसाकि हम सभी जानते हैं एक तरफ तो गांवों में स्कूल, सड़कों, चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताएं चाहिएं। दूसरी ओर लोगों को रोजगार दिलाने की भी आवश्यकता है ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। मैं इन दोनों में बेहतर समन्वय चाहता हूं। और इस संबंध में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वे विशेष समुदायों को मिलने वाली वस्तुओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रख गांव स्तर पर एक समन्वित कार्यक्रम बनाने के प्रस्ताव पर विचार करें। इन कार्यक्रमों का दायित्व स्थानीय एजेंसियों, पंचायतों जैसी स्थानीय निकायों अथवा गांव अथवा जिले स्तर पर गठित सहकारी निकायों को सौंपा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को उस जिले विशेष प्रमुख बैंकों के सहायक एककों को भी सौंपा जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सभी कार्यक्रमों में समन्वय एवं उनके कार्यान्वयन के लिये यहां केंद्र में एक पृथक विभाग स्थापित करने पर विचार किया जाये। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि रोजगार योजनाओं तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एकता स्थापित की जाए।

महोदया, हमारे युवा प्रधान मंत्री अर्थ-व्यवस्था की पुनर्रचना करना तथा अधिकांश समस्याओं के प्रति पद्धतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। मैं उनसे इन गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन करने तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रयास करने का अनुरोध करता हूं। जब हम उत्पादकता के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। किंतु इस चर्चा के दौरान सरकारी क्षेत्र के बारे में और अधिक कहने के लिए समय नहीं है।

मैं केवल अपने क्षेत्र के एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान फोटो फिल्मज, जिसका कार्य बढ़िया रहा है, के बारे में ही बोलूंगा। सरकारी क्षेत्र के इस एकक ने लाभ कमाने में सफलता प्राप्त की है और इसने लाभांश देना भी प्रारंभ कर दिया है। इसने 50 लाख रुपये का लाभांश वितरित किया है और इस सरकार के सत्ता में आने की बाद यह पहला एकक है जिसने इस प्रकार लाभांश दिया है। इस समय वे ऐसी सिने पॉजिटिव ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों, सिने साउंड नेगेटिव फिल्मों, ब्लैक एंड व्हाईट ब्रोमाइड पेपर तथा चिकित्सा संबंधी एक्स-रे फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं जिनमें उच्च कोटि की प्रोद्योगिकी एवं विपुल निवेश की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रोद्योगिकी के अंतरण के लिए अमरीका के "ड्यूपोंट" के साथ एक्स-रे परियोजना के विस्तार के करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संबंध में भारत के साथ भी सहयोग चल रहा है। उन्होंने अभी तक यह प्रोद्योगिकी किसी और को नहीं दी है। उन्होंने इस संबंध में किसी और से समझौता नहीं किया है। वे यह प्रौद्योगिकी सबसे पहले हमें ही दे रहे हैं। इस परियोजना की एक वर्ष से योजना बनाई जा रही है और "ड्यूपोंट" ने तमिल नाडु में उटाकमंड में परियोजना को स्थापित करना स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय: आप 10 मिनट का समय ले चुके हैं। अब आप अपना भाषण पूर्ण करें।

श्री आर० प्रभु: मैं अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए सातवीं योजना में 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए और इसे यथाशीघ्र प्रारंभ करना होगा। हम यह आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री शीघ्र ही पहाड़ी स्टेशनों में प्रमुख स्टेशन उटाकमंड में इसकी आधार शिला रखने आयेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोजना परिव्यय में बहुत सीमा तक वृद्धि की जा रही है और सभी योजना परिव्ययों को मिलाकर देखें तो इन पर हम शायद 1950 से 2000 ई० तक की अर्ध-शताब्दी में 10 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय कर रहे हैं। इस व्यय के कारण भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। श्री राजीव गांधी के सशक्त नेतृत्व में हम अविकसित नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी में पदार्पण करेंगे।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य): सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं आपको और संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे राष्ट्रपति भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि श्रीमती गांधी का नाम विश्व इतिहास की अमर विभूतियों में आ गया है। मेरे नेता, डा० के० करुणानिधि ने प्रधानमंत्री की हत्या के दिन इन शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी कि "भारतीय" प्रायद्वीप पानी पर नहीं है अपितु यह आंसुओं पर तैर रहा है। डी० एम० के० की ओर से मैं श्री राजीव गांधी तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी गहरी हमदर्दी व्यक्त करता हूं।

राष्ट्रपति के भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि जो जनादेश मिला है वह अभूतपूर्व है परंतु अप्रत्याशित जनादेश शब्द को छोड़ दिया है। क्योंकि तर्क और सहानुभूति में संघर्ष है। सहानुभूति की विजय हुई है और तर्क की हार। इसलिये आज दिग्गज व्यक्तियों की बजाय हमारे यहां इस सदन में फिल्मी सितारे आये हैं। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। रेडियो तथा दूरदर्शन का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव से चार दिन पहले श्रीमती गांधी के अंतिम संस्कार को देश के हर कोने में दिखा जा रहा था। यद्यपि तमिलनाडु में काफी समय पहले बाढ़ से तबाही आ गई थी परंतु बाढ़ सहायता उपाय जैसे कि धोतियां, साड़ियां, चावल तथा पैसा आदि चुनाव से चार दिन पहले ही दिये गये। खैर, जो कुछ भी हुआ हो हम लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। जैसा कि अण्णा ने ठीक ही कहा है अर्थात "मक्कल कुरले महेसान कुराल" लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। डी० एम० के० की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री को आश्वासन देता हूं कि हम सरकार की सभी प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करेंगे जैसा कि हमने पहले भी प्रिविपर्स को समाप्त करने तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में किया था।

[डा० ए० कलानिधि]

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। तमिलनाडु में क्या हुआ है? जब डा० के० करुणानिधि मुख्य मंत्री थे, तब हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। दुर्भाग्यवश, इस समय हम 13वें स्थान पर चले गये हैं। क्या इसका कारण यह है कि तमिलनाडु सरकार ने उद्योग के लिये आवश्यक विकसित बुनियादी सुविधाओं को जुटाने, तथा उद्योगों को स्थापित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई? अन्यथा ऐसा इसीलिए हुआ है कि सरकार अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अनुमति देने से इंकार कर रही है? दलगत हितों से ऊपर उठकर मैं माननीय प्रधान मंत्री से तमिलनाडु के प्रति सहानुभूति बरतने का अनुरोध करता हूं। यह मत भूलिये कि तमिलनाडु भारत के नक्शे में है। इसमें अधिक उद्योग लगाकर इसे वापस तीसरे स्थान पर लाइये। कृपया लोगों को यह कहने का मौका मत दीजिये कि उत्तर तो फलफूल रहा है और दक्षिण की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

मुझे बहुत खुशी है कि यह सरकार स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिये वचनबद्ध है जो कि प्रधानमंत्री की माता के समय में नहीं था जिन्होंने इस सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि श्री राजीव गांधी स्वच्छ प्रशासन देने के लिये कटिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री के सचिवालय में जासूसी की गतिविधियों में शामिल अपराधियों को दंड देने की जो पहल उन्होंने की है इससे स्पष्ट रूप में पता चलता है कि वह एक स्वच्छ सरकार बनाना चाहते हैं।

दल-बदल निवारण विधेयक के संबंध में, मैं सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने जाल फैलाया है और सभी मछलियों को पकड़ लिया और पकड़ने के लिये एक भी मछली नहीं बची। और अब आप यह दल बदल निवारण विधेयक ला रहे हैं।

8-00 म० प०

आंध्र-प्रदेश में आपने ऐसा किया है। आपने दल-बदल की प्रवृत्ति पैदा की, दल-बदल को बढ़ावा दिया तथा सरकार को गिरा दिया। जम्मू और कश्मीर में आपने मां और बेटी के बीच झगड़ा करा कर परिवार में फूट डाल दी और जम्मू तथा कश्मीर सरकार का तख्ता पलट दिया। सारी मछलियां लेने के बाद अब आप दल-बदल निवारण विधेयक ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतान धर्मग्रंथ पर प्रवचन दे रहा हो। धर्मग्रंथ को पढ़ने से इसकी बुराई समाप्त नहीं हो जाती वह शैतान ही रहता है। परंतु जो कुछ भी हो, मैं डी० एम० के दल की तरफ से इस दल-बदल निवारण विधेयक का समर्थन करता हूं, बशर्ते कि विपक्षी दलों द्वारा रखे गये सुझावों पर विचार किया जाये और विधेयक में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाये।

समान शिक्षा संबंधी नीति के बारे में मैं यह कहूंगा कि तमिलनाडु में पोलिटेक्नीक तथा इंजिनियरिंग कालेजों की अधिकता है। अगर आप 3000 रुपये देंगे तो आप को पोलिटेक्नीक कालेज में दाखिला मिल जायेगा। और अगर आप 30,000 रुपये देते हैं तो आपको इंजिनियरिंग कालेज में दाखिला मिल जायेगा। मुझे आशंका है कि एक ऐसी अवस्था आयेगी.........

श्री पी० कोलनदईवेलु (गोबिचेटिटपालयम) : महोदय मैं .... का पुरजोर विरोध करता हूं।

डा० ए० कलानिधि : मेरा भाषण खत्म होने के पश्चात् उन्हें अपनी आपत्ति उठाने दीजिये। मैं अपनी बात पर अडिग हूं। यह सच है उन्हें मेरी बात का खण्डन करने दीजिये। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। अगर वे यह साबित कर दें कि मैं गलत वक्तव्य दे रहा हूं तो मैं अपनी सीट से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं अपनी बात पर कायम हूं।

सभापति महोदय : जो कुछ आपने कहा है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री पी० कोलनदईवेलु : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। शिक्षा विषय राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। इसकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती।

डा० ए० कलानिधि : यह समवर्ती विषय है। वह नये सदस्य हैं। इसलिए शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है। इसलिये इसका उल्लेख किया जा सकता है।

श्री ईरायु अय्यपा रेड्डी (कुरनूल) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में नयी शिक्षा नीति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अत: माननीय सदस्य उसका उल्लेख कर सकते हैं। यह सुसंगत है। इसके अलावा, शिक्षा समवर्ती सूची में है।

श्री पी० कोलनदईवेलू : भारत सरकार को शिक्षा सम्बन्धी नीति अभी बानी है इसके बनने के पश्चात् ही हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब माननीय सदस्य राज्य के प्रशासन के बारे में बोल रहे हैं जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती।

डा० ए० कलानिधि : शिक्षा के मानकीकरण पर बोलने का मुझे पूरा अधिकार है।

श्री पी० कोलनदईवेलू : तमिलनाडु में शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा है। मेरे माननीय मित्र डा० कलानिधि राज्य में शिक्षा के सबूत तथा कदाचार की आलोचना कर रहे हैं। अगर राज्य में कोई कदाचार है तो मेरा निवेदन है कि उन्हें कुछ रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा ताकि यह साबित हो जाये कि वहाँ पर कदाचार जारी है। प्रत्यक्ष रूप से अपने आरोपों के बारे में सबूत देने के लिये उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है।

सभापति महोदय : मैं विनिर्णय दूंगी। जहाँ तक प्रशासन में कदाचार का संबंध है, मैं नहीं समझती कि हम यहाँ उस पर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु चूंकि राष्ट्रपति ने शिक्षा संबंधी नीति का हवाला दिया है, इसलिये वह इस पर बोल सकते हैं। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा० ए० कलानिधि : शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये अच्छा यह होगा कि केन्द्र सरकार पोलिटेक्नीक तथा इंजिनियरिंग कालेजों की अत्यधिक वृद्धि को रोके। अगर यही रवैया जारी रहता है तो एक स्थिति ऐसी आयेगी जब कुछ पैसों में डिप्लोमा तथा डिग्रियां लोगों को उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रपति ने अल्पसंख्यकों के बारे में भी उल्लेख किया है। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री से मण्डल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा जब वह इनको क्रियान्वित करेंगे तभी पिछड़े समुदाय तथा वर्ग पूरी तरह ऊपर उठेंगे।

महिलाओं के उत्थान तथा उनके कल्याण के संबंध में मुझे खुशी है कि आपने उनके लिये हायर सेकेण्डरी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देने का विचार किया है। परन्तु यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब महान नेता श्री के० कामराज राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्कूल की शिक्षा तक इसे मुफ्त कर दिया था। उसके पश्चात् जब श्री कलाइगनार करुणानिधि राज्य के मुख्यमंत्री बने तो मुफ्त शिक्षा योजना बढ़ाकर पी० यू० सी० तक कर दी गई और श्री राजीव गांधी अब इसे लड़कियों के लिये हायर सेकेण्डरी स्तर तक मुफ्त कर रहे हैं और इस कार्य के लिये हम उन्हें बधाई देते हैं।

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु में हम इसे डिग्री स्तर तक कर रहे हैं।

डा० ए० कलानिधि : आपने वर्ष 1985 को युवा वर्ष घोषित किया है, परन्तु युवकों के लिये आपने कुछ भी नहीं किया है। वे निराश हैं। बहुत से युवा लोग हैं जो स्नातक हैं तथा स्नातकोत्तर हैं और फिर भी वे बेरोजगार हैं। एम० एस० सी० एक युवा व्यक्ति मेरे पास परिचर "अटेन्डेन्ट" की नौकरी की नियुक्ति के लिये आया। अत: मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार एक योजना तैयार करे जिसके द्वारा युवा व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें।

गंगा और कावेरी जल के बारे में, मैं कहूँगा कि इन दोनों को जोड़ दिया जाये, ताकि अतिरिक्त जल को अन्यत्र देकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके

एक और मुद्दा मैं श्रीलंका के मामले के बारे में कहना चाहूँगा। जातीय हिंसा वहाँ पर भड़कती जा रही है और तमिल इससे पीड़ित हैं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र क्यों इसकी उपेक्षा कर रहा है। क्या हम देश में एक भिन्न जाति के लोग हैं? यह बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं के पेट को चीर दिया गया और उसमें से भ्रूण को बाहर निकालकर जमीन पर पटक कर सैनिकों के जूतों की एड़ी से कुचल दिया गया। सिंहली तमिलों को नष्ट करने पर उतारू हैं। जयवर्धने की सरकार पुलिस गुंडों और क्रूर सेना की मिलीभगत से शासन कर रही है। आप हमसे और कितना इन्तजार करवायेंगे?

मैं जनवरी, 1985 के "सण्डे टाइम्स" से उद्धृत करना चाहूँगा। जिसे "न्यूज़ वीक" ने पुन: उद्धृत किया था। इसका शीर्षक है। (खुला आतंक "इट इज प्लेन टेरर, सेज टाइम्स" "टाइम्स" के अनुसार)। इसके अनुसार वहाँ तमिलों को बहुत आतंकित किया गया है। और वहाँ सेना जुल्म ढा रही है। इसलिये तमिलों का उस देश में रहने की कोई गुंजाईश नहीं रही है। 1971 में कत्लेआम नहीं हुआ था। सामूहिक हत्याएं नहीं हुई थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तानियों को स्वतंत्र बंगलादेश बनाने के लिये प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था। 1974 में रूमानिया और यूगोस्लाविया से मिलकर भारत ने साइप्रस में शान्ति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

[डॉ० ए० कलानिधि]

पर दबाव डाला था। सन 1971 में तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि याहया खां के बयान के परिणामस्वरूप लोगों ने विद्रोह किया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराया। अत: जो घटनायें कुछ समय पूर्व हुई हैं, उन्हें हमें गम्भीरता से लेना चाहिये। हमें इस समय तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिये कि हमारे तमिल भाई मारे जा रहे हैं और उग्रराष्ट्रवादी सिंहली तमिलों को अंधाधुंध मार रहे हैं और इस कुकृत्य में पुलिस गुंडों तथा कट्टर सैनिकों की मदद ले रहे हैं। कृपया हस्तक्षेप कीजिये। यह न सोचें कि तमिल प्रदेश मांगना अलगाववाद नहीं है यह श्रीलंका के तमिलों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अत: यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे और तमिलों के पृथक राज्य के मुक्ति आन्दोलन का समर्थन करे।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा। (बरहामपुर) : महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। लोक सभा के इस सम्मानित सदन में यह मेरा पहला भाषण है और मैं आपके माध्यम से लोक सभा के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस प्रस्ताव में न केवल भविष्य की आशायें अभिव्यक्त हुई हैं अपितु उसमें हमारी प्रिय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में पिछले दशक में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। महोदया, उनके कुशल नेतृत्व में इस देश का सम्मान काफी बढ़ा है और प्राय सभी को विदित है कि वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष थीं और इस आन्दोलन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने विश्व भर में जो ख्याति प्राप्त की मेरे विचार से वह भारत के समग्र इतिहास में अद्वितीय है। महोदया, एक और महान उपलब्धि हुई है जिसकी समस्त विश्व को प्रशंसा करनी चाहिये और वह यह है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय से ही हम लोग भारत में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की परम्परा का पालन करते रहे हैं। हमलोग अपने पड़ोसी देशों अर्थात् पाकिस्तान, बंगलादेश और अन्य देशों को देखें। इन सभी देशों में सर्वसत्तावादी शासन है जब कि भारत में नियमित रूप से हर पांच वर्ष बाद चुनाव होते रहे है, और यह लोक-तांत्रिक परम्परा कायम रखना, मेरे विचार में बहुत ही अच्छा कदम है और यह बात गत आम चुनाव से सिद्ध हो चुकी है जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है और इस बात से यह सिद्ध होता है कि भारत की जनता भारत की अखंडता में विश्वास रखती है और हम बहुत मजबूत ऐसी सरकार चाहते है जो भारत की अखंडता को कायम रख सके और दल कोई क्यों न हो मेरे विचार से, हम सभी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारत अखंड रहे और मेरा विचार है कि वे सब समस्यायें, जो आज पंजाब में, असम में और श्रीलंका में विद्यमान है, अपने युवा प्रधान मंत्री के नेतृत्व में इस सरकार के स्पष्ट आदेशों के अधीन इन समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझ जायेंगी। मुझे इस बात को अत्यधिक प्रसन्नता है कि अपने युवा प्रधान मंत्री ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। इस सरकार के गठन के समय से कम से कम वह पंजाब की समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि सभी लोगों के सहयोग से, भारत की यह समस्या शीघ्र ही सुलझ जायेगी।

महोदया, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है, यह बहुत ही संतोष की बात है कि खाद्यान्न का उत्पादन 1515 लाख टन तक पहुँच गया है, किन्तु इसके साथ हमें सरकार को याद दिलाना है कि हम लोग इससे आत्म संतुष्ट न हो जायें, क्योंकि मेरे विचार में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत-कुछ प्रकृति के अधीन है। जिस मौसम में वर्षा अच्छी होती है, उस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जाता है और जिस वर्ष सूखा पड़ता है, उस वर्ष उत्पादन घट जाता है। इसलिये सरकार को एक ओर अधिकाधिक सिंचाई के साधन के लिये ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिये कि खाद्यान्न के उत्पादन पर सूखे का असर न पड़े और दूसरी ओर बाढ़ से रक्षा के भी उपाय करने चाहिये। मेरे विचार में, अधिकाधिक नल-कूप लगाकर भूमिगत जल का दोहन कर सिंचाई के साधन बढ़ाने की अभी भी बहुत गुंजाइश है। किन्तु बाढ़ से बचने के लिये, सरकार को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

5-14 म० प०

[श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

बाढ़ से बचने के लिये जो परियोजनायें शुरू की गई हैं, उन्हें शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कंडी में, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, जहां करीब-करीब हर दूसरे साल बाढ़ आती है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान होता है और 1972-77 में, जब कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ थी, तब सिद्धेश्वरी बांध की योजना बनाई गई थी। बांध के संबंध में बिहार सरकार से बात-चीत करनी थी किन्तु 1973 से ही बात-चीत चल रही है और अब 1985 आ पहुँचा है। बात-चीत अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मुझे विश्वास है कि बांध के पूरा हो जाने पर न केवल बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले की 10,000 एकड़ भूमि

के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायेंगे बल्कि कंडी को बाढ़ की समस्या भी सुलझ जायेगी। हमें इन उपायों के महत्व को कम नहीं समझना चाहिये जो भारत के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति गरीबी हटाओ आदि की बात करता है। परंतु आबादी पर रोक लगाये बिना गरीबी कैसे मिट सकती है? आस्ट्रेलिया की आबादी हर साल बढ़ जाती है और यदि भारत की भी यही स्थिति रही तो गरीबी हटाने के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? इसलिये, मैं महसूस करता हूँ और मेरा विश्वास है कि सरकार इस स्थिति के बारे में जागरूक है। किन्तु और अधिक ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। मुझे नहीं पता कि कितने और अधिक प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये, और कितने साधन अपनाने चाहिये अथवा और कितना प्रचार और प्रयास किया जाना चाहिये। इन कार्यक्रमों को और अधिक तेजी से लागू किया जाना चाहिये।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत समय से हम लोग पूर्वी क्षेत्र में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं चाहे वह पश्चिम बंगाल में बिहार में, उड़ीसा में अथवा असम में ही क्यों न स्थापित किया जाये, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वी क्षेत्र में कोई भी परमाणु बिजली घर नहीं है जबकि देश के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में परमाणु बिजलीघर हैं। यदि पूर्वी क्षेत्र में परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाता है तो उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग स्थापित हो सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश, परमाणु ऊर्जा आयोग की अब तक यह आपत्ति रही है कि पूर्वी क्षेत्र में कोयला उपलब्ध है। किन्तु, मेरा विचार है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने हाल ही में यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया है। इसलिये, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजली घर बनाने की योजना बनाई जाये और परमाणु बिजली घर यथाशीघ्र स्थापित किया जाये। 1972 से 1977 तक जब हमलोग पश्चिम बंगाल सरकार में सत्तारूढ़ थे, तब विशेषकर मिदनापुर जिले में विशेषकर डॉनटोन परमाणु बिजली घर बनाने की एक योजना बनाने का प्रस्ताव था। किन्तु मुझे उस बात पर आश्चर्य है कि इन योजनाओं का कार्यान्वियन इतना धीमा है कि उस क्षेत्र में इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि बाढ़ से बचने के कार्यक्रम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यथाशीघ्र कार्यान्वित किये जायें, क्योंकि बाढ़ से रक्षा होने पर वास्तव में करोड़ो रुपये की फसलों की रक्षा और बचत हो सकेगी। मुझे पता है कि, 1973 में इस परियोजना पर 10 करोड़ रुपये की लागत आती। किन्तु, हर क्षेत्र में मूल्य वृद्धि होने के कारण, हो सकता है कि उसकी लागत 20 करोड़ रुपये हो सकती है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। किन्तु एक बार इसे कार्यान्वित किया जाये तो हर साल कम से कम बहुत बड़ी राशि की फसल की रक्षा हो सकेगी। इसलिये, बाढ़ से बचने में इस प्रकार के कार्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रों मे बहुत ही गंभीरतापूर्वक और बहुत ही शीघ्र लागू किया जाना चाहिये। अन्यथा एक ऐसी महान भूल होगी जिसे भारत जैसा निर्धन देश सहन नहीं कर सकेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं लगभग दो या तीन दिन से माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं और अनेक सदस्यों ने परिवार नियोजन के बारे में कहा है। इस कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। आपको पता है कि आर्थिक विकास मश्किल से 3 या 4 प्रतिशत है। इसलिये, यह कहानी ठीक उसी प्रकार की है जैसा कि कोई बन्दर फिसलने वाले खम्भे पर चढ रहा था। जब वह 2 फोट चढता था तब वह 2 फोट नीचे आ जाता था और पुनः 2 फोट नीचे फिसल जाता था। इस तरह से वह चढ ही नहीं पाया। इसलिये परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। मुझे वस्तुतः इस बात की जानकारी है कि आपात काल के दौरान जो परिवार नियोजन अपनाया गया था, उसका क्या प्रभाव हुआ है। इसलिये इस प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिये। किन्तु इसके साथ ही, दुर्भाग्यवश इन कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं हुई है। चूंकि परमाणु ऊर्जा आयोग ने प्रतिबंध हटा लिया है इसलिये आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार किया जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है, पश्चिम बंगाल मे औद्योगिक रुग्णता की विकट समस्या है। औद्योगिक रुग्णता के अनेक कारण हैं। इसका कारण है वर्तमान सरकार का रवय्य, बिजली की कमी, संघ प्रतिद्वन्द्विता, आदि किन्तु इन सबका निष्कर्ष यह है कि लाखों व्यक्ति बेरोजगार हैं। मेरे विचार में यदि पश्चिम बंगाल के इन उद्योगों का पुनरुद्धार नहीं किया जायेगा तो पूरे देश का आर्थिक विकास खतरे में पड़ सकता है। इसलिये, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार पश्चिम बंगाल के रुग्ण उद्योगों की ओर ध्यान दे और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से समस्त देश की प्रगति होगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ जो सुस्पष्ट और संक्षिप्त है और जो राजीव गांधी की सरकार को मूल दर्शन को, सार्वजनिक जीवन और संस्थाओं में सुधार करने और विश्वास को बनाये रखने एवं राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के प्रति उनकी निष्ठा को अभिव्यक्त करता है।

अपने समय की महान नेता और राजनेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजली अर्पित करने में नयी संसद राष्ट्रीय शोक में सम्मिलित है। इस अवसर पर हमने लोगों को अपने नये नेता के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास व्यक्त करना चाहिये जो अपने देश की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतीक बन कर आये हैं।

हमारी सामाजिक-राजनैतिक प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है और श्री राजीव गांधी ने प्रशासनिक, न्यायिक और शिक्षासंबंधी सुधार करने का कार्य शुरू किया है।

राष्ट्रपति ने गत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई हमारी उपलब्धियों का उल्लेख किया है। हमारी सातवीं योजना आरम्भिक अवस्था में है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अतीत के अनुभव के आधार पर ठोस परिवर्तन करने के लिए अनूठा अवसर प्रदान करता है।

सबसे पहले हमें विकास के कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखना चाहिए। उड़ीसा जैसे कुछ राज्य ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारणवश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश को प्राथमिकता देने का प्रयास करना अर्थात् उद्योग, बुनियादी सुविधाओं और केन्द्रीय परियोजनाओं में प्राथमिकता देना बहुत ही श्रेयस्कर होगा। इन पिछड़े राज्यों में केन्द्रीय सहायता की योजनायें भी बनाई जानी चाहिये।

ग्रामीण युवकों और बेरोजगार व्यक्तियों पर चर्चा करते हुए यह उल्लेखनीय है कि 1985 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल युवा शक्ति है और वहाँ ऐसा उपयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये जिससे कि इस युवा शक्ति का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जा सके।

मैं अपने प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने महिला कल्याण के लिये एक पृथक मंत्रालय गठित किया है। लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा तथा महिलाओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। महिलाओं को रोजगार दिये जाने तथा स्व-नियोजन के विशेष अवसर प्रदान करने का समय अब आ गया है।

गरीबी हटाओ कार्यक्रम के संबंध में नई दिशा देने की आवश्यकता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ग्राम-वासियों में आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। इसको भी नई दिशा देना अपेक्षित है, क्योंकि परिसंपत्तियों के वास्तविक निर्माण के स्थान पर राजसहायता पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके कारण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई है। मेरे विचार में, राजसहायता पर व्यय की गई राशि का सदुपयोग ब्याज रहित ऋण देने तथा ऋण के कुछ भाग की अदायगी के बाद ऋण के कुछ भाग माफ करने में किया जा सकता है। इस प्रकार का सुधार करने से बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ होगी, ग्रामीण उत्पादिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वन नीति तथा बंजर भूमि विकास बोर्ड के माध्यम से बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने के कार्यक्रम का उल्लेख किया है। इस कार्यक्रम से एक लाभ और होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत अधिक हो जायेंगे। मैं यह भी अनुरोध करती हूँ कि नवीकरण किये जाने योग्य तथा नवीकरण न किये जाने योग्य ऊर्जा में विभिन्न साधनों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की एक व्यापक योजना बनाई जाये।

भोपाल त्रासदी ने हमें इस बात के लिये सचेत किया है कि औद्योगिकीकरण के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा के उपाय करना अपेक्षित है। मेरे विचार से वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये उनमें तत्काल संशोधन किया जाना चाहिये।

इस संबंध में, एक और पहलू, जो मेरे मस्तिष्क में है, यह है कि विकसित देश तथा बहु-राष्ट्र कि निगम उन विकासशील देशों को अप्रचलित प्रौद्योगिकी देने को सदा तत्पर रहते हैं, जो प्रौद्योगिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं।

मेरा विचार है कि यह प्रवृत्ति चिंताजनक है और मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि अपने देश में इस्तेमाल किये जाने से पूर्व इस प्रकार की आयातित प्रौद्योगिकी की संगति तथा प्रभावकारिता की संवीक्षा केन्द्रीय स्तर पर उपयुक्त तकनीक अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये।

कृषि संबंधी भविष्यवाणियों की दृष्टि से 1984 का वर्ष त्रासदी और परिताप का वर्ष था । भाग्यवश 1985 का वर्ष नई आशायें और नई अभिलाषायें लेकर आया है । इस समय राष्ट्र मूल्य सुधारने, एकात्मकता लाने तथा प्रगति करने की मन:स्थिति में है । राष्ट्रीय परिवर्तन के लिये सारा राष्ट्र श्री राजीव गांधी के साथ है ।

हमें भी अपने नये नेता को उनके प्रयास में पूर्ण समर्थन देने तथा शक्ति प्रदान करने के लिये उनका साथ देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद !

श्री अद्दम श्रीरामामूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, किसी भी सरकार को कार्यभार सम्भालने से पहले पहला कदम यह उठाना चाहिए कि वह पद तथा गोपनीयता की शपथ ले । इस सरकार ने हमारे संविधान के मौलिक निर्देशों तथा संविधान द्वारा सरकार पर डाले गए दायित्व का उल्लंघन किया है । मैं संविधान की कुछ धाराओं को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"अपने पद का कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति मंत्री को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएँगे ।"

"उसे शपथ दिलाएँगे", यह व्यक्तिगत रूप से तथा अलग-अलग दिलाई जायगी, न कि सामूहिक तौर पर, जिसका अर्थ संविधान की भावना तथा नीति का उल्लंघन करना होगा ।

अतएव, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने कार्यभार संभालने के शीघ्र बाद जो पहला कार्य किया वह था संविधान की भावना तथा इसके उपबन्धों का उल्लंघन । ऐसे शकुनविचारों के साथ इस सरकार ने कार्यभार संभाला है और कार्य करना आरम्भ किया है ।

संयोगवश, यह बात मुझे एक अन्य पहलू की ओर ले जाती है । संवैधानिक मान्यता तथा वैधता यह है कि सरकार कार्यभार संभालती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती है तथा वह देश तथा इस सदन के प्रति उत्तरदायी है ।

जो सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यभार नहीं संभालती, उसे संवैधानिक तथा वैधानिक मान्यता नहीं मिल सकती । मैं यह कहना चाहता हूँ ।

सदैव की भांति राष्ट्रपति परम्परागत शान-शौकत से अश्वारोही अंग रक्षकों के साथ छह घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर संसद भवन पहुँचे । यह समय की भावना के अनुरूप नहीं है । शायद, यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति या बुर्जुआ या सामन्त-वादी या पुरातन शाही तथा वैभवी परम्परा का द्योतक है । इसलिए इक्कीसवीं सदी, आदि की ऊँची-ऊँची बातें, जो कुछ हुआ है उसके विपरीत हैं । ये परस्पर विरोधी बातें हैं और यह राष्ट्रपति के ठाठ-बाट के साथ बग्घी में आने की मौजूदा परम्परा के साथ मेल नहीं खातीं ।

अतएव, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा प्रधान मंत्री, जिन्होंने कार्यभार संभालते ही बहुत-सी आशाएँ बंधाई है, यह सुनिश्चित करें कि जब हम ऐसे प्रयोजन के लिए यहाँ पुन: एकत्र हों तो इस परम्परा का त्याग करके इसके स्थान पर समय की पुकार के अनुरूप आधुनिक प्रथा स्थापित की जाए ।

जब मैं बग्घी की बात करता हूँ, जब मैं घोड़ागाड़ी की बात करता हूँ तो मुझे अपनी मौजूदा बैलगाड़ी वाली अर्थ व्यवस्था की याद आ जाती है । इस देश में सदियों पुराना हाथों से तथा बैलों व बैलगाड़ियों की सहायता से हल चलाने वाला ढंग अभी तक प्रचलित है । क्या हम इसे छोड़ सकते हैं ? क्या लाखों ग्रामीण लोगों की रोजगार क्षमता तथा रोजगार के अवसरों को खतरे में डाले बिना इस पद्धति को आधुनिक टैक्नोलोजी द्वारा बदला जाना सम्भव है ? यह सम्भव नहीं है । इसलिए, हम पुरातन तथा सदियों पुरानी पद्धति को अपनाए हुए हैं । इसका कोई विकल्प नहीं है ।

मैं एक और छोटी सी बात का उल्लेख करना चाहूँगा जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है । आप गाँवों में जाएँ और देखें । वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है वहाँ उन्हें कोई आधुनिक शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है । लाखों गाँवों में हमारी महिलाओं को दीर्घशंका के लिए सड़कों के किनारे बैठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक शौचालय सुविधा की व्यवस्था नहीं है । यह एक बहुत शर्मनाक स्थिति है और हम इसके लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार जब हमारी महिलाओं को ऐसी अपमानजनक, अनादरपूर्ण, अमानवीय तथा असभ्य स्थिति में रहना पड़ रहा है तो देश को 21 वीं सदी की ओर ले जाने की बात कहाँ तक प्रासंगिक है ? अतएव, कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जिनकी ओर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए । यदि हम उन्हें भुला दें तो हम जनता के साथ कोई न्याय नहीं कर पाएंगे ।

[श्री भट्टम श्रीरामामूर्ति]

आप लोगों को एन्टार्कटिका भेज सकते हैं। आप कुछ मित्र महाशक्तियों के सहयोग से अंतरिक्ष उड़ानों का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन, बुनियादी तौर पर लाखों-करोड़ों लोगों की गरीबी तथा दुर्दशा का समाधान करना अभी शेष है, और यह परिष्कृत, पाश्चात्य पूंजी-उन्मुख तरीकों तथा टैक्नोलोजी द्वारा नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान में रखनी होगी।

यह बात मुझे एक अन्य पहलू की ओर ले जाती है, जिसे कहते हैं कुछ गिने चुने हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण। आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथों में धन का केन्द्रीकरण है, और इस देश के लाखों-करोड़ों लोग दरिद्री हैं। देश के एक प्रतिशत उच्च घरानों के पास 14 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पदा है जबकि नीचे के 50 प्रतिशत परिवारों के पास राष्ट्रीय सम्पदा का सात प्रतिशत से भी कम भाग है। ये आंकड़े ऐसे नहीं हैं जो अपनी स्मरण-शक्ति से दे रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व, माननीय वित्त मंत्री ने इसी सम्मानित सदन में ये आंकड़े दिए थे और मैं उन्हीं का उद्धरण दे रहा हूं। कुछ गिने चुने भाग्यशाली तथा कृपापात्रों के पास सम्पदा तथा समृद्धि जमा हो गई है। विकास के लाभ नीचे के लोगों तक नहीं पहुंचते। 1977-78 में योजना मंत्री ने जो आंकड़े दिए थे, मैं उनका उद्धरण दे रहा हूं : 48 प्रतिशत लोग गरीबी के रेखा के नीचे रहते हैं, और 30 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति मास 65 रुपए से भी कम मिलते हैं। तो फिर आप इस देश के लाखों-करोड़ों लोगों की ओर निर्धनता तथा दुर्दशा में सुधार कैसे करेंगे ? खून पसीना एक करके भी वे अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे पाते। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता की ओर निर्धनता व दुर्दशा की यही स्थिति है।

प्रधान मंत्री या यों कहिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बहुत होशियारी से, मैं नहीं जानता कि यह जान बूझकर किया गया है या अन्यथा, 'समाजवाद' शब्द को छोड़ दिया है। उनके अभिभाषण के पाठ में किसी भी पृष्ठ पर हमें 'समाजवाद' शब्द नहीं मिलता। मैंने बड़े ध्यान से अभिभाषण पढ़ा है।

इससे मैं राष्ट्रीय हित के एक और मुद्दे की ओर आता हूं। गांवों में कृषि जोतों तथा सम्पत्तियों की अधिकतम सीमा नियत कर दी गई है। क्या इसका यह अभिप्राय है कि शहरी क्षेत्रों में लोग अधिक अमीर हो सकते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निरंतर तथा स्थायी निर्धनता में रहना पड़ेगा ? शहरी आय पर भी अधिकतम सीमा क्यों नहीं निर्धारित कर देते ? यह कर दिया जाना चाहिए। शहरी लोगों पर इस तरह की कोई अधिकतम सीमा लागू की जानी चाहिए। यह केवल अधिकतम सीमा का ही प्रश्न नहीं है, यह निम्नतम सीमा का भी प्रश्न है। आपको अनिवार्य रूप से लोगों की निम्नतम आय सुनिश्चित करनी होगी। जब तक आय की निम्नतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया जाता, तब तक अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है और देश को 21 वीं शताब्दी की ओर ले जाने की बात अर्थहीन है।

यहां फिर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह सम्भव है और इसके लिए उन्हें कोई स्पष्ट अनुपात निर्धारित करना चाहिए। यथा 1 : 20 या 1 : 21। ऐसा कोई अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक समतावादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए, प्रश्न आय में विषमता को कम करने का है। अतएव, आय में विषमताओं को कम करने की ओर भी सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जब तक सरकार समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए पूरे दिल से प्रयास नहीं करती, तब तक इस देश के लोगों की हालत में सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रो० रंगा द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैंने सदन में सभी कांग्रेसी सदस्यों को सुना है। वह लोक सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार सफलता पर प्रफुल्लित तथा प्रसन्न हैं। हम कांग्रेस पार्टी की विजय तथा विपक्ष की पराजय को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि हम मतदाताओं के तथाकथित भारी जनादेश का विश्लेषण करें, तो इसे सही अर्थों में 'भारी' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें मुश्किल से 50% मत प्राप्त हुए हैं। यदि हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तो यह भारी बहुमत मुश्किल से 50% रह जाता और यह एक बहुत कम प्रतिशत है।

अतः इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करूं तो मेरे विचार में इस अभिभाषण में हम जिसकी कल्पना कर रहे थे उसके यह बिलकुल विपरीत है क्योंकि इसमें जनसाधारण की समस्याओं का उल्लेख गम्भीरता के साथ नहीं किया गया है। यदि हम मूल्य-वृद्धि की ओर जाएं, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में

क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है कि वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जितनी पहले थी । ऐसी सरकार से, जो यह दावा करती है कि वह भारी जनादेश से विजयी हुई है, यह आशा नहीं की जाती कि वह मूल्य वृद्धि को गंभीरता से न ले । इसके विपरीत लोग यह समझते हैं कि सरकार मूल्यों को कम करने के लिए कुछ कठोर कुछ कदम उठाएगी । लेकिन आम आदमी को यह आश्वासन देने की बजाय कि मूल्यों में गिरावट आयेगी, राष्ट्रपति ने कहा है कि मूल्य अधिक नहीं है । इससे आम आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता ।

अब मैं बेरोजगारी की बात कहता हूं । नए प्रधान मंत्री को नई प्रोद्योगिकी और आधुनिकीकरण में बहुत रुचि है । टकनोलाजी और आधुनिकीकरण में दिलचस्पी रखना गलत बात नहीं है । लेकिन जैसा कि हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है उन्होंने यह घोषणा की है कि उत्पादन के मामले में सरकारी क्षेत्रों की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मैं बेरोजगारी की समस्या से चिंतित हूं । जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है, यदि वे आधुनिकीकरण और आधुनिक प्रोद्योगिकी अपनाते हैं, तो उस क्षेत्र में अधिक रोजगार की गुंजाइश नहीं रहेगी और उस क्षेत्र में रोजगार की गुंजाइश नहीं होगी तो बेरोजगारी की समस्या उतनी ही बनी रहेगी, जितनी कि आज है । इसके विपरीत, सरकार की इस नीति से यह समस्या और बढ़ेगी ।

अब मैं एक नए मुद्दे पर आऊंगा । यह मंडल कमीशन के बारे में है । हमारे देश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 20% लोग रहते हैं । कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इस बात की जांच के लिए कि शिक्षण और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग कौन से हैं, वर्ष 1979 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी और मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी । यह प्रतिवेदन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति श्री जैल सिंह को दी गई थी । इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखते हुए, तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था :

"उपरोक्त बातों को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की राय जानने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट उन्हें भेजी है । उनका उत्तर मिलने के पश्चात् केन्द्र सरकार रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर अपनी राय कायम करने की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के प्रतिवेदन पर आगे विचार करेगी ।"

हालांकि 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । पहले भी कई बार प्रश्न पूछे गए और यह सूचना दी गयी कि सचिवों अथवा मंत्रिमंडल के सदस्यों की एक उप-समिति बनाई गई है लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला । यह बड़ी निराशाजनक बात है । इस प्रतिवेदन के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 2% है और यद्यपि इस आयोग की सिफारिशें हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग के बारे में हैं, तथापि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री को इस रिपोर्ट की जानकारी है कि यह हमारी जनसंख्या के 52% लोगों के बारे में है ।

महोदय, अंततः मैं कृषकों को लाभकारी मूल्य दिए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि कृषकों को लाभकारी मूल्य दिए जाते हैं । मेरा अनुभव यह है कि यद्यपि महाराष्ट्र सरकार ने उत्पादन मूल्य को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग के अनुसार कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य देने की सिफारिश की तथापि केन्द्र ने महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशें स्वीकार नहीं की । इससे केन्द्र सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिलते, इस देश की अर्थ-व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि पर आधारित है, स्थिर और मजबूत नहीं हो सकती ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण कृपापूर्वक दिया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं । वर्ष 1985 युवा वर्ष है और देश की महान जनता ने हमारे युवा प्रधान मंत्री के हाथ में देश की बागडोर देकर के इस वर्ष का एक शुभारंभ किया है ।

मान्यवर, जन-विश्वास ही हमारी एक सबसे बड़ी धरोहर है और मैं यह मानती हूं कि नई सरकार ने जिस प्रकार से अपना काम आरंभ किया है, निश्चित तौर पर हम जन-आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकेंगे । हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का तीन सूत्रीय कार्यक्रम--ईमानदारी, दक्षता और परिणाम, निश्चित तौर पर देश आगे को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करेंगे और 21वीं शताब्दी का जो हमारा भारत है, उसको आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र के रूप में ढाल सकेंगे ।

[प्रो० निर्मला कुमारी]

मान्यवर, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख समस्या जो है वह गरीबी की है। गरीबी निवारण के लिए हमें विशेष तौर पर अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन करने होंगे। बेरोजगारी की समस्या के लिए जो हमारे नए कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं, खासतौर से शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन की बात कही गई है, उसका मैं स्वागत करते हुए कुछ संक्षेप में सुझाव देना चाहूंगी। मान्यवर, हमारी शिक्षा व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए। शिक्षा डिग्री की गारंटी नहीं बल्कि रोजगार की गारंटी दे, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला हमें लागू करना चाहिए, ताकि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम आगे बढ़ सकें। हमारे यहां शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि हायर सेकेण्डरी लेवल तक राज्यों का विषय हो और यूनिवर्सिटी और कालेज एजूकेशन को केन्द्र सरकार के पास होना चाहिए तब जाकर के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम यूनिवर्सल एजूकेशन की पालिसी लागू कर सकेंगे। गर्ल्स एजूकेशन को हायर सेकण्डरी तक फ्री किया है जो बहुत कम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यह एक सराहनीय कदम होगा। शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। लेकिन, डाक्टर्स और इंजीनियर्स वगैरह जो भी टेक्नीकल एजूकेशन प्राप्त करते हैं, वे विदेशों में चले जाते हैं। इस प्रतिभा पलायन को कम किया जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ श्रम को भी जोड़ना चाहिए। "श्रमएव-जयते", हमारी नेता श्रीमती गांधी ने कहा था। उससे हम शिक्षा में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे सामने जापान का एक उदाहरण है। प्राकृतिक सम्पदा न होते हुए भी उन्होंने विश्व मार्किट पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार, यदि हम लोग श्रम के साथ शिक्षा को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश आगे बढ़ेगा। उद्योगों की दृष्टि से हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। हमारी जमीन रत्न-गर्भा है। यहां पर बहुत सी खनिज सम्पदा छिपी हुई है। उसके आधार पर उद्योगों का सूत्रपात कर सकते हैं। अभ्रक, लोहा और कोयला काफी मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध होता है। अणु-शक्ति के लिए थोरियम भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनानी होगी। प्राईवेट और पब्लिक सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने जो सहकारिता आन्दोलन शुरू किया था, उसको उद्योगों के साथ जोड़ना होगा। उद्योग अगर विकेन्द्रित हो तो उससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के पास जिंक काफी मात्रा में उपलब्ध है। वहां पर सुपर जिंक स्मेलटर के बारे में काफी समय से सोचा जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस ओर ध्यान देकर वहां के गरीब और बेरोजगार युवकों के लिए काम की व्यवस्था की जा सकती है। उद्योगों के पिछड़े रहने का एक और कारण बिजली की कमी होना है। राजस्थान जैसा प्रान्त बिजली से बहुत अधिक प्रभावित है। वहां के उद्योग और कृषि चौपट हो गई है। एटोमिक प्लान्ट कोटा में स्थित है, जिसमें खराबी चलती रहती है। केनेडियन टेक्नोलॉजी से इस कारखाने को बनाया गया है। वहां पर सारा का सारा प्राथमिक ढांचा उपलब्ध है। यदि सरकार वहां पर दो इकाइयां लगाने की बात सोचती है, जैसा कि कलपक्कम में किया गया है तो राजस्थान की बिजली की समस्या हल हो सकती है।

पीने के पानी की समस्या भी राजस्थान में प्रमुख है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारा नया बजट आने वाला है, उसमें इस प्रमुख आवश्यकता के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, वहां पर शीत-युद्ध की कंपकंपी हम महसूस कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमें विशेष-तौर से प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं यह समझती हूं कि पाकिस्तान को जो अमेरिकन सहायता दी जा रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज विश्व शांति की अग्रदूत हमारी नेता श्रीमती गांधी हमारे बीच नहीं हैं परन्तु जन-जन की आकांक्षाएं इस बात को लिए हुए हैं कि वही गुण हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को विरासत में मिले हैं। उनके छोटे से कार्य-काल में काफी प्रगति हुई है। आसाम और पंजाब की समस्या का हल तथा दस सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने पेश किए हैं उन का स्वागत करते हुए इस अभिभाषण का स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मैं उस समय लाँबी में बैठा था क्योंकि मैं बीमार था और यहां की वातानुकूलन व्यवस्था मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है।

सर्वप्रथम मैं वही बात दोहराना चाहता हूं जिसका कि कांग्रेस के कई सदस्यों ने जिक्र किया है। महोदय, यह कहा गया है कि 1984 में हुए लोक सभा चुनावों में आपके बाईं तरफ बैठे सदस्यों को भारी जनादेश मिला है और इस सदन में कांग्रेस (आई) का भारी बहुमत है। मैं नहीं जानता कि भारी जनादेश से उनका क्या अभिप्राय है। उन्हें यह नहीं भूलना

चाहिए कि उन्हें केवल 48% वोट प्राप्त हुए और 52% वोट उनके विरोध मे गए । (व्यवधान) यदि प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता ? (व्यवधान) आप कहते हैं कि आपको ये वोट आपकी राष्ट्रीय अखंडता की नीति के कारण मिले (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह समझते हैं कि जिन 52% लोगों ने आपके विरुद्ध मतदान किया है, वे राष्ट्रविरोधी हैं । (व्यवधान) मैं तो कहूंगा कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू तथा काश्मीर मे आपकी हार क्यों हुई ? (व्यवधान) आप कहते हैं कि आपने सांप्रदायिकता, जातिवाद और पृथकतावाद के विरुद्ध विजय प्राप्त की है । क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी त्रिपुरा मे त्रिपुरा उपजाति संघ के साथ मित्रता क्यों है ? तमिलनाडु में आपकी दोस्ती आल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कजगम से, जम्मू काश्मीर में नेशनल कांग्रेस (एम०) से क्यों है और केरल मे आप मुस्लिम लीग से संबंध क्यों बनाए हुए हैं (व्यवधान)

5-52 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अमर राय प्रधान । कुछ लोग सोचते हैं कि इंदिरा लहर के कारण ही कांग्रेस (आई) पुनः सत्ता में आई है । लेकिन ऐसा नहीं है । उनकी विजय का मुख्य कारण धन है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । कार्यवाही वृत्तांत मे कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा । किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए । (व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान । महोदय, मेरे पास फोटोग्राफ हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । इसे कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित न किया जाए । (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय । आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री अमर राय प्रधान । महोदय, वे कहते हैं कि मतदाताओं ने उन्हें भारी जनादेश दिया है । वह ठीक नहीं है ।

श्री अजय नारायण मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महान संसद मे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी जनता जिसने मुझे निर्वाचित किया और इस माननीय सदन मे मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, मुझे कितना सम्मान दिया है ।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उनके अभिभाषण मे वर्ष 1984 का अशांति का वर्ष कहा गया है । मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि यह अशांति 1977 में ही शुरू हो गई थी जबकि यह आवश्यक रूप से छोटे लोगों को महानता का जामा पहना दिया गया। हमें एक अशांत सरकार मीली, जिसके काम भी अशांति के थे लेकिन इतिहास के अपने ही अजीब ढंग हैं । और ऐसा समय आया जब हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हम पुनः सत्ता में आए हम छात्र के रूप में या युवावस्था मे इतिहास का अध्ययन करते हैं । कुछ एसे विद्वान इतिहासकार हैं जो इतिहास लिखते हैं । लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी नेता ने इतिहास बनाया है । उन्होंने न केवल इतिहास बनाया बल्कि उन्होंने राष्ट्र बनाये । दिवंगत प्रधान के विषय में इस सदन में जो कुछ कहा गया है तथा अभिभाषण में जो कहा गया है, मैं उसके प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं ।

कभी ऐसा भी समय आता है जब लोग तानाशाही बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी समय आता है और ऐसे नेता होते हैं जो गलत आदर्शों के समक्ष झुकते नहीं और हमारी नेता ने 1977 और 1980 के बीच यही किया । वर्ष 1980 में हमारी नेता देश को पुनः समृद्धि, विकास और मजबूती की राह पर लाई । और यह उनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ है जबकि हम न केवल 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं अपितु हम आधुनिकता और मजबूती की ओर भी बढ़ रहे हैं । राष्ट्रनिर्माण में हमारे दल का योगदान इतिहास का अंग बन गया है । मैं अपने नए और युवा प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं जो इस त्रासदी और हत्या के समय मजबूती से खड़े रहे जबकि एक ओर देश के टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा था और दूसरी ओर देश में एकता की भावना उमड़ रही थी । उस समय पूरी दिल्ली जल कर राख हो सकती थी और इस बात का पूरा श्रेय नए, युवा, सक्रिय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए जिन्होंने दिल्लीवासियों में विवेक की भावना जगाई और यहां शांति, मैत्री और भाईचारे का वातावरण कायम किया । और तभी

**कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री अजय नारायण मुशरान]

चुनाव शुरू हुए। चुनावों में गड़बड़ी किए जाने, धन और शक्ति का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में बहुत शोर मचाया जा रहा है। मेरा पक्का विश्वास है कि विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि जनशक्ति का भी कुछ अर्थ है। 1977 में वे जन शक्ति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और 1984 में वे जनशक्ति को भूल गए हैं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमें केवल देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी मिलकर रहना है। केवल सीमा की सुरक्षा, जान, माल की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सूचना की गोपनीयता के लिए भी हमें एक रहना है जिसके संबंध में हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील तथा सचेत हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च स्तर पर हमें जिस प्रकार के दस्तावेजों तथा लोगों से निपटना होता है उनके बारे में हमे पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। यह बड़े गर्व की बात है कि इस कांड के संबंध में कोई बात दबाई नहीं गई है। प्रधानमंत्री ने सदन में बयान दिया और माननीय गृहमंत्री ने उसका और स्पष्टीकरण किया।

जहां तक आने वाले 5 वर्षों के लिए हमारे ध्येयों तथा आकांक्षाओं का संबंध है, श्रीमान मैं आपकी अनुमति से केवल तीन मुद्दों पर बल देना चाहता हूं।

6.00 म० प०

हम बेरोजगारी के संबंध में बहुत बातें करते हैं। युवकों में व्याप्त नैराश्य के संबंध में काफी कुछ कहते हैं। मेरे विचार में शैक्षणिक तथा युवा कल्याण गतिविधियों से हमें जो अपेक्षा होनी चाहिए वह है। एक ऐसे वातावरण का प्रक्षेपण जो युवकों को अपनी पहचान बनाने में मदद कर सके। आजकल युवकों और युवतियों के लिए पहचान की एकदम कमी है। केवल शिक्षा से ही हमारे युवा वर्ग को प्रसन्न, उत्साही तथा राष्ट्रवादी नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए शिक्षा से आगे भी कोई चीज होनी चाहिए। अवरश्रेणी लिपिक या उपनिरीक्षक की नौकरी से बढ़कर कुछ होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमारे यहां जनता की पहचान होनी चाहिए, हमें अपने युवाओं को इस ढंग से तैयार करना चाहिए कि वे अपने ध्येयों और उद्देश्यों को देश के विकास के अनुरूप ढाल सकें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और युवा वर्ग में व्याप्त निराशाओं को दूर करने में सफल होंगे।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत व्यावहारिक तथा बहुत महत्वाकांक्षी राष्ट्र निर्माण योजनाएं लाने के लिए हर प्रकार से बधाई की पात्र है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, पेय जल तथा विद्युत जैसी योजनाओं, युवकों की अलग पहचान बनाने में हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया दुर्भाग्यवश, जितना समय मैं सभा में उपस्थित रहकर वाद-विवाद सुनना चाहता था, उतनी देर यहां नहीं रह सका, क्योंकि इन दिनों कुछ नये मुद्दे सामने आ गये थे। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन मैंने अपने कमरे में बैठे हुए कई एक भाषणों को लाउडस्पीकर पर सुना है और अधिकांश भाषणों के बारे में मुझे नोट दिए गए हैं।

विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्रों ने अपना अधिकांश समय गत पांच वर्षों के दौरान सरकार के कार्य की चर्चा करने से बचे किया है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हम जनता के सामने चुनाव के लिए पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर ही गये थे, और इन पांच वर्षों के दौरान हमारा जो लेखा जोखा रहा है, उसका लोगों ने बहुत बड़े बहुमत से समर्थन किया है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों की तरह अपना समय विगत की बातों पर नष्ट नहीं करना चाहता, इसके विपरीत हम भविष्य की ओर देखने में विश्वास करते हैं।

चुनावों के बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये हैं और निराधार आरोप लगाये गये हैं। चुनावों के बाद आरोप लगाना एक प्रथा सी बन गई है, क्योंकि ये अच्छे बहाने साबित होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): चुनावों से पहले हम बहाने कैसे बना सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपके विरुद्ध आरोप नहीं लगाना चाहता। लोग जानते हैं कि वे आरोप क्या हैं इसीलिए हम सत्ता में हैं और आप लोग विपक्ष में ।

जैसा कि मेरे मित्र ने कहा चुनावों में पैसे की शक्ति, बाहुबल या अन्य कोई शक्ति का कोई महत्व नहीं है; चुनावों में मतदाता ही सब कुछ हैं । जब हम सत्ता पक्ष में इतना बहुमत और विपक्ष में इतने कम लोगों को यहां बैठे हुए पाते हैं तो इसका यही अर्थ निकलता है ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : प्रतिशत के हिसाब से आपको कितने वोट मिले ?

श्री राजीव गांधी : घबराइये नहीं, मैं बाद में प्रतिशत की बात करूंगा।

श्री अमल दत्त : अगली बार पैसे की शक्ति का प्रयोग न कीजिये।

श्री राजीव गांधी : दत्त जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो कुछ आपने कहा, वह मैंने सुन लिया है ।

प्रश्न यह है कि जनता की नब्ज कौन पहचानता है, 1977 में हम जनता की नब्ज नहीं पहचान सके इसलिए हमें सत्ता से हटा दिया गया। 1980 और 1984 में आप जनता के नजदीक नहीं थे, इसलिए आपको सत्ता से वंचित रखा गया। आपको यह तथ्य स्वीकार करना होगा । प्रतिशत के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं । आप 50 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की बात करते हैं, श्रीमन् क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके दल को मात्र 5.8 प्रतिशत ही मत प्राप्त हुए।

आपको याद रखना चाहिए कि हालांकि आप दावा करते हैं कि आपकी आवाज लोगों की आवाज है, आप देश के रक्षक हैं लेकिन तथ्य यह है कि जनता की आवाज सभा के इस पक्ष से ही आती है।.

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूल्ला) : इस तरफ से भी ।

श्री राजीव गांधी : मात्र दो सप्ताह पूर्व ही इस प्रतिशत का पता लग चुका है।

श्री सैफुद्दीन सोज : लेकिन वोटों का प्रतिशत समान है ।

श्री राजीव गांधी : इस चुनाव में जो मुद्दे थे, वे बिलकुल स्पष्ट थे, और चुनावों के प्रारम्भ से ही मेरे मित्र कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन तथ्य यह है कि हम देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे और वे उन मुद्दों को उठा रहे थे जोकि देश के लिए महत्वहीन थे। हमारे सामने एक ही मुद्दा था—भारत की एकता, अखण्डता और राष्ट्रवाद और इन्हीं की चुनावों में विजय हुई ।

विपक्ष के मेरे बहुत से मित्र यह समझते हैं कि वे ही देश की चेतना के प्रहरी हैं। इन चुनावों ने कांग्रेस को देश की चेतना का प्रहरी चुना है ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्रीमन्, हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : : कृपया व्यवधान न डालिये । एक अच्छे सांसद बनें। लेकिन मेज को बार-बार थपा-थपाकर हमें बाधा डाली जा रही है।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि हम उन्हें माफ कर देंगे। वह विधान सभा से आये हैं और हम जानते हैं कि वहां कैसे कार्यवाही होती है । इसलिए हमें उन्हें यह सीखने के लिए समय देना चाहिए कि सदन में कैसे बरताव किया जाता है ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं वहां 16 वर्ष तक सदस्य रहा हूं । और मुझे वहां कुछ और नहीं सीखना है ।

श्री राजीव गांधी : क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

धन्यवाद ।

[श्री राजीव गांधी]

पिछले कुछ दिनों में हमने भारत में जासूसी के एक बहुत गम्भीर मामले का पर्दाफाश किया है। मैं इस समय इस विषय में अधिक नहीं बता सकता क्योंकि अभी जांच चल रही है और अगर मैं कुछ कहूंगा तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है, सभा के दोनों पक्ष के सदस्यों को समझ लेना चाहिए कि इस विषय पर हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई कांग्रेस बनाम विपक्ष की घटना नहीं है। यह कोई ऐसी भी घटना नहीं है जिससे हममें से कोई राजनैतिक लाभ उठाना चाहता हो। इसका सारे राष्ट्र से संबंध है। इसका पर्दाफाश इसलिए किया गया क्योंकि हम ऐसा चाहते थे और हमने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की जांच की, जहां हमने पाया कि सही कार्य नहीं हो रहा और जहां कहीं आवश्यक समझा हमने कार्यवाही भी की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि मेरे निजी स्टाफ के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है परन्तु उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। सिविल सेवाओं में उच्च आदर्श बनाये रखने के लिए, उन्होंने यह निर्णय लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं, इसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ और इससे देश को क्या हानि पहुंची है। जब मैं इस बारे में अधिक बताने की स्थिति में हूंगा तो मैं आपको पूर्ण सूचना दूंगा।

पंजाब और असम की समस्याएं हैं। हम इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इस सभा के सामने कोई समाचार लाने में समर्थ होंगे, शायद इस अधिवेशन में नहीं। लेकिन मुझे आशा है कि हम इस बारे में प्रगति करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा में विद्यमान विपक्षी दलों और उन विपक्षी दलों का भी जोकि यहां नहीं, इन विशेष समस्याओं को हल करने में हमें सहयोग प्राप्त होगा।

श्रीमन्, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तनाव से दंगे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो पाते हैं कि इसका मूलकारण आर्थिक असमानता है और हमें इसे दूर करना होगा। हमारी सरकार इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करना चाहती है।

कुछ ही दिनों में दिल्ली में छः राष्ट्रों का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। शांति की दिशा में निरस्त्रीकरण की दिशा में यह एक और कदम है, और हम आशा करते हैं कि इससे विश्व में तनाव कम होगा। भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का भारी समर्थक रहा है, इसका संस्थापक सदस्य है, और इसके प्रति हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में हम और दिलचस्पी लेंगे, और अधिक संबंध संपर्क बनायेंगे और दक्षिण-दक्षिण के देशों में संवाद और आदान-प्रदान में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीसरे विश्व के देश आपस में मिलकर सहयोग करें क्योंकि हमने पाया है कि जहां कहीं भी दूरदृष्टि से कार्य नहीं किया गया और हमने विदेशी विचारों को अपनाया, दूसरा परिणाम विकास न होकर विनाश ही हुआ है, इसी प्रकार हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ और हमारे उपमहाद्वीप में बेहतर सहयोग की आशा करते हैं।

पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ मतभेद हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया जब पीछे भारत आए थे तब उनके साथ हमारी बातचीत बहुत सद्भावनापूर्ण और लाभदायक रही उनकी बातों में आश्वासन था। मैं काफी आशावान था और अब भी हूं लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच वहां के नौकरशाही तथा सरकार के अन्य सदस्यों के कुछ कार्य भारत-पाकिस्तान संबंधों को अच्छा बनाने में सहायक नहीं पाये गये। हम पाकिस्तान से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करते हैं।

श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सभा को जानकारी है। जिस प्रकार से सर्वदलीय सम्मेलन समाप्त हुआ उससे हमें निराशा हुई है। इसका कोई हल भी नज़दीक नहीं है, इससे भी हमें निराशा हुई है और जिस प्रकार से सुरक्षा बलों को लगाया गया है और उसका प्रयोग किया गया है उससे भी हमें निराशा हुई है। हम श्रीलंका से उच्चस्तर पर बातचीत करेंगे और इस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। हमें उनकी सहायता करनी ही है क्योंकि हमारे यहां काफी संख्या में शरणार्थी आये हैं। और हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहेंगे जिससे कि श्रीलंका से आयें शरणार्थी वापस घरों को लौट सकें।

श्रीमन्, इस वर्ष के अन्त में मैं अमेरिका और सोवियत संघ की यात्रा पर जा रहा हूं । और जो कुछ वहां बातचीत होगी, उससे मैं सभा को अवगत कराऊंगा । हम अन्य देशों से भी अधिक आदान-प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हम विश्व के सभी देशों से बेहतर मैत्री संबंध रखने की कोशिश करेंगे ।

अपने भाषण में, राष्ट्रपतिजी ने हमारे भावी कार्यक्रम का जिक्र किया है, श्रीमन्, यह सरकार स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्ध है । और हमने इस दिशा में कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये हैं। चुनाव सुधारों के प्रति हम वचनबद्ध हैं । निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के बारे में हम सभा के सभी वर्गों से चर्चा करेंगे और हमें आपसे पूर्ण सहयोग की आशा है क्योंकि अगर निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार संबंधी बातों में 10 वर्ष लग जाते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, हम इस पर शीघ्र कार्यवाही करना चाहते हैं, शीघ्र, लेकिन जल्दबाजी में नहीं--ताकि किसी परिणाम पर पहुंच सकें जिससे कि जिन मुद्दों पर सहमति हो उनके अन्तर्गत आगामी चुनाव किये जा सकें।

पिछले कुछ दिनों से हम विपक्ष से तथा अपने साथियों से दल-बदल विरोधी विधेयक पर चर्चा करते रहे हैं । हम महसूस करते हैं कि स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए, यह एक अति आवश्यक मुद्दा है । श्रीमन्, हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह किसी भी तरीके से वहीं पर भी दल-बदल न हो। इस बारे में विपक्ष से हमारी कुछ बातचीत हुई है । कुछ दल सख्त विधेयक चाहते हैं। कुछ दल इस बारे में नरम विधेयक चाहते हैं । मैं आशा करता हूं कि हम इस मतभेद को समाप्त कर किसी उचित परिणाम पर पहुंच पायेंगे, क्योंकि ऐसे किसी विधान को हम वास्तव में ढूंढ रहे हैं । यह एक नई बात है, जिसे हम लागू करने जा रहे हैं । इस बारे में कोई पूर्वोदाहरण भी नहीं है, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना है । लेकिन इसका यह अर्थ भी है कि हमें कुछ और वस्तुपरक होना पड़ेगा, हमें कुछ और ताकत दिखानी होगी और इसको करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। श्रीमन्, हमारी तरफ से इस बारे में कमी नहीं आयेगी ।

श्रीमन्, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, आने वाले वर्षों में हम किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं । हमें सुनिश्चित करना होगा कि कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो। हमें यह देखना होगा कि किसानों को कृषि संबंधी सामग्री उचित मूल्यों पर मिले । हमें यह भी देखना होगा कि वसूली मूल्य सही हो । तभी हम जो विकास चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं । हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

श्रीमन्, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा, हम वस्त्र उद्योग की तरफ ध्यान देंगे । कई वर्षों से वस्त्र उद्योग की हालत काफी खराब है । और जब मैं वस्त्र उद्योग की बात करता हूं तो मैं उनमें हथकरघा बुनकरों, उद्योग के छोटे स्तर से उच्चतम यंत्रीकृत स्तर तक को शामिल करता हूं। हमें एक नई नीति का विकास करना है, जिससे कि कोई भी बेरोजगार न बने, लेकिन साथ ही हमें याद रखना है कि हमारी वस्त्र नीति का ध्येय नौकरियां दिलाना नहीं, बल्कि कपड़ा तैयार करना है । ऐसी दरों पर कपड़ा निर्मित करना जिसपर हमारे देश की जनता, गरीब लोग उसे खरीद सकें। हम इस दिशा में कार्य करने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ।

हम एक नई औद्योगिक नीति बनायेंगे, हमें यह महसूस करना चाहिए कि विपक्ष में बैठे हमारे मित्रों के कहने के बावजूद, पिछले 35 वर्षों के दौरान भारत ने काफी प्रगति की है, और अब हमें एक सुनहरे भविष्य की कल्पना चाहिए। अगर हमारे उद्योग को प्रगति करनी है, अगर हमें अपने उद्योगों को विश्व के उद्योगों के समकक्ष लाना है तो इन्हें उन्हीं परिस्थितियों में कार्य करना होगा। हमें इस दिशा में कार्य करना होगा। हमें रोजगार उपलब्ध कराने की तरफ ध्यान देना होगा । उद्योग ही केवलमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रोजगार उपलब्ध किया जा सके। कई दफा तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह बहुत ही असमर्थ क्षेत्र साबित होता है । हमें यह देखना होगा कि हम उद्योगों से ज्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं । मैं उद्योगों को बन्द करने या सभी उपलब्ध उद्योगों में भारी परिवर्तन की वकालत नहीं कर रहा हूं।

[श्री राजीव गांधी]

मैं यह कह रहा हूं कि हमारी शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में भारत विश्व के अन्य देशों का मुकाबला कर सके। हम अन्य देशों के मुकाबले का दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अवस्था 10 या 20 वर्ष उनसे पीछे है। आज विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में हम एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करने जा रहे हैं जिसका स्वरूप और अधिक आधुनिक किस्म के रोजगार उपलब्ध कराना होगा। हम एक नई औद्योगिक नीति लागू करेंगे जिससे इस प्रकार के रोजगार पैदा होंगे और हमारी औद्योगिक नीति इसके अनुरूप होगी। अगले सत्र तक हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे।

हमेशा से ही न्यायिक प्रणाली का संचालन एक मुश्किल कार्य रहा है। न्यायिक प्रणाली न्याय देने के लिये होती है और अगर न्याय देने में देरी होती है तो इसका अर्थ होता है न्याय का न दिया जाना। हम इस ओर ध्यान देंगे कि कैसे सभी स्तरों पर शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। एक और जहां समाज का प्रत्येक वर्ग प्रगति कर रहा है वहां हम पाते हैं कि सभी वर्गों, जातियों और क्षेत्रों में महिलायें इस बारे में पीछे रह जाती हैं। इसलिये हमने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनें और इन्हें हम आपके सामने रखेंगे। हमने पहले ही घोषणा की है कि माध्यमिक स्तर तक हम लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप इन्हें होस्टल की सुविधाएं प्रदान कीजिए।

श्री राजीव गांधी : मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कर पायें। जब शिक्षा नीति पर चर्चा होगी, तब मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा।

महिलाओं के लिए, हम चाहेंगे कि स्वयंसेवी संगठन विशेष रूप से आगे आएं और इसमें प्रमुख भूमिका अदा करें।

इस चुनाव में वास्तव में भारत की युवा शक्ति का प्रदर्शन हुआ है और इसीलिए सभा के दोनों पक्षों में आयु में इतना अन्तर है। हमें युवकों को रोजगार देने के लिए और इस महान राष्ट्र के निर्माण में उनको सहयोजित करने के लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम बनायेंगे।

हमारे देश के बहुत बड़े भाग में वन नहीं हैं और बाकी भूमि बेकार पड़ी है। हम इन क्षेत्रों का विकास करने जा रहे हैं व इसके काम देखने के लिए एक वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इन क्षेत्रों का विकास केवल जंगलों के रूप में नहीं किया जायेगा बल्कि इस तरह से किया जायेगा ताकि विकसित की गई भूमि से प्राप्त लाभ आसपास के लोगों को मिल सकें। यह स्थानीय जनता के फायदे के लिए होगी ?

हम देश में वायु और जल को स्वच्छ करने की योजनाएं बना रहे हैं। हमने भोपाल की हाल ही की दुर्घटना देखी जहां बहुत से व्यक्ति मारे गये और दुर्घटनाग्रस्त हो गये या अपंग हो गये हैं ? मुझे बताया गया है कि इस भयानक दुर्घटना के कुछ प्रभाव आगामी छः महीनों में भी ज्ञात नहीं हो सकेंगे। हम इस प्रकार के कारखाने लगाने के स्थान संबंधी नीति पर विचार कर रहे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि इन कारखानों द्वारा वायु व नदियों का प्रदूषण कैसे रोका जा सके। हमारी नदियां अत्यन्त प्रदूषित हो गयी हैं। गंगा पहली नदी है जो हम साफ करने जा रहे हैं। मैं पवित्र करने की बात नहीं कहूंगा क्योंकि कोई भी गंगा को पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन हम साफ करने की कोशिश करेंगे। हमने ...

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह एक अत्यन्त मुश्किल काम है।

श्री राजीव गांधी : हां, यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन हमने क्षेत्र चुन लिए हैं और महसूस करते हैं कि हम यह कार्य कर सकने में सक्षम हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप पहले अपना घर देखिए।

श्री राजीव गांधी : इसी कारण तो आप वहां है और हम यहां । हमने गंगा को साफ करने के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की है । मेरे दोस्त गंगा में इतनी दिलचस्पी ले रहे है। गंगा में जो प्रदूषण है उसका केवल 20 प्रतिशत रसायन प्रदूषण है व 80 प्रतिशत गंदे नालों व मलमूत्र का प्रदूषण है और हम इसको समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा साफ करेंगे ।

इस सरकार से आपको नतीजे देखने को मिलेंगे ।

यह सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत की ओर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रही है । हमारी योजना अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ संभालने व बचाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय की संस्कृति का कैसा विकास हो इसके लिए भी हम सोच रहे है । हम इसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में अमल में लाएंगे ।

इन सबको करने के लिए हमे एक कुशल, स्वच्छ व उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता होगी और हम ऐसा प्रशासन आपको देगें ।

भारत को आगे ले जाने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे साधनों का भरपूर उपयोग हो । हमारा सबसे बड़ा साधन मानव शक्ति है और हमे यह देखना है कि इसका विकास कैसे हों । हम अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करेंगे व अपनी औद्योगिक व पूंजीगत संसाधनों का उपयोग अधिकतम फायदे के लिए करेंगे ।

यह सब करने के लिए हमें प्रोद्योगिकी की आवश्यकता होगी । हमें एक नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत होगी । हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ताकि वे इस कार्य को सिद्ध कर सकें । परंतु इनसे ज्यादा इसके लिए प्रबंधकीय कुशलता व राजनीतिक इच्छा की जरूरत है और हम दोनों ही आपको देंगे । लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब कोई भी व्यक्ति अपनी कमर कसता है तो उसको थोड़ी कसन तो महसूस होती है । और यहां कसन अनुशासन में लायी जाएगी हमे अनुशासन लाना ही होगा । हमें संस्थाओं का सम्मान करना होगा और हमें अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए फिर से सोचना होगा ।

महोदय, आगामी वर्षों में हम एक ऐसा संगठित, धर्मनिरपेक्ष आजाद भारत बनाएंगे जिसमें व्यक्ति का मूल्य उसकी जात, धर्म व क्षेत्र से नहीं आंका जायेगा । हम एक गतिशील भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जो बाकी संसार के संग आगे बढ़ सके ।

मैं एक बार फिर से उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और सिफारिश करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्वीकार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर काफी संख्या में संशोधन दिए गये हैं । अगर सदन सहमत हो तो मैं सारे संशोधन एक साथ सदन के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा ....।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) **:** अगर सब संशोधन एक साथ रखे गये तो इसका अर्थ होगा "सामूहिक हत्या" ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सारे संशोधन सदन के समक्ष मतदान के लिए एकसाथ रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष मूल प्रस्ताव मत के लिए रखता हूं ।

प्रश्न है :

कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र मे समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 17 जनवरी, 1985 को एक साथ समवेत संसद की दोनो सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6·34 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 जनवरी, 1985/3 माघ, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भारगजग—जे 3—165 एल० एस० एस० (एन०डी०).'85—दि० 12-10-85—250

पी० एस० एस०— 48/1/8/55(एच)

250

© 1985 लोक-सभा सचिवालय ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (पहला संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।